

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2014—पौष 5, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-4 (अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

क्र.-पंचा.-2014.—प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नथनपुर	1	म.नं. 1 गोपालसिंह से म.नं. 13 पूरनसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 15 रामचरण से म.नं. 32 दोलतराम तक	अ0जा0जा0	-
		3	म.नं. 33 मुन्नालाल से म.नं. 50 इमरतलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 51 अमानसिंह से अंत तक एवं मजराचौमडी म.नं. 1 कंदईलाल से म.नं. 8 बुंदेलसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	मजराचौमडी म.नं. 9 बाबूलाल से म.नं. 24 काशीराम तक	महिला अ0जा0जा0	-
		6	मजराचौमडी म.नं. 26 गोपीलाल से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रामपुरबंदिया म.नं. 1 भगवानसिंह से म.नं. 17 हल्केया तक	महिला सामान्य	2
		8	रामपुरबंदिया म.नं. 18 ख्याली से म.नं. 35 रामकिशन तक		
		9	रामपुरबंदिया म.नं. 36 दीमानसिंह से म.नं. 53 कल्याणसिंह तक		
		10	रामपुरबंदिया म.नं. 54 धानसिंह से म.नं. 64 क महेन्द्रसिंह तक		
		11	रामपुरबंदिया म.नं. 65 रतनसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट-4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	सहजाखेडी	1	म.नं. 1 गोरलाल से म.नं. 10/2 गोपालसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 11 ब्रजराजसिंह से म.नं. 28 खुमानसिंह तक	अ0जा0जा0	-
		3	म.नं. 29 शंकर से म.नं. 49 राजामोहन तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 49/1 समरथसिंह से म.नं. 59 कल्याणसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 60 धूपसिंह से म.नं. 71/1 माधोसिंह तक	महिला अ0जा0जा0	-
		6	म.नं. 72 जसपालसिंह से म.नं. 85 रामभरोसा तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 86 तुलाराम से म.नं. 102 सेवलाल तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 103 श्रीराम से म.नं. 118 अमरसिंह तक		
		9	म.नं. 119 सौदानसिंह से म.नं. 127/2 लक्ष्मणसिंह तक		
		10	म.नं. 128 सुमेरसिंह से म.नं. 142 लालाराम तक		
		11	म.नं. 144 मजबूतसिंह से म.नं. 156 बाबूलाल तक		
		12	म.नं. 157 कदईराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

:: सूचना ::

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	सतपाडा	1	म.नं. 1 मसीद अहमद से म.नं. 10 राशिद अहमद तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 11 प्रकाश से म.नं. 25 लालाराम तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 26 मिश्रीलाल से म.नं. 41 हरिरायण तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 44 मौजीलाल से म.नं. 58 रजनीबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 60 खिलान से म.नं. 76 हल्कू तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 77 पन्नालाल से म.नं. 95/2 रामदयाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 96 बाबूलाल से म.नं. 106 रूपसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 107 हिम्मतसिंह से म.नं. 117 गुलमोहम्मद तक		
		9	म.नं. 118 आरिफ अहमद से म.नं. 130/1 अशोक कुमार तक		
		10	म.नं. 131 भगवानसिंह से म.नं. 149 फूलसिंह तक		
		11	म.नं. 150/1 करणसिंह से म.नं. 172/1 मीनाबाई तक		
		12	म.नं. 173 भारतसिंह से म.नं. 196 /2 प्रीतमसिंह तक		
		13	म.नं. 197 विजयसिंह से म.नं. 218 सूरजसिंह तक		
		14	म.नं. 219 घासीराम से म.नं. 230 भुज्जीलाल तक		
		15	म.नं. 231 सौदानसिंह से म.नं. 247 प्रेमनारायण तक		
		16	म.नं. 249 गंगाराम से म.नं. 269/2 मोहरसिंह तक		
		17	म.नं. 261 रामभरोसे से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	दुपारिया	1	म.नं. 1 मोहरबाई से म.नं. 11/4 रूपसिंह तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं. 14 नाथूराम से म.नं. 31 योग सिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 32 रामकरण से म.नं. 53 गोपालसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 54 अमरसिंह से म.नं. 74 भारतसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 75 सनमानसिंह से म.नं. 97 जुझारसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 98 रतनसिंह से म.नं. 116/2 संजयसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 117/1 भारतसिंह से म.नं. 130 रामगोपाल तक		
		8	म.नं. 131 सुमेरसिंह से म.नं. 149/1 रमजान खों तक	महिला सामान्य	5
		9	म.नं. 150 सईद खों से म.नं. 167 मोहरसिंह तक		
		10	म.नं. 168 ओमप्रकाश से म.नं. 179 सम्भूसिंह तक		
		11	म.नं. 181 फूलसिंह से म.नं. 195 अरविन्दसिंह तक		
		12	म.नं. 196/1 मलखानसिंह से 212 भूपेन्द्रसिंह तक		
		13	म.नं. 212/1 थानसिंह से म.नं. 220 सौदानसिंह तक		
		14	म.नं. 221 शिवराजसिंह से म.नं. 235/1 निर्भयसिंह तक		
		15	म.नं. 236 हेमराजसिंह से म.नं. 244 धारूसिंह तक		
		16	म.नं. 245 मोकमसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	शेरपुर	1	म.नं. 1 करामत खों से म.नं. 11 बम्मू खों तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं. 12/1 हम्मू खों से म.नं. 25 हामिद खों तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 26 इरफान खों से म.नं. 40/1 राजमल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 41 सतीश कुमार से म.नं. 53/4 लुकमान खों तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 54 मकसूद खों से म.नं. 67 शेर खों तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 67 अब्दुल सलाम खों से म.नं. 78 अमीर खों तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 79 इद्रीश खों से म.नं. 88 सफीक खों तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 89 राजे खों से म.नं. 102 नन्ने खों तक		
		9	म.नं. 103 मुन्ने खों से म.नं. 114 टीकाराम तक		
		10	म.नं. 115 कन्हेदीलाल से म.नं. 129 सईद खों तक		
		11	म.नं. 130 दौलतराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	रूसल्ली	1	म.नं. 1 कल्याणसिंह से म.नं. 15/3 अमरसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 17 इमरतसिंह से म.नं. 53 रतनसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 36 सेजराम से म.नं. 49 करणसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	5
		4	म.नं. 53 नारायणसिंह से म.नं. 68 भगवानसिंह तक	महिला अ0जा0	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	म.नं. 69 मटरूलाल से म.नं. 86 शिवराजसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	---
		6	म.नं. 87 उधमसहि से म.नं. 105 श्यामसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 106 खिलानसिंह से म.नं. 115 तोरनसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 116 तुलाराम से म.नं. 127 बालकृष्ण तक		
		9	म.नं. 128 नब्बा से म.नं. 152 गुडडू तक		
		10	म.नं. 153 हरिसिंह से अंत तक		
		11	ब्यौची म.नं. 1/1 से उधमसिंह से म.नं. 10 धीरजसिंह तक		
		12	ब्यौची म.नं. 11 तखतसिंह से म.नं. 29 कमलनाथ तक		
		13	ब्यौची म.नं. 30 कोषाबाई से म.नं. 48/2 भारतसिंह तक		
		14	ब्यौची म.नं. 49 हरिनारायण से म.नं. 75 दलीपसिंह तक		
		15	ब्यौची म.नं. 76/1 करणसिंह से म.नं. 93/1 सरदारसिंह तक		
		16	ब्यौची म.नं. 94 बबलेशकुमार से म.नं. 103/2 गबडूलाल तक		
		17	ब्यौची म.नं. 104 रामनारायण से म.नं. 119 'क' रामस्वरूप तक		
		18	ब्यौची म.नं. 122 गोविन्दसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	कोठीचारकलौ	1	म.नं. 1 महेन्द्रसिंह से म.नं. 16/1 मोनसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 17 वीरसिंह से म.नं. 29 ओमप्रकाश तक	अ0ज0जा0	---
		3	म.नं. 30 हरिराम से म.नं. 41 रजनीशकुमार तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 42 भगतसिंह से म.नं. 57 गोपालसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 58 विजयराम से म.नं. 72 रमेशकुमार तक	महिला अ0ज0जा0	---
		6	म.नं. 73/1 हिम्मतसिंह से म.नं. 92 मेघा तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 93 मंगलसिंह से म.नं. 118 सुग्रीव तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 120/1 मजबूतसिंह से म.नं. 149 छन्नू तक		
		9	म.नं. 151 किशनदास से म.नं. 173 उधम तक		
		10	म.नं. 174 गोपाल से म.नं. 196 नबल तक		
		11	म.नं. 197 कुंजीलाल से म.नं. 226/2 कुंवरबाई तक		
		12	म.नं. 232 शांतिबाई से म.नं. 255 मुन्शीलाल तक		
		13	म.नं. 256 गणेशीबाई से म.नं. 272 महाराजसिंह तक		
		14	म.नं. 278 महेन्द्रसिंह से म.नं. 292 निशारानी तक		
		15	म.नं. 300 सरदारसिंह से अंत तक एवं खिरिया 1 से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	अहमदानगर	1	म.नं. 2/1 प्रेमनारायण से म.नं. 15 नारायणसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 16 कृपाराम से म.नं. 32/3 लखनसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 34 कालूराम से म.नं. 48/2 गेंदाबाई तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 49 इमरतबाई से म.नं. 59/2 रामकलीबाइ तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 60/1 सुग्रीवप्रसाद से म.नं. 70 दौलतराम तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 71 मुन्शी से म.नं. 88/2 लालजी तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 90/1 लीलाबाई से 99/2 लालजी तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 100 कमलसिंह से म.नं. 117 गंगाबाई तक		
		9	म.नं. 119 मोहरसिंह से म.नं. 130 अवधनारायण तक		
		10	म.नं. 131 जियालाल से म.नं. 138/2 बट्टीप्रसाद तक		
		11	म.नं. 139/1 रघुवीर से म.नं. 146 गंगाराम तक		
		12	म.नं. 147 संतोष कुमार से म.नं. 163/1 बाबूलाल तक		
		13	म.नं. 163 ख राकेश से म.नं. 184/2 धारूसिंह तक		
		14	म.नं. 187 भारतसिंह से म.नं. 194 खिलानसिंह तक		
		15	म.नं. 195 तोरनसिंह से म.नं. 215/1 भारतसिंह तक		
		16	म.नं. 216 रामसिंह से म.नं. 247/2 मुन्नालाल तक		
		17	म.नं. 249 नर्वदा से म.नं. 263 कमलसिंह तक		
		18	म.नं. 264 धीरजसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	चितोरिया	1	म.नं. 1/2 गिरीशनारायण से म.नं. 8 हरिसिंह तक	अ0जा0,	8
		2	म.नं. 9/1 कोकसिंह से म.नं. 15 मिश्रीलाल तक	अ0जा0जा0	—
		3	म.नं. 16 मोबतसिंह से म.नं. 41 सोमा तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 42 कलाबाई से म.नं. 88 सुशीलाबाई तक	महिला अ0जा0	4
		5	म.नं. 92 मंगलसिंह से म.नं. 115 पीतू तक	महिला अ0जा0जा0	—
		6	म.नं. 116 रणछोदास से म.नं. 140 विजयराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 141 दुर्गाप्रसाद से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	बमूरिया म.नं. 1 तरणसिंह से म.नं. 14 तुलाराम तक		
		9	बमूरिया म.नं. 17 कल्लूनाथ से म.नं. 38 रूपसिंह तक		
		10	बमूरिया म.नं. 43 जसवंतसिंह से म.नं. 55 कल्याणसिंह तक		
		11	बमूरिया म.नं. 55/1 हीरालाल से म.नं. 70 मुन्ना तक		
		12	बमूरिया म.नं. 70/1 सेबलाल से म.नं. 89 मोहरसिंह तक		
		13	बमूरिया म.नं. 89/1 टीकाराम से अंत तक		
		14	सूखासेमरा म.नं. 2 पप्पू से म.नं. 9 मोहनसिंह तक		
		15	सूखासेमरा म.नं. 9 ख अजयसिंह से म.नं. 16 बाबूलाल तक		
		16	सूखासेमरा म.नं. 16 ग बल्ली से म.नं. 22 खुमानसिंह तक		
		17	सूखासेमरा म.नं. 23 क रणधीरसिंह से 31/1 जगदीश तक		
		18	सूखासेमरा म.नं. 31 क से नवलसिंह से 49 घनश्याम तक		
		19	सूखासेमरा म.नं. 51 तीरतसिंह से म.नं. 67 तुलाराम तक		
		20	सूखासेमरा म.नं. 68 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	सुल्तनिया	1	म.नं. 1 धन्नालाल से म.नं. 18 कमलसिंह तक	अ0जा0,	5
		2	म.नं. 19 रामाधार से म.नं. 45 करणसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 46 रामसेवक से म.नं. 74/3 ब्रजेशकुमार तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 78 दोलतसिंह से म.नं. 93 भंवरलाल तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 95 गोपीलाल से म.नं. 112 महरवानसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 1113 मोहनसिंह से म.नं. 131 नवलसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 132 उमेदीबाई से म.नं. 161 करणसिंह तक	महिला सामान्य	1
		8	म.नं. 164 सोमतसिंह से म.नं. 180 भरोसीलाल तक		
		9	म.नं. 181 दलीपसिंह से म.नं. 201 पूरनसिंह तक		
		10	म.नं. 203 सिमलाबाई से म.नं. 218 भैरोंसिंह तक		
		11	म.नं. 219 गोरेलाल से म.नं. 230 बंशी तक		
		12	म.नं. 239 तुरसाबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	पीपलखेडा	1	म.नं. 1 लच्छूगिर से म.नं. 15 मेवाबाई तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 16 राजाराम से म.नं. 40 किशनलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 42 सुनीलकुमार से म.नं. 61 तोरनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 62 शंकरिया से म.नं. 77 किशनलाल तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 78 गोपालसिंह से म.नं. 95 हरिशंकर तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 96 दीपक से म.नं. 110 रतिराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 111 नवलसिंह से म.नं. 132/2 अशोक कुमार तक	महिला सामान्य	5
		8	म.नं. 134 हीरालाल से म.नं. 155 रतनगिर तक		
		9	म.नं. 156 नारायणगिर से म.नं. 175 छोटेराम तक		
		10	म.नं. 176 सोदानसिंह से म.नं. 196 मकसूद शाह		
		11	म.नं. 197 मुबारिक शाह से म.नं. 215 देवकीनन्दन तक		
		12	म.नं. 217 लालू से म.नं. 246 मनोजकुमार तक		
		13	म.नं. 272 श्रृंगारबाई से म.नं. 295 हीरालाल तक		
		14	म.नं. 298 टीकाराम से 318/1 कल्याण तक		
		15	म.नं. 319 चन्ना से म.नं. 350 जगन्नाथ तक		
		16	म.नं. 351 दीवानसिंह से म.नं. 365 अमरसिंह तक		
		17	म.नं. 369 सडडा से म.नं. 393 हरिसिंह तक		
		18	म.नं. 394 अजबसिंह से म.नं. 409 भवानी तक		
		19	म.नं. 410 राजसिंह से म.नं. 422 नन्नूलाल तक		
		20	म.नं. 423 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	थान्नेर	1	म.नं. 1 प्रेमनारायण से म.नं. 13 राजेन्द्र तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 16 डोलीबाई से म.नं. 31 बाबूलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 32 मूलचंद से म.नं. 49 तखतसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 53 लक्ष्मणसिंह से म.नं. 77/4 भीराबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 78 बुन्देल से म.नं. 103/1 जगन्नाथसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 105 चैनसिंह से म.नं. 119/2 नर्वदागिर तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 123 पप्पूशाह से म.नं. 155/1 धारुसिंह तक	महिला सामान्य	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	म.नं. 158 रामभरोसे से 170/2 राजेन्द्रसिंह तक		
		9	म.नं. 173 हल्केराम से म.नं. 195 सोमतसिंह तक		
		10	म.नं. 196 पृथ्वीराज से म.नं. 210 थानसिंह तक		
		11	म.नं. 211 विष्णुप्रसाद से म.नं. 237 कृष्णगोपाल तक		
		12	सलईखेडा म.नं. 1 ठाकुरसिंह से म.नं. 16 पवनकुमार तक		
		13	सलईखेडा म.नं. 17 नब्बा से म.नं. 33 नारायणगिर तक		
		14	सलईखेडा म.नं. 35 जसवंतसिंह से 44 ख/2 सतीश तक		
		15	सलईखेडा म.नं. 45 बाबूलाल से म.नं. 53 ज्ञानबाई तक		
		16	सलईखेडा म.नं. 54 प्रतापसिंह से अंत तक		
		17	पोरुखेडी म.नं. 1 महाराजसिंह से म.नं. 16 किशनलाल तक		
		18	पोरुखेडी म.नं. 17 धारुसिंह से म.नं. 29 मथुराप्रसाद तक		
		19	पोरुखेडी म.नं. 30 सौदानसिंह से म.नं. 42 बाबूलाल तक		
		20	पोरुखेडी म.नं. 43 मोहरसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंच./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	सनोटी	1	म.नं. 1 हेतसिंह से म.नं. 17 कमलसिंह तक	अ0जा0,	5
		2	म.नं. 18 रामनाथसिंह से म.नं. 30 हरिदास तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 31 चरणदास से म.नं. 41 अवधनारायण तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 42 छक्कूलाल से म.नं. 54/1 धनसिंह तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 55 बालाप्रसाद से म.नं. 71 खिलानसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 72 भंवरलाल से म.नं. 84 वहीद खों तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 96 क्यूम खों से म.नं. 93/1 रंजीतसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 93/2 देवेन्द्रसिंह म.नं. 103 शैतानसिंह तक		
		9	म.नं. 104 रामसिंह से म.नं. 112/2 जमनाप्रसाद तक		
		10	म.नं. 113 प्रकाशनारायण से म.नं. 124 तुलसीराम तक		
		11	म.नं. 125 हरीप्रसाद से म.नं. 136/2 मजीत खों तक		
		12	म.नं. 138 हफीज खों से म.नं. 147 दीवानसिंह तक		
		13	म.नं. 149 हरियाबाई से म.नं. 159 बाबूलाल तक		
		14	म.नं. 160 कन्हैयालाल से म.नं. 176 दुलारे खा तक		
		15	भीलाखेडी म.नं. 1 दीवानसिंह से म.नं. 17 मानसिंह तक		
		16	भीलाखेडी म.नं. 18 पर्वतसिंह से म.नं. 33/2 मानसिंह तक		
		17	भीलाखेडी म.नं. 34 खिलानसिंह से म.नं. 47 गुलाबसिंह तक		
		18	भीलाखेडी 48 म.नं. चिरोजीबाई से म.नं. 61 नारायणसिंह तक		
		19	भीलाखेडी 61/1 वजरंगदास से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	सलैया	1	म.नं. 1 उधमसिंह से म.नं. 30 रामदयाल तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 31 शांतिबाइ से म.नं. 52 पन्नालाल तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 53 नादानबाई से म.नं. 69 मुकेश तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	5
		4	म.नं. 70 बादामबाई से म.नं. 89 शिवगिर तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 90 रामश्रीबाई से म.नं. 107 माधोगिर तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 110 सियाबाई से म.नं. 132 ज्ञानसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	म.नं. 137 प्रहलादसिंह से म.नं. 164 संतोष तक	महिला सामान्य	5
		8	म.नं. 165 गोविन्द्रसिंह से म.नं. 185 श्यामलाल तक		
		9	म.नं. 187 मदनलाल से म.नं. 206 गोरेलाल तक		
		10	म.नं. 207 दोलीबाई से 220 म.नं. शिवप्रसाद तक		
		11	म.नं. 221 गणेशराम से म.नं. 237 खिलानसिंह तक		
		12	म.नं. 238 मोहनबाई से म.नं. 263 प्रभुलाल तक		
		13	म.नं. 265 फूलसिंह से म.नं. 286 मनबो बाई तक		
		14	म.नं. 287 सिंगारबाई से म.नं. 309 इमाम खों तक		
		15	म.नं. 310 कल्लू खों से म.नं. 321 मन्नुलाल तक		
		16	भटखेडी म.नं. 1 मानसिंह से म.नं. 30 पूरनसिंह तक		
		17	भटखेडी म.नं. 34 अजबसिंह से म.नं. 55 माधोसिंह तक		
		18	भटखेडी म.नं. 56 नब्बोबाई से म.नं. 73 गुलाबसिंह तक		
		19	भटखेडी म.नं. 74 राजबाई से म.नं. 93 मोतीलाल		
		20	भटखेडी म.नं. 94 रामदयाल अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	बरो	1	म.नं. 2 प्रेमचंद से म.नं. 22 क मुकेश तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 23 गोरीशंकर से म.नं. 43 फूलसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 46 रामरतन से म.नं. 61 अशोक कुमार तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 62 श्रीकिशन से म.नं. 70 उमाशंकर तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 71 प्रीतमदास से म.नं. 86 जमनाप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 87 किशनलाल से म.नं. 100/2 सोभाराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 101 नर्वदा से म.नं. 119 श्रीकिशन तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 120 राकेश से म.नं. 128 राधेकिशन तक		
		9	म.नं. 129 नाथूराम से म.नं. 138/4 हर्षवर्धन तक		
		10	म.नं. 142 फोदाराम से म.नं. 158 बलराम तक		
		11	म.नं. 159/1 रामनारायण से 179 फूलसिंह तक		
		12	म.नं. 180 बलराम से म.नं. 193/2 मन्लाल तक		
		13	म.नं. 195 लूमाबाई से म.नं. 220 भावसिंह तक		
		14	म.नं. 223 फूलसिंह से अंत तक		
		15	खजूरी म.नं. 4 तुलाराम से म.नं. 16 अमरसिंह तक		
		16	खजूरी म.नं. 17 सोभाराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	पिपरिया	1	म.नं. 1 हरप्रसाद से म.नं. 12/2 बादामसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 13/1 लक्ष्मीनारायण से म.नं. 22/4 गोपालसिंह तक	अ0ज0जा0	3
		3	म.नं. 23/1 पर्वतसिंह से म.नं. 32 रामनारायण तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 33 देवचंद से म.नं. 41 भैयालाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 42 अन्नसिंह से म.नं. 59/1 प्रकाशचंद तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 59/2 चिंरोजीलाल से म.नं. 78/2 गोपालसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 79 नवलसिंह से म.नं. 92/2 हल्लू तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं. 93 रामप्रसाद से अंत तक		
		9	भौरियाखेडा म.नं. 2/1 फूलसिंह से म.नं. 11/1 लक्ष्मण तक		
		10	भौरियाखेडा म.नं. 11/2 जवाहरसिंह से म.नं. 20 चरणसिंह तक		
		11	भौरियाखेडा म.नं. 20/1 भारतसिंह से 39 हमीरसिंह तक		
		12	भौरियाखेडा म.नं. 40 लालाराम से म.नं. 57/1 रामनारायण		
		13	भौरियाखेडा म.नं. 57/2 भैयालाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	पौआनालाल	1	म.नं. 1 धानसिंह से म.नं. 15/2 मायाराम तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 16 गोपाल से म.नं. 26 कालूराम तक	अ0ज0जा0	3
		3	म.नं. 27 मदनलाल से म.नं. 40 मुन्नाल खों तक	अन्य पिछडा वर्ग,	—
		4	म.नं. 41 मोतीलाल से म.नं. 59 लालजी तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 60 मूलचंद से म.नं. 74 भगवानदास तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 75 बरिलाल से म.नं. 95 गोपाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	—
		7	म.नं. 96 खुशालचंद से म.नं. 112 विजयराम तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 113 बुन्देलसिंह से म.नं. 129 श्यामलाल तक		
		9	म.नं. 130 नवलसिंह से अंत तक		
		10	सिलपरी म.नं. 3 धनराज से म.नं. 13 मलखानसिंह तक		
		11	सिलपरी म.नं. 14 भीकमसिंह से अंत तक		
		12	बोरियाकाजी म.नं. 1 जरीन फातमा से म.नं. 17देवीराम तक		
		13	बोरियाकाली म.नं. 20 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	भूतपरासी	1	म.नं. 1 रामकिशन से म.नं. 21/3 महाराजसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 22 कमरसिंह से म.नं. 33 उमरावसिंह तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 34 सीताराम से अंत तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	उदलाखेडी म.नं. 1 महताव से म.नं. 16 फूलसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	उदलाखेडी म.नं. 17 श्यामलाल से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	महुआखेडा म.नं. 1 तरणसिंह से म.नं. 7 मुन्शीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	महुआखेडा म.नं. 9 गोरेलाल से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	हिनोतिया म.नं. 1 शेरमोहम्मद से म.नं. 9 खान मोहम्मद तक		
		9	हिनोतिया म.नं.10/1 वंशीलाल से म.नं. 18 आजम खा तक		
		10	हिनोतिया म.नं. 19 प्रभुलाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	कबूला	1	म.नं. 1 इब्राहिम खा से म.नं. 7 फरीद खों तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 8 चांद खों से म.नं. 15 नजीम खों तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 16 मिश्रीलाल से म.नं. 23 दिलीपसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 23/1 श्यामबती से म.नं. 30 गोपाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 31 तोरनसिंह से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	पारधी म.नं. 1 श्यामलाल से म.नं. 13/1 भारतसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	पारधी म.नं. 14 काशीराम से म.नं. 25 रूपसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	पारधी म.नं. 26 कमलसिंह से म.नं. 36 चिरोंजीलाल तक		
		9	पारधी म.नं. 37 रामसिंह से म.नं. 48 रामबाबू तक		
		10	पारधी म.नं. 49 टीकाराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	बालाबरखेडा	1	म.नं. 1 रामहाडा से म.नं. 21 भगवानसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 22 मोहनदास से म.नं. 34/2 प्रमोद कुमार तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 35/1 शिवलाल से म.नं. 54/1 कमलसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 55 लक्ष्मण से म.नं. 72 नन्नूलाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 73 प्यारेलाल से म.नं. 90 प्रेमनारायण तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 91 बारेलाल से म.नं. 107 थानसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 109/1 फूलसिंह से म.नं. 114 काशीराम तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 115 चरणसिंह से म.नं. 135/1 उमरावसिंह तक		
		9	म.नं. 135/4 जमीदारसिंह से म.नं. 145 सेवकराम तक		
		10	म.नं. 146/1 भंवरलाल से म.नं. 162 हरिसिंह तक		
		11	म.नं. 163 बादामसिंह से म.नं. 183 मिश्रीलाल		
		12	म.नं. 190/1 तुराव खों से म.नं. 195 गंगा तक		
		13	म.नं. 199 लल्ला से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21	धमनोदा	1	म.नं. 1 पन्ना से म.नं. 7 सजनसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 8 विशनसिंह से म.नं. 16 श्यामलाल तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.नं. 16/1 अनोखीलाल म.नं. 24 खिलानसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 25 हल्कूराम से म.नं. 34 छुटटू तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 35 चतरा से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	जमनियाखेडा म.नं. 42 मुन्ना से म.नं. 50 हरप्रसाद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	जमनियाखेडा म.नं. 51 सूरतसिंह से अंत तक	महिला सामान्य	5
		8	फारंगपुर म.नं. 60 लालाराम से म.नं. 65/1 सीताराम तक		
		9	फारंगपुर म.नं. 66 हल्केराम से म.नं. 71 शैतानसिंह तक		
		10	फारंगपुर म.नं. 72 हरिराम से अंत तक		
		11	स्लूस म.नं. 90 धनराज से म.नं. 97 बलदार खों तक		
		12	स्लूस म.नं. 98 रामबाई से म.नं. 106 हल्कीबाई तक		
		13	स्लूस म.नं. 109 राजे खों से अंत तक		
		14	ग्रिन्ट म.नं. 122 अर्जुनसिंह से म.नं. 130 इमरतबाई तक		
		15	ग्रिन्ट म.नं. 132 फून्दीलाल से म.नं. 137 नारायणसिंह तक		
		16	ग्रिन्ट म.नं. 138 चिरोंजी से अंत तक		
		17	पुरा म.नु. 151 पन्नालाल से म.नं. 160 वंशीलाल तक		
		18	पुरा म.नं. 161 से अंत तक		
		19	दुपारिया म.नं. 171 बारेलाल से म.नं. 182 पूरन तक		
		20	दुपारिया म.नं. 183 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	सायर	1	म.नं. 1 श्यामलाल से म.नं. 23 चरणसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 24/1 किशोरसिंह से म.नं. 36 लालाराम तक	अ0ज0जा0	4
		3	म.नं. 37 धनसिंह से म.नं. 49/2 बटनलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 50 सनमानसिंह से म.नं. 66 छोटेलाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 67 गोर्वधन से म.नं. 86/3 ज्ञानसिंह	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 88 कैलाशनारायण से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	सायर मजरा म.नं. 1 भैयालाल से म.नं. 28 भगवानसिंह तक	महिला सामान्य	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	सेदूखेडी म.नं. 30 हुकुमसिंह से म.नं. 47 भारतसिंह तक		
		9	सेदूखेडी म.नं. 53 नारायणसिंह से म.नं. 63/2 शिवनारायण तक		
		10	सेदूखेडी म.नं. 64 बाबूलाल से म.नं. 74 सुखिया तक		
		11	सेदूखेडी म.नं. 78/1 सरदारसिंह से अंत तक		
		12	सायर मजरा म.नं. 2 परसराम से म.नं. 15/3 विसाल सिंह तक		
		13	कोसाखेडी म.नं. 16/1 कमलसिंह से अंत तक		
		14	सायर मजरा म.नं. 1 लालाराम से म.नं. 23 मनीराम तक		
		15	घाटखेडी म.नं. 24/1 दीवानसिंह से म.नं. 33 सुनील तक		
		16	घाटखेडी म.नं. 34 प्रेमनारायण से म.नं. 47 पूरनसिंह तक		
		17	घाटखेडी म.नं. 48 गोवर्धनसिंह से म.नं. 72/1 कारेलाल तक		
		18	घाटखेडी म.नं. 73 शंकरिया से अंत तक		
		19	अमोदा म.नं. 8 रामसिंह से म.नं. 15/5 मालमसिंह		
		20	अमोदा म.नं. 16 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	करेला	1	म.नं. 1 प्रीति से म.नं. 31 रमेश तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 36 प्रकाशबती से म.नं. 52 दोलतसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 53 रंजीतसिंह से म.नं. 60/3 ज्ञानसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	5
		4	म.नं. 61 अचलसिंह से म.नं. 78/2 कमलसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 81/1 से कालूराम से म.नं. 94 सावित्री तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 95/1 गुलाबसिंह से म.नं. 115/1 गजराजसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	म.नं. 116/1 रेवाराम से म.नं. 139 मूलचंद तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 140 भैयालाल से अंत तक		
		9	पथरिया म.नं. 1 चतरीबाई से म.नं. 41 मदनलाल तक		
		10	पथरिया म.नं. 42/1 हरिसिंह से म.नं. 54/2 गीताबाइ तक		
		11	पथरिया म.नं. 55 दुष्यंत से म.नं. 62 गोवर्धन तक		
		12	पथरिया म.नं. 63 रामस्वरूप से म.नं. 82 धनिया बाई तक		
		13	पथरिया म.नं. 86 गजराजसिंह से अंत तक		
		14	परासीखुर्द म.नं. 1 बाबूलाल से 11 अंगूठीबाई तक		
		15	परासीखुर्द म.नं. 12 गोरेलाल से म.नं. 25 जीवनसिंह तक		
		16	परासीखुर्द म.नं. 26/1 नारायणसिंह से म.नं. 34/2 रंजीत तक		
		17	परासीखुर्द म.नं. 35 जनकसिंह से म.नं. 47 कनीराम तक		
		18	परासीखुर्द म.नं. 48 हरिप्रसाद से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	बामोरा	1	म.नं. 1 क भगवानसिंह से म.नं. 19 भैयालाल तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 20 बाबूलाल से 35 क मलखानसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 36 मोहरसिंह से म.नं. 46 बटनलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 46/1 पन्नालाल से म.नं. 54/क कालूराम तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 55 कमललाल से म.नं. 68 जयराम तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 68/1 पप्पू से म.नं. 83/1 लखनसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 84 भगला से म.नं. 105 जयकिशन तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 106 रामकिशन से अंत तक		
		9	सगोदा म.नं. 1 पूरनसिंह से म.नं. 6 शिवनारायण तक		
		10	सगोदा म.नं. 7 खेमचंद से म.नं. 20 विनोद तक		
		11	सगोदा म.नं. 22/1 पूरनसिंह से अंत तक		
		12	बगोदा म.नं. 1/2 जीवनसिंह से म.नं. 25 कैलाशनारायण तक		
		13	बगोदा म.नं. 26 नारायणसिंह से म.नं. 48 लाखनसिंह तक		
		14	बगोदा म.नं. 49 बादामीलाल से म.नं. 62/2 कन्हैयालाल तक		
		15	बगोदा म.नं. 63 भवरलाल से म.नं. 81 तुलसीराम तक		
		16	बगोदा म0न0 86 नन्चूलाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	खामखेडाकरवा	1	म.नं. 1 रामसिंह से म.नं. 16 गनपत तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 17 आसीन खा से म.नं. 32/2 देवीराम तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 33 हेतसिंह से म.नं. 48/1 उमराव तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 49 भीमसिंह से म.नं. 64 सोमतसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 65 बालेलाल से म.नं. 77 फूलसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 78 भीकमसिंह से म.नं. 96 प्रहलादसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 98 बुन्देलसिंह से म.नं. 103 कमलेशसिंह तक	महिला सामान्य	5
		8	म.नं. 104 जसवंतसिंह से म.नं. 122 हरिसिंह तक		
		9	म.नं. 123/1 प्रेमनारायण से म.नं. 134 गुलाब तक		
		10	म.नं. 137 दोलतसिंह से म.नं. 149/5 लक्ष्मणसिंह तक		
		11	म.नं. 150 जयराम से म.नं. 158 गोविन्द तक		
		12	म.नं. 161 ब्रजमोहन से म.नं. 172/3 हरिसिंह तक		
		13	म.नं. 174 महेन्द्रसिंह से म.नं. 181/3 हुकुमसिंह		
		14	म.नं. 183/1 भैरोंसिंह से म.नं. 187/2 पूरनसिंह तक		
		15	म.नं. 188 बुलाखीसिंह से म.नं. 198 गजराजसिंह तक		
		16	म.नं. 201 बाबूलाल से म.नं. 207 सरदारसिंह तक		
		17	म.नं. 208 हीरालाल से म.नं. 218 नवल तक		
		18	म.नं. 219 बाबूलाल से म.नं. 246 रामसेवक तक		
		19	म.नं. 248 धीरजसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	खेजडासुल्तान	1	म.नं. 1 कोमलसिंह से म.नं. 18 करणसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 24 गणेशीराम से म.नं. 36 सीताराम तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 37 रघुवीरसिंह से म.नं. 57 गुलाबी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 62 उमराव से म.नं. 70/3 लखनसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 71 जयराम से म.नं. 83 बादामसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 84/1 भगवानसिंह से म.नं. 101 गोरेलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 115 सौदानसिंह से अंत तक	महिला सामान्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	बल्लाखेडी म.नं. 2 निरंजनसिंह से म.नं. 15 विसाल तक		
		9	बल्लाखेडी म.नं. 19 हिम्मतसिंह से म.नं. 25 विनोद तक		
		10	बल्लाखेडी म.नं. 27 नन्नूलाल से म.नं. 39 सरदारसिंह तक		
		11	बल्लाखेडी म.नं. 40 संतोष से म.नं. 53 सौदानसिंह तक		
		12	बल्लाखेडी म.नं. 57 धारु से म.नं. 71 लालसिंह तक		
		13	बल्लाखेडी म.नं. 72 परसराम से म.नं. 90 रामप्रसाद तक		
		14	बल्लाखेडी म.नं. 91 हल्कूराम से अंत तक		
		15	दल्लाखेडी म.नं. 2 जमनाप्रसाद से म.नं. 12 कंचनसिंह तक		
		16	दल्लाखेडी म.नं. 13 मुन्शीलाल से म.नं. 28 ब्रजमोहन तक		
		17	दल्लाखेडी म.नं. 29 बाबूलाल अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	गंगरबाडा	1	म.नं. 1 बसंतगिर से म.नं. 396 रूपसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 30 रामस्वरूप सं म.नं. 45/2 वीरेन्द्रसिंह तक	अ0ज0जा0	3
		3	म.नं. 45/3 बसंतकुमार से म.नं. 58 उधमसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 61 बाबूलाल से म.नं. 88/1 जगन्नाथसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 88/3 विनोदकुमार से म.नं. 1047/1 गजराजसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 108 महोब्त सिंह से 126/ख विमलाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 128 कल्लूसिंह से म.नं. 142 खिलानसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 143 मौजीलाल से अंत तक		
		9	भियोखेडी म.नं. 1 निरंजनसिंह से म.नं. 17 सुरेशसिंह तक		
		10	भियोखेडी म.नं. 18 भगवानसिंह से म.नं. 47 शिवदयालपुरी तक		
		11	भियोखेडी म.नं. 48/1 निहालसिंह से म.नं. 78 श्यामलाल तक		
		12	भियोखेडी म.नं. 79 श्यामलाल से अंत तक		
		13	लोधाखेडी म.नं. 7 श्रवणकुमार से म.नं. 41 संजीव कुमार तक		
		14	लोधाखेडी म.नं. 42 हल्कूसिंह से म.नं. 64 दामोदरसिंह तक		
		15	लोधाखेडी म.नं. 65 फूलसिंह से म.नं. 81/2 शीलाबाई तक		
		16	लोधाखेडी म.नं. 81/3 गोविन्दसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	सांकलखेडा खुर्द	1	म.नं. 1 राजेन्द्रसिंह से म.नं. 18 सरूलाल तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 19 गनेशराम से म.नं. 37/4 मानसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 36/1 दसरथसिंह से म.नं. 38/2/ख सुरेन्द्र तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 40/क कुन्दनसिंह से म.नं. 48 प्रेमनारायण तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 50/2 खिलानसिंह से म.नं. 66 पूरन तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 67 वीरसिंह से म.नं. 107 ईशाख तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं0 109 हरिसिंह से म.नं. 134 भंवरीबाई तक	महिला सामान्य	4
		8	मडियाकलौ म.नं. 1 लालाराम से म.नं. 12/2 रामसिंह तक		
		9	मडियाकलौ म.नं. 14 भारतसिंह से म.नं. 28/3 हरकिशन तक		
		10	मडियाकलौ म.नं. 29 तुलसीराम से अंत तक		
		11	बैरखेडीकरबा म.नं. 1 भवानीसिंह से म.नं. 14 नारायणसिंह तक		
		12	बैरखेडीकरबा म.नं. 15 देवराजसिंह से म0नं0 29 पूरन तक		
		13	बैरखेडीकरबा म.नं. 30 बटनलाल से म.नं. 48 लक्ष्मणदास तक		
		14	बैरखेडीकरबा म.नं. 49 दीनदयाल से म.नं. 60 सत्यनारायण तक		
		15	बैरखेडीकरबा म.नं. 61 हल्केराम से म.नं. 71 मचलसिंह तक		
		16	बैरखेडीकरबा म.नं. 72 बुददालाल से म.नं. 80 रतनीबाई तक		
		17	बैरखेडीकरबा म.नं. 81 रामगोपाल से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	पुरेनिया	1	म.नं. 1 बाबूलाल से म.नं. 23 सरदारसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 24 रघुवीरसि से म.नं. 42 किशनलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 44 बाबूलाल से म.नं. 61 देवीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.नं. 63 तरवरसिंह से म.नं. 77 जोतसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 78 मूलचंद से म.नं. 103 प्रभुलाल तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 104 पप्पू से म.नं. 118/3 रघुवीरसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 119 हरीशचंद से म.नं. 140 मचलसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं. 142 शंकर से अंत तक		
		9	कचनारिया म.नं. 1 कमरसिंह से म.नं. 9 चैनसिंह तक		
		10	कचनारिया म.नं. 12 क अजबसिंह से म.नं. 25/2 रणधीरसिंह		
		11	कचनारिया म.नं. 26/2 पन्नालाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	कोटरा लशकरपुर	1	म.नं. 1 उधमसिंह से म.नं. 17 भैयालाल तक	अ0जा0,	6
		2	म.नं. 18 धन्नालाल से म.नं. 36 मुकुन्दलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 40 कैलाशनारायण से म.नं. 55 अर्जुनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	—
		4	म.नं. 56 भारतसिंह से 84 लीलाबाई तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 85 प्रेमनारायण से म.नं. 106 कोमलप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं. 108 गणेशराम से म.नं. 138 तीरनसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	—
		7	म.नं. 138/1 कालूराम से अंत तक	महिला सामान्य	3

04-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	नामाखेडी म.नं. 1 दीवानसिंह से म.नं. 12 उधमसिंह तक		
		9	नामाखेडी म.नं. 13/1 हल्केराम से म.नं. 26 हरिराम तक		
		10	नामाखेडी म.नं. 27/1 गोपालसिंह से म.नं. 41 दीनदयाल तक		
		11	नामाखेडी म.नं. 43 भुजबलसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	बिलोरी	1	म.नं. 1 विनयसिंह से म.नं. 30/2 बलराम तक	अ0जा0,	6
		2	म.नं. 30/3 नोनीतराम से म.नं. 48 पदमसिंह तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.नं. 49 दयालूराम से म.नं. 64 बदनलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 66 घासीराम से म.नं. 96/1 नन्नूलाल तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 98 भंवरीबाई से म.नं. 112 अर्जुनप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 113 मज्जू बाइ से म.नं. 120/3 मनोजदास तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 121 श्यामलाल से म.नं. 136 सोमदास तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 138 नर्वदाप्रसाद से अंत तक		
		9	बदनपुर म.नं. 1 सियाबाई से म.नं. 25 अर्जुनसिंह तक		
		10	बदनपुर म.नं. 25/1 देवीराम से 36 नबलसिंह तक		
		11	बदनपुर म.नं. 38 प्रहलवान से म.नं. 50 भगवानसिंह तक		
		12	बदनपुर म.नं. 51 रामप्रसाद से म.नं. 63 संतोष तक		
		13	बदनपुर म.नं. 65/1 कमरसिंह से म.नं. 68 रामचरण तक		
		14	बदनपुर म.नं. 69 मुन्नालाल से म.नं. 77 रामसिंह तक		
		15	बदनपुर म.नं. 85 हल्कू से म.नं. 92 विरोंजा तक		
		16	बदनपुर म.नं. 95 पदमसिंह से अंत तक		
		17	अहमदपुर म.नं. 1 पप्पू से म.नं. 24 धन्ना तक		
		18	अहमदपुर म.नं. 25 रघुवीरसिंह से म.नं. 43 कल्याणसिंह तक		
		19	अहमदपुर म.नं. 44 धारूसिंह से म.नं. 57/2 करणसिंह तक		
		20	अहमदपुर म.नं. 60 कमलाबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	अरवरिया	1	म.नं. 1 रामसिंह से म.नं. 16 मिंदाबाई तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 17/1 सम्पतबाई से म.नं. 23 रघुवीरसिंह तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 25 नवाव खों से म.नं. 37 हल्के तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 38 प्रेमबाई से म.नं. 46 ललिताबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 47 हल्कीबाई से 52 रज्जूलाल तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 63 सबोद्रीबाई से म.नं. 76 गनेशराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 77 रामसिंह से म.नं. 92 प्रेमबाई तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 93 राजकुमार से म.नं.101 अमरसिंह तक		
		9	वनखेडी म.नं. 1 मचलसिंह से म.नं.27 पुनियाबाई तक		
		10	वनखेडी म.नं. 28 टीकाराम से म.नं.26 चंदरसिंह तक		
		11	खमतला म.नं. 1 गुटनलाल से म.नं. 14 कमलाबाई तक		
		12	खमतला म.नं.15 पानबाई से म.नं.23 मिश्रीबाई तक		
		13	खमतला म.नं. 24 कमलाबाई से म.नं. 31 रामसिंह तक		
		14	खमतला म.नं. 32 बृजमोहन से म.नं.41 कम्माबाई तक		
		15	खमतला म.नं. 45 चिरोजीबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	करैयाहाट	1	म.नं. 1 हसन खों से म.नं. 23 राधेश्याम तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 24 हल्कीबाई से म.नं. 38 सोदानसिंह तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 39 खुदा वक्स से म.नं. 49/2 किशनसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं.49ख बुन्देलसिंह से म.नं. 66/2 पन्नालाल तक	महिला अ0जा0	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	म.नं. 67 कैलाश से म.नं. 82 जयरामसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 83/1 गुलाबसिंह से 91 गंगाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 94 कोमलबाई से म.नं.109 दुर्जनसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं.111/1 हीरालाल से म.नं.127 ठाकुर सिंह तक		
		9	म.नं. 128 भगवानसिंह से म.नं.144 लाखनसिंह तक		
		10	म.नं. 146 बुन्दौ बाई से म.नं. 179 खेमचंद तक		
		11	मढियाखुर्द म.नं. 1 बट्टीप्रसाद से म.नं. 14 आशाराम तक		
		12	मढियाखुर्द म.नं. 14 क गिरजाबाई से म.नं. 32 करोडीलाल तक		
		13	काछीखेडा म.नं. 1 दलीपसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	परासीगूजर	1	म.नं. 1 राजकुमार से म.नं. 12 भमरीबाई तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 14 केशरसिंह से म.नं. 25 जशोदाबाई तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 30 खिलानसिंह से म.नं. 45 भमरलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 46 द्वारकाप्रसाद से म.नं. 74 रघुनाथ तक	महिला अ0जा0	2
		5	इमलिया म.नं. 1 कोमलप्रसाद से म.नं. 7 नंदकिशोर तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	इमलिया म.नं. 9 मदनलाल से म.नं. से 22 दुलीचंद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	इमलिया म.नं. 23 नर्वदाप्रसाद से म.नं.71 बट्टीप्रसाद तक	महिला सामान्य	3
		8	सुगनाखेडी म.नं. 1 ख्यालीराम से म.नं. 12 कमलाबाई तक		
		9	सुगनाखेडी म.नं. 13 नारायणसिंह से म.नं. 20 हरनाथसिंह तक		
		10	सुगनाखेडी म.नं. 21 हल्केराम से म.नं. 33क ममताबाई तक		
		11	सुगनाखेडी म.नं. 34 श्यामलाल से म.नं.45रामनारायण तक		
		12	सुगनाखेडी म.नं. 46 मंशाराम से म.नं. 62 रवनबाई तक		
		13	बेरखेडी बुजुग म.नं. 1 चिरौंजीलाल से 12 हिम्मतसिंह तक		
		14	बेरखेडी बुजुग म.नं. 13 ज्ञानसिंह से म.नं. 23 बाबूलाल तक		
		15	बेरखेडी बुजुग म.नं. 26 मिंदाबाई से म.नं.45 ओमवती तक		
		16	बेरखेडी बुजुग म.नं. 45 क लक्ष्मण से म.नं. भूरीबाई तक		
		17	बेरखेडी बुजुग म.नं. 60 महाराजसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	बोरिया	1	म.नं. 1 चिरोंजीलाल से म.नं. 24 जमनाबाई तक	अ0जा0,	5
		2	म.नं. 25 गनेशराम से म.नं. 45 किशनलाल तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 46/1 लाखनसिंह से म.नं. 58 महाराजसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 60/2 बाबूलाल से म.नं. 75 नन्नू खों तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 75 'क' श्रीराम से 92 सैतानसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 93/1 सीताराम से 115 गुलाबसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 117 भुजबल से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	पिपरिया मोटा म.नं. 3 कमलसिंह से म.नं. 17 दोलीबाई तक		
		9	पिपरिया मोटा म.नं. 19 करनसिंह से म.नं. 35 चरनसिंह तक		
		10	पिपरिया मोटा म.नं. 36 बृजमोहन से अंत तक		
		11	वामनखेडा म.नं. 1 पूनाबाई से म.नं. 28 गीताबाई तक		
		12	वामनखेडा म.नं. 29 करनसिंह से म.नं. 39 बाबूलाल तक		
		13	वामनखेडा म.नं. 45 नारायणसिंह से म.नं. 78/2 भगवानसिंह तक		
		14	वामनखेडा म.नं. 79 दंगलसिंह से म.नं. 97 सनमानसिंह तक		
		15	वामनखेडा म.नं. 99 रघुवीरसिंह से म.नं. 109 रामकली बाई तक		
		16	वामनखेडा म.नं. 110 भवरीबाई से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	नीमखेडा	1	म.नं.1 कन्हैया से म.नं.11 रामदयाल तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 12 क भवानी से म.नं. 23 काशीराम तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं.24 राकेश से म.नं.34 नर्वदाप्रसाद तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.नं.35 इमरतबाई से म.नं.42/1 बाबूलाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.43 सरदारसिंह से म.नं. 56/2 भैयालाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं.57 किशनलाल से म.नं.76 भावसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं.77 डालचंद से म.नं.92 सुनीताबाई तक	महिला सामान्य	1
		8	म.नं.93 बालकिशन से म.नं. 104/1 गुडडीबाई तक		
		9	म.नं.105 मथुराप्रसाद से 111/3 कृष्णभान तक		
		10	म.नं. 112 तोरनसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	छीरखेडा	1	म.नं.1धनीराम से म.नं. 16 कमलेश तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं.17 रामबाई से म.नं.35/1 भूरा तक	अ0ज0जा0	5
		3	म.नं.36 कोमलबाई से म.नं.48 अजुददीबाई तक	अन्य पिछडा वर्ग,	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	म.नं.50/1 शांतिबाई से म.नं.61 मेहताबसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.62/2 शशीबाई से म.नं.76 वसीरान वी तक	महिला अ0जा0जा0	3
		6	म.नं.79 रसीद खों से म.नं.99 मेवाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	-
		7	म.नं.101 अमोलसिंह से म.नं.112 गनपतसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं.114 रघुनाथ से म.नं.138 नजीरनबाई तक		
		9	म.नं.137 नत्थू से म.नं.151 प्रेमबाई तक		
		10	म.नं.152 गंदू से म.नं.170 मोहरसिंह तक		
		11	म.नं.171/1 धन्नू से म.नं.187 कन्हैया तक		
		12	म.नं.188/1 सुरेश से म.नं. 206 भागवतीबाई तक		
		13	म.नं.207 नर्वदीबाई से म.नं.220 मंगलिया तक		
		14	म.नं.221 कल्लू से म.नं. 236 पूरनसिंह तक		
		15	म.नं.237 सजनसिंह से म.नं.255 गुलाबसिंह तक		
		16	म.नं.258/2 चंदागाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	जम्बार	1	म.नं.1 पोपसिंह से म.नं.24 श्रीराम तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं.25 बिहारीलाल से म.नं.46 जवाहरलाल तक	अ0जा0जा0	1
		3	म.नं. 47 दुर्गापसाद से म.नं.60/1 तोरनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं.61 रेवाराम से म.नं. 73 बाबूलाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.74/1 जानकीबाई से अंत तक	महिला अ0जा0जा0	1
		6	जाफरखेडी म.नं.1 नारायणसिंह से म.नं.11/2 मिश्रीलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	जाफरखेडी म.नं.12 शिबोबाई से म.नं.26खूबसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	जाफरखेडी म.नं.27गजराज से म.नं.39 जमनाप्रसाद तक		
		9	जाफरखेडी म.नं.40/1 प्रमसिंह से म.नं.53 ताराबाई तक		
		10	जाफरखेडी म.नं.54 खुमानसिंह से अंत तक		
		11	निमखिरिया म.नं.1घनश्याम से म.नं.20 कल्याणसिंह तक		
		12	निमखिरिया म.नं.22 समंदरसिंह से म.नं.42 मोती तक		
		13	निमखिरिया म.नं.43/1 घनश्याम से अंत तक		
		14	टोरीटिगरा म.नं.1 मायानंद से म.नं.13 पेजनसिंह तक		
		15	टोरीटिगरा म.नं.14 तुलसीबाई से म.नं.36 मोहरसिंह तक		
		16	टोरीटिगरा म. नं.37 जोरनसिंह से म.नं.43 गोर्वधन तक		
		17	टोरीटिगरा म.नं. 44 गंगाराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	बागरी	1	म.नं.1 वैनीप्रसाद से म.नं.17 हेमराज तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.20 रामस्वारूप से म.नं.36 नथगिरी तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.नं.37 मुन्नालाल से म.नं. 54 रामचरण तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं.55 रूपसिंह से म.नं.68 धनीराम तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.69/1 भवानीप्रसाद से म.नं.77 महेश तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं.81 शक्कर बाई से म.नं.95 मोतीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं.96 बारेलाल से म.नं.123 फूलसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं. 125 मानसिंह से म.नं. 139 गंगाराम तक		
		9	म.नं. 140/1 पूनाबाई से म.नं.156 करनसिंह तक		
		10	म.नं.157 सरस्वतीबाई से म.नं.173 मानसिंह तक		
		11	म.नं.174 नंदू से अंत तक		
		12	घाट पिपरिया म.नं. 1 किशोरीलाल से म.नं. 21 वीरेन्द्र तक		
		13	घाट पिपरिया म.नं.23 कमलसिंह से म.नं. 40 सुरेश तक		
		14	घाट पिपरिया म.नं.41 राजेन्द्रसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	इमलिया लशकरपुर	1	म.नं.1 प्रेम रो म.नं.12 भारतसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.13 चंदन से म.नं.26 लालराम तक	अ0ज0जा0	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	म.नं.27 अमरसिंह से म.नं.44 गजेन्द्रसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	5
		4	म.नं.45/1 राजेन्द्रसिंह से म.नं.50/7 भूपेन्द्रसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.52 नाथूराम से म.नं.70 ताराबाई तक	महिला अ0जा0जा0	1
		6	म.नं.72 फूलसिंह से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	नागपिपरिया म.नं.1 रामचंद्र से म.नं.23 लक्ष्मीनारायण तक	महिला सामान्य	3
		8	नागपिपरिया म.नं.24 सुरेशबाबू से अंत तक		
		9	ढोलखेडी म.नं.1 गनेशराम से म.नं.17 राकेशबाबू तक		
		10	ढोलखेडी म.नं.19 कैलाशनारायण से म.नं.35 महेश कुमार तक		
		11	ढोलखेडी म.नं.37 सातोष कुमार से म.नं.44 देवीसिंह तक		
		12	ढोलखेडी म.नं.45 रामखरूप से म.नं. 56/1 कमलेश कुमार तक		
		13	ढोलखेडी म.नं. 56/2 देवीसिंह से म.नं.60/3 बाबूलाल तक		
		14	ढोलखेडी म.नं.62/1 नंदराम से म.नं.73 छोटे लाल तक		
		15	ढोलखेडी म.नं.74/1 सौभाराम से म.नं.98 लालाराम तक		
		16	ढोलखेडी म.नं.99/1 खेमचंद से अंत तक		
		17	वामनखेडा म.नं. 01 लक्ष्मीनारायण से म.नं. 5/3 रामकृष्ण तक		
		18	वामनखेडा म.नं.6/1 भमरलाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	करारियालशकर पुर	1	म.नं.1 दलीपसिंह से म.नं.0.12 हरीराम तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 14 छोटे लाल से म.नं.0 29/1 अमानसिंह तक	अ0जा0जा0	-
		3	म.नं.30/1 मदनलाल से म.नं.39/1 भैयालाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं.40 रमेश से म.नं.56 गफूरखों तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.57 ईदखा से म.नं.70 करतारसिंह तक	महिला अ0जा0जा0	-
		6	म.नं. 71 सौमतसिंह से म.नं.90 अजबसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 91 हरीसिंह से म.नं. 102 अर्जुनसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 103/1 हरीसिंह से म.नं.118 मोहनलाल तक		
		9	म.नं. 121 अर्जुनसिंह से म.नं.134 महेन्द्रसिंह तक		
		10	म.नं.135 नरेन्द्रसिंह से म.नं. 152 निरंजनसिंह तक		
		11	म.नं. 153 गजराजसिंह से म.नं. 169/3 सफीक खों तक		
		12	म.नं.171 रूक्मिणी से म.नं. 184 रहीसखों तक		
		13	म.नं. 186 सहजाद खों से म.नं.205 अयूब खू तक		
		14	म.नं.206 मकसूद खों से म.नं.219 जबाहरलाल तक		
		15	म.नं.220 धन्नालाल से म.नं. 234क दौलतराम तक		
		16	म.नं.237 भैरोसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	गुरारियालशकर	1	म.नं.1 मुकेश शर्मा म.नं.9 दौलतसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं.10 इमरतसिंह से म.नं. 24 राजेश तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं.25 मोतीलाल से म.नं. 32 सीताराम तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 34 नरेन्द्र कुमार से म.नं. 41 सुनील कुमार तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.43 मदनसिंह से म.नं. 57/1/3 धनसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं.58/1 महेशकुमार से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	सेमरा म.नं. 1 दिलीपसिंह से म.नं. 12 बुन्देलसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	सेमरा म.नं.13 रघुवीरसिंह से म.नं. 31/2 राहुलकुमार तक		
		9	सेमरा म.नं.34 रामशाहा से म.नं. 42 कोमलसिंह तक		
		10	सेमरा म.नं. 44 रतिराम से म.नं. 54 थानसिंह तक		
		11	सेमरा म.नं. 55 गोपीलाल से अंत तक		
		12	करई म.नं. 1 मोहरसिंह से म.नं. 23 पर्वतसिंह तक		
		13	करई म.नं. 26 हेवतसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	सांकलखेडा कलां	1	म.नं.1 केशवपुरी से म.नं. 26 रघुनंदन तक	अ0जा0,	5
		2	म.नं.27 जबाहरसिंह से म.नं. 46 कल्लू तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं.48/1 महेश से म.नं.69 ओमप्रकाश तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.70/1 कमलप्रसाद से म.नं. 73 लाखनसिंह तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 74 रामसेवक से म.नं. 83/5 देवेन्द्रसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 84 नरेन्द्रसिंह से म.नं. 98/2 सुरेन्द्रसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 105 लक्ष्मणसिंह से म.नं. 148/3 नरेन्द्रसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 148/4 राजेन्द्रसिंह से म.नं.162/3 प्रहलाद तक		
		9	म.न. 163 भावसिंह से म.नं.188 जीवनसिंह तक		
		10	म.नं.190 खिलानसिंह से म.नं. 213 फूलबाई तक		
		11	म.नं.214 वतीबाई से म.नं.232 रामसिंह तक		
		12	म.नं. 234 माधोसिंह से अंत तक		
		13	पीपलखेडाखुर्द म.नं. 1 कमलसिंह से म.नं.17/3 रामस्वरूप तक		
		14	पीपलखेडाखुर्द म.नं. 21 कालूराम से म.नं.34 मंगलिया तक		
		15	पीपलखेडाखुर्द म.नं.37/1 शिबूलाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक / पंचा. / 2014 /

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	देवखजूरी	1	म.नं. 1 कारेलाल से म.नं. 31 चौखेलाल तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं. 32 नारायणसिंह से म.नं. 48 श्यामलाल तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.न. 49 दीमानसिंह से म.नं. 65/1 गंगाराम तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.न. 66/2 राजकुमार से म.नं. 71 नाथूराम तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.72 सुनील से म.नं. 79/4 प्रमोद तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं.80/1 कृष्णगोपाल से म.नं.94 तुलसीराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं.95 ओमकार से म.नं.116 हरप्रसाद तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 117 रितु से म.नं.132 नाथूराम तक		
		9	म.नं.133 गोरीशंकर सिंह म.नं.145 नर्वदाप्रसाद तक		
		10	म.नं. 146 बासूदेव से म.नं. 158 उमाशंकर तक		
		11	म.नं.159 अवधनारायण से म.नं.171/2 रणवीरसिंह तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12	म.नं.172 मंगलसिंह से म.नं.194 काशीराम तक		
		13	म.नं.195 रूपसिंह से म.नं.209 कालूराम तक		
		14	म.नं.212 नाथूराम से म.नं.231 कल्लूराम तक		
		15	म.नं. 232 कलाबाई से म.नं. 151 पंचमसिंह तक		
		16	म.नं. 252 बालकिशन से 268 एमके बाला तक		
		17	म.नं. 269 हरगोविंद से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	अमउखेडी	1	म.नं.1 सडुआ से म.नं.21/3 कोमलपंसाद तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं.21/5 राजू से म.नं.24/3 गोविन्द सिंह तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 25 विजय सिंह से म.नं. 33 ओमप्रकाश तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.34/1 देवीसिंह से 39 कल्याण सिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 43 गुटदूलाल से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	दीताखेडी म.नं. 1 कलाबाई से म.नं.8 रामकिशन तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	दीताखेडी म.नं. 9/1 खिलानसिंह से म.नं. 17 जबाहरसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	दीताखेडी म.नं. 18 कल्लूखों से म.नं. 31/3 भीमसिंह तक		
		9	दीताखेडी म.नं.31/4 संभूसिंह से म.नं. 37/2 रियासखों तक		
		10	दीताखेडी म.नं. 34 केशरखों से म.नं. 39 हरिराम तक		
		11	दीताखेडी म.नं. 40 रघुवीरसिंह से अंत तक		
		12	कोठीचारखुद म.नं.1/2 हरीसिंह से म.नं. 12 विनोद कुमार तक		
		13	कोठीचारखुद म.नं. 14 नवलसिंह से म.नं.22/3 रामरवरूप तक		
		14	कोठीचारखुद म.नं. 23 ग्याप्रसाद से म.नं. 37 नन्लाल तक		
		15	कोठीचारखुद म.नं. 38 लालराम से म.नं. 57 मालमसिंह तक		
		16	कोठीचारखुद म.नं. 58 जशोदाबाई से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	हिनोतिया	1	म.नं. 1 कमलसिंह से म.नं. 12 रतनसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 13 मायाबाई से म.नं. 30 राजकुमार तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 31 महेन्द्रसिंह से म.नं. 46 भैयालाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 47 मुंशीलाल से म.नं. 61 नरेश कुमार तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 62 हरीसिंह से म.नं.82 लक्ष्मणसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 83 लल्लू से म.नं. 101/1 पूनाबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 102 लालाराम से म.नं. 121 भीमसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 122 अर्जुनसिंह से म.नं.133 चरणसिंह तक		
		9	म.नं. 134 द्रोप सिंह से म.नं. 145 नारायणसिंह तक		
		10	म.नं. 146 बाबूलाल से म.नं. 163 हरीशंकर तक		
		11	म.नं. 164 कुदनसिंह से म.नं. 179 गनेशराम तक		
		12	म.नं. 180 मिश्रीलाल से म.नं. 193 देवीसिंह तक		
		13	म.नं. 194 शांतिबाई से म.नं. 218 मन्तू तक		
		14	म.नं.219 मुन्ना से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	मूडरापुरई	1	म.नं. 1 रामकलीबाई से म.नं. 22 जितेन्द्रसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.नं.25 बालाराम से म.नं.34 नारायणसिंह तक	अ0ज0जा0	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	म.नं. 36 विद्याबाई से म.नं. 49 रामावतार तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 51 सौदानसिंह से म.नं. 66 हिम्मतसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 67 बल्लू से म.नं. 82/1 रमेशचंद तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 83 तखतसिंह से म.नं. 98 फूलसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 99 से हरीसिंह से म.नं.111 मदनलाल तक	महिला सामान्य	5
		8	म.नं. 112 पुरुषोत्तम से म.नं. रामसिंह तक		
		9	म.नं. 122/1 करनसिंह से अंत तक		
		10	अंडियाखुर्द म.नं. 1 अवधनारायणसिंह से म.नं. 19 वैजनाथ सिंह तक		
		11	अंडियाखुर्द म.नं. 20/1 विनयसिंह से म.नं. 36 मेहताप तक		
		12	अंडियाखुर्द म.नं.37 टीकाराम से म.नं. 68/2 घासी तक		
		13	अंडियाखुर्द म.नं. 69/1 मोहनसिंह से म.नं. 83/2 रमेशबाबू तक		
		14	अंडियाखुर्द म.नं. 84 किशनलाल से अंत तक		
		15	परस म.नं.1 सुरेन्द्रसिंह से म.नं. 12 भवरदास तक		
		16	परस म.नं. 13 जमनादास से म.नं. 34 विनयसिंह तक		
		17	परस म.नं. 38 निहालसिंह से अंत तक		
		18	परसौरा म.नं. 1 खिलानसिंह से म.नं. 25/1 बल्लू तक		
		19	परसौरा म.नं. 26 प्रेमा से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	कागापुर	1	म.नं. 1 संतोष से म.नं0 33 लक्ष्मीबाई तक	अ0जा0,	9
		2	म.नं. 34 रामदयाल से म.नं. 54 हेतसिंह तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं.55 जगतसिंह से म.नं. 68 जसवंतसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 71 हरीसिंह से म.नं. 96 हरदेव तक	महिला अ0जा0	5
		5	म.नं. 98 भूरेलाल से म.नं. 121 खेमचंद	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 122 धनराजसिंह से म.नं. 142 लालाराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 143 दीवानसिंह से म.नं. 161 दौलतसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं. 162 पूरनसिंह से म.नं. 177 रमेश कुमार तक		
		9	म.नं. 178 घनश्याम से म.नं. 204 हेदरवक्स खों तक		
		10	म.नं. 205 दौजीलाल से म.नं. 228 वीरसिंह तक		
		11	म.नं. 230 बहादुरसिंह से म.नं. 247 भीमसिंह तक		
		12	म.नं. 248 शंकरसिंह से म.नं 265 धन्नोबाई		
		13	म.नं. 265क पप्पू से म.नं. 280 छगनलाल तक		
		14	म.नं0. 181 गनेशराम से मं.नं. 303 गोपीलाल तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	म.नं. 304 खिलानसिंह से म.नं. 323 भजनलाल तक		
		16	म.नं. 324/1 मा.महफूस से म.नं. 343 हरीसिंह तक		
		17	म.नं. 344 हीरालाल से म.नं. 369 अज्जुदीलाल तक		
		18	म.नं. 370 बाबूलाल से 384 भोलाराम तक		
		19	म.नं. 386 रामकिशन से म.नं. 404 मटटूलाल तक		
		20	म.नं. 405 रामसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	गढला	1	म.नं.1 बालाराम से म.नं.20 हल्कू तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 21 खुन्नूलाल से म.नं. 35 गप्पूलाल तक	अ0ज0जा0	3
		3	म.नं. 38 रज्जूलाल से म.नं. 51 कमोदसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 52 प्रताप भानू से म.नं. 67 भगवानसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 68 दीवानसिंह से म.नं. 80 भीम सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 81 परसूराम से म.नं 102 भागीरथ तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 103 जयराम से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	कनारी म.नं. 1 गार्वधन से म.नं. 27 कुदन तक		
		9	कनारी म.नं. 29 उपरावसिंह से म.नं. 45 खिलानसिंह तक		
		10	कनारी म.नं. 46 मोहनसिंह से म.नं. 57 गुटटू तक		
		11	कनारी म.नं. 58 दौलत से म.नं. 72 महाराजसिंह तक		
		12	कनारी म.नं. 74 लखनलाल से म.नं.79 जालम तक		
		13	कनारी म.नं. 90 दिवानसिंह से म.नं. 104 राजेन्द्र कुमार तक		
		14	कनारी म.नं. 105 लखनदास से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	कोलिंजा	1	म.नं. 1 निलेश से म.नं. 8 अमोदसिंह तक	अ0जा0,	5
		2	म.नं. 11 कल्याणसिंह से म.नं. 27 हरचरण तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 28/1 प्रभूलाल से म.नं. 55 गनेशराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 56 फूलसिंह से म.नं.72/1 रामरतिबाई तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं. 74 कल्याणसिंह से म.नं. 96 महेन्द्रसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 97 लालाराम से म.नं0 116 लालचंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 117 लल्लू से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	छापखेड़ा म.नं. 1 कमलाकृष्ण से म.नं. 13 सुशीलाबाई तक		
		9	छापखेड़ा म.नं. 14/1 बहादुरसिंह से म.नं. 25 रघुनाथ तक		
		10	छापखेड़ा म.नं. 26 गोविन्द से म.नं. 41 दुन्डा तक		
		11	छापखेड़ा म.नं. 44 बल्लू से अंत तक		
		12	दुलई म.नं. 1 प्रहलादसिंह से म.नं. 9 प्रकाशसिंह तक		
		13	दुलई म.नं. 10 छोटाराम से 16/2 वीरेन्द्रसिंह तक		
		14	दुलई म.नं. 17/1 प्रेमसिंह से म.नं. 26 परमा तक		
		15	दुलई म.नं. 27 रामकलीबाई से म.नं. 42क भैरोलाल तक		
		16	दुलई म.नं. 43 कोमलसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	खैरुआहाट	1	म.नं. 1 अजुदीबाई से म.नं. 7 मोकमसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 8 मुन्नीलाल से म.नं.24/2 हरीसिंह तक	अ0ज0जा0	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	म.नं. 26 किशनलाल से म.नं. 43 ललताप्रसाद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 44 हरीसिंह से म.नं. 50/3 दलीपसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 51 छीतरसिंह से म.नं. 60 लक्ष्मणसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 65 किशनलाल से म.नं. 81 घसीटा तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 82 पूरनसिंह से म.नं. 105 हल्कूराम तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं. 108 श्रीराम से म.नं. 122/1 निरंजनसिंह तक		
		9	म.नं. 122/2 गजेन्द्रसिंह से म.नं. 129 रतनसिंह तक		
		10	म.नं. 132 तुलसीपुरी से म.नं. 149 लक्ष्मीबाई तक		
		11	म.नं. 150 बहादुर सिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	हरुखेडी	1	म.नं.1 हरीसिंह से म.नं.11 विक्रमसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 12/1 प्रीतिबाई से म.नं. 25 गंडोला तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 26 रतनलाल से म.नं. 40 भरतजी तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 41 लच्छाबाई से म.नं. अंत तक	महिला अ0जा0	2
		5	गजार म.नं. 1 जगदीश से म.नं. 18/2 निरपतसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	गजार म.नं. 19 कन्हैयालाल से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मूडरादुर्जन म.नं. 1 कल्याणसिंह से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	पडरिया म.नं. 1 योगेन्द्र से म.नं. 26 राजेन्द्र तक		
		9	पडरिया म.नं. 27 बुन्देलसिंह से म.नं. 43 बद्रीप्रसाद तक		
		10	पडरिया म.नं. 45 चन्द्रशेखर से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	खामखेडालक्षक रपुर	1	म.नं.1 परसराम से म.नं.18/3 नारायणसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 19 अमानसिंह से म.नं. 31/3 रामलाल तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं.32 दौलतसिंह से म.नं. अंत तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	इकोदिया म.नं. 1 गुलाबसिंह से म.नं. 12/3 सुनीताबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	इकोदिया म.नं. 13 खिलानसिंह से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	जमाल्दी म.नं. 1 नत्थूसिंह से म.नं. 11 महेन्द्रसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	जमाल्दी म.नं. 12/1 जगन्नाथसिंह से म.नं 23 खच्चू तक	महिला सामान्य	1
		8	जमाल्दी म.नं. 24 मिश्रा से अंत तक		
		9	खम्मूखेडी म.नं. 1 हरनामसिंह से म.नं. 8 मल्लूसिंह तक		
		10	खम्मूखेडी म.नं. 9 पदमसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एव 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	कुआखेडी	1	म.नं.1 हीरालाल से म.नं.15 रामकरण तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 16 टीकमसिंह से म.नं. 43 भुगत सिंह तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं 44 तोरणसिंह से म.नं. 62 प्रीतमसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.नं. 63 मलखानसिंह से म.नं.85 रामगोपाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 86 जगन्नाथ से म.नं. 109ग करनसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 110 देवजा से म.नं. 141 भावसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 142 सौदानसिंह से म.नं. 167 हरीसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 168 गुलाबसिंह से म.नं. 185 मंगलसिंह तक		
		9	म.नं. 186 करनसिंह से म.नं. 220 फितुरी तक		
		10	म.नं. 224 रेवाराम से अंत तक		
		11	मेहरखेडी म.नं. 1 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	लशकरपुर	1	म.नं. 1 गजेन्द्रसिंह से म.नं. 10/2 मंटोबाई	अ0जा0,	3
		2	म.नं. 11/1 नरेश कुमार से म.नं. 19/2 सुखदेव तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.नं. 20 कैलाशनारायण से म.नं. 34/3 महेन्द्रसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं. 35/1 अमरसिंह से म.नं. 52 महेन्द्रसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 53 जसवंतसिंह से म.नं. 73 जसोदीबाई तक	महिला अ0ज0जा0	-
		6	म.नं. 74 मठरूलाल से म.नं. 88 धनीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 89 भीकमसिंह से म.नं. 115 मठोले तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 119 रतिराम से म.नं. 144/1 अवधविहारी तक		
		9	म.नं. 144/2 जगदीश से म.नं. 166 रामचरण तक		
		10	म.नं. 168 भैयालाल से म.नं. 185 बलवीरसिंह तक		
		11	म.नं. 185/1 महाराजसिंह से म.नं. 204 लालाराम तक		
		12	म.नं. 205 मुन्नीलाल से म.नं. 211 विहारीलाल तक		
		13	म.नं. 213/1 नंदकिशोर से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	पैरवारा	1	म.न.1 अमरसिंह से मकान न.इ 29 गया बाई तक	अ0जा0,	3
		2	म.न. 30 कोमलबाई से म.न. 45 भवरलाल तक	अ0ज0जा0	2
		3	म. न. 46 गनेशराम से मं.न. 73 नागेन्द्र कुमार तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म. न. 74/2 से गुलाबसिंह से म. न. 97/2 जसोदीबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 97/3 चैनसिंह से 118 सुनियाबाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म. न. 119 गुटटीलाल से 137/2 लक्ष्मीनारायण तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म. न. 137/3 गुलाबाबाई से 143 जगदीश प्रसाद तक	महिला सामान्य	2
		8	म. न. 144 कमोद सिंह से अंत तक		
		9	पहो म.न. 1 देवीदास से म.न. 16 समुंदरसिंह तक		
		10	पहो म.न. 17 भवरीबाई से मकान न. 30 तुलसाबाई तक		
		11	पहो म.न. 31 श्री राम से अंत तक		
		12	हिरनोदा म.न. 1 नंदलाल से म.न.15 धन्ना तक		
		13	हिरनोदा म.न. 16 करोडीलाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 26/12/2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	जीवाजीपुर	1	म.न. 1 खिलानसिंह से म.न.14 का अमरसिंह तक	अ0जा0,	03
		2	म.न. 2 कोमलबाई से म.न. 26 मेवाबाई तक	अ0ज0जा0	-
		3	म.न. 27 चतरसिंह से म.न. 43 शबीउल हुसेन तक	अन्य पिछडा वर्ग,	06
		4	म.न. 44 शहनशा हुसेन से म.न. 55 नन्लाल तक	महिला अ0जा0	02
		5	म.न. 58 हल्कीबाई से म.न. 71 पुनियाबाई तक	महिला अ0ज0जा0	--
		6	म.न.72 मूलचंद से म.न.82 सैतानसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	03
		7	म.न. 83 खुमानसिंह से म.न. 95 फूलबाई तक	महिला सामान्य	04
		8	म.न. 96 मैहरवानसिंह से अंत तक		
		9	पलोह म.न. 1 मुन्नीबाई से म.न. 32 हरिराम तक		
		10	पलोह म.न. 33 रामबाई से म.न. 44 लालाराम तक		
		11	पलोह म.न. 46 गमनीबाई से म.न. 67 गोबिंद सिंह तक		
		12	पलोह म.न. 68 भैयालाल से अंत तक		
		13	अमाछार महेश म.न.1से 8/3 मुन्ना तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14	अमाछार कलाबाई म.न. 8/4 से म.न. 16/3 फूलसिंह तक		
		15	अमाछार रतनबाई म.न. 17/1 से म.न. 19/1 बैजनाथ तक		
		16	अमाछार शंकरसिंह 19/2 से म.न. 24 त्रिवेणीबाई तक		
		17	अमाछार रामनाथसिंह म.न. 25 से अन्त तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	मूडराहरिसिंह	1	म.न. 1 रामभरोसी से म.न. 20 कमोदीलाल तक	अ0जा0,	2
		2	म.न. 21 दोला से म.न. 45 करोडीलाल तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 46 राजकुमारीबाई से म.न. 63 केसीसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.न. 66 डोगरसिंह से म.न. 88/3 पानबाई तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 89/1 शिवराजसिंह से 107/1 नबोबाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 108 बुद्धा से म.न. 142/2 पर्वतसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.न. 142/3 सवीताबाई से म.न. 167 दोलतबाई तक	महिला सामान्य	1
		8	म.न. 168 मीराबाई से म.न. 182 चैनसिंह तक		
		9	म.न. 183 रामकिशन से अंत तक		
		10	इमलियाजागीर म.न. 1 शंकरगिर से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	पांझ	1	म.न. 1 कपूरीबाई से म.न. 19 जंसबंतसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.न. 20 नेतराम से म.न. 31 रामस्वरूप तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 32 दिलीपसिंह से म.न. 43 कृष्णाबाई तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.न. 44 चंदनसिंह से म.न. 59 गयारसीबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 60 भवरीबाई से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	धतूरिया म.न. 1 रानी से म.न. 11 रामाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	धतूरिया म.न. 12 गोबिंदसिंह से म.न. 22 कच्छेदीलाल तक	महिला सामान्य	1
		8	धतूरिया म.न. 23 काशीबाई से म.न. 35 का रामबतीबाई तक		
		9	धतूरिया म.न. 36 सरजोबाई से म.न. 47 रामसिंह तक		
		10	धतूरिया म.न. 48 सीताराम से म.न. 65 केशरबाई तक		
		11	धतूरिया म.न. 66 रामप्रसाद से म.न. 74 रज्जू तक		
		12	धतूरिया म.न. 75 मटरू से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक / पंचा. / 2014 /

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	किरमचीबधेरा	1	म.न. 1 भोगाबाई से म.न. 25 ज्योतिबाई तक	अ0जा0,	3
		2	म.न. 26 दातारसिंह से म.न. 43 गबडू तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.न. 44 रामबाई से म.न. 68 भगवानसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.न. 69 नथनसिंह से म.न. 94 पूरनसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 95 धिरोजीबाई से म.न. 105 गोबिंदसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.न. 106 गुल्लीबाई से म.न. 126 परामोबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.न. 127 सुदरबाई से म.न. 146 पीतमसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.न. 149 रामसिंह से म.न. 156 सेमेरसिंह तक		
		9	म.न. 157 कल्याणसिंह से म.न. 174 मर्दनसिंह तक		
		10	म.न. 175 भैयालाल से म.न. 207 रिबोबाई तक		
		11	म.न. 208 शियाबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	भदाबाडागांव	1	म.न. 1 मिठदूलाल से म.न. 18 पीतमसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.न. 19 भगवानसिंह से म.न. 32 मथराबाई तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 33 रविन्द्र से म.न. 43/2 फूलबाई तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.न. 44 हमीरसिंह से म.न. 61 निहालसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 62 कपूरीबाई से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	सन म.न. 1 गुमानसिंह से म.न. 22 हुकमसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	सन म.न. 23 करणसिंह से म.न. 36 सुमिताबाई तक	महिला सामान्य	2
		8	सन म.न. 37 शेरसिंह से अंत तक		
		9	खापरखेडा म.न. 1 ललताबाई से म.न. 9 पर्वतसिंह तक		
		10	खापरखेडा म.न. 10 पारसकुमार से म.न. 18 सोमतसिंह तक		
		11	खापरखेडा म.न. 20 रामबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	खरी	1	म.न. 1 सुमित्राबाई से म.न. 18 मूलचंद तक	अ0जा0,	5
		2	म.न. 19 मुकेश से म.न. 49 कोमलबाई तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 40 राधेलाल से म.न. 54 प्राणसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 55 उमरावसिंह से म.न. 72 भैयालाल तक	महिला अ0जा0	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	म.न. 73 जुगतोबाई से म.न. 86/1 रेवाराम तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 87 परमोबाई से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	हिरनई म.न. 1 कमलाबाई से म.न. 18 शीलाबाई तक	महिला सामान्य	1
		8	हिरनई म.न. 19 भग्गोबाई से अंत तक		
		9	काफ म.न. 1 नर्वदीबाई से म.न. 11 हरिसिंह तक		
		10	काफ म.न. 12 कालूराम से म.न. 22 गयाबाई तक		
		11	काफ म.न. 23 हीराबाई से अंत तक		
		12	भैरोखेडी म.न. 1 हरिसिंह से म.न. 16 बद्रीप्रसाद तक		
		13	भैरोखेडी म.न. 17/1 करणसिंह से म.न. 35 महेन्द्र सिंह तक		
		14	भैरोखेडी म.न. 36 धनसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	पालकी	1	म.न. 1 कम्पूलाल से म.न. 14 बीनाबाई तक	अ0जा0,	2
		2	म.न. 15 शंकरसिंह से म.न. 26 हरिसिंह तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.न. 27 रामलाल से म.न. 49/1 हेमंतसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 40 अजुददीबाई से म.न. 47 बीरसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 48 कल्याण सिंह से म.न. 62 बंसतीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 63 कृष्णासिंह से म.न. 74 बुद्धालाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.न. 75 हरप्रसाद से म.न. 90 लक्ष्मीबाई तक	महिला सामान्य	4
		8	म.न. 51 मिन्तुराम से म.न. 106 बेटाबाई तक		
		9	म.न. 107 चिरोजीबाइ से म.न. 129 चैनसिंह तक		
		10	म.न. 130 पृथ्वीसिंह से अंत तक		
		11	लालाखेडी म.न. 1 हरगोबिंद से म.न. 22 चरणसिंह तक		
		12	लालाखेडी म.न. 23 गोरेलाल से म.न. 39 राजेशसिंह तक		
		13	लालाखेडी म.न. 40 तुलसाबाई से अंत तक		
		14	नारोट म.न. 1 ममताबाई से म.न. 25 किशनसिंह तक		
		15	नारोट म.न. 26 सौदानसिंह से म.न. 45 मिश्रीलाल तक		
		16	नारोट म.न. 46 हरप्रसाद अंत तक		

परिशिष्ट-4(अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08-05-2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	मुडरामुहाना	1	म.न. 1 हीरालाल से म.न. 29 नरेन्द्रसिंह तक	अ0जा0,	4
		2	म.न. 30/1 महेन्द्रसिंह से म.न. 51 भगवानसिंह तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 52 को गोविंदसिंह से म.न. 64 कारेलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.न. 65 प्रेमबाई से म.न. 79 रामबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 80/2 मदनलाल से म.न. 87 मूलचंद तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 88 श्यामलाल से म.न. 109 ख नरेशकुमार तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.न. 110/2 नारानीबाई से म.न. 137 दशरथसिंह तक	महिला सामान्य	3
		8	म.न. 139 खिलानसिंह से म.न. 146 शिवकुमारी तक		
		9	म.न. 146 नबबीबाई से अंत तक		
		10	मुहाना म.न. 1 भवरलाल से म.न. 11 लियाकतअली तक		
		11	मुहाना म.न. 13/1 थानसिंह से म.न.26 बैजनाथस		
		12	मुहाना म.न. 27 किशनसिंह से म.न. 42 जयराम तक		
		13	मुहाना म.न. 43/1 इमरतीबाइ से म.न. 53 कोमलसिंह तक		
		14	मुहाना म.न. 54 हरिनारायण से म.न. 60/1 कयासीनशाह		
		15	मुहाना म.न. 61 प्यारीबी से अंत तक		

परिशिष्ट-4(अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08-05-2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
65	नितर्री	1	म.न. 1 बट्टीप्रसाद से म.न. 17 मनमोहन तक	अ0जा0,	4
		2	म.न. 18 शंकरबाई से म.न. 36 उमेदीबाई तक	अ0ज0जा0	--
		3	म.न. 37 गुनियाबाई से म.न. 63 रणजीतसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.न. 64 गोपालदास से म.न. 81 निहालसिंह तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 82 बाबूलाल से म.न. 99 लाखनसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	--
		6	म.न. 100 यशोदाबाई से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	भदोरा म.न. 1 अजैनसिंह से म.न. 17 भगवतीबाई तक	महिला सामान्य	2
		8	भदोरा म.न. 18 ओमप्रकाश से म.न. 32 सौदानसिंह तक		
		9	भदोरा म.न. 33 नाथुराम से अंत तक		
		10	जलहेशी म.न. 1 कमलाबाई से म.न. 11 नारायणसिंह तक		
		11	जलहेशी म.न. 12 भवरजी से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	देहरी	1	म.न. 1 राधाबाई से म.न. 12/5 गोपालसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	म.न. 12/9 गणेशीबाई से म.न. 23 करोडीलाल तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 24 नवला से म.न. 39 सुजानसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 40 धरमचंद से म.न. 53 सुककोबाई तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 54 जसबंत सिंह से म.न. 71 अजबसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 72 जगन्नाथ से म.न. 82 देवकिशन तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.न. 83 सरदारसिंह से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	सेमरा म.न. 1 बिनियाबाई से म.न. 10 म.न. बुंदेलसिंह तक		
		9	सेमरा म.न. 11 जानकीबाई से म.प. 21 रामसिंह तक		
		10	सेमरा म.न. 23 कलाबाई से अंत तक		
		11	तिलक म.न. 1 गोपीलाल से म.न.11 दयालदास		
		12	तिलक म.न. 11 शीलादेवी से म.न. 24 राजनसिंह		
		13	तिलक म.न. 25 जगराम से म.न. 37 अमानसिंह		
		14	तिलक म.न 37/2 अजबबाई अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	पीपरहूटा	1	म.न. 1 मानसिंह से म.न. 31 अमनीबाई तक	अ0जा0,	2
		2	म.न. 33 सुर्यप्रकाश से म.न. 45 कमलाबाई तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.न. 46 बिजेन्द्र से म.न. 52 पार्वतीबाई	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.न. 53 चतरा से म.न. 65 मुन्नीलाल	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 66 गणेशराम से अंत तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	अबेला म.न. 1 रामबाई से म.न. 20 कमलाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	अबेला म.न. 20/1 अभिलाषा से म.न. 39 तुला तक	महिला सामान्य	2
		8	अबेला म.न. 40 शांतिबाई अंत तक		
		9	रमगढा म.न. 1 सौदानसिंह से म.न. 13/1 गोकलसिंह तक		
		10	रमगढा म.न. 14/1 हल्केराम से म.न. 21 धनश्याम तक		
		11	रमगढा म.न. 22 हल्कीबाई से म.न. 32 देवेन्द्रसिंह तक		
		12	रमगढा म.न. 33 /1 पीतमसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
68	ठर	1	म.न. 1/1 रामसिंह से म.न. 14/1 सरवन तक	अ0जा0,	3
		2	म.न. 14/2 नन्नू से म.न. 28 विश्वनाथसिंह तक	अ0ज0जा0	2
		3	म.न. 29/1 अनन्दीलाल से म.न. 41/1 ओमकारसिंह	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.न. 42 गुलाबबाई से म.न. 52/3 पूनाबाई	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 53 खिलानसिंह से म.न. 69 केलाशनारायण	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 17/2 बेनीप्रसाद से म.न. 87 भूरजी	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.न.88 बिष्णुप्रसाद से म.न. 96 मलखानसिंह तक	महिला सामान्य	4
		8	म.न. 97/2 महाराजसिंह से म.न. 107 गोविंददास		
		9	म.न. 108 बुद्धा से म.न. 124 गजराजसिंह तक		
		10	म.न. 125 भगवानसिंह से म.न. 134 कुन्दनलाल		
		11	म.न. 135/1 ओमकार प्रसाद से म.न. 169 खिलानसिंह तक		
		12	म.न. 164/पूरनदास से म.न. 175 का पूरनसिंह तक		
		13	म.न. 176 कस्तूरीबाई से म.न. 200 नारायण प्रसाद तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14	म.न. 201 पहलादसिंह से म.न. 217 मनीष कुमार		
		15	म.न. 218 मजीदखॉ से म.न. 269 गोविंदसिंह तक		
		16	म.न. 269 झ टीकराम से म.न. 289 मानसिंह		
		17	म.न. 291 समुदरसिंह से म.न. 312 रूकमणीबाई तक		
		18	म.न. 313 सावित्रीबाई से म.न. 323 ग राजेन्द्र कुमार		
		19	म.न. 323 गनेशराम से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	जैतपुरा	1	म.न. 1 किशनलाल से म.न. 25 कैकई	अ0जा0,	1
		2	म.न. 26/2 रफीक से म.न. 34/2 शेरसिंह तक	अ0जा0जा0	—
		3	म.न. 35 लक्ष्मीबाई से म.न. 50 बाबूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.न. 51 राजाराम से म.न. 70 मनमोहन तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.न. 71 अमरसिंह से म.न. 95 फूलसिंह तक	महिला अ0जा0जा0	—
		6	म.न. 96 मुन्नालाल से म.न. 138 चंदेलसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.न. 139 जमना से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	सनगाखेडी म.न. 1 द्रोपतीबाई से म.न. 30 जमनीबाई तक		
		9	सनगाखेडी म.न. 31 बटटूलाल से अंत तक		
		10	गाजीखेडी म.न. 1 शांतिबाई से म.न. 10/3 हिम्मतसिंह तक		
		11	गाजीखेडी म.न. 11/2 इकवालउददीन से म.न. 16/3 हनीफ उददीन तक		
		12	गाजीखेडी म.न. 17 एजाजउददीन से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	बरखेडाकछवा	1	म.न. 1 सुदरबाई से म.न. 13 बिहारीलाल	A0जा0,	4
		2	म.न. 14 करतूरीबाई से म.न. 58 मोम्मदखा	A0ज0जा0	—
		3	म.न. 61 सहीद खा से म.न. 78 रूपवतीबाइ	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 79 सुखलाल से म.न. 92/1 खिलानसिंह	महिला A0जा0	2
		5	म.न. 92/2 सियाबाई से म.न. 102 बबीता	महिला A0ज0जा0	—
		6	म.न. 103/1 अवनीबाई से म.न. 125 जीवनसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.न. 125/1 धनसिंह से म.न. 150 मुन्नीबाई तक	महिला सामान्य	4
		8	म.न. 151 से सुन्दरसिंह से अंत तक		
		9	मुगोद म.न. 1 लक्ष्मीबाई से म.न. 15 हल्केराम		
		10	मुगोद म.न. 16 खेमचंद से म.न. 32 खिलानसिंह तक		
		11	मुगोद म.न. 33/1 प्रेमबाई से म.न. 46 कमलाबाई		
		12	मुगोद म.न. 47 राधाबाई से म.न. 62/1 दुजियाबाई तक		
		13	मुगोद म.न. 62/3 हल्के से म.न. 80/3 वृजमोहन		
		14	मुगोद म.न. 81 दौलतराम से म.न. 100 स्वरूपबाई		
		15	मुगोद म.न. 101 नन्नूसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
71	मूडरापरसूखेडी	1	म.न. 1 भैयालाल से म.न. 28/1 हल्कीबाई	A0जा0,	2
		2	म.न. 30 आशाराम से म.न. 46 जानकीबाई	A0ज0जा0	2
		3	म.न. 47 भैयालाल से अंत तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	परसूखेडी म.न. 1 गजरीबाई से म.न. 13 रामसिंह तक	महिला A0जा0	1
		5	परसूखेडी म.न. 14 बालमुकंद से म.न. 27 ग्यारसीबाई तक	महिला A0ज0जा0	1
		6	परसूखेडी म.न. 28 रतिराम से म.न. 38/2 रामकवर तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	परसूखेडी म.न. 39 बालमुकंद से म.न. 45/2 परमलाल तक	महिला सामान्य	2
		8	परसूखेडी म.न. 46 भवरीबाई से म.न. 58 गोपालसिंह तक		
		9	परसूखेडी म.न. 60 हुकमसिंह से म.न. 71/3 धन्नालाल तक		
		10	परसूखेडी म.न. 73 सुखियाबाई से म.न. 86/कोमलबाई तक		
		11	परसूखेडी म.न. 87 परमा से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
72	पडरायत	1	म.न. 1 भूरा से म.न. 14 जसोदाबाई	अ0जा0,	3
		2	म.न. 15 अमरसिंह से म.न. 28 गुटई	अ0ज0जा0	2
		3	म.न. 31 हल्के से म.न. 46 हरिसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 47 कलाबाई से म.न.68/1 मुन्नीबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 69 चतरु से म.न. 98 हीराबाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.न. 99 शिवराज से म.न. 116 गणेशराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.न. 118 कुबरबाई से म.न. 125 बट्टी	महिला सामान्य	3
		8	म.न. 125/1 उददल से म.न. 137/1 कल्लू		
		9	म.न. 137/2 मर्दनसिंह से अंत तक		
		10	खाईखेडा म.न. 1/1 दोलतसिंह से म.न. 10 चनसिंह तक		
		11	खाईखेडा म.न. 11/1 शांतिबाइ से म.न. 30 तक सरजू		
		12	खाईखेडा म.न. 310 अनीता से म.न. 44 शंकरसिंह		
		13	खाईखेडा म.न. 45 विपतसिंह से अंत तक		
		14	चिडोरिया म.न. 1 गुलाबसिंह से म.न. 10 चंदनबाई तक		
		15	चिडोरिया म.न. 15 से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
73	डाबर	1	म.न. 1 इमरतसिंह से म.न. 19 सीमाबाइ तक	अ0जा0,	3
		2	म.न. 20 सौदानसिंह से म.न. 44 बाबूलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.न. 45 सम्पतबाइ से म.न. 69 कल्लू तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.न. 70 दोपतीबाई से म.न. 90 लक्ष्मीनारायण	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 92 डगडूलाल से म.न. 118 ड भगवानसिंह	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.न. 119 मिठतूलाल से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	धारुखेडी म.न. 1 हरिसिंह से म.न. 12 ड बीरेन्द्र सिंह	महिला सामान्य	1
		8	धारुखेडी म.न. 15 रामकलीबाइ से म.न. 30 रमेश		
		9	धारुखेडी म.न. 31 तुल्सीराम से अंत तक		
		10	हसनावाद म.न. 1 दीपक से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
74	कराखेडी	1	म.न. 1 लक्ष्मीबाई से म.न. 15 विक्रमसिंह	अ0जा0,	4
		2	म.न. 16 फूलबाई से म.न. 24 रामकुवर	अ0ज0जा0	—
		3	म.न. 25 भोगचंद से म.न. 30 अजय सिंह	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.न. 33 मोहरसिंह से म.न. 53 मूलचंद	महिला अ0जा0	2
		5	म.न. 55 चेताराम से म.न. 72 गुडडीबाई	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.न. 74 बाबूलाल से अंत तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	मदनखेडी म.न. 1 रामकली से म.न. 11 नारायणसिंह	महिला सामान्य	4
		8	मदनखेडी म.न. 12 तखतसिंह से म.न. 28 कपूरीबाई		
		9	मदनखेडी म.न. 29 हरिसिंह से म.न. 44 कुसुमबाई		
		10	मदनखेडी म.न. 45 शिबू के माकन से अंत तक		
		11	रुसल्ला म.न. 1 मंगलसिंह से म.न. 21 ख शांतिबाई तक		
		12	रुसल्ला म.न. 22 इमरतसिंह से म.न. 37 तुल्सीराम तक		
		13	रुसल्ला म.न. 38 आनंद से म.न. 63 चैनसिंह तक		
		14	रुसल्ला म.न. 64 नब्बोबाई से म.न. 76 विमलाबाई तक		
		15	रुसल्ला म.न. 77 कल्लू से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
75	सुनपुरा	1	म.न. 1 चिरोजीबाई से म.न. 9 रूपसिंह तक	अ0जा0,	03
		2	म.न. 10 लक्षमण से म.न. 23 जयसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.न. 24 ताराबाई से म.न. 33 उषा बाईतक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	06
		4	म.न. 34 मोहरलाल से म.न. 45/3 छककूलाल तक	महिला अ0जा0	02
		5	म.न. 49 गोपालसिंह से म.न. 72 रामबाबू तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.न. 73 कोशाबाई से म.न. 84/1 गोरेलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 85 देवीसिंह से म.न. 97 श्रीकिशन तक	महिला सामान्य	04
		8	म.न. 98 प्रेमबाइ से म.न. 127 बालकिशन तक		
		9	म.न. 128 गंगाराम से म.न. 138 मुंशीलाल तक		
		10	म.न. 139 गंगाराम से म.न. 157 सेवलाल तक		
		11	म.न. 158 लूमाबाई से म.न. 189 धरमसिंह तक		
		12	म.न. 190 घनश्याम से अंत तक		
		13	बिघन म.न. 1 मोहरबाई से अंत तक		
		14	उदयगिरी छोटीबाई म.न.1 से म.न.16 जगन्नाथ तक		
		15	उदयगिरी केशरबाई म.न.17/1 से म.न.27 सिंगारबाई तक		
		16	उदयगिरी जहूरनबी म.न.30/2 से म.न.35 प्यारीबी तक		
		17	उदयगिरी कोकसिंह म.न.39/1 से म.न.50 भूराखां तक		
		18	उदयगिरी असरफखां म.न.51/1 से अन्त तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
76	करैयाहवेली	1	म.न. 1 हरिराम से म.न. 25 शम्भूसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.न. 26 भागचंद से म.न. 49 करनसिंह तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.न. 50/1 पदमबाई से अंत तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	रंगई म.न. 1 गोरेलाल से म.न. 20 बट्टीप्रसाद तक	महिला अ0जा0	2
		5	रंगई म.न. 20/1 गनेशराम से म.न. 31 हजारीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	रंगई म.न. 32 सुनील से म.न. 52 भोलाराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	रंगई म.न. 53 किशनराव के मकान से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	बेरखेडीबिरसा म.न. 1 मदनलाल से म.न. 10 महेश तक		
		9	बेरखेडीबिरसा म.न. 11 प्रकाश से अंत तक		
		10	पडरियामाफी म.न. 1 मिठतूलाल से म.न. 11 तक बीरेन्द्र तक		
		11	पडरियामाफी म.न. 12 जीवनलाल से अंत तक		
		12	सुआखेडी म.न. 1 महाराजसिंह से म.न. 9 दोलतसिंह तक		
		13	सुआखेडी म.न. 10 मुल्लोबाई से म.न. 22 गोपीलाल तक		
		14	सुआखेडी म.न. 23 राजेश से म.न. 35 पुरनसिंह तक		
		15	सुआखेडी म.न. 36 मिश्रीलाल से म.न. 49 पन्नालाल तक		
		16	सुआखेडी म.न. 50 प्यारेलाल से अंत तक		
		17	आमखेडा हवेली म.न. 1 मुन्नालाल से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
77	चिडोरिया	1	म.न.1 प्रीतमसिंह से म.न.17 मदनलाल तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.18 नोनीतराम से म.नं.32 इन्नूलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 34 दीवानसिंह से म.नं. 39/3 पुरुषोत्तम तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 40 रबुदा से 52 म.नं.शीलाबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.52 मनीराम से म.नं. 63 गनेश तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.64 पावती से म.नं. 88/2 मुन्नालाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं. 89 विष्णा से म.नं.96 नाजिरउदीन तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं. 98 अफसर से म.नं.111 बालदच तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9	म.नं. 115 डालचंद से म.नं.139ड सोएवअली तक		
		10	म.नं0 1/1 मदनलाल से म.नं.26 नर्वदाप्रसाद तक		
		11	गुरारियाहवेली म.नं. 27 नर्वदीबाई से म.नं.42/2 राधेश्याम तक		
		12	गुरारियाहवेली म.नं.45 लीकपाल से म.नं. 52 संदीप तक		
		13	गुरारियाहवेली म.नं.52/1 कमलसिंह से म.नं.52खा जसवंतसिंह तक		
		14	गुरारियाहवेली म.नं. 55 कमलाबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
78	सौठिया	1	म.नं.1 बलराम से म.नं.17/2 नारायणसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.18 केराबाई से म.नं. 36/1 श्यामलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.38 मोहरसिंह से म.नं.57/1रामराज तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	3
		4	म.नं. 58 भागचंद से म.नं.78/2 बटनलाल तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं. 79 मोहरसिंह से म.नं.105/2 अमरसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.106 मोहरसिंह से म.नं.124 सविताबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं. 125 कालूराम से म.नं.159 बहादुरसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	गैहूखेडी म.नं. 01 रामप्रसाद से म.नं. 16 नारायणसिंह तक		
		9	गैहूखेडी म.नं. 17 गोरेलाल से म.नं. 33 पूरनचंद		
		10	गैहूखेडी म.नं. 34 हरनारायण से म.नं. 45 फूलसिंह तक		
		11	मुरवारा म.नं. 1 लक्ष्मीनारायण से म.नं.12 दयाराम		
		12	मुरवारा म.नं. 13 गोपालसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
79	पठारीहवेली	1	मं.नं. 1 मोहनलाल से मं.नं.17 करनसिंह तक	अ0जा0,	2
		2	मं.नं 18 कोमलबाई से मं.नं. 29 बद्रीप्रसाद तक	अ0ज0जा0	2
		3	मं.नं.30 गैदालाल से मं.नं.46 नाथूराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	मं.न 47 मथुराबाई से मं.न 71 खिम्मोबाई तक	महिला अ0जा0	1
		5	मं.न. 72 नब्बाबाई से मं.नं. 93 मुन्नालाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	मं.नं. 94 भारतसिंह से मं.नं.106 राजू तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	धनोराहेवेली म.नं. 1 फारूकअली से मं.नं. 23 झुन्नोवी तक	महिला सामान्य	4
		8	धनोराहेवेली मं.नं.23 रूआवखां से म.नं.44 आविद खों तक		
		9	धनोराहेवेली मं.न. 45 सफीक खो से मं.न. 60 दुलीचंद तक		
		10	धनोराहेवेली मं.नं.60/2 मेहराववी से मं.न.82 सरिफ वी तक		
		11	धनोराहेवेली म.नं. 84 मकसूदखों से मं.नं. 96 बादलखों तक		
		12	बैरखेडी जैतू मं.नं. 1 अहमदखों से मं.नं. 26/2 सुलताना वी तक		
		13	बैरखेडी जैतू मं.नं. 27 हरबोबाई से मं.नं.45 याकूबखा तक		
		14	बैरखेडी जैतू मं.नं.48 अहमद खों से मं.नं. 53 हरगोविंद तक		
		15	बैरखेडी जैतू मं.नं. 54 तप्पू से मं.नं. 84/1 नजरून वी तक		
		16	बैरखेडी जैतू मं.नं. 84/3 रहुपखों से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
80	हांसुआ	1	म.नं.2 रणधीरसिंह से म.नं0 26 भैयालाल तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.27 खुशीलाल से म.नं. 47 रामबाई तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं048 पर्वतसिंह से म.नं.66 सावित्रीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं.69 पूनाबाई से मं.नं.84 हीरालाल तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.84/1 तुलाराम से म.नं.110 प्रेमसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.111 नारायणसिंह से म.नं.129 हनुमत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	घुडियाखेडी म.नं.1 से म.नं.6क सदाराम तक	महिला सामान्य	3
		8	घुडियाखेडी म.नं.8 कमलसिंह से म.नं.19क प्रकाश तक		
		9	कछवा म.नं. 1 हरीसिंह से म.नं.14/4 लच्छीराम तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10	कछवा म.नं. 15 महाराजसिंह से म.नं.23 अजुददीबाई तक		
		11	कछवा म.नं.24 कलाबाई से म.नं.32 शूरीबाई तक		
		12	कछवा म.नं.33 मोहरसिंह से म.नं.45 तुलसीराम तक		
		13	कछवा म.नं.47 देवीसिंह से म.नं.56 पतिराम तक		
		14	कछवा म.नं. 58 चिरोजीलाल से म.नं.80 बैजनाथ तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
81	परसौराहवेली	1	म.नं.14/3 उमेश किरार से म.नं.7 बाबूलाल तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं.12 सरवनसिंह से म.नं.14/2 मनमोहनसिंह तक	अ0जा0जा0	—
		3	म.नं.14/3 रामगोपाल से म.नं.18 नर्वदाप्रसाद तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.19 द्रोपदीबाई से म.नं.34 जगदीश तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.35 पर्वतसिंह से म.नं.45 तुलसीराम तक	महिला अ0जा0जा0	—
		6	परासी टुण्डाम.नं. 2 प्रभूलाल से म.नं.21 मोहरसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	परासी टुण्डा म.नं.24 तालेवर से म.नं 35/4 शहीद अहमद तक	महिला सामान्य	5
		8	परासी टुण्डा म.नं.36 अमरी वी से म.नं.44/2 सरजीत खों		
		9	परासी टुण्डा म.नं.46 नजीम खों से म.नं.73 बुल्लाबाई तक		
		10	भौरिया म.नं.1 रामबाई से म.नं.9 नन्नूलाल तक		
		11	भौरिया म.नं.10 से तुलसाबाई से म.नं.23 भंवरलाल तक		
		12	भौरिया म.नं. 24 रामकुवर से म.नं.31 ख रामबाबू तक		
		13	भौरिया म.नं.32 रमेशबाबू से म.नं.40 संख्या तक		
		14	भौरिया म.नं.42 गुलाबबाई से म.नं.50 मीनाबाई तक		
		15	भौरिया म.नं.51 सुनीताबाई से म.नं.73 तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
82	खरबई	1	म.नं.2 इंदरबाई से म.नं.15 प्रकाशनारयण तक	अ0जा0,	6
		2	म.नं.16 दौलतसिंह से म.नं.29 कालू खू तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.32 दौलत खों से म.नं.41हाकमशाह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.42 शौकतशाह से म.नं.58/1 मोहन तक	महिला अ0जा0	3
		5	म.नं.60 हल्के से म.नं.75 बल्ला तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	कटसारा म.नं.3/1 मिश्रीलाल से म.नं.9 कलाबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	कटसारा म.नं.10/1 शिब्बा से 33 हुकमसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	कटसारा म.नं.34 करनसिंह से म.नं.84 कुन्दनसिंह		
		9	खरबई म.नं. 3 हरदास से म.नं.19 रमेश तक		
		10	खरबई म.नं. 20 मूलचंद से म.नं.39 नगवीबाई तक		
		11	खरबई म.नं. 44/1 प्रेमबाई से म.नं.55 हल्कीबाई तक		
		12	खरबई म.नं. 56 मुल्लु से म.नं.74 सरदारसिंह तक		
		13	खरबई म.नं. 76 खिलानसिंह से म.नं. 96 सौदानसिंह तक		
		14	खरबई म.नं. 97 चतरीबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
83	गोबरहेला	1	म.नं.1 हरप्यारी से म.नं.12 कौशल तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं.13 माधोगिरी से म.नं.24 हीरालाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.26 मोजीलाल से म.नं.42 बद्रीप्रसाद तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.नं.43 सोमतसिंह से म.नं.61 इमरतगिरी तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.62 शिवगिरी से म.नं.77 रतिराम तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.78 पर्वतसिंह से 93/1 भवानीसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं.94 चिरोंजीबगाई से म.नं.104 भंगलसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं.106 श्यामलाल से म.नं.118 नर्वदीबाई तक		
		9	म.नं. 120 छोटोराम से म.नं.134 बुद्धालाल तक		
		10	रमपुरा म.नं. 2 वंशीलाल से म.नं.17 गोरेलाल तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
84	भाटनी	1	म.नं. 1 भमरलाल से म.नं.13 जगन्नाथ तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं.14 तुलाराम से मं.न 26/2 इमरतसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.27 मिश्रीलाल से म.नं.38 पन्नालाल तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.39 सदाराम से मं.न.52 दीवानसिंह तक	महिला अ0जा0	1
		5	मं.न.53 प्रेमबाई से म.नं. 87 कैलाश तक	महिला अ0ज0जा0	--
		6	म.नं.61 सरदारसिंह से म.नं.70 जबाहरसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं.71 हल्केसिंह से म.नं.99/1 जगदीश तक	महिला सामान्य	5
		8	आदमपुर म.नं.1 वतीबाई से म.नं. 9 राधेश्याम तक		
		9	आदमपुर म.नं 10/1 इनाम उल्ला से म.नं.19 भैरोसिंह तक		
		10	आदमपुर म.नं.20 आशाराम से म.नं.39 चुन्नीलाल तक		
		11	आदमपुर म.नं.40 जगन्नाथ से म.नं.50 ग्यारसीराम तक		
		12	आदमपुर म.नं.51 पुनियाबाई से म.नं.65 सुखियाबाइ तक		
		13	आदमपुर म.नं.68 फलसिंह से म.नं.81 विव्दो वी तक		
		14	आदमपुर म.नं.82 शरीफ खों से म.नं.98 रहीम खों तक		
		15	आदमपुर म.नं.99 कययूम खों से म.नं.115 रामफुल तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
85	अहमदपुर कस्बा	1	म.नं.1 प्रेमबाई से म.नं.22 कस्तुरीबाई तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं.23/1 हीरालाल से म.नं.41 मोहनलाल तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.42 हीरालाल से म.नं.58/5 देवीसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं.60/1 हुकमसिंह से म.नं.77 रामगोपाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.78 पार्वतीबाई से म.नं.89/7 नाथूराम तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.90 नर्वदबाई से म.नं.111 रेवाराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं.112 रामेश्वरदयाल से म.नं.127 पुनाबाई तक	महिला सामान्य	6
		8	म.नं.128 विहारीलाल से म.नं.156 खेमराज तक		
		9	म.नं.157 रामकलीबाई से म.नं.176/3 मालमसिंह तक		
		10	म.नं.177 जगन्नाथसिंह से म.नं.186 समरतसिंह तक		
		11	म.नं.187 नंदकिशोर से म.नं.208 द्रोपतीबाई तक		
		12	म.नं.210 शिवरतन से म.नं.243 रमेशचंद तक		
		13	म.नं.246 यशोदाबाई से 259/3 गिरीशकुमार तक		
		14	म.नं.260 सरोज से म.नं.294 पदमसिंह तक		
		15	म.नं.296 नथनसिंह से म.नं.316क मांगीलाल तक		
		16	म.नं.317 गण्डेशा से म.नं.338 माधोसिंह तक		
		17	म.नं.339 नवलसिंह से म.नं.354 फूलसिंह तक		
		18	म.नं.356 संजोबाई से म.नं.377 श्रीलाल तक		
		19	म.नं.378 रामनिवास से म.नं.401 मोहन तक		
		20	म.नं.402 रतिराम से म.नं.418च बालाराम तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एव 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
86	बरेखेडीअहमदपुर	1	म.नं. 1 चुन्नीलाल से म.नं. 18 देवचंद तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 24 पप्पू से म.नं. 40 लूमाबाई तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 41 मीराबाई से म.नं. 54/2 फूलसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं. 54/3 सविता से म.नं. 86 सुखलाल तक	महिला अ0जा0	1
		5	खेजडा म.नं. 1 हल्कीबाई से म.नं. 12 फूलसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	खेजडा म.नं. 13 भोगीराम से म.नं. 22 दोलीबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	खेजडा म.नं. 23/1 रामलाल से म.नं. 38 शाति तक	महिला सामान्य	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	खेजडा म.नं. 40 हिम्मतसिंह से म.न. 54 घनश्याम तक		
		9	सुरोद म.नं. 1 बाबूलाल से म.नं. 12 मुशीलाल तक		
		10	सुरोद म.नं. 13 झबूलाल से म.नं. 26 नारायणसिंह तक		
		11	सुरोद म.नं. 28 नंदराम से अंत तक		
		12	सांगई म.नं. 01 अमोनाबाई से म.नं. 27 ब्रजमोहन तक		
		13	सांगई म.नं. 28 धीरजसिंह से म.नं. 58 क मोहनलाल तक		
		14	सांगई म.नं. 65 बेटाबाई से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
87	डंगरवाडा	1	म.नं.6 बाबूलाल से म.नं.14/3 ज्ञानसिंह तक	अ0जा0,	3
		2	म.नं.17 दलीपसिंह से म.नं.28 गुलाबसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं.33 चुन्नीलाल से म.नं.49 निरंजनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	4
		4	म.नं.51 सूरजसिंह से म.नं.63 लक्ष्मीबाई तक	महिला अ0जा0	2
		5	म.नं.63/3 तुलसीराम से म.नं.71 धीरजसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	म.नं.72/1 हरिसिंह से म.नं.83/5 बलराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	म.नं.84/1 दीवानसिंह से म.नं.88 मिश्रीलाल तक	महिला सामान्य	3
		8	म.नं.89 रमेश से म.नं. 107 बुद्धा तक		
		9	म.नं.110 उमराव से म.नं. 124 सुक्कोबाई तक		
		10	म.नं.125 चिरोजीलाल से म.नं.137 भगवानसिंह तक		
		11	म.नं. 139 रामकिशन से म.नं.152ग मुल्ला तक		
		12	सतीयाखेडी म.नं. 01 दोतराम से म.नं.8क तारणसिंह तक		
		13	सतीयाखेडी म.नं.15 अमोलसिंह से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
88	सौथर	1	म.नं.3 उमेश से म.नं.10 राजेशसिंह तक	अ0जा0,	1
		2	म.नं.11 तुलसीराम से म.नं. 22 पुरुषोत्तम तक	अ0ज0जा0	3
		3	म.नं.26.खेमचंद से म.नं. 39 भीमसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग,	4
		4	म.नं.40 सनमानसिंह से म.नं.52 दिनेश तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं.53 सुशीलाबाई से म.नं. 61/1 ज्ञानबाई तक	महिला अ0ज0जा0	2
		6	म.नं. 64 तखतसिंह से म.नं.74 मोहनसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	म.नं.75 मेहताब से म.नं.80 खिलानसिंह तक	महिला सामान्य	2
		8	म.नं.81 बटनलाल से म.नं. 89 वकील तक		
		9	म.नं. 92 छककूलाल से म.नं.104 गन्डेसी तक		
		10	म.नं. 105 परमानंद से अंत तक		
		11	अंडिया म.नं. 01 इमरतबाई से म.नं. 17 गजराजसिंह तक		
		12	अंडिया म.नं. 18 जमनीबाई से म.नं. 35 ऊधमसिंह तक		
		13	अंडिया म.नं. 36 झबूलाल से म.नं. 55 महेन्द्रकुमार तक		
		14	अंडिया म.नं. 57 लालाराम से अंत तक		

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
89	घाटखेडी	1	घाटखेडी म.नं.1 अजयसिंह से म.नं.14 हरगोविन्द्र तक	अ0जा0,	1
		2	घाटखेडी म.नं. 15 जमनीबाई से म.नं.36 रामचरण तक	अ0ज0जा0	1
		3	घाटखेडी म.नं. 37/2 उधमसिंह से म.नं. 45 टंटूप्रसाद तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	घाटखेडी म.नं. 46 फूलसिंह से म.नं. 62 गप्पू खॉ तक	महिला अ0जा0	1
		5	झिरनिया म.नं. 1 दौलीबाई से म.नं. 16 रामकुमार तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	झिरनिया म.नं. 17 दुर्गा बाई से म.नं. 41क फूलसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	रोड म.नं.1 ओमकारसिंह से म.नं.13 भावसिंह तक	महिला सामान्य	1
		8	रोड म.नं.14 गीताबाई से म.नं. 30 भमरीबाई तक		
		9	रोड म.नं. 33 शांतिबाई से म.नं. 58 ग्यारसीबाई तक		
		10	म.नं. 59 भगवानसिंह से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
90	करारियाअहमदपुर	1	म.नं. 1 छुट्टूलाल से म.नं. 11/2 सुदामाबाई तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं. 13 तज्जो वी से म.नं.21 जसमाल खॉ तक	अ0ज0जा0	1
		3	म.नं. 22 साब खॉ से म.नं. 35 अब्दुल खॉ तक	अन्य पिछडा वर्ग,	5
		4	म.नं. 37 दिलवर खॉ से म.नं. 51/2 मुन्ने खॉ तक	महिला अ0जा0	1
		5	म.नं. 52 सूगरा बी से म.नं. 61 हबीब खॉ तक	महिला अ0ज0जा0	1
		6	म.नं. 62 मेहरून वी से म.नं. 81 प्यार खॉ तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	म.नं. 82 हमीद खॉ से म.नं. 91 माजिद खॉ तक	महिला सामान्य	4
		8	म.नं. 92 काले खॉ से म.नं. 117 कालीबाई तक		
		9	सतपाडाम.नं. 1 काले खॉ से म.नं. 13 अनवर खॉ तक		
		10	सतपाडा म.नं. 14 निवाज खॉ से म.नं. 26 हमीद खॉ तक		
		11	सतपाडा म.नं. 27 इसरार खॉ से म.नं. 35 बन्नो बी तक		
		12	सतपाडा म.नं. 37 दुर्गाप्रसाद से म.नं. 51 झुन्नूलाल तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13	सतपाडा म.नं. 52 पार्वतीबाई से म.नं. 64 कासम खों तक		
		14	म.नं. 65 अब्दुल रहमान से म.नं. 76 कांताबाई तक		
		15	म.नं. 77 मुस्ताक खों से म.नं. 88 अब्दुल सलाम तक		
		16	म.नं. 89/2 जामिल खों से म.नं. 103 परताप तक		
		17	म.नं. 104 सडडू से म.नं. अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 08.05.2014

:

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
91	कांकरखेडी	1	म.नं. 1 गंगाबाई से म.नं. 16 रामप्रसाद तक	अ0जा0,	2
		2	म.नं.17 भगवानसिंह से म.नं. 28 हिम्मतसिंह तक	अ0ज0जा0	—
		3	म.नं. 29 तीजाबाई से म.नं.44 कमलसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग,	3
		4	म.नं. 46 सुजानसिंह से म.नं. 53 तिजिया बाई तक	महिला अ0जा0	1
		5	बरखेडा म.नं. 1 समरथ सिंह से म.नं. 11 लक्ष्मीबाई तक	महिला अ0ज0जा0	—
		6	बरखेडा म.नं. 12 लालचंद से म.नं. 26 उधमसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	बरखेडा म.नं. 27 आशाराम से म.नं. 43 हरदयाल तक	महिला सामान्य	3
		8	करैया म.नं. 1 हल्कीबाई से म.नं. 10 लाखनसिंह तक		
		9	करैया म.नं. 11 मोहनसिंह से म.नं. 25 नथनसिंह तक		
		10	करैया म.नं. 26 बहादुरसिंह से म.नं. 37 चैनसिंह तक		
		11	करैया म.नं. 38 बंदा से अंत तक		

परिशिष्ट -4 (अ)

क्रमांक/पंचा./2014/

विदिशा दिनांक 06/08/2014

प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम.बी. ओझा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
92	सौराई	1	सौराई सुन्दरबाई म.नं.1 से म.नं.24 कन्हैयालाल तक	अजा	02
		2	सौराई प्यारीबाई म.नं.25 से म.नं. 55 मुकेश तक	अजजा	—
		3	सौराई हुकमचंद म.नं.56 से म.नं.81 कमलसिंह तक	अन्य पि.वर्ग	03
		4	सौराई ख्याली म.नं.82 से म.नं. 99 मुल्लोबाई तक	महिला अजा	01
		5	सौराई कमलाबाई म.नं.100 से म.नं.120 नवीता तक	महिला अजजा	—
		6	सौराई नारायणसिंह म.नं.121 से अन्त तक	महिला अ.पि.	02
		7	बराखेडा अशोक यादव. म.नं.1 से 12 फूलबाई तक	महिला सा	03
		8	बराखेडा सुरेश कुमार म.नं.13 से म.नं.19 कोमलबी तक		
		9	बराखेडा मानखां म.नं.20 से म.नं.34 भवानीसिंह तक		
		10	बराखेडा बंशीलाल म.नं.35 से अन्त तक		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड : सिरोंज

पंचायत:-1 करईखेडा

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	करईखेडा	1	म.न. 1 सनमानसिंह के घर से म.न. 20 शिवनारायण के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 21 सुरजबाई के घर से म.न. 49 बृजमोहन के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 50 रामस्वरूप के घर से म.न. 76 रेखाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 77 कालुराम के घर से म.न. 86 रामस्वरूप के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 87 मुल्लोबाई के घर से म.न. 106 रेखाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 1सविताबाई के घर से म.न. 16 छोटेला के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न.17 छोटीबाई के घर से म.न. 42 बलवीरसिंह के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 43 तुलसीराम के घर से म.न. 59 गजेन्द्रसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 60 उमराव के घर से म.न. अंत तक वतीबाई के घर तक		
		10	म.न.1 खुस्सीलाल के घर से म.न. 16 सोनूके घर तक		
		11	म.न. 17/2 डालचंद के घर से म.न. 28 केसरबाई के घर तक		
		12	म.न. 29 भगवतीबाई के घर से म.न. 44 विमलेशके घर तक		
		13	म.न. 45 तुलसीराम के घर से म.न. अंत तक रवि के घर तक		
		14	म.न. 1 निरपतसिंह के घर से म.न. 32 राधाबाई के घर तक		
		15	म.न. 33 गीताबाई के घर से म.न. 49 सुनीताबाई के घर तक		
		16	म.न. 50 कंदीलाल के घर से म.न. अंत तक लक्ष्मण के घर तक		
		17	म.न. 1 खुमनीबाई के घर से म.न. 17 रीना के घर तक		
		18	म.न. 18 भुरा के घर से म.न. 38 राकेश के घर तक		
		19	म.न. 39 खुस्सीलाल के घर से म.न. 57 दयालसिंह के घर तक		
		20	म.न. 58 घनश्याम के घर से म.न. अंत तक चंदाबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत :- 2. भगवंतपुर

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
2	भगवंतपुर	1	म.न.1 मोहरसिंह के घर से म.न. 20 ओमप्रकाश के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न.21 कलाबाई के घर से म.न. 36/1 मांगीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.37 शाविरखा के घर से म.न. 54 शाहिवा बी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.55 बादशाह खां के घर से म.न. 73(ख) खालिदखा के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.74 नूरखा के घर से म.न. 91 गुलनाज बानो के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.92 शाविर खा के घर से म.न. 107 महेन्द्र के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.108 प्रेमनारायण के घर से म.न. 131 स्नेहबाई के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न.132 हजारीलाल के घर से म.न. 140 रतिबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.141 उमरावसिंह के घर से म.न. 162 शवानबी के घर तक		
		10	म.न.163 फखरुद्दीनशाह के घर से म.न. 180(ख) मनोरमा के घर तक		
		11	म.न.181 पहलवानसिंह के घर से म.न. 197 नीरज के घर तक		
		12	म.न.198 फेरनसिंह के घर से म.न. 217 सोनू के घर तक		
		13	म.न.218 भगोबाई के घर से म.न. 236 सोनू बाई के घर तक		
		14	म.न.237 माधोसिंह के घर से म.न. 253(क) सन्नो बी के घर तक		
		15	म.न.254 मुन्शीलाल के घर से म.न. 271 आमिरखा के घर तक		
		16	म.न.272 बाबूमिया के घर से म.न. 298 भारतसिंह के घर तक		
	17	म.न.299 विजयसिंह के घर से राजपाल का घर अंत तक			
	18	म.न.1 उमेदी बाई के घर से म.न. 37 पान बाई का घर अंत तक			
	हिनोतिया डौरापुर				

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-3 मूडराघाट

वार्ड नं. 17

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
3	मूडराघाट	1	म.न. 1 मंसूरअली घर से म.न. 9 धनबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 10 नंदलाल के घर से म.न. 19 शशीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.20 हजारीलाल के घर से म.न. 31 शीतलबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 32 जालमसिंह के घर से म.न. 50 प्यारेमिया के घर तक	महिला अ.जा.	02

1	2	3	4	5	6
		5	म.न. 51 लाईकाबी के घर से म.न. 66 अशोक के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 67 मुरली के घर से म.न. 80 नवलसिंह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 84 मुरली के घर से म.न. 99 मीराबाई के घर तक		05
		8	म.न. 100 गजराजसिंह के घर से म.न. अंत तक के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 1 कपुरीबाई के घर से म.न. 13 देवेन्द्र के घर तक		
		10	म.न. 14 मीराबाई के घर से म.न. 33 पूजाबाई के घर तक		
		11	म.न. 34 मांगीलाल के घर से म.न. 46 रजनीबाई के घर तक		
		12	म.न. 47 रुपसिंह के घर से म.न. 63 फेमिदाबी के घर तक		
		13	म.न. 64 मोहनसिंह के घर से म.न. 80 रामप्यारीबाई के घर तक		
		14	म.न. 81 नवलसिंह के घर से म.न. 90 पवन के घर तक		
		15	म.न. 91 गुलाबबाई के घर से म.न. 107 निरमा के घर तक		
		16	म.न. 1 मुशीलाल के घर से म.न. 11 विनोदसिंह के घर तक		
		17	म.न. 12 मुलियाबाई के घर से म.न. अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत :- 4. नरखेडा जागीर

कुल वार्ड 19

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
4	नरखेडा जागीर	1	म.न.1 बहादुरअली के घर से म.न.34 धर्मन्द्र के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.35 इशरतमियां के घर से म.न.70 बल्ली बाई के घर तक	अ.ज.जा.	02
		3	म.न.71 शिवनारायण के घर से 79 दीपक के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.80 धनराज के घर से म.न.88 पवन के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.89 हल्कीबाई के घर से म.न.107 नीलूबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.108 मुन्ना के घर से म.न.123 शानबी के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.124 गप्पा के घर से म.न.141 शान मो0 के घर तक		04
		8	म.न.142 अ मुजीव के घर से म.न.153 रीनाबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.154 अस्फाक के घर से म.न.167 इरशाद के घर तक		
		10	म.न.168 गुलाब बाई के घर से म.न.179 गुडडो बी के घर तक		
		11	म.न.180 लालाराम के घर से म.न.198 दिनेश के घर तक		
		12	म.न.199 कडोरा से के घर से म.न.215 अजबसिंह के घर तक		
		13	म.न.216 भीकमसिंह के घर से म.न.226 वंदना के घर तक		
		14	म.न.227 बाबूलाल के घर से म.न.233/2 रनबीरसिंह के घर तक		
		15	म.न.234 अमरसिंह के घर से म.न.242 कपूरीबाई के घर तक		
		16	म.न.243 गजरीबाई के घर से शोकित का घर अंत तक		
		17	म.न.1 खालिद खां के घर से म.न.23 सरस्वती के घर तक		
		18	म.न.24 भैयालाल के घर से म.न.42 जितेन्द्र के घर तक		
		19	म.न.43 बाबूलाल के घर से सुशीलाबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-5 खेजडाहाली

वार्ड नं. 16

सारणी

अनु क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
5	खेजडाहाली	1	म.न.1 खुस्सीलाल के घर से म.न. 19 भुरीबाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 20 वारेलाल के घर से म.न. 36 रुकमणीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.37 कमरलाल के घर से म.न. 47 रीनाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 48 सुरजबाई के घर से म.न. 55/2विनोबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न.56 अमोली के घर से म.न. 73 अमरलाल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 74 दोलीबाई के घर से म.न.84 टीकाराम के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 85 जमनालाल के घर से म.न. 105 फूलबाई के घर तक	वर्ग	03
		8	म.न. 106 मानबाई के घर से म.न.113 सोनूके घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 114 कमरलाल के घर से म.न.125 राजकूमार के घर तक		
		10	म.न. 126 विनोद के घर से म.न.132 शेतानसिंह के घर तक		
		11	म.न.133 बाबुलाल के घर से म.न.अंततक मक्षला के घर तक		
	खेजडाउदा	12	म.न. 1 फितुरीलाल के घर से म.न.18 गुडडीबाई के घर तक		
		13	म.न.19 सिंगारबाई के घर से म.न. 36 गीताबाई के घर तक		
		14	म.न.37 धनराज के घर से म.न. 52 प्रीतीबाई के घर तक		
		15	म.न.53 जमनाबाई के घर से म.न.66 सीमाबाई के घर तक		
		16	म.न.67सावित्रीबाई के घर से म.न.अंत तक गुलाबबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-6 भौरा

वार्ड नं. 14

सारणी

अनु क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
6	भौरा	1	म.न. 1 नईम के घर से म.न. 9 रीना के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 10 कम्मूलाल के घर से म.न. 22 रानी के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 23 रामकुअर के घर से म.न. 33 हजरतसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 34 मोहनलाल के घर से म.न. 43 समनवाई के घर तक	महिला अ.जा.	03

1	2	3	4	5	6
		5	म.न. 1 गुलाव खां के घर से म.न. 57 राशीदावी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 58 नूरमियां के घर से म.न. 69 रामकृष्ण के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 70 हरिसिंह के घर से म.न. 84 कल्पना के घर तक		02
		8	म.न. 85 सुखोवाई के घर से म.न. 98 आशा के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 99 प्राणसिंह के घर से म.न. 110 मीनावाई के घर तक		
		10	म.न. 111 मुंशी लाल के घर से म.न. 129 रामस्वरूप के घर तक		
		11	म.न. 1 लीलावाई के घर से म.न. 23 दीपक के घर तक		
		12	म.न. 24 मोहर सिंह के घर से म.न. 50 प्रदीपकुमार के घर तक		
		13	म.न. 51 फेरानसिंह के घर से म.न. 80 कैलासी के घर तक		
		14	म.न. 1 रामवावु के घर से म.न. 11 उमावाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-7 प्यसी

वार्ड न. 14

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
7	प्यासी	1	म.न. 1 दीवानसिंह के घर से म.न.10 आनारबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 11 मोहनदेवी के घर से म.न. 23 कमलाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 24 गजराज के घर से म.न. 45 सीमाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 46 अजबसिंह के घर से म.न. 60 पप्पूसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 61 चंदनसिंह के घर से म.न. 90 कृष्णाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.91 सोमा के घर से म.न.अंत तक ओमवती के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 1 अजीजखां के घर से म.न. 13 सवदाम के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 14 भैयामियां के घर से म.न. 26/1 नाजवीन के घर तक		
		9	म.न. 27 नईमखां के घर से म.न. अंत तक गुडडीबाई के घर तक		
		10	म.न. 1 गप्पा के घर से म.न. 15 उशाबाई के घर तक		
		11	म.न.16/1 गनपत के घर से म.न. 25 राजेश के घर तक		
		12	म.न. 26 वटन के घर से म.न. 39 सतेन्द्र के घर तक		
		13	म.न. 40 काशीराम के घर से म.न. 56 फुलवती के घर तक		
		14	म.न. 57 ओमकार के घर से म.न. अंत तक वीरन के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-8 रतनवरी

वार्ड नं. 14

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
8	रतनवरी	1	म.न. 1 बुन्देलसिंह के घर से म.न. 15 संजोबाई के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न. 16 कम्मा के घर से म.न. 37 कलावाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 38 कल्लु के घर से म.न. 59 रवि के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 60 गुडडीलाल के घर से म.न. 83/क सीमा के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 84 भानु प्रकाश के घर से म.न. अंत तक पिकी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
	रजाखेडी	6	म.न. 1 चंद्रवानसिंह के घर से म.न. 11 लक्ष्मीबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 12 कन्हैया के घर से म.न. अंत तक खुवसिंह के घर तक	महिला सामान्य	03
	घुरियाखेडी	8	म.न.1 भीकमसिंह के घर से म.न. 11 अचतबाई के घर तक		
		9	म.न. 12 गोविंदसिंह के घर से म.न. अंत तक हरिसिंह के घर तक		
	तिंदुआ	10	म.न. 1 ललनसिंह के घर से म.न. 15 राजेश के घर तक		
		11	म.न. 16 जयबाई के घर से म.न. 36 रामप्यारी के घर तक		
		12	म.न. 37 बलवीर के घर से म.न. अंत तक नारायणीबाई के घर तक		
	खानपुर	13	म.न.1 कॉमलसिंह के घर से म.न.12 अफरत मियां के घर तक		
		14	म.न. 13 मदर मियां के घर से म.न. अंत तक फेसल खां के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-9 बांसखेडी अस्पताल

वार्ड नं. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
9	बांसखेडी अस्पताल	1	म.न. 1 बलदार खां के घर से म.न. 23 सुनील के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 24 सुलतान खां के घर से म.न. 50 श्रीमति के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 51 छोगीलाल के घर से म.न. 69 सुरेन्द्र के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 70 मुन्नीबाई के घर से म.न. 83 अनीताबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03

1	2	3	4	5	6
		5	म.न. 84 सुंदरदास के घर से म.न. 97 वीरसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 98 फूलसिंह के घर से म.न. 116 सतीश के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 117 संपतबाई के घर से म.न. 129 दीपक के घर तक	महिला सामान्य	04
		8	म.न. 130 हमीर सिंह के घर से म.न. 138 राजनीता के घर तक		
		9	म.न. 139 फूलसिंह के घर से म.न.अंत तक रेखाबाई के घर तक		
		10	म.न. 1 कपूरीबाई के घर से म.न. 37 अंजनाबाई के घर तक		
		11	म.न. 38/1 कमरसाहव के घर से म.न. 50 सोनिका के घर तक		
		12	म.न. 51/1 शिवराज के घर से म.न. 64/2 सरजूबाई के घर तक		
		13	म.न. 65/1 मनियाबाई के घर से म.न. 78 कुन्ती के घर तक		
		14	म.न. 79 पूरनसिंह के घर से म.न. अंत तक सरूप के घर तक		
		15	म.न.1 नन्नूलाल के घर से म.न. 15 भूरेलाल के घर तक		
		16	म.न. 16 रज्जोबाई के घर से म.न. 29 धर्मद के घर तक		
		17	म.न. 30 श्यामा के घर से म.न. अंत तक नर्वदीबाई के घर तक		
		18	म.न. 1 मोहरसिंह के घर से म.न. 12 कैलाश के घर तक		
		19	म.न. 13 रघुवीरसिंह के घर से म.न. 24 अनवरजहां के घर तक		
		20	म.न. 25 शौकत अली के घर से म.न. अंत तक सावित्रीबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-10 मूडराधर्म

वार्ड न. 11

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
10	मूडराधर्म	1	म.न. 1 घनश्याम के घर से म.न. 19 विध्याबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 20 गनेशराम के घर से म.न. 36 गुडडीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 37 तोफानसिंह के घर से म.न.54 राजेन्द्र के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 55 मोहनलाल के घर से म.न.75अंत तक सरोजबाई के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.1 जगन्नाथ के घर से म.न. 14/4 मिथलेशबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 15 रामकोबाई के घर से म.न.24 सुखवतीबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.25 मोबतसिंह के घर से म.न. अंत तक सावित्रीबाई के घर तक	वर्ग	02
		8	म.न. 1 देवबाई के घर से म.न. 28 अंगुरीबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 29 मुन्नीबाई के घर से म.न. 47/1 ववीता के घर तक		
		10	म.न. 48 गंगाबाई के घर से म.न. 56 द्रोपती बाई के घर तक		
		11	म.न. 57 मेहताव बाई के घर से म.न. अंत तक अरविन्द के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-11 अबुआढाना

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
11	अबुआढाना	1	म.न.1 राजेन्द्र के घर से म.न. 26 सोनिकावाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 27 रामपालसिंह के घर से म.न. 46 सुश्रमावाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 47 दलीपसिंह के घर से म.न. 59 शिवकुमारीवाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 60 वीरसिंह के घर से म.न. अंत तक तुलसावाई के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 1 हल्कीवाई के घर से म.न. 22 रामसखीवाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 23 खेमचंद के घर से म.न. 40 मनोज कुमार के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 41 रामसिंह के घर से म.न. 56 विनीता वाई के घर तक	वर्ग	02
		8	म.न. 57 रामकिशन के घर से म.न. 80 द्रोपतीवाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 81 लम्पुलाल के घर से म.न. अंत तक सोनम के घर तक		
		10	म.न. 1 गंगाराम के घर से म.न. 14 सीताराम के घर तक		
		11	म.न. 15 धन्ना लाल के घर से म.न. 27 सुशीलावाई के घर तक		
		12	म.न. 28 कलावाई के घर से म.न. अंत तक प्रेमनारायण के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-12 झंडवा

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
12	झंडवा	1	म.न. 1भगवानसिंह के घर से म.न. 20 सोनावाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 21 भमरीवाई के घर से म.न. 40 रवि के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 41 कामनावी के घर से म.न. 58 सुनीतावाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 59 कोमलवाई के घर से म.न. 80 आशा के घर तक	वर्ग	01
		5	म.न. 81 मोहरसिंह के घर से म.न. 101 अनीता वाई के घर तक	महिला अ.जा.	-
		6	म.न. 102 वायुलाल के घर से म.न. 120 कोमल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	02
		7	म.न. 121 लीला वाई के घर से म.न. 139पानवाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न. 140 पुरन सिंह के घर से म.न. 166 मनोज के घर तक		
		9	म.न. 167 सम्पत वाई के घर से म.न. 176/3 भुरीवाई के घर तक		
		10	म.न. 176/4 अजुद्धीवाई के घर से म.न. 179 अनीतावाई के घर तक		
		11	म.न. 180 भुश के घर से म.न. 196 राजकुमारी के घर तक		
		12	म.न. 197 रामवाई के घर से म.न. वर्शावाई अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत :- 13. पिपलियाहाट

कुल वार्ड 12

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
13	पिपलियाहाट सबदलपुर	1	म.न.1 रूकमा बाई के घर से म.न.18 सकुन बाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.19 प्रेमनारायण के घर से म.न.39 रश्मि के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.40 इमरत के घर से म.न.57(ख) सिवेन्द्र के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न.58 गजराज के घर से म.न.76 जुल्फा बाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.77 जगन्नाथ के घर से म.न.87 गुलाब सिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.88 पार्वती के घर से दिनेश का घर अंत तक	महिला अन्य	02
		7	म.न.1 बालकिशन के घर से म.न.16 मोहनबाबू के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न.17 जबरा के घर से म.न.30 लटोरी के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.32 मर्दनसिंह के घर से म.न.43 राधा बाई के घर तक		
		10	म.न.44 गोविन्द के घर से म.न.53 कामता बाई के घर तक		
		11	म.न.54 भंमर लाल के घर से म.न.65 ममता बाई के घर तक		
		12	म.न.66 शीला बाई के घर से मलखानसिंह का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-14 गेंहूखेडी

वार्ड नं. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
14	गेंहूखेडी	1	म.न. 1 हरलाल के घर से म.न. 14 सुमित्राबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 15 गुट्टु लाल के घर से म.न. 23 लोकेश के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 24 बाबुलला के घर से म.न. 36 मिदाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 37 कमलपुरी के घर से म.न. 44 जितेन्द्र के घर तक	महिला अ.जा.	02

1	2	3	4	5	6
		5	म.न. 45 कमरबाई के घर से म.न. 53 सुनील के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न. 54 फुलसिंह के घर से म.न. 64 सविताबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा	03
		7	म.न. 65 गोपीलाल के घर से म.न. 78 वादमबाई के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न. 79 मोहरबाई के घर से म.न. 89 विनीताबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 90 शैतानसिंह के घर से म.न. 104 शीलाबाई के घर तक		
		10	म.न. 105 तोरनसिंह के घर से म.न. अंत तक के घर तक		
		11	म.न. 1 रतनबाई के घर से म.न. 16 राममोहन के घर तक		
		12	म.न. 17 रामगोपाल के घर से म.न. 31 तोफानसिंह के घर तक		
		13	म.न. 32 महरवानसिंह के घर से म.न. 42 पानबाई के घर तक		
		14	म.न. 43 सुनतीबाई के घर से म.न. 58 राजकुमारी के घर तक		
		15	म.न. 59 कुसुमबाई के घर से म.न. 70ख रामसुखी के घर तक		
		16	म.न. 71 तोफानसिंह के घर से म.न. 83 कुसुमबाई के घर तक		
		17	म.न. 84 खुवा के घर से म.न. अंत तक के घर तक		
		18	म.न. 1 मुकेश के घर से म.न. 23 अमन्ताबी के घर तक		
		19	म.न. 24 लालखां के घर से म.न. 46 फजरोउदीन के घर तक		
		20	म.न. 47 शरीफ खां के घर से म.न. अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरौज

पंचायत:-15 अनूपपुर

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
15	अनूपपुर	1	म.न. 1 कमलाबाई के घर से म.न. 24 शिवकुमारी के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 25 तुलसाबाई के घर से म.न. 50 पावती के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 51 कसमलबाई के घर से म.न. 81 बवलीबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 82 कांसीबाई के घर से म.न. 98 महाजनसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 99 कृष्णाबाई के घर से म.न. 120 मानबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 121 नन्नूलाल के घर से म.न. 137 पानवाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 138 धनु खां के घर से म.न. 160 जश्मन के घर तक	महिला सामान्य	04
		8	म.न. 161 वतोवाई के घर से म.न. 183 गौरा के घर तक		
		9	म.न. 184 जमुना के घर से म.न. अंत तक सोनू के घर तक		
		10	म.न. 1 कलाबाई के घर से म.न. 19 सरोज के घर तक		
		11	म.न. 20 पन्ना के घर से म.न. 44 पूजा के घर तक		
		12	म.न. 45 भगवान के घर से म.न. 65 नीतू के घर तक		
		13	म.न.66 पूरन के घर से म.न. 92 रवि के घर तक		
		14	म.न. 93 भगवतीबाई के घर से म.न. 118 रानी के घर तक		
		15	म.न. 119 धनियाबाई के घर से म.न. अंत तक रोशनबी के घर तक		
		16	म.न. 1 सरज बाई के घर से म.न. 26 रुकमणीबाई के घर तक		
		17	म.न. 27 भवरलाल के घर से म.न. 49 धर्मेन्द्र के घर तक		
		18	म.न. 50 वावलाल के घर से म.न. 78 भगवती बाई के घर तक		
		19	म.न. 79 शांति बाई के घर से म.न. 97 कौशिल्या के घर तक		
		20	म.न. 98 इमरतिया के घर से म.न. अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-16 भोजूखेडी

वार्ड न. 14

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
16	भोजूखेडी	1	म.न. 1रंधीर के घर से म.न. 13 हरिओम के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 14 हरिवाई के घर से म.न. 30 भुरीवाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 31 लाखनसिंह के घर से म.न. अंत तक के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 1 लखनसिंह के घर से म.न. 19 अफसानाबी के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 20 कल्लु के घर से म.न. 33 गोलु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 34 कांता वाई के घर से म.न. 39 रेखावाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 40 गीतावाई के घर से म.न. 47 रुजवानाबी के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 48 अनीता वाई के घर से म.न. अंत तक घर तक		
		9	म.न. 1 रामकुअर के घर से म.न. 14 परियम बी के घर तक		
		10	म.न. 15हुरा बी के घर से म.न. अंत तक के घर तक		
		11	म.न. 1 गुलावसिंह के घर से म.न. 20 चंद्रेश के घर तक		
		12	म.न. 21 चिरोजी वाई के घर से म.न. अंत तक के घर तक		
		13	म.न. 1 देवीसिंह के घर से म.न. 28 वीरसिंह के घर तक		
		14	म.न. 29 रुपा के घर से म.न. अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 17. महुआखेडा पृथ्वीराज

कुल वार्ड 11

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
17	महुआखेडा पृथ्वीराज	1	म.न.1 सुरेखा के घर से म.न.9 लक्ष्मीबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.10 विहारीलाल के घर से म.न.20 रानीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.21 कपूरीबाई के घर से म.न.34 शशि के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न.35 करनसिंह के घर से म.न.53 पार्वतीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.54(क) विनिता के घर से म.न.63(ख)ममता के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.64 जानकी के घर से म.न.79 अशोक के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.80 लक्ष्मी के घर से म.न.99 रतिबाई के घर तक	महिला सामान्य	02
		8	म.न.100 धनबाई के घर से म.न.123 सुनीता के घर तक		
		9	म.न.124 कमलाबाई के घर से धर्मेन्द्र का घर अंत तक		
		10	म.न.1 तुशाबाई के घर से म.न.15 मुकेश के घर तक		
		11	म.न.1 सोरतिया के घर से सवित्रीबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 18. पगरानी

कुल वार्ड 11

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
18	पगरानी	1	म.न.1 प्रभूदास के घर से म.न.30/2 शिवराज के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.31 छोटीबाई के घर से म.न.42 इमरान खां के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.43 छोटी बी के घर से म.न.65 दीपेश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न.66 धनराज के घर से म.न.85 गोलू के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.86 हल्कीबाई के घर से म.न.106 अनामिका के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.107 इमरत के घर से म.न.121 नीरजबाई के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न.122 शिवनारायण के घर से म.न.146/4पुष्पा के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न.147 नर्बदाप्रसाद के घर से म.न.184 शिवकुमार के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.185 ओमप्रकाश के घर से म.न.212(ख) हेमवती के घर तक		
		10	म.न.213 मुन्नीलाल के घर से म.न.220 मुस्ताक के घर तक		
		11	म.न.221 घिस्सो बी के घर से अर्चना बाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-19 सरवरपुर

वार्ड न. 10

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
19	सरवरपुर	1	म.न. 1 हल्कू सिंह के घर से म.न. 20 भुरीबाई के घर तक	अ.जा.	01
		2	म.न.21 रघुराज के घर से म.न. अंत तक गोवर्धन के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 1गजराज सिंह के घर से म.न 18 गोपाल के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 19 कैलाश के घर से म.न. 28 संजीव के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.29 मासुमवी के घर से म.न. 33 सुजीवसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.34 सुखलाल के घर से म.न. 42 नीलेश के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.43 जयराम के घर से म.न. अंत तक पहलादसिंह के घर तक	वर्ग	02
		8	म.न.1 साहिदखां के घर से म.न. अंत तक तन्मू म बी के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न. 1 भारतसिंह के घर से म.न. 19 वीरन के घर तक		
		10	म.न. 20 बल्ला के घर से म.न. अंत तक हीराबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-20 देवीटौरी

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
20.	देवीटौरी	1	म.न. 1 आनन्द कुमार के घर से म.न. 25 फुलवाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 26 नारायणसिंह के घर से म.न.42/ख गीतावाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 43 मुन्नीबाई के घर से म.न. 63 प्रमोन्द के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.64 सुरेश के घर से म.न. 74 नीतु के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 75 कारेलाल के घर से म.न. 91 पवन के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 92 गुलाववाई के घर से म.न. 110 अरविन्द्र के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 111 पहलवानसिंह के घर से म.न. 128 मुन्नीबाई के घर तक	महिला सामान्य	04
	सिददीक गंज	8	म.न. 1 रमेशबाबु के घर से म.न 20 कमलेश. के घर तक		
		9	म.न. 21 हरनामबाई के घर से म.न. 35 अमनीवाई के घर तक		
		10	म.न. 36 उमराव के घर से म.न. 50/2 हरकुबाई के घर तक		
		11	म.न. 51 शिवू के घर से म.न. अंत तक पिकी वार्ड के घर तक		
	वागरोद	12	म.न. 1 अमरसिंह के घर से म.न. 17 सुनीताबाई के घर तक		
		13	म.न.17/1 हनुमत्सिंह के घर से म.न. 32 वसीर मो. के घर तक		
		14	म.न. 33 प्रतापसिंह के घर से म.न. 47 रामबाई के घर तक		
		15	म.न. 48/2 रामसिंह के घर से म.न. 68 रुकमणी के घर तक		
		16	म.न. 69 नरवदीवाई के घर से म.न. 90 कुसुमवाई के घर तक		
		17	म.न. 91 सुरेशबाबु के घर से म.न.अंत तक शहानाबी के घर तक		
	पिपलखेडा	18	म.न. 1वीर के घर से म.न. 18/1 पलवानसिंह के घर तक		
		19	म.न. 18/2 वावलाल के घर से म.न.25 पुष्पावाई के घर तक		
		20	म.न. 26 नन्नेसिंह के घर से म.न. अंत तक संजनावाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-21 झूकराहौज

वार्ड न. 16

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
21	झूकराहौज	1	म.न. 1 हेमराज के घर से म.न.21 सुनील के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 22 गोविन्दा के घर से म.न.45 सविताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.46 खिलानसिंह के घर से म.न. 55 राजाराम के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04

1	2	3	4	5	6
		4	म.न. 56 कप्तानसिंह के घर से म.न.73 सुनील के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 74 कालुराम के घर से म.न. 83 विनीता बाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 84 तुलसीराम के घर से म.न.89 राजेशवाई के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 90 पानबाई के घर से म.न. 116 प्रेमवाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	05
		8	म.न. 117 कपूरी वाई के घर से म.न. अंत तक चरनसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
	पाटन	9	म.न. 1 कलाबाई के घर से म.न. 14 किरनबाई के घर तक		
		10	म.न. 15 अजवसिंह के घर से म.न. 25 श्यामसुंदर के घर तक		
		11	म.न. 26 वादलसिंह के घर से म.न.41 ब्रमालसिंह के घर तक		
		12	म.न.42 कमरबाई के घर से म.न.अंत तक शफीक के घर तक		
	जमालपुर	13	म.न. 1 खिलानसिंह के घर से म.न. अंत तक रघुवीरसिंह के घर तक		
	सुमेरपुर	14	म.न. 1 गनरप के घर से म.न.16 रेखा के घर तक		
		15	म.न. 17 काशीबाई के घर से म.न. 27 राजकुमारी के घर तक		
		16	म.न. 28 सोदानसिंह के घर से म.न. अंत तक अशोक के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 22. देवपुर

कुल वार्ड 15

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
22	देवपुर	1	म.न.1 राजनसिंह के घर से म.न.28 नीरज के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.29 ठाकुरप्रसाद के घर से म.न.53 गीताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.54 हरप्रसाद के घर से म.न.69 कलेक्टरसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.70 नत्था के घर से म.न.90 फूलबाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.90/2 इमरत के घर से म.न.107 शिवकुमारी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.108 प्राणपुरी के घर से लईक का घर अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.1 संजीव कुमार के घर से म.न.7 बीरनसिंह के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न.8 प्रेमनारायण के घर से म.न.20/4 गुडडी के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.21 मोहरसिंह के घर से म.न.30/1 चांदबी के घर तक		
		10	म.न.31 रुस्तम खां के घर से रूबीना बी का घर अंत तक		
		11	म.न.1 भगवानसिंह के घर से म.न.7 भूरीबाई के घर तक		
		12	म.न.8 कन्हैयालाल के घर से चन्दाबाई का घर अंत तक		
		13	म.न.1 निरंजनसिंह के घर से म.न.24 संजीब के घर तक		
		14	म.न.25 प्रेमबाई के घर से म.न.36(क) राजेश के घर तक		
		15	म.न.37 रघुवीरसिंह के घर से संजीव का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 23. सेमलखेड़ी

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
23	सेमलखेड़ी	1	म.न.1 चैनसिंह के घर से म.न.16/1 लेखराम के घर तक	अ.जा.	08
		2	म.न.17 हीराबाई के घर से म.न.28/2 जमनाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.29 सोमतसिंह के घर से म.न.40 सीताराम के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.41पूरनसिंह के घर से म.न.52/3 आरामबाई के घर तक	वर्ग	04
		5	म.न.53 बुध्थोबाई के घर से म.न.63 जमीलाबी के घर तक	महिला अ.जा.	—
		6	म.न.64 हसमतबी के घर से म.न.83/8 समदखा के घर तक	महिला अ.ज.	03
		7	म.न.84 बतूलबी के घर से म.न.91 फ़ैजलशाह के घर तक	जा.	03
		8	म.न.92 बन्नोबी के घर से म.न.104 विनोद के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	—
	9	म.न.105 बैजनाथ के घर से म.न.118/3 सुदामाबाई के घर तक	महिला सामान्य	—	
	10	म.न.119 धीरजसिंह के घर से म.न.133 मुवीना बी के घर तक	—	—	
	11	म.न.134 उलफत बी के घर से रशीदखा का घर अंत तक	—	—	
	12	म.न.141 मुबीन खा के घर से म.न.158 कमला के घर तक	—	—	
	13	म.न.159 कल्लू के घर से म.न.182(ख) भागवाई के घर तक	—	—	
	14	म.न.183 फरीदा बी के घर से म.न.187 प्रीतिबाई के घर तक	—	—	
	15	म.न.188 अंतूराम के घर से म.न.195/2 पप्पू के घर तक	—	—	
	16	म.न.196 कस्तूरी बाई के घर से म.न.205 अनीता के घर तक	—	—	
	17	म.न.206 सुमित्रा के घर से म.न.214 महाराजसिंह के घर तक	—	—	
	18	म.न.215 बुद्धाराम के घर से म.न.226/2 विजय के घर तक	—	—	
	19	म.न.227 भरोसा के घर से म.न.241 मोहनवाई के घर तक	—	—	
	20	म.न.242 नारायणसिंह के घर से करनसिंह का घर अंत तक	—	—	

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 24. तरवरिया

कुल वार्ड 16

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
24	तरवरिया	1	म.न.1 राजमोहन के घर से म.न.20 कंचनबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.21 सिताराबाई के घर से म.न.34 पूजा के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.35 रामप्रसाद के घर से म.न.43 कवीता के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.44 अर्पणा बाई के घर से म.न.53 बीरसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	01

1	2	3	4	5	6
		5	म.न.54 तुर्शाबाई के घर से म.न.71 संगीता के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.72 कल्लू के घर से म.न.82 नेतराम के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न.83 कमलसिंह के घर से म.न.87 गुडडीबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	05
		8	म.न.88 पंखियाबाई के घर से म.न.96 विनोद के घर तक	महिला सामान्य	
	बामौजीहोज	9	म.न.97 शोभाराम के घर से शशिबाई का घर अंत तक		
		10	म.न.1 राजीव के घर से म.न.11 प्रमोद के घर तक		
		11	म.न.12 घासीराम के घर से म.न.24 धर्मन्त्र के घर तक		
		12	म.न.25 अनीताबाई के घर से म.न.39 प्रीतीबाई के घर तक		
	पर्वतपुर	13	म.न.40 मोकमसिंह के घर से सलमाबी का घर अंत तक		
	फजलपुर	14	म.न.1 सुखवती के घर से सददाममियां का घर अंत तक		
		15	म.न.1 मेवाबाई के घर से म.न.16 मीनाबाई के घर तक		
		16	म.न.17 अमोलसिंह के घर से नारायणीबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-25 खेजडागोपाल

वार्ड नं. 18

सारणी

अ. नु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
25	खेजडागोपाल	1	म.न.1 घसीटा के घर से म.न.17/2 अशोकबाई के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 18 मालमसिंह के घर से म.न. 30 रवि के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.31 जुझारसिंह के घर से म.न.51 रानीबाई. के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 52 वटरीलाल के घर से म.न. 63/2 शिफाली के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 64 बाबुलाल के घर से म.न. 82/2 सुमंत्राबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
	जमालपुर	6	म.न. 1/1 मुकमलखा के घर से म.न. 14 लक्ष्मीबाई के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न.15 वंशी के घर से म.न. 38 ताराबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न. 39 घसीटा के घर से म.न.53 मंगलेशबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.54 धरमलाल के घर से म.न. 63/2 मनीशा के घर तक		
		10	म.न.64 सियत के घर से म.न. 78 संजब सिंह के घर तक		
	बांसखेडी अजीत	11	म.न. 1 अब्दु नारायण के घर से म.न.15 सीमाबाई के घर तक		
		12	म.न. 16 तुलसाबाई के घर से म.न. 35 नवस्ता के घर तक		
		13	म.न. 36 प्रेमनारायण के घर से म.न. 65 रेखाबाई के घर तक		
		14	म.न. 66 रामबाई के घर से म.न. 90 उमेदीबाई के घर तक		
		15	म.न. 91 प्रथीर के घर से म.न. 115 काशीबाई मौवतीके घर तक		
	साहनखेडी	16	म.न. 1 बालमुकंद के घर से म.न.12 राकेश के घर तक		
		17	म.न.13 कुअरलाल के घर से म.न.22/2 हेमलता के घर तक		
		18	म.न.23 तुलसी के घर से म.न. 31 कमता बाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 26. घुटुआ

कुल वार्ड 19

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
26	घुटुआ	1	म.न.1 पर्वतसिंह के घर से म.न.10 विनिता के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.11 धर्मसिंह के घर से म.न.20 हरिओम के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.21 पन्नालाल के घर से म.न.37 नीलेश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.38 नन्नूलाल के घर से म.न.61 मनोहर के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.62 रामचरण के घर से द्रोपतीबाई का घर अंत तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.1 विनोद के घर से म.न.6 सुनीता के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.7 मर्दनसिंह के घर से म.न.24 भूरी के घर तक	वर्ग	05
		8	म.न.25 सकली के घर से म.न. किरण के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.47 हल्के के घर से थानसिंह का घर अंत तक		
		10	म.न.1 तेजसिंह के घर से म.न.17 रूपवती के घर तक		
		11	म.न.18 भूरा के घर से म.न.30 ओमवती के घर तक		
		12	म.न.31 मूलचन्द के घर से म.न.41 पूजाबाई के घर तक		
		13	म.न.42 बाबूलाल के घर से म.न.59 पूजाबाई के घर तक		
		14	म.न.60 मोबतसिंह के घर से म.न.70 चन्द्रेश के घर तक		
		15	म.न.71 हरनाथसिंह के घर से म.न.87 मनोज के घर तक		
		16	म.न.88 हंशराज के घर से म.न.109 प्रदीप के घर तक		
		17	म.न.110 लेखराज के घर से म.न.123 भंमरीबाई के घर तक		
		18	म.न.124 सुल्तान के घर से राजबाई का घर अंत तक		
		19	म.न.1 साध्याबाई के घर से ललताबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 27. छापू

कुल वार्ड 10

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
27	छापू	1	म.न.1 विनिता बाई के घर से म.न.22 सेवन्ती बाई के घर तक	अ.जा.	01
		2	म.न.23 पन्नालाल के घर से म.न.35/1 प्रेमबाई के घर तक	अ.ज.जा.	05
		3	म.न.36 गंगाबाई के घर से म.न.48/4 सुनीता के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		4	म.न.49 लक्ष्मीबाई के घर से म.न.60(क) विन्दा बाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.61 सलीम के घर से म.न.73 गोरा बाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	03
		6	म.न.74 पार्वती बाई के घर से म.न.88 गिरजा बाई के घर तक	महिला अन्य	-
		7	म.न.89 ग्याबाई के घर से म.न.100 आरती बाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	01
		8	म.न.101 अर्जुन के घर से म.न.118 प्रीतम के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.119 उधम के घर से म.न.131/4 हीरा बाई के घर तक		
		10	म.न.132 नन्नूलाल के घर से भूरी बी का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 28. चितावर

कुल वार्ड 12

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
28	चितावर	1	म.न.1 भारतसिंह के घर से म.न.21 रिको बाई के घर तक	अ.जा.	03	
		2	म.न.22 भंमरी बाई के घर से म.न.32 गोरुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-	
		3	म.न.33 भंमरीबाई के घर से म.न.47 राजेश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	
		4	म.न.48 कोमलबाई के घर से म.न.41 अफसाना बी के घर तक	महिला अ.जा.	02	
		5	म.न.61/1 समीमखां के घर से म.न.79 ममता बाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-	
		6	म.न.79/1घसीटा के घर से म.न.99/4 प्रेमसिंह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02	
		7	म.न.100 भैयालाल के घर से म.न.117/4 दीपा के घर तक	वर्ग	02	
		8	म.न.118 रामचरण के घर से म.न.135/2 सरदारबाई के घर तक	महिला सामान्य		
		9	म.न.136 हल्कू के घर से म.न.152/3 टीकमसिंह के घर तक			
		10	म.न.153 भगवानसिंह के घर से बीरसिंह का घर अंत तक			
		कांकरखेड़ा	11	म.न.1 कैलाशबाबू के घर से म.न.16 सुनीताबाई के घर तक		
		12	म.न.17 अशोक के घर से समीना बी का घर अंत तक			

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 29. नेकान

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
29	नेकान	1	म.न.1 भागबाई के घर से म.न.16 रानी के घर तक	अ.जा.	01	
		2	म.न.17 रघुवीर के घर से म.न.31 गुडडीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-	
		3	म.न.32 प्यारा के घर से म.न.40 मलखान के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	
		4	म.न.41 रूपा के घर से म.न.50/3 संतोश के घर तक	महिला अ.जा.	01	
		5	म.न.51 सनमान के घर से म.न.65 प्रकाश के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-	
		6	म.न.66 कन्हई के घर से म.न.79 नीता बाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03	
		7	म.न.80 मुंशीलाल के घर से कोमल का घर अंत तक	महिला सामान्य	05	
		मोतीगढ़	8	म.न.1 गुटटीलाल के घर से म.न.22/2 राधाबाई के घर तक		
		9	म.न.23 नथनसिंह के घर से बृजेश का घर अंत तक			
		औराखेड़ी	10	म.न.1 कंचन के घर से म.न.17/महेन्द्र सिंह के घर तक		
		11	म.न.18 प्राणसिंह के घर से सेराधामणी का घर अंत तक			

1	2	3	4	5	6
	बरखेड़ी	12	म.न.1 बालिस्टर के घर से म.न.16 रामसखी के घर तक		
		13	म.न.17 कैलाशबाई के घर से म.न.25 प्रेमबाई के घर तक		
		14	म.न.26 कमरलाल के घर से म.न.32 प्रवीण के घर तक		
		15	म.न.33 शीला बाई के घर से प्रेशन का घर अंत तक		
	कनेरा	16	म.न.1 कोकसिंह के घर से म.न.6 शाकिर अली के घर तक		
		17	म.न.7 नबाब खां के घर से म.न.18 जावेद खां के घर तक		
		18	म.न.19 गुफरान खां के घर से पप्पी बी का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-30 चुनियाखोह

वार्ड न. 11

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
30	चुनियाखोह	1	म.न. 1 गबडुसिंह के घर से म.न. 16 राजेंद्र के घर तक	अ.जा.	01
		2	म.न.17 रेखाबाई के घर से म.न.34 सुशीला के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 35 सुब्बोबी के घर से म.न.50 अफसाना के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 51 सईद के घर से म.न. 66 संकीना के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 1 बालकिशन के घर से म.न. 15 सचिन के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 16 मिश्रीलाल के घर से म.न. 37 कबुलसिंह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 38 जीवन के घर से म.न. 52 भारतीबाई के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 53 पदमसिंह के घर से म.न.75 देवेनद्रसिंह के घर तक		
		9	म.न. 1 कमोदी के घर से म.न. 23 देवबाई के घर तक		
		10	म.न. 24 भोगीराम के घर से म.न. 36 पावती के घर तक		
		11	म.न. 37 हरनामसिंह के घर से म.न. 54 राजू के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-31 इमलानी

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
31	इमलानी	1	म.न. 1 भजनलाल के घर से म.न. 12 वीरनसिंह के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 13 खुस्सीलाल के घर से म.न.27 पूजावाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 28 रामसिंह के घर से म.न. 40 गोरा वार्ड के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 41 महाराजसिंह के घर से म.न.61 राजेश के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 62 रहमान खां के घर से म.न.74 केरावाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 75 श्रीकिशन के घर से म.न. 95 लखनसिंह के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 96 हीरावाई के घर से म.न. 119 राधेश्याम के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 120 नवलीवाई के घर से म.न. 137 रचनावाई के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न. 138 भंगवतीवाई के घर से म.न. 156 आशा के घर तक		
		10	म.न. 157 मोतीलाल के घर से म.न. 177 लक्ष्मीवाई के घर तक		
		11	म.न. 178 धीरजसिंहके घर से म.न.191 रामकुअरवाई के घर तक		
		12	म.न.192 अमरसिंह के घर से म.न. 206 लतावाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-32 लिधोड़ा

वार्ड न. 19

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
32	लिधोड़ा	1	म.न. 1 नीतु वार्ड के घर से म.न. 16 सरोजवाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 17 लखनसिंह के घर से म.न. 37 ओमप्रकाश के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 38 धन्नू के घर से म.न. 52 जहारसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 53 केरावाई के घर से म.न. 67 जगमोहन के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 68 गोपीलाल के घर से म.न. 82 बल्लु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
		6	म.न. 83 वापु लाल के घर से म.न. 96 रामकिशनबाबु के घर तक	महिला	03
		7	म.न. 97 श्याम लाल के घर से म.न. शारदावाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	06
		8	म.न. 1 नेतराम के घर से म.न. 8 वकीलसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 9 दोलतवाई के घर से म.न. 20 रानीवाई के घर तक		
		10	म.न. 21 जानकी वाई के घर से म.न. 36 सुल्तानसिंह के घर तक		
		11	म.न. 37 जददु लाल के घर से म.न. 48 सारितावाई के घर तक		
		12	म.न. 49 रतनसिंह के घर से म.न. अंत तक गुडडी वाई के घर तक		
		13	म.न. 1 तुलसी शर्मा के घर से म.न. 13 वीरेन्द्रसिंह के घर तक		
		14	म.न. 14 इंदरसिंह के घर से म.न. 23 लीलेश के घर तक		
		15	म.न. 24 गजराज सिंह के घर से म.न. 34 नेतराम के घर तक		
		16	म.न. 35 भुजवलसिंह के घर से म.न. अंत तक कल्लु के घर तक		
		17	म.न. 1 भुरीवाई के घर से म.न. 10 गुडडी वाई के घर तक		
		18	म.न. 11 तोफानसिंह के घर से म.न. 23 कमरलाल के घर तक		
		19	म.न. 24 मायावाई के घर से म.न. अंत तक किरणवाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 33. चौड़ाखेड़ी

कुल वार्ड 17

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
33	चौड़ाखेड़ी	1	म.न.1 ओमकार के घर से म.न.19 शीलाबाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न.20 राजेश के घर से म.न.35(क) रामबाबू के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.36 रामकिशन के घर से म.न.59 मीराबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.60 कोमल के घर से बानो बी घर अंत तक	महिला अ.जा.	03
	गंगाखेड़ी	5	म.न.1 बालमुकुन्द के घर से म.न.11(ग)शादिकअली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.12 भूरा के घर से म.न.28 ममता के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.29 शिवनन्दन के घर से राधाबाई का घर अंत तक	वर्ग	03
		8	म.न.1 रईश खां के घर से आजरा हैदर का घर अंत तक	महिला सामान्य	
	मुरादपुर बीरपुर मलसीपुर	9	म.न.1 नांगाबाबा के घर से तेजबाई का घर अंत तक		
		10	म.न.1 तेजा के घर से म.न.25/2 भगवानसिंह के घर तक		
		11	म.न.26 भागवती के घर से सुनील का घर अंत तक		
		12	म.न.1 प्रेमबाई के घर से म.न.15/1 नूरमियां के घर तक		
	कमरियां	13	म.न.15/2 शाबिरमियां के घर से म.न.20 गुडडीबाई के घर तक		
		14	म.न.20/1 कमला बाई के घर से म.न.29 राजन के घर तक		
		15	म.न.30 भोगचन्द के घर से म.न.43 शबनम बी के घर तक		
		16	म.न.44 मोहर बाई के घर से म.न.57/2 लेखराज के घर तक		
		17	म.न.58 नर्मदाप्रसाद के घर से विमला बाई का घर अंत तक		
		18	म.न.1 जमना बाई के घर से निरपत का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 34. महु

कुल वार्ड 13

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
34	महु	1	म.न.1 नशरीन बी के घर से म.न.12 अनवार खां के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.13 रिहाना बी के घर से म.न.31 शाजिदा बी के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.32 रोआप खां के घर से म.न.43 रफसील बी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.44 करीम खां के घर से म.न.57 तोसीब खां के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.58 रउफ खां के घर से म.न.75 निस्वत खां के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.76 रज्जो बी के घर से सन्नो बी का घर अंत तक	महिला अन्य	02
		7	म.न.1 नन्नु लाल के घर से म.न.13 लालाराम के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न.14 बुन्देलसिंह के घर से म.न.27/1 पार्वती बाई के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.28 नारायण के घर से म.न.38 कृष्णाबाई के घर तक		
		10	म.न.39 सूरजबाई के घर से म.न.48 बेगम बी के घर तक		
		11	म.न.49 सूरजबाई के घर से म.न.56/1 फिजा खानम के घर तक		
		12	म.न.57 अनीसखां के घर से भूरी बी का घर अंत तक		
		13	म.न.1 भूरां के घर से चन्द्रमोहन का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-35 सकलोन

वार्ड न. 15

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
35	सकलोन	1	म.न. 4 महरवानसिंह के घर से म.न. 17 हलकई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 18 आशाराम के घर से म.न. 33 नारायणीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 35 रतिया के घर से म.न. 57 विशालाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 58 भुजरीबाई के घर से म.न. 67 कृष्णपाल के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 68 केराबाई के घर से म.न. 79 विशु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 81 सोनू के घर से म.न. 88 सावित्री के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 89 वैजनाथसिंह के घर से म.न. 104 पार्वती के घर तक	वर्ग	03
		8	म.न. 109 भुजवल के घर से म.न. 126 लाखन के घर तक	महिला सामान्य	—

1	2	3	4	5	6
		9	म.न. 1 कमरलाल के घर से म.न. 9ग संजय के घर तक		
		10	म.न. 1 कमर लाल के घर से म.न. 30 चंदावाई के घर तक		
		11	म.न. 30/1 लीला वाई के घर से म.न. 55/1 गुलाववाई के घर तक		
		12	म.न. 57 रामसिंह के घर से म.न. 88 सपना भारती के घर तक		
		13	म.न. 89 मिश्रतानबी के घर से म.न. 98 घासी राम के घर तक		
		14	म.न. 99 मांगीलाल के घर से म.न. 114 कालु के घर तक		
		15	म.न. 120 उमराव के घर से म.न. 131/5 जमीलाबी के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-36 मूडरावागल

वार्ड न.15

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
36	मूडरावागल	1	म.न.1 झब्बार खां के घर से म.न. 18 शोभाराम के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 19 अर्जुनसिंह के घर से म.न. 38 ज्ञानसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 39 दोला के घर से म.न. 55 शमावी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 56 हवीव शाह के घर से म.न.75 ताराबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 76 जैतुनवी के घर से म.न. 90 अलीमशाह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
	हारुखेडी	6	म.न.1 मन्नु के घर से म.न. 17 किशना के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.18 वतीबाई के घर से म.न. 29 रामबाबु के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 30 मिट्टुलाल के घर से म.न.47 रंजीतसिंह के घर तक		
		9	म.न. 48 पन्नालाल के घर से म.न. 59 निम्मा के घर तक		
उमरखेडी	10	म.न.1 हरि के घर से म.न.10 उदउभान के घर तक			
	11	म.न.11 पहलादसिंह के घर से म.न.25 सेठु के घर तक			
	12	म.न. 26 बाबु लाल के घर से म.न. 42 हिम्मतसिंह के घर तक			
	13	म.न. 1 वालीबाई के घर से म.न. 16 उर्मिलाबाई के घर तक			
आजमनगर	14	म.न. 19 हल्लु के घर से म.न. सोनमबाई के घर तक			
	15	म.न. 35 अनरतसिंह के घर से म.न. 52 विजेता के घर तक			

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 37. देहरीजागीर

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
37	देहरीजागीर	1	म.न.1 शहजाद खां के घर से म.न.8 फारुख के घर तक	अ.जा.	01
		2	म.न.9 मथुराप्रसाद के घर से म.न.25(ख) शाकिर के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.26 कुदरतअली के घर से म.न.35 संजीदा बी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.36 रईश खां के घर से म.न.49 साहिना बी के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.50 जेदुन बी के घर से म.न.58 सादमा बी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.59 अनीस खां के घर से म.न.73 जावेद खां के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.74 उल्फत शाह के घर से म.न.91 भारती सेन के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	06
		8	म.न.92 पर्वतसिंह के घर से म.न.103 सर्मिला के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.104/1सिकन्दरबी के घर से म.न.117 फूलवती के घर तक		
		10	म.न.118 प्रभूलाल के घर से म.न.139 असफाक के घर तक		
		11	म.न.140 बशीरखां के घर से म.न.155 सकील खां के घर तक		
		12	म.न.156 वहीद खां के घर से म.न.181 सन्नो बी के घर तक		
		13	म.न.182 गनीमत के घर से म.न.196/2 हामिद के घर तक		
		14	म.न.197 नौशे खां के घर से म.न.214 राशिद के घर तक		
		15	म.न.215 रहू के घर से म.न.224/2 बानो बी के घर तक		
		16	म.न.225 सकीना बी के घर से म.न.252 अफरोजा बी के घर तक		
		17	म.न.253 शोकतशाह के घर से म.न.264 संजो के घर तक		
		18	म.न.265 रहीमन के घर से म.न.275 अख्तरी बी के घर तक		
		19	म.न.276 रहीश खां के घर से म.न.282/2 अफसरी के घर तक		
		20	म.न.283 आशिक अली के घर से तवस्सुम का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-38 इकोदिया

वार्ड नं. 16

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
38	इकोदिया	1	म.न. 01 सनमानसिंह के घर से म.न. 23 सोमू रघुवंशी के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न. 24 प्राणसिंह के घर से म.न. 35 मोनु के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 36 गिरजाबाई के घर से म.न. 60 सुरेखा के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 61 सीमा के घर से म.न. 71/2 प्रतापसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 71/3 हरिसिंह के घर से म.न. 89 राजकुमारी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
	वनियाढाना	6 7 8 9 10 11	म.न. 01 शोभाबाई के घर से म.न. 14 उर्मिलाबाई के घर तक म.न. 15 कुंजीलाल के घर से म.न. 30 रामकृष्ण के घर तक म.न. 31 फेलीराम के घर से म.न. 44 चंपाबाई के घर तक म.न. 45 किशनलाल के घर से म.न. 58 दिनेश के घर तक म.न. 59 चतरसिंह के घर से म.न. 76 धमेन्द्र के घर तक म.न. 77 कच्छेदीलाल के घर से म.न. 87 अंततक के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	02 04
	कछपुरा	12 13 14 15 16	म.न. 01 बाबूलाल के घर से म.न. 10/2 लक्ष्मीबाई के घर तक म.न. 11 तोफानसिंह के घर से म.न. 37/2 गुड्डीबाई के घर तक म.न. 38 रामसिंह के घर से म.न. 57/क उशाबाई के घर तक म.न. 58 छोटेलाल के घर से म.न. 74 रघुवीर के घर तक म.न. 75 धुन्धा के घर से म.न. 217 लल्लू के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 39. विशेषपुर

कुल वार्ड 11

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
39	विशेषपुर	1	म.न.1 चंद्रमोहन के घर से म.न.20/1 ममता के घर तक	अ.जा.	07
		2	म.न.21 कलिया बाई के घर से म.न.40 रिशीकुमार के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.41 ज्ञानसिंह के घर से म.न.57/2 मुन्नी बाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	युसुफपुर	4	म.न.58 सिया बाई के घर से इरफान का घर अंत तक	महिला अ.जा.	04
		5	म.न.1 रघुबीर के घर से म.न.24 प्रहलाद के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.25 जानकी बाई के घर से म.न.62 ओमवती के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
		7	म.न.63 दरयाव के घर से म.न.86 मीरा बाई के घर तक	वर्ग	02
	कठोटिया	8	म.न.87 छतरसिंह के घर से म.न.118 उषा बाई के घर तक	महिला सामान्य	-
		9	म.न.119 मुन्नी लाल के घर से पार्वती बाई का घर अंत तक		
		10	म.न.1 मुंगो बाई के घर से म.न.16 मजहर खां के घर तक		
		11	म.न.17 मुंशीलाल के घर से सरस्वती बाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-40 परसौरा

वार्ड न. 14

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
40	परसौरा	1	म.न. 1 धन्नलाल के घर से म.न.18 भुरीबाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 19 श्यामलाल के घर से म.न.46 उमाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 47 कुंदनसिंह के घर से म.न. 78 राधाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 79 मोहरलाल के घर से म.न. 106 देवा के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 107 राधुवीरसिंह के घर से म.न. 120 नर्वदीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 121 रामकलीबाई के घर से म.न.142 रुची के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न.143 मोखमसिंह के घर से म.न.163 पिकी के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 164 लक्ष्मणसिंह के घर से म.न. अंत तक सखीबाई के घर तक	महिला सामान्य	
	आमाढाना	9	म.न. 1 मनोरमा के घर से म.न.10 संतोश के घर तक		
		10	म.न. 11 अंतु के घर से म.न.27 रुपवती के घर तक		
		11	म.न. 28 देवा के घर से म.न.अंततक वीरेन्द्र के घर तक		
	वामनखेडी	12	म.न.1 लक्ष्मणसिंह के घर से म.न.अंत तक सुनीता के घर तक		
		13	म.न. 1 प्रतापसिंह के घर से म.न.11 रिकी के घर तक		
	अहीरखेडी	14	म.न. 12 भवरलाल के घर से म.न. अंत तक मोहरसिंह के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-41 भटोली

वार्ड न. 16

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
41	भटोली	1	म.न. 1 वालाराम के घर से म.न. 20 गनेशराम के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 21 हरिराम के घर से म.न. 45 हेंमलता के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 46 भैरोलाल के घर से म.न.59 रीना के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05

1	2	3	4	5	6
		4	म.न.60 प्रयाग सिंह के घर से म.न. 71 पुना बाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 73 मिश्रीबाई के घर से म.न. 88 वीरसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.1 तब्बू लाल के घर से म.न. 23 मुन्नीबाई के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 24 हलकीबाई के घर से म.न. 31 लक्ष्मणसिंह के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 32 दोपदी वाई के घर से म.न. 43 रघुवीरदास के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 44 वालाराम के घर से म.न. 65 संगीता बाई के घर तक		
		10	म.न. 66 पुनिया वाई के घर से म.न. 79 गीतावाई के घर तक		
		11	म.न. 80 गनपत सिंह के घर से म.न. 98 भारतीवाई के घर तक		
		12	म.न. 1 ममताबाई के घर से म.न. 13 देवेन्द्र के घर तक		
		13	म.न. 14 अमरसिंह के घर से म.न. 40 प्रीति के घर तक		
		14	म.न. 41 गण्पुलाल के घर से म.न. 47/1 शिवराजसिंह के घर तक		
		15	म.न. 48 रतनबाई के घर से म.न. 57 चंद्रकलाबाई के घर तक		
		16	म.न. 1 कोमल प्रसाद के घर से म.न.12 मनोरमा के घर तक		
		17	म.न. 13 रूपसिंह के घर से म.न. 31 हीरावाई के घर तक		
		18	म.न. 32 कपुरीवाई के घर से म.न. 54 कल्याण के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 42. बगरोदा

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
42	बगरोदा	1	म.न.1 सुनीताबाई के घर से म.न.14 रमकोबाई के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न.15 कला बाई के घर से म.न.42 अमरोबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.43 वन्नेलाल के घर से म.न.56 भूरी बाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.57 सदनलाल के घर से म.न.84 रघुवीर के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न.85 प्रेम बाई के घर से म.न.103 रतनसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.104 पूरनसिंह के घर से म.न.122 रघुनाथ के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.123 गिरधारी के घर से म.न.143 अनील के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		8	म.न.142 कमर बाई के घर से म.न.153 हीराबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		9	म.न.154 रामकरणसिंह के घर से म.न.179 सोनू के घर तक	महिला सामान्य	03
		10	म.न.180 भारतसिंह के घर से म.न.195 रामू के घर तक		
		11	म.न.196 मुल्लो बाई के घर से म.न.210 नरेन्द्र के घर तक		
		12	म.न.211 पूरनसिंह के घर से म.न.230 ममताबाई के घर तक		
		13	म.न.231 गुल्ला के घर से म.न.252 भूरी बाई के घर तक		
		14	म.न.253 बटनलाल के घर से म.न.264 लालाराम के घर तक		
		15	म.न.265 देवीराम के घर से म.न.286 बुन्दोबाई के घर तक		
		16	म.न.287 हरिसिंह के घर से सुनील चंदन का घर अंत तक		
		17	म.न.1 चिन्दूलाल के घर से म.न.8 सुमन रघुवंशी के घर तक		
		18	म.न.9 धीरा के घर से विक्रम का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 43. चाठोली

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
43	चाठोली	1	म.न. 1 बनवारी के घर से म.न.22 राजकुमारी के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 23 लालसिंह के घर से म.न.37 राजकुमारी के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 38 गुडडा के घर से म.न.55 माखनसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 56 खिल्लू के घर से म.न.86 आरामबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 87/1 भैयालाल के घर से म.न.109/2 बल्लीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 110 प्रेमबाई के घर से म.न.128 बैजन्तीबाई के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 129 भूरीबाई के घर से म.न.142/5 गुडडीबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 143 सत्तारखा के घर से म.न.165 नाजरीन के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 166 चन्दूखा के घर से म.न.176 शबनमबी के घर तक		
		10	म.न. 177 शरीफखा के घर से म.न.181/2(झ) तम्बो के घर तक		
		11	म.न. 182 सागरमल के घर से म.न.201 लक्ष्मीबाई के घर तक		
		12	म.न. 202 आशाराम के घर से म.न.212(ग) राहुलसिंह के घर तक		
		13	म.न. 213 गुडडीबाई के घर से म.न.227 अफसानाबी के घर तक		
		14	म.न. 228 अशोक के घर से म.न.245/3 किशन के घर तक		
		15	म.न. 246 हरिराम के घर से म.न.270/3 क्षमाबाई के घर तक		
		16	म.न. 271 श्रीबाई के घर से म.न.287(क) संजीवदास के घर तक		
		17	म.न. 288 मौजीलाल के घर से म.न.301(क) हिम्मत के घर तक		
		18	म.न. 302 हल्का के घर से म.न.317 गुडियाबाई के घर तक		
		19	म.न. 2 दरयावसिंह के घर से म.न. 35 बुन्दोबाई के घर तक		
		20	म.न. 36 भंमरीबाई के घर से म.न.58 मुन्नीबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत :- 44. कर्राखेडी

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
44	कर्राखेडी	1	म.नं. 1 मोहनसिंह के घर से म.न.14 राजकुमारी के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.नं. 15 सीताराम के घर से म.न. 31/3 श्यामसुंदर के घर तक	अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
		3	म.नं. 32 प्रेमवाई के घर से म.न. 39 गुमानसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा	05
		4	म.नं. 40 हुलास के घर से म.न. 47 आकाश के घर तक	वर्ग	02
		5	म.नं. 48 इस्माइल के घर से म.न. 58 सवीनावी के घर तक	महिला अ.जा.	—
		6	म.नं. 59 अजीवनवी के घर से म.न. 75 रजनीवाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	03
		7	म.नं. 76 धन्नालाल के घर से म.न. 87 हीरावाई के घर तक	महिला अन्य	
		8	म.नं. 88/1 धनोवाई के घर से म.न. 95 बाबूलाल के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		9	म.नं. 96 करनसिंह के घर से म.न. 127 रामेश्वर के घर तक	महिला सामान्य	
		10	म.नं. 128 कन्हैयालाल के घर से म.न. 159 हरीसिंह के घर तक		
	ग्राम बमूलियाउ दा	11	म.नं. 1 कमलेश के घर से म.न. 19 कमलसिंह के घर तक		
		12	म.नं. 20 हरीसिंह के घर से म.न. 32 अर्जुन के घर तक		
		13	म.नं. 33 कमरसिंह के घर से म.न. 42 शैतान के घर तक		
		14	म.नं. 43 हरीसिंह के घर से म.न. 51/1 अनुरुद के घर तक		
		15	म.नं. 51/2 श्रीराम के घर से म.न. 52/2 मनोहर के घर तक		
		16	म.नं. 53 सीताराम के घर से म.न. 93 कल्याण के घर तक		
		17	म.नं. 94 वाबूलाल के घर से म.न. 134 रुपेश के घर तक		
	ग्राम बरखेडा केदार	18	म.नं. 1 सिरनाम के घर से म.न. 20 ग्यारसा के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरौंज

पंचायत:-45 पामाखेडी

वार्ड न. 15

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
45	पामाखेडी	1	म.न. 1 भवरलाल के घर से म.न. 20 प्रीती वाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 21 नारायणरदास के घर से म.न. 36 सुष्मा के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 37 जतावाई के घर से म.न. 48 पूनम केवट के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 49 गोपीलाल के घर से म.न. 61 प्रीती बाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 62 गजरोबाई के घर से म.न. 71 भागवती वाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 72 बाबूलाल के घर से म.न. 82 पूजाबाई के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 83 मोतीलाल के घर से म.न. 95 अमनीवाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	05
		8	म.न. 95/1 वाबूलाल के घर से म.न. 112 गोविन्द के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 113 ओरनसिंह के घर से म.न. 137 पिस्तावाई के घर तक		
		10	म.न. 138 सुरज बाई के घर से म.न. अंत तक विमलेशवाई के घर तक		
		11	म.न. 1 दुर्गा प्रसाद के घर से म.न. 20/1 भुरीवाई के घर तक		
		12	म.न. 20/2 लक्ष्मणसिंह के घर से म.न. 29/2 सिलोक्षनावईके घर तक		
		13	म.न. 29/3 वतेसीलाल के घर से म.न. 32 मोकम के घर तक		
		14	म.न. 33/1 धन्नालाल के घर से म.न. 43 गायत्रीबाई के घर तक		
		15	म.न. 44 रामनारायण के घर से म.न. अंत तक ममतावाई के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरौंज

पंचायत:-46 कांजीखेडी

वार्ड न. 18

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
46	कांजीखेडी	1	म.न. 1 अमानखां के घर से म.न. 8 हसीनबी के घर तक	अ.जा.	07
		2	म.न. 9 छमनबी के घर से म.न.18 अशोक के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 19 पानबाई के घर से म.न.35 फुलबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 36 निरपतसिंह के घर से म.न.46 कंचनबाई के घर तक	महिला अ.जा.	04
		5	म.न. 47 मांगीलाल के घर से म.न.52 शादीमाबी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 53 सफीउल्लाह खां के घर से म.न.61 जुवेरखांके घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न.62 जुवेदाबी के घर से म.न.76 रुपसिंह के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न.77 डोजीलाल के घर से म.न. 92 सुरेश के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 93 कलाबाई के घर से म.न.अंत तक कमरमियां के घर तक		
	करीमावाद	10	म.न.1हरीप्रसाद के घर से म.न. 20 फुलचंद के घर तक		
		11	म.न. 21 रामकिशन के घर से म.न.40/2 सरोजकुमारी के घर तक		
		12	म.न.41 कोमल के घर से म.न.अंत तक दिवया यादव के घर तक		
	वरेडा	13	म.न. 1 मेवाबाई के घर से म.न.24 राजकुमारी के घर तक		
		14	म.न.25 तुलसीराम के घर से म.न.39/2 गिरिजावाई के घर तक		
		15	म.न.40 तोफानसिंह के घर से म.न. 48 अभिताफ के घर तक		
		16	म.न. 49 अजहरअली के घर से म.न. 19 धनराज के घर तक		
		17	म.न.20 मानकुअरवाई के घर से म.न. अततक समीना वी के घर तक		
	कल्याणपुर	18	म.न. 1 गेंदाबाई के घर से म.न. अंत तक धनराज के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ — दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ — 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 47. धानोदा

कुल वार्ड 14

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
47	धानोदा समदपुर(मंझरा)	1	म.न.1 हल्कीयाँ के घर से म.न.13/3 रचनाबाई के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न.14 उमेश के घर से म.न.31/3 रामस्वरूप के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.32 रत्ना के घर से म.न.45 ममताबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.46 रामरतन के घर से म.न.71 ममता बाई के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.72 मीरा बाई के घर से म.न.99 फरीदा बी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.99/1 परता के घर से म.न.113 सर्मिलागार के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.114 लीलाबाई के घर से म.न.124/4शमसुखी के घर तक	वर्ग	03
		8	म.न.125 मेहरवान के घर से म.न.135 उमाबाई के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.136 कल्लू के घर से म.न.155 गन्नु के घर तक		
		10	म.न.156 दोलीबाई के घर से म.न.175/2गुरथीबाई के घर तक		
		11	म.न.176 पूरन के घर से म.न.191/3 रामेती के घर तक		
		12	म.न.191/4 बुद्धलाल के घर से म.न.203/1 कृष्णा के घर तक		
		13	म.न.203/2 रूपनाशयण के घर से म.न.211/3 नवलसिंह के घर तक		
		14	म.न.211/4 खुशाल के घर से कैलाश का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ — दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ — 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 48. कचनारिया

कुल वार्ड 12

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
48	कचनारिया नारायणपुर लालाटोरी मजीदपुर	1	म.न.1 मोहनबाई के घर से म.न.16 सरजूबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.17 कुवरलाल के घर से म.न.36 महेश के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.37 जवाहर के घर से म.न.48 महेन्द्र के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न.49 पार्वती बाई के घर से म.न.61 ममताबाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.62 मीनाबाई के घर से निरपतसिंह का घर अंत तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.1 जसवंतसिंह के घर से म.न.12 अरविन्द के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.13 मोहरबाई के घर से म.न.22 भूरा के घर तक	वर्ग	03
		8	म.न.23 मांगीलाल के घर से म.न.28 भूरा के घर तक	महिला सामान्य	—
		9	म.न.29 कल्याण के घर से रूबीना का घर अंत तक		
		10	म.न.1 रेखा के घर से म.न.19 भगवान के घर तक		
		11	म.न.20 इमरत के घर से मधुर का घर अंत तक		
		12	म.न.1 कल्याणसिंह के घर से दुर्योधन का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 49. कादरपुर

कुल वार्ड 16

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
49	कादरपुर हसनपुर मुबारिकपुर अहमदाबाद खिल्ली	1	म.न.1 गंगासिंह के घर से म.न.16 संतोशसिंह के घर तक	अ.जा.	07
		2	म.न.17 मिश्रीलाल के घर से म.न.32 अनवरउद्दीन के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.33 अययूबखां के घर से म.न.49 चंदा के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.50 अनवारखां के घर से निधि जैन का घर अंत तक	महिला अ.जा.	04
		5	म.न.1 रघुवर के घर से म.न.20(क) संजीता के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.21रामनारायण के घर से म.न.44/2 फूलबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.1 अमजदखां के घर से म.न.13 मुवीन के घर तक	वर्ग	02
		8	म.न.14 लडडोबी के घर से म.न.23 गुलशन के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.24 मोतीलाल के घर से म.न.36 नर्मदीबाई के घर तक		
		10	म.न.1 सबोदरा बाई के घर से म.न.15 उत्तरा के घर तक		
		11	म.न.16/1 पृथ्वीसिंह के घर से म.न.27 रामरति के घर तक		
		12	म.न.28/1 पन्नालाल के घर से म.न.43 सुदामाबाई के घर तक		
		13	म.न.44 कमरखां के घर से म.न.55 रीनाबाई के घर तक		
		14	म.न.57 जुगरोबाई के घर से म.न.75/1विन्नोबाई के घर तक		
		15	म.न.76 भूरीबाई के घर से म.न.90 राजकुमारी के घर तक		
		16	म.न.91 अनंतसिंह के घर से लक्ष्मीबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-50 खोदूपुर

वार्ड न 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
50	खोदूपुर	1	म.न.1 जयनारायण के घर से म.न. 17 रामकोबाई के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न. 18 नारायणसिंह के घर से म.न. 35 प्रीतीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 36 मथरालाल के घर से म.न. 52 मीना बाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 53 घासीराम के घर से म.न. 67 बंदीप्रसादके घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 68 भमरीबाइ के घर से म.न. अंत तक सविताबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
	महुआखेडा विल्लोची	6 7 8	म.न. 1 राजवाई के घर से म.न. 22 पूशेन्द्र के घर तक म.न. 23 गुलाब बाई के घर से म.न. 36 उजमा के घर तक म.न. 37 कन्हैयालाल के घर से म.न. अंत तक लखनसिंह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	02 02
	रामनगर	9 10	म.न. 1 वीरसिंह के घर से म.न. 13 रुकोवाई के घर तक म.न. 14 उमेदी के घर से म.न. अंत तक कुंजाबाई के घर तक		
	ताहिरपुर	11 12	म.न. 1 तोफानसिंह के घर से म.न. 10 शिवराज के घर तक म.न. 11 गनेशराम के घर से म.न. अंत तक जितेन्द्र के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरौंज

पंचायत:-51 कोरवासा

वार्ड नं. 13

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
51	कोरवासा	1	म.न. 1 टीकाराम के घर से म.न. 12 मकसुद खां के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 13 चांदमियां के घर से म.न. 24 निराले मियां के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 25 मोहरबाई के घर से म.न. 40 राकेश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 41 भैयालाल के घर से म.न. 57 राशिदाबी के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 58 बिबो बी के घर से म.न. 72 लेखराज के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 73 सिरनामसिंह के घर से म.न. 85 रामबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 86 चरणसिंह के घर से म.न. 98 अकबर खां के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 99 इमरतखां के घर से म.न. 113 लाखनसिंह के घर तक		
		9	म.न. 114 गुलाम मों. के घर से म.न. 124 प्रीती के घर तक		
		10	म.न. 125 प्रताफसिंह के घर से म.न. 140 उर्मिलाबाई के घर तक		
		11	म.न. 1 भमरीबाई के घर से म.न. 6 लेखराज के घर तक		
		12	म.न. 7 धन्नालाल के घर से म.न. 14 सविता के घर तक		
		13	म.न. 15 बबू के घर से म.न. रजनीवाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-52 भौरिया

वार्ड न. 19

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
52	भौरिया	1	म.न. 1 कल्याणसिंह के घर से म.न.21 बीनावी के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न.22 प्रातापसिंह के घर से म.न.32/2 गीताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 33/3 मुन्नी के घर से म.न. 54 ब्रजमोहन के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.55 मुन्नीबाई के घर से म.न. 83 गिरिजाशंकर के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 84 मेहरवान के घर से म.न. 109 बलराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.110 कल्लु के घर से म.न. 136 रुपनारायण के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 137 राजाराम के घर से म.न.151 द्रोपती के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 152 प्रेमबाई के घर से म.न. 174 राजकुमरीबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 175 सोमसिंह के घर से म.न. 197 अनीता के घर तक		
		10	म.न.198 कुअरलाल के घर से म.न. 214/2 रामरतीबाई के घर तक		
		11	म.न. 214/2 मिठटू लाल के घर से म.न. 245 शब्बीबी के घर तक		
		12	म.न. 246 गफूर, खां के घर से म.न. अंत तक गौपीलाल के घर तक		
किशनपुर	किशनपुर	13	म.न.1 बहादुरसिंह के घर से म.न.14 पिस्ताबाई के घर तक		
		14	म.न. 15 रामगोपाल के घर से म.न. 27 रवि वावु के घर तक		
		15	म.न. 28 रुसतम के घर से म.न. 47 जीवन के घर तक		
		16	म.न. 48 रतनसिंह के घर से म.न.अंत तक धनराज के घर तक		
सिददीपुर	सिददीपुर	17	म.न. 1 रतनलाल के घर से म.न. 23 शमीला के घर तक		
		18	म.न. 24 सखीबाई के घर से म.न. 41 विशू के घर तक		
		19	म.न.42 दोलतराम. के घर से म.न. अंत तक गुडडी बाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-53 भियांखेडी

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
53	भियांखेडी	1	म.न.1 रमेश के घर से म.न.19 सुंदरबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 20 मोतीलाल के घर से म.न.39 असरफीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 40 श्रीकिशन के घर से म.न. 57 अनीशाखां के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03

1	2	3	4	5	6
		4	म.न.58 छुट्टा के घर से म.न. अंत तक गिरिजावाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 1 चिरौंजी लाल के घर से म.न. 15 वर्षावाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 16 रामचरण के घर से म.न.29 रामदुलारी के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 30 कोमलसिंह के घर से म.न. 42 लल्लु के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न. 43 सिन्नामबाई के घर से म.न. अंत तक अजमेरसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 1 सुनीता के घर से म.न. 23 रुपवती के घर तक		
		10	म.न. 24 जनवीरसिंह के घर से म.न. अंत तक भुरीवाई के घर तक		
		11	म.न. 1 मंगलसिंह के घर से म.न.11 मनीशाबाई के घर तक		
		12	म.न. 12 मीराबाई के घर से म.न. अंत तक वन्नोवी के घर तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरौंज

ग्राम पंचायत :- 54. सरेखो

कुल वार्ड 13

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
54	सरेखो	1	म.न.1 भैयालाल के घर से म.न.13/4 साधना के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.14 गजानन्द के घर से म.न.29 अनीता के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.30 सम्मोबाई के घर से म.न.47 मिथलेशबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.48 रामकिशन के घर से राधा का घर अंत तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.1 कल्याणसिंह के घर से म.न.21 मोहनसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.22 प्राणसिंह के घर से म.न.34 जीवन के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.35 सुखलाल के घर से म.न.49 रामसखी के घर तक	वर्ग	03
		8	म.न.50 पुनिया बाई के घर से म.न.65 राधाबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.66 नीमाबाई के घर से कोमलबाई का घर अंत तक		
		10	म.न.1 लक्ष्मणसिंह के घर से म.न.10 बृजेश के घर तक		
		11	म.न.11 मानाबाई के घर से म.न.26कालिबाई के घर तक		
		12	म.न.27 अंतराम के घर से म.न.45 बालीबाई के घर तक		
		13	म.न.46 कलियाबाई के घर से रूवीना बी का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-55 बांसखेडी गूगल

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
55	बांसखेडी गूगल	1	म.न. 1 प्रेमनारायण के घर से म.न. 15 रीतेंस के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 16 प्रकाश के घर से म.न. 30 मुन्नीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 31 कल्लुसिंह के घर से म.न. 41 हरिओम के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न. 42 रहीस खां के घर से म.न. 61 रिजवाना के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 62 मुनब्वर के घर से म.न. 76 सूखवती वाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.77 बबूआ के घर से म.न. 96 सूनीताबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 97 प्रेनसिंह के घर से म.न. 116 रियानाबी के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न. 117 आजाद खां के घर से म.न. 131 वासू के घर तक		
		9	म.न. 132 बजैनाथ के घर से म.न. 143 सीताबाई के घर तक		
		10	म.न. 144 वसिया के घर से म.न. 159 सवीताबाई के घर तक		
		11	म.न. 160 लालाराम के घर से म.न. 170 तुरसिया के घर तक		
		12	म.न. 171 मन्ना के घर से म.न. अंत तक जस्माबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 56. संतोषपुर

कुल वार्ड 11

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
56	संतोषपुर	1	म.न.1 विहारी के घर से म.न.13 पूनम के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न.14 पन्नालाल के घर से म.न.35 सुनीता के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न.36 रामश्री के घर से म.न.50 मुन्नीबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	—
		4	म.न.51 गयाजीत के घर से म.न.69 राजकुमारी के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न.70 घमंघी के घर से म.न.73 विजयसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न.74 मिश्रीलाल के घर से म.न.86 बतोबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	—
		7	म.न.87 छुट्टूलाल के घर से भौराबाई का घर अंत तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न.1 हरिराम के घर से म.न.12 राजेन्द्रसिंह के घर तक		
		9	म.न.13 पन्नालाल के घर से म.न.24 संजीव के घर तक		
		10	म.न.25 तोफानसिंह के घर से म.न.47 मिन्टीबाई के घर तक		
		11	म.न.48 चिरौंजीलाल के घर से नोसिन बानो का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-57 मुगलसराय

वार्ड न. 19

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
57	मुगलसराय	1	म.न. 1 रतनलाल के घर से म.न.21 परवीन के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न. 22 मुवीना वी के घर से म.न.36 अमीना वी के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.नं. 37 बूटाबी के घर से म.न. 44 वाहद के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 45 मोहम्मद सईद के घर से म.न.61 असलम के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 62 हुस्सी खां के घर से म.न.78 फेजान के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 79 मो. आविद के घर से म.न. 91 विनीता के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 92 अब्दुल सलीम के घर से म.न 103 किरण के घर तक	पिछड़ा वर्ग	05
		8	म.न. 104 कमरलाल के घर से म.न. 130 विमलेश के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 131 संगीता के घर से म.न. 141 कमरवेग के घर तक		
		10	म.न. 142 जुलेखा के घर से म.न.156 समरीन के घर तक		
		11	म.न. 157 मुवीन के घर से म.न. 175 प्रीतम के घर तक		
		12	म.न. 176 मानसिंह के घर से म.न. 191 सुशीला के घर तक		
		13	म.नं. 192 जलाल के घर से म.न. 210 अनीता के घर तक		
		14	म.न. 211 रश्मि के घर से म.न. 222 चेतन के घर तक		
		15	म.न.223 राजेश रजक के घर से म.न. 240सोनू कुमारके घर तक		
		16	म.न. 241 रामचरण के घर से म.न. अंत तक के घर तक		
		17	म.न. 1 विजय सिंह के घर से म.न. 14 रामवती के घर तक		
		18	म.न. 15 तुलसी राम के घर से म.न. 25 राजकुमार के घर तक		
		19	म.न. 26 गुमानसिंह के घर से म.न. अंततक राजेंद्रसिंहके घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-58 पैकोली

वार्ड न. 19

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
58	पैकोली	1	म.न. 1 आशावाई के घर से म.न. 16 राजवाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 18 पर्वतसिंह के घर से म.न. 26 अजयकुमार के घर तक	अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
		3	म.न. 29 धनवाई के घर से म.न. 37ख लेखराज के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.38 मोहरसिंह के घर से म.न. 49ख सुगनावई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 50 पहलवानसिंह के घर से म.न. 61राजमनी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 62 वावुलाल के घर से म.न. 79 ववलू के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा	03
		7	म.न. 80 वृन्दावन के घर से म.न. 94 गनेशवाई के घर तक	वर्ग	06
		8	म.न. 95 पूरनसिंह के घर से म.न. 108 बलवीरसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 1/2 वलीराम के घर से म.न. 5/3 वल्लु के घर तक		
		10	म.न. 8 प्रथी सिंह के घर से म.न. 13 वैवेन्द्र के घर तक		
		11	म.न. 16 मेंवावाई के घर से म.न. 28 जितेंद्र के घर तक		
		12	म.न. 1 लालसाहव के घर से म.न. 17/5 भुरी वाई के घर तक		
		13	म.न. 18/1 भगवानसिंह के घर से म.न. 29 संजीव कुमार के घर तक		
		14	म.न. 32 दतारी के घर से म.न. 54 रमलेखवाई के घर तक		
		15	म.न. 56/2 मानसिंह के घर से म.न. 72 बुदियावाई के घर तक		
		16	म.न. 73/1 सुंदरवाई के घर से म.न. 91 नेतराम के घर तक		
		17	म.न. 1 दंगलसिंह के घर से म.न. 8 सुनीतावाई के घर तक		
		18	म.न. 9 कमलसिंह के घर से म.न. 24 वीरनसिंह के घर तक		
		19	म.न. 1/1 गोविंदसिंह के घर से म.न. 4/1 सुनीतावाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-58 अमीरगढ़

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
59	अमीरगढ़	1	म.न. 1 वटनवाई के घर से म.न. 12 ब्रम्हावाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 13 गुडियावाई के घर से म.न. 23 राजू के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 24 मेवावाई के घर से म.न. 30 राजकुमारी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 31 देशराज के घर से म.न. 51 भोलेराम के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 52 समसूदीन खां के घर से म.न. 62 आशावाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 63 लक्ष्मण के घर से म.न. 71 लल्लु के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 72 प्रेमवाई के घर से म.न. 85 कप्तान सिंह के घर तक	पिछड़ा वर्ग	06
		8	म.न. 86 शंकरसिंह के घर से म.न. 92 सुरेश के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 93 मोबतसिंह के घर से म.न. 100 शशीवाई के घर तक		
		10	म.न. 101 राजधर के घर से म.न. 113 हल्कीवाई के घर तक		
		11	म.न. 114 सिरनामसिंह के घर से म.न. 118 रुकमणीवाई के घर तक		
		12	म.न. 119 रामरतिवाई के घर से म.न. 138 हेमावाई के घर तक		
		13	म.न. 139 भीमा के घर से म.न. 155 मीरावाई के घर तक		
		14	म.न. 156 कल्लु के घर से म.न. 167 राजीवाई के घर तक		
		15	म.न. 168 नवलसिंह के घर से म.न. 190 भवरलाल के घर तक		
		16	म.न. 191 दल्ला के घर से म.न. 200 हेमराज के घर तक		
		17	म.न. 201 कमरवाई के घर से म.न. 205 राजीवाई के घर तक		
		18	म.न. 206 भगवानसिंह के घर से म.न. 209 कामतावाई के घर तक		
		19	म.न. 210 कोमलवाई के घर से म.न. 215 रेखावाई के घर तक		
		20	म.न. 216 दिमानसिंह के घर से म.न. 224 मानवाई अंत तक के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-60 गरैठा

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
60	गरैठा	1	म.न. 1 धर्मद्व के घर से म.न.27 गीताबाई के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 28 भोगचंद के घर से म.न.46 सविता के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 47 तोफानसिंह के घर से म.न. 58 रीतेस के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 59 रामदास के घर से म.न. 72 अजयसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 73 सतपालसिंह के घर से म.न. 80 रेनु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 81 गुमानसिंह के घर से म.न. 99 वीरन के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 100 खातुन के घर से म.न.119 मुन्नीबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 120 बंशीलाल के घर से म.न. 144 सुंनीता के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.145 होतमसिंह के घर से म.न. 157 पवन के घर तक		
		10	म.न. 158 लालाराम के घर से म.न. 173 गोराबाई के घर तक		
		11	म.न. 174 होतमसिंह के घर से म.न. 191 ज्योति के घर तक		
		12	म.न.192 भुरीबाई के घर से म.न. 210 मुन्नीबाई के घर तक		
		13	म.न. 211 सितारावी के घर से म.न. 227 पहलवान के घर तक		
		14	म.न.228 कलाबाई के घर से म.न. 249 नसरुददीन के घर तक		
		15	म.न. 250 कल्लोबी के घर से म.न. 267 सितारावी के घर तक		
		16	म.न.268 घासीराम के घर से म.न. 282 अनीता के घर तक		
		17	म.न. 283 दोलत के घर से म.न. 304 रानीबाई के घर तक		
		18	म.न. 305 रामबाई के घर से म.न. 321 शीलाबाई के घर तक		
		19	म.न. 322 चिंदू के घर से म.न. 353 राजू के घर तक		
		20	म.न.354 राधेश्याम के घर से म.न.अंत तक जरीनाबी के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-61 पारधा

वार्ड न. 18

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
61	पारधा	1	म.न. 1 रानीबाई के घर से म.न. 19 नवलसिंह के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 20 राजधर के घर से म.न. 34 राधारमन के घर तक	अ.ज.जा.	—

1	2	3	4	5	6
		3	म.न. 35 मुन्ना लाल के घर से म.न. 52/1 मुन्नीवाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 53 गजराज के घर से म.न. 61/2 मोहन के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 62/1 महेन्द्रसिंह के घर से म.न. 72/2 नेतरामके घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 78 गधरवसिंह के घर से म.न. 85 वशा के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा	03
		7	म.न. 87/1 गुडडीवाई के घर से म.न. 99/1 कृष्णावाई के घर तक	वर्ग	05
		8	म.न. 100/1 अंसुइया वाई के घर से म.न. 109 प्रवीन के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 110 रामसिंह के घर से म.न. 130 चंद्रेश के घर तक		
		10	म.न. 131 कोमल के घर से म.न. 147 रामकृष्ण के घर तक		
		11	म.न. 148 निरपतसिंह के घर से म.न. 159 सोनू के घर तक		
		12	म.न. 160 लालीवाई के घर से म.न. 172/1 शीलावाई के घर तक		
		13	म.न. 175 कल्लु के घर से म.न. 184/1 कमलावाई के घर तक		
		14	म.न. 1 हलकाई के घर से म.न. 8 लाला के घर तक		
		15	म.न. 9 मानावाई के घर से म.न. 20 खुरशीदावी के घर तक		
		16	म.न. 21 हमीरा के घर से म.न. 29विमलेश के घर तक		
		17	म.न. 30 पप्पु के घर से म.न. 42 देवीसिंह के घर तक		
		18	म.न. 43 उजागरसिंह के घर से म.न. 55 कमलेश के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-62 ललितपुर

वार्ड न. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
62	ललितपुर	1	म.न.1 विक्रमजीत के घर से म.न.12 रानु के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न.13 सम्पतबाई के घर से म.न. 27 सुमेरसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 28 अमरसिंह के घर से म.न. 57 गुडडीबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 58 जोदनसिंह के घर से म.न.69 प्रियंका के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न. 70 कुंदनवाई के घर से म.न. 92 सेवाराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.93 रमेशसिंह के घर से म.न. 114 रानीबाई के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न.115 विनाबाई के घर से म.न. अंत तक सोनम के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
वरखेडा नागन		8	म.न.1भमरदास के घर से म.न. 14 गुडडीबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 15 भोला के घर से म.न. 27 अरविन्द के घर तक		
		10	म.न. 28 राजधरसिंह के घर से म.न. 35 गुडडीबाई के घर तक		
		11	म.न.36 कमान के घर से म.न.43 सुफवती के घर तक		
		12	म.न.44 बाबूलाल के घर से म.न. 49 तिलकसिंह के घर तक		
		13	म.न.50 कुसुमबाई के घर से म.न. अंत तक राजनेता के घर तक		
करेरामदागन		14	म.न. 1 शांतिबाई के घर से म.न. अंत तक रुपवती बाई के घर तक		
तहवरिया		15	म.न.1 बलराम के घर से म.न. अंत तक सुनीलकुमार के घर तक		
हिनीतिया		16	म.न. 1 कृष्णभान के घर से म.न.11 शेरसिंह के घर तक		
		17	म.न. 12 देशराजसिंह के घर से म.न. 22 प्रेमबाई के घर तक		
		18	म.न. 23 जसरथसिंह के घर से म.न. 28 फूलवती के घर तक		
		19	म.न.29 मीराबाई के घर से म.न.46 रामलेश के घर तक		
		20	म.न.47 रामनारायण के घर से म.न. अंत तक वीरभान के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 63. बमोरीशाला.

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
63	बमोरीशाला	1	म.न.1 विश्रामबाई के घर से म.न.22/4 राजकुंवर के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.23 गोविन्द के घर से म.न.47 मूलचन्द्र के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.48 दौलतराम के घर से म.न.73 परबीनबी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.74 सकीनाबी के घर से म.न.106 पूजा के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.107 प्रेमबाई के घर से म.न.148 शीलाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.149 राजमल के घर से म.न.177 सुलोचना के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.178 हनीफ खां के घर से म.न.219 बलराम के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न.220 कोमलसिंह के घर से म.न.239 रिकी के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.240 गोपीबाई के घर से म.न.264 गुडडीबाई के घर तक		
		10	म.न.265 कल्लू के घर से म.न.288 अर्चना के घर तक		
		11	म.न.289 कृष्णाबाई के घर से म.न.316 भूरीबाई के घर तक		
		12	म.न.317 जगन्नाथ के घर से म.न.355/2 सोनू के घर तक		
		13	म.न.356 छुट्टूखां के घर से म.न.399 शहनाजबी के घर तक		
		14	म.न.400 बादशाहखां के घर से म.न.436रानी के घर तक		
		15	म.न.437 नफीसाबाई के घर से म.न.474 शफीकाबी के घर तक		
		16	म.न.475 हैदरखां के घर से म.न.501 फूलबाई के घर तक		
		17	म.न.502 मुन्ना के घर से म.न.536 राजकुमार के घर तक		
		18	म.न.537 मानबाई के घर से म.न.571 मनोज के घर तक		
		19	म.न.572 हिर्देश के घर से म.न.597 उमा के घर तक		
	20	फरीदपुर	म.न.598 अनीशाखां के घर विश्णुप्रसाद का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-64 सालपुरकलां

वार्ड नं. 18

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
64	सालपुरकलां	1	म.न. 1 गनेशा के घर से म.न. 16 मलखान के घर तक	अ.जा.	07
		2	म.न. 17 बतीबाई के घर से म.न. 30 सुनीता के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 31 घासी राम के घर से म.न. 47 सोनमसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05

1	2	3	4	5	6
		4	म.न. 48 गंगाराम के घर से म.न. 69 अन्नोबाई के घर तक	महिला अ.जा.	04
		5	म.न. 72 कपुरी बाई के घर से म.न.80 चंद्रवतीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 81 अवध नारायण के घर से म.न.96 दीपक के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 97 धन्नोबाई के घर से म.न. 2727 निशारा बी के घर तक	महिला सामान्य	02
		8	म.न. 1 रवि कुमार के घर से म.न. 20फुलबाई के घर तक		
		9	म.न. 21 जगन्नाथ के घर से म.न.36/2 संतोश के घर तक		
		10	म.न. 38 प्रभुलाल के घर से म.न. 55 शिवनारायण के घर तक		
		11	म.न. 56 हमीरसिंह के घर से म.न. 83 नीतू के घर तक		
		12	म.न.84 प्यारेलाल के घर से म.न. 113 गोविंद सिंह के घर तक		
		13	म.न.114 नोनितराम के घर से म.न. 147 करतारसिंह के घर तक		
		14	म.न.148 अमानसिंह के घर से म.न. 165 भुजवल के घर तक		
		15	म.न.166 महाराजसिंह के घर से म.न. 198 कैलाश के घर तक		
		16	म.न. 1 राजकुअर बाई के घर से म.न.17 राजकुमार के घर तक		
		17	म.न. 19 प्राणचंद के घर से म.न. 33 राजकुमारी के घर तक		
		18	म.न. 34 मानसिंह के घर से म.न.46 लेखराज के घर तक		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-65 करैयाहाट

वार्ड न. 18

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
65	करैयाहाट	1	म.न.1 आकांक्षा के घर से म.न. 19 पानबाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न. 20 सीमाबाई के घर से म.न. 35 रामदेवी के घर तक	अ.ज.जा.	04
		3	म.न. 36 पार्वती के घर से म.न. 48 राजेश कुमार के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 49 देवीचरण के घर से म.न. 55/1 प्रशांत बाबू के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 56 केसरबाई के घर से म.न. 62/1 अंशुल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	02
		6	म.न. 63 जयराम के घर से म.न. 85/1 राहुल के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 86 निहालसिंह के घर से म.न. 102 कलाबाई के घर तक	महिला सामान्य	01
		8	म.न. 103 मुमताज खां के घर से म.न.115 अनुराधा के घर तक		
		9	म.न. 121 कमलाबाई के घर से म.न.130 सरजूबाई के घर तक		
		10	म.न. 131 ग्याबाई के घर से म.न.145 जितेंद्र के घर तक		
		11	म.न. 146 नरेन्द्र के घर से म.न. 153/1 नीतू के घर तक		
		12	म.न. 154 कमलाबाई के घर से म.न. 169 संजीव के घर तक		
		13	म.न.170 ग्याप्रसाद के घर से म.न.182 ज्योति के घर तक		
		14	म.न. 183 वैजनाथसिंह के घर से म.न. 200/1 लालू के घर तक		
		15	म.न. 201 रामानंद के घर से म.न. 217 तुलसीराम के घर तक		
		16	म.न. 218 हीरबाई के घर से म.न. 231 चमेलीबाई के घर तक		
		17	म.न. 232 अमरु के घर से म.न.247 सट्टीबाई के घर तक		
		18	म.न. 248 हीराबाई के घर से म.न. 266 अतं तक पानबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 66. रिनिया

कुल वार्ड 11

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
66	रिनिया खूबपुरा रूसल्लीहाट	1	म.न.3 हरनामसिंह के घर से म.न.8 प्रार्थना के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न.9 सुनील के घर से म.न.22 सवीताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.23 श्यामलाल के घर से म.न.43 मीनू के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		4	म.न.44 इमरतसिंह के घर से म.न.60 अंशुल के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.61 जतनबाई के घर से म.न.75/2 राजकुमारी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.86/1 सीताराम के घर से म.न.100 रानी के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.101 पुत्रीबाई के घर से लक्ष्मीबाई का घर अंत तक	महिला सामान्य	02
		8	म.न.2 शिशुपाल के घर से म.न.11 मुकेश के घर तक		
		9	म.न.12 भावसिंह के घर से सोनी बाई का घर अंत तक		
		10	म.न.2 धारूसिंह के घर से म.न.14 कलाबाई का घर अंत तक		
		11	म.न.15 शाहिदखा के घर से इशाक अली का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:- 67 प्याराखेडी

वार्ड न. 16

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
67	प्याराखेडी	1	म.न. 1 जानकीप्रसाद के घर से म.न.13 लीलाबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.14 बाबुखा के घर से म.न.41 लीलीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 42 खिल्लु के घर से म.न.54 जगदीश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 55 चिमनलाल के घर से म.न.77 रुपेश के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 78 भगवानसिंह के घर से म.न. 99 बलराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न. 100 गोमतीबाई के घर से म.न.109 सपनाबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 110 सम्पतबाई के घर से म.न. 130 शिवराज के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न. 131 रामकिशन के घर से म.न.141 अभीलाशा के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.142 इमरतसिंह के घर से म.न. 154 शवमन के घर तक		

1	2	3	4	5	6
		10	म.न. 155 जुगलकिशोर के घर से म.न.167 सुशीलाबाई के घर तक		
		11	म.न. 168 अहमद शाह के घर से म.न. 187 सोनू के घर तक		
	हुल्लाखेडी (दुलाखेडी)	12	म.न. 188 उवेद खां के घर से म.न. 202 छोटु के घर तक		
		13	म.न. 206 इमरतसिंह के घर से म.न. अततक फैनस वी के घर तक		
	वामनखेडी कुलुआखेडी नोआवाद	14	म.न. 1 हीरालाल के घर से म.न.15 नदीमखां के घर तक		
		15	म.न. 16 सुलतान सिंह के घर से म.न. 27 समीर खां के घर तक		
		16	म.न. 28 जावेद खां के घर से म.न.अत तक निशा के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 68. जगथर

कुल वार्ड 16

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
68	जगथर	1	म.न.1 श्रीदास के घर से म.न. 11/2 रूपालीबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.12 रामकली के घर से म.न. 37/2 तोफान के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.38 आशाराम के घर से म.न. 51/4 उमा के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.52 मनीशाबाई के घर से म.न. 75/2 कलाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.76 सुजानसिंह के घर से म.न. 104/4 विशाखाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.105 पन्नालाल के घर से अजय का घर अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.1 मोतीलाल के घर विमलेश का घर अंत तक	वर्ग	03
		8	म.न.1 किशनसिंह के घर से म.न.22 जानकीबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.23 लालसिंह के घर से म.न.34 मुल्लोबाई के घर तक		
		10	म.न.35 कल्लू के घर से म.न.55/2 सुनीता के घर तक		
		11	म.न.56 पप्पू के घर से म.न.80 सीमाबाई के घर तक		
		12	म.न.81 महेन्द्रसिंह के घर से म.न.99 अनिल के घर तक		
		13	म.न.100 बृजमोहन के घर से म.न.131 रूपवती के घर तक		
		14	म.न.132 नत्थो के घर से अनुराधाबाई का घर अंत तक		
		15	म.न.1 जगदीशदास के घर से म.न.18/1 शशिकुमारी के घर तक		
		16	म.न.18/2 प्रकाश के घर से विशाखा का घर अंत		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 69. त्रिभुवनपुर

कुल वार्ड 17

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
69	त्रिभुवनपुर	1	म.न.1 उमेदसिंह के घर से म.न.17 ओमप्रकाश के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.18 हरनामसिंह के घर से म.न.36 दिनेश के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.37 बारेलाल के घर से म.न.48 छोटेलाल के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.49 गजराजसिंह के घर से म.न.68 छोटीबी के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.69 सकीलबी के घर से म.न.80 उशाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.81 रामकली के घर से म.न.98 शांतिबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.99 खिलानसिंह के घर से म.न.124 लक्ष्मी के घर तक	वर्ग	05
		8	म.न.125 प्रेमसिंह के घर से म.न.135 पानबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.136 गोसाबाई के घर से म.न.157/2 प्रीति के घर तक		
		10	म.न.158 प्रहलाद के घर से केशरी का घर अंत तक		
		11	म.न.2 सुखलाल के घर से म.न.19 श्यामबाबू के घर तक		
		12	म.न.20 प्रेमनारायण के घर से म.न.30 राममणी के घर तक		
		13	म.न.31 भंमरलाल के घर से म.न.45 मिथलेशबाई के घर तक		
		14	म.न.46 तोफिकखां के घर से म.न.58/2 पंजाव के घर तक		
		15	म.न.59/1 जसवंत के घर से म.न.63 कल्याण के घर तक		
		16	म.न.64 भग्गोबाई के घर से म.न.81/2 पूजाबाई के घर तक		
		17	म.न.82/2 मिंदाबाई के घर से लालसिंह का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 70. दीपनाखेडा

कुल वार्ड 17

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
70	दीपनाखेडा	1	म.न. 1 लक्ष्मण के घर से म.न.19 लक्ष्मीबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 20 बाबूलाल के घर से म.न.60 रचनानबाई के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 61 पप्पू के घर से म.न.84 भीकमसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 85 सुरेश के घर से म.न.99 बंटीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 100 दीपचंद के घर से म.न.117 बृजेशसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न. 118 भुरेसिंह के घर से म.न.138 देवेन्द्र साहू के घर तक		
		7	म.न. 139 मेहतासिंह के घर से म.न.153 देवेन्द्र के घर तक		

1	2	3	4	5	6
		8	म.न. 154 अमानसिंह के घर से म.न.164 अनुराधा के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	03 04
		9	म.न. 165 सरदारबी के घर से म.न.172 वलबीर के घर तक		
		10	म.न. 173 गनेशराम के घर से म.न.184 अरविंद के घर तक		
		11	म.न. 185 रामकली के घर से म.न.195 वर्षाबाई के घर तक		
		12	म.न. 196 प्रकाश के घर से म.न.209 रचनाबाई के घर तक		
		13	म.न. 210 अंतराम के घर से म.न.231 अमित के घर तक		
		14	म.न. 232 रामलाल के घर से म.न.260 आरामबाई के घर तक		
		15	म.न. 261 खिमियाबाई के घर से म.न.292 भूरा के घर तक		
		16	म.न. 293 कलाबाई के घर से म.न.306 वसीमखां के घर तक		
		17	म.न. 307 शाहिदखां के घर से म.न.339/4 संतोश के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरौंज

ग्राम पंचायत :- 71. दीकनाखेड़ा

कुल वार्ड 13

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
71	दीकनाखेड़ा	1	म.न.1 शेरसिंह के घर से म.न.16 प्रीतिबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न.17 रघुराज के घर से म.न.32 लल्ला के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.33 शोभाराम के घर से म.न.49 रेखाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.50 कमरलाल के घर से म.न.63 देवेन्द्र के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.67 लक्ष्मीनारायण के घर से म.न.83 पूजाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.86 पूनाबाई के घर से म.न.109 सपनाबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.110 सावित्रीबाई के घर से म.न.130 गुडडी के घर तक	महिला सामान्य	03
		8	म.न.131 लालाराम के घर से रानी बाई का घर अंत तक		
		9	म.न.1 रामकिशन के घर से म.न.26 जमनाप्रसाद के घर तक		
		10	म.न.27 ग्याप्रसाद के घर से म.न.41 वन्दना के घर तक		
		11	म.न.42 संपतबाई के घर से म.न.73 गुलाबबाई के घर तक		
		12	म.न.74 अमान के घर से म.न.523 एवं म.न. 1 से 26 गणुलाल का घर तक		
		13	म.न.27 दातारी के घर से जयराम का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 72. दामोदरखेडी

कुल वार्ड 13

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
72	दामोदरखेडी	1	म.न.1 किशनलाल के घर से म.न. 28 संतोश के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.29 जनकीबाई के घर से म.न. 65 सीमाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	02
		3	म.न.66 भैयालाल के घर से म.न. 93 नरेन्द्रसिंह के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.94 कलाबाई के घर से म.न. 111 मिनी के घर तक	वर्ग	02
		5	म.न.112 लताबाई के घर से ओमकार का घर अंत तक	महिला अ.जा.	01
		6	म.न.1 कहैयालाल के घर से म.न. 30 धर्मनंद के घर तक	महिला अ.ज.जा.	02
		7	म.न.31 पृथ्वीसिंह के घर से म.न. 54 विजयसिंह के घर तक	महिला अन्य	02
		8	म.न.55 वंशीलाल के घर से राशिदखां का घर अंत तक	पिछड़ा वर्ग	
		9	म.न.1 दिमानसिंह के घर से म.न. 19 मेहरवान के घर तक	महिला सामान्य	
		10	म.न.20 तोफानसिंह के घर से पानबाई का घर अंत तक		
		11	म.न.1 सोनाबाई के घर से म.न. 19 कैलाशीबाई के घर तक		
		12	म.न.20 किशनसिंह के घर से म.न. 25 अजोदीबाई के घर तक		
		13	म.न.26 सुखलाल के घर से अमरबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-73 रुसल्लीघाट

वार्ड न. 18

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
73	रुसल्लीघाट	1	म.न. 01 फूलाबाई के घर से म.न. 21 भागवतीबाई के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 22 झुण्डा के घर से म.न. 39 सौरभ साहू के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 40 गजाधर के घर से म.न. 63 गौराबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 64 तुरसाबाई के घर से म.न. 84 वतीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 87 कल्याणसिंह के घर से म.न. 136 मंजू के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-

1	2	3	4	5	6
		6	म.न. 01 सकोबाई के घर से म.न. 24 रानीबाई के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 25 हरिसिंह के घर से म.न. 44 राधाबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न. 45 राधेश्याम के घर से म.न. 22 राजू सिलावट के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 23 नवलसिंह के घर से म.न. 10/1 हरिबाई के घर तक		
		10	म.न. 11 मिश्रीलाल के घर से म.न. 22/1 धनसिंह के घर तक		
		11	म.न. 24 नथनसिंह के घर से म.न. 35/2 गजाला के घर तक		
		12	म.न. 36 मो. नईम के घर से म.न. 47 हरजीत के घर तक		
		13	म.न. 01 लेखराज के घर से म.न. 13 राजकुमारी के घर तक		
		14	म.न. 14 सुनका के घर से म.न. 39 रामश्रीबाई के घर तक		
		15	म.न. 40 भीकमसिंह के घर से म.न. 57 किशनबाई के घर तक		
		16	म.न. 01 मोहरबाई के घर से म.न. 21 रामवतीबाई के घर तक		
		17	म.न. 22 नर्वदीबाई के घर से म.न. 35 पूनाबाई के घर तक		
		18	म.न. 36 जानकीप्रसाद के घर से म.न. 54 पुष्पाबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 74. हरगनाखेडी

कुल वार्ड 19

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
74	हरगनाखेडी	1	म.न.1 बालो बाई के घर से म.न.10 निकेल के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.11 हल्की बाई के घर से म.न.22 शिशुपाल के घर तक	अ.ज.जा.	02
		3	म.न.23 खिलानसिंह के घर से म.न.35 वशाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.36 खटपटनी के घर से म.न.60 स्वार्थी के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.61/1 किशन के घर से म.न.72/1 अंत तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.1 मोकमसिंह के घर से म.न.31 लक्ष्मीबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न.32/1 धनबाई के घर से म.न.54 रेखाबाई के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न.55 भूरा के घर से अंत तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.1 रामप्रसाद के घर से म.न.17 मचल के घर तक		
		10	म.न.18 रामलाल के घर से म.न.30 पप्पू के घर तक		
		11	म.न.31 अजुद्धीलाल के घर से म.न.48 रवि के घर तक		
		12	म.न.48/2 संपतवाई के घर से म.न.59(ग) अंत तक		
		13	म.न.1 ईशाक मो. के घर से म.न.09 फिरदौस के घर तक		
		14	म.न.10/1 सुल्तानसिंह के घर से म.न.14/2 गुडडीबाई के घर तक		
		15	म.न.14/3 महाराजसिंह के घर से म.न.26 आतिक मो. के घर तक		
		16	म.न.27/1 अमानसिंह के घर से म.न.41 रामदास के घर तक		
		17	म.न.42 मेहतावासिंह के घर से म.न.51 रामाबाई के घर तक		
		18	म.न.52 फूलसिंह के घर से म.न.71/1 पूजाबाई के घर तक		
		19	म.न.71/2 फूला बाई के घर से दौलत अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 75. बडोदाताल

कुल वार्ड 15

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
75	बडोदाताल	1	म.न.1 प्रेमबाई के घर से म.न.23 प्रीतिबाई के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.न.24 रमेशसिंह के घर से म.न.50 कुल्दीप के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.51 बीरसिंह के घर से म.न.65 गुडडी बाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.66 तारा बाई के घर से म.न.76 पूनमबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न.77 सुशीला बाई के घर से म.न.83 गोविंदसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.84 बैजनाथ के घर से मंगल का घर अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.1 सकीनाबी के घर से असमा बी का घर अंत तक	महिला सामान्य	
		8	म.न.1 आलमसिंह के घर से म.न.29 चन्द्रेश के घर तक		
		9	म.न.30 नथनसिंह के घर से म.न.49 रवि के घर तक		
		10	म.न.50 देवीसिंह के घर से म.न.74 वंदना बाई के घर तक		
		11	म.न.75 धनबाई के घर से म.न.92 भारत सिंह के घर तक		
		12	म.न.93 गुमनो बाई के घर से म.न.118 कल्लू के घर तक		
		13	म.न.119 प्रेमनारायण के घर से म.न.140 रत्नेश के घर तक		
		14	म.न.141 कैलाश के घर से म.न.155 सोमवती का घर अंत तक		
		15	म.न.156 भूपेन्द्र के घर से कल्याण का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 76. बमूलियाताल

कुल वार्ड 14

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
76	बमूलियाताल	1	म.न. 1 कल्लूसिंह के घर से म.न. 16/2 रहानावी के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 17 रोशनखा के घर से म.न. 31/1 प्रीतिवाई के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 34 काफिया के घर से म.न. 51/3 फरीदावी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 52 कछेदीलाल के घर से म.न.72/3 रफीकावी के घर तक	वर्ग	01
		5	म.न. 81 यशोदा के घर से म.न. 96 फरजानवानो के घर तक	महिला अ.जा.	-
		6	म.न. 97 कल्लुवी के घर से म.न. 106/2 नूरीबी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	02
		7	म.न. 107 वदरउदीन के घर से म.न. 119 हुसनावी के घर तक	महिला अन्य	04
		8	म.न. 120/1 पप्पूखा के घर से म.न. 133 मुनासीफखंके घर तक	पिछड़ा वर्ग	

1	2	3	4	5	6
		9	म.न.134 साजिदाबी के घर से म.न. 145/2 सुनीताबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		10	म.न. 146 कल्लु के घर से म.न. 163 सलमानखां के घर तक		
		11	म.न. 1वेना बाई के घर से म.न. 28 रिहानाबी के घर तक		
		12	म.न. 30/1 सुखलाल के घर से म.न. 47 रामलेबाई के घर तक		
		13	म.न. 48 जगन्नाथ के घर से म.न. 64 कमलाबाई के घर तक		
		14	म.न. 65 शिवराज के घर से म.न. 71 कविताबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 77. गोपालनगर

कुल वार्ड 15

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
77	गोपालनगर	1	म.न.1 रसूलखां के घर से म.न. 17/5 अरविंद के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.18 रघुवीरदास के घर से म.न. 27 अंशुल के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न.28 शिवनारायण के घर से म.न.46 अफसाना के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न.47 मुन्नेखां के घर से म.न. 69 रीना के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.70 बाबूलाल के घर से म.न.89 शिवराज के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न.90 सुन्दरिया के घर से म.न. 115 संगीताबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न.116 पप्पूसिंह के घर से म.न. 124 भावना के घर तक	वर्ग	04
		8	म.न.1 कैलाश के घर से म.न. 11 वंशीलाल के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.12 केशरबाई के घर से म.न. 27 कमलसिंह के घर तक		
		10	म.न.1 खुमानसिंह के घर से म.न. 10 पानबाई के घर तक		
		11	म.न.11 कस्तूरीबाई के घर से म.न. 33 गीताबाई के घर तक		
		12	म.न.34 अतरबाई के घर से म.न. 49 सुनीलबाई के घर तक		
		13	म.न.50 शैतानसिंह के घर से म.न. 65 ममलेश्वरी के घर तक		
		14	म.न.1 जल्लू के घर से म.न. 8 सूरजबाई के घर तक		
		15	म.न.9 गोरेलाल के घर से शिवराज का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 78. बरेज

कुल वार्ड 17

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
78	बरेज	1	म.न. 1 कलाबाई के घर से म.न. 12 गीताबाई के घर तक	अ.जा.	07
		2	म.न. 14 बालमुकुंद के घर से म.न. 29 हामिद के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 30 सरीफनवी के घर से म.न. 38 रानीबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 39 हनीफखां के घर से म.न. 48 पूजा के घर तक	महिला अ.जा.	04
		5	म.न. 50 मादोसिंह के घर से म.न. 64 राजू के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 65 गंगोबाई के घर से म.न. 81/ख राधा के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 82 रघवीरसिंह के घर से म.न. 97 पानवाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 98 नथनसिंह के घर से म.न. 112 राजेन्द्रसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 118 दोलतराम के घर से म.न. 133 राधेश्याम के घर तक		
		10	म.न. 135 दूलामियां के घर से म.न. 154/1 पपीता के घर तक		
		11	म.न. 1 रामचरण के घर से म.न. 16 ममतेस के घर तक		
		12	म.न. 17 दोलतसिंह के घर से म.न. 34 बलवानसिंह के घर तक		
		13	म.न. 34 मुन्नीबाई के घर से म.न. 45 शिवकुमारीबाई के घर तक		
		14	म.न. 46 महाराजसिंह के घर से म.न. 61 रामवकील के घर तक		
		15	म.न. 62 महाराज के घर से म.न. 69 गुडडी बाई के घर तक		
		16	म.न. 72 लक्ष्मण के घर से म.न. 88 सगीता के घर तक		
		17	म.न. 1 यशोदाबाई के घर से म.न. 22 दाकाबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत :- 79. पथरिया

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
79	पथरिया	1	म.न. 1 प्राणबाई के घर से म.न. 8 सुनीताबाई के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 9 रामकुंवरबाई के घर से म.न. 15 बैशाली के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 16 नारायण के घर से म.न. 29 बल्लू के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05

1	2	3	4	5	6
	राजपुर	4	म.न. 30 बलदेव के घर से म0न0 45 समरीन के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 46 मथुरालाल के घर से म0न0 58 जहीर के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 59 शेरखा के घर से म0न0 70 हरगोविंद के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 71 हफीज के घर से म0न0 80 अमरीन के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 81 फूल बी के घर से म0न0 89 सुनीताबाई के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 90सत्तारखा के घर से म0न0102 शकीलखा के घर तक		
		10	म.न.103 शहीदखा के घर से म0न0 117 फरीदाबी के घर तक		
		11	म.न. 1 छोटेखा के घर से म0न0 14 इमरानखा के घर तक		
		12	म.न. 15 बकीलखा के घर से म0न0 28 शामिदखा के घर तक		
		13	म.न. 29 शकीनाबी के घर से म0न0 41 जाकिरखा के घर तक		
		14	म.न. 42 मुख्तारखा के घर से म0न0 53/क तबस्सुमबी के घर तक		
		15	म.न. 54 इनायतखा के घर से म0न0 69 मिथलेशबाई के घर तक		
		16	म.न. 70 मानाबाई के घर से म0न0 88 रामबाबू के घर तक		
		17	म.न. 89 अमान के घर से म0न0 103 अमरीनबी के घर तक		
		18	म.न. 104 रईसखा के घर से म0न0 123 बृजबाई के घर तक		
		19	म.न. 124 हमीरसिंह के घर से म0न0 137 मोहरबाई के घर तक		
		20	म.न. 138 बियाबी के घर से म0न0 150 अंततक आसिफा बी के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 80. कस्बाताल

कुल वार्ड 20

अनु. क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
80	कस्बाताल	1	म.न. 1 शरीफनबी के घर से म.न. 22 मुन्नेखा के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 23 जरदारखा के घर से म.न. 49 मादिजखा के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 50 वीनुसखा के घर से म.न. 77/1 आविदखा के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 79 हतुनवी के घर से म.न. 101 शमीमखा के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 102 नारायण के घर से म.न. 118 आजिमखा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 119 आमनाबी के घर से म.न. 142 सुनील के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न. 143 अहमद के घर से म.न. 145 हसीनखा के घर तक	पिछड़ा वर्ग	06
		8	म.न. 146 हसनखा के घर से म.न. 156 रामबाबू के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 161अमुलसिंह के घर से म.न. 181 तोफिक खा के घर तक		
		10	म.न. 182 आमनाबी के घर से म.न. 202/9शवीनाबीके घर तक		
		11	म.न. 203 घरसी के घर से म.न. 221 जमीनखा के घर तक		
		12	म.न. 222 सहिद खा के घर से म.न. 252/6 इदरीश के घर तक		
		13	म.न. 256 कमलाबाई के घर से म.न. 275 रुवीनाबी के घर तक		
		14	म.न. 276 हमीद खा के घर से म.न. 296 रुकसानबी के घर तक		
		15	म.न. 300 यूसूफ खा के घर से म.न. 315 सुकनाबी के घर तक		
		16	म.न. 317 खतोबी के घर से म.न. 326 शव्योबी के घर तक		
		17	म.न. 327 शददाबी के घर से म.न. 350 आवेदाबी के घर तक		
		18	म.न. 351 मुन्नेखा के घर से म.न. 361 मुवारक खा के घर तक		
		19	म.न. 362 मकीनाबी के घर से म.न. 386 शन्नोबी के घर तक		
		20	म.न.387 हमीद के घर से म.न. 404 अंततक सविताबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 81. कूजा

कुल वार्ड 14

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
81	कूजा	1	म.न. 2 रिजवान के घर से म.न.18 अफरोज बी के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 19 भगवानदास के घर से म.न.33 शमीनाबी के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 34 शहीदखां के घर से म.न.47 फूलबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 48 सरस्वतीबाई के घर से म.न.68 जरीनाबी के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 69 बसंतीलाल के घर से म.न.77 शमीनाबी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-
		6	म.न. 78 गुडडीबाई के घर से म.न.110 सोनू के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 111 सरजूबाई के घर से म.न.130 कमरसिंह के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.न. 1 दयाराम के घर से म.न.11 प्रहलाद लोधी के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.12 बिस्मिल्लाबी के घर से म.न.29/3 अतरलाल के घर तक		
		10	म.न. 30 रम्बाबाई के घर से म.न.38 मुस्तारखां के घर तक		
		11	म.न. 1 दशोदा बाई के घर से म.न.15 बृजनारायण के घर तक		
		12	म.न. 16 कलीबाई के घर से म.न.34 शाजबाबी के घर तक		
		13	म.न. 35 रईश खां के घर से म.न.43/2 रतिराम के घर तक		
		14	म.न. 44 सन्नबर खां के घर से म.न.67 रजनीता के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 82. महादेवखेडी

कुल वार्ड 14

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
82	महादेवखेडी	1	म.न. 1 रामदयाल के घर से म.न. 14 बलराम के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न. 15 रामवती के घर से म.न. 29 रामकुमारी के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 30 फूलबाई के घर से म.न. 51 सीमाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 52 फूलसिंह के घर से म.न. 68 बृजेश के घर तक		02

1	2	3	4	5	6
	महुआखेड़ा	5	म.न. 69 मिन्दाबाई के घर से म.न. 79 अरविन्द के घर तक	महिला अ.जा.	—
		6	म.न. 80 प्रेमसिंह के घर से लक्ष्मीबाई का घर अंत तक	महिला अ.ज.	02
		7	म.न. 1 कमलाबाई के घर से म.न. 8 अलताफ के घर तक	जा.	03
		8	म.न. 9 ताराबाई के घर से म.न. 15 बब्लू के घर तक	महिला अन्य	
	मुरीदपुर	9	म.न. 16 भगवानदास के घर से सरीता बाई का घर अंत तक	पिछड़ा वर्ग	
	थनरपुर	10	म.न. 1 वसीम के घर से नबाव बानों का घर अंत तक	महिला	
		11	म.न. 1 ऐबजखां के घर से म.न. 10 जगदीश के घर तक	सामान्य	
		12	म.न. 11 जगन्नाथसिंह के घर से म.न. 17 कामता बाई के घर तक		
		13	म.न. 18 ढाका बाई के घर से म.न. 27 पूना बाई के घर तक		
	थनरपुर एवं विरधाखेड़ी	14	म.न. 28 गोदा के घर से कारे लाल का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 83. सियलपुर

कुल वार्ड 09

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
83	सियलपुर	1	म.न. 1 संपतबाई के घर से म.न.19 सलमान के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 20 नसरुद्दीन के घर से म.न.39क शकील के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 40 मुस्ताक के घर से म.न.52 सर्मिलाबी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न. 53 ऐबजखां के घर से म.न.76 कलीमनबी के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 77 आसिकखां के घर से म.न.85 शाहरूख के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 86 जनबबी के घर से म.न.100 तोफिकशाह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
		7	म.न. 101 खैरातीखां के घर से म.न.112 हासमखां के घर तक		05
		8	म.न. 113 अजीजखा के घर से म.न. 130 इमरान के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 131 हमीरखां के घर से म.न.152 आरतीबाई के घर तक		
		10	म.न. 153 मिन्दाबाई के घर से म.न.165 मोहरसिंह के घर तक		
		11	म.न. 166 रमेश के घर से म.न.179 नारायणीबाई के घर तक		
		12	म.न. 180 रुवकोबाई के घर से म.न.197 भूरीबाई के घर तक		
		13	म.न. 198 ईशाद खां के घर से म.न.209 आमिर के घर तक		
		14	म.न. 210 चप्पूखां के घर से म.न.217 तरस्लीमबी के घर तक		
		15	म.न. 218 इब्राहिम के घर से म.न.229 रिजबानाबी के घर तक		
		16	म.न. 231 नूरउद्दीन के घर से म.न.238ख नईम के घर तक		
		17	म.न. 239 भमरीबाई के घर से म.न.243 शोहेल के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 84. गुलाबगंज

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
84	गुलाबगंज	1	म.न.1 केशरीसिंह के घर से म.न.32 लक्ष्मीबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न.33 गंगाराम के घर से म.न.45 अफसाना के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.46 सरस्वतीके घर से म.न.67 रामबाबू के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.68 प्राणसिंह के घर से म.न.84 विशुणु के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.85 कोशाबाई के घर से भूरी बाई का घर अंत तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.1 सकीला बी के घर से म.न.13 इमरानशाह के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	03
	रफसोल	7	म.न.14 राजनशाह के घर से म.न.31 प्रीति के घर तक		
		8	म.न.32 शकरसिंह के घर से म.न.48 कम्मू के घर तक		
		9	म.न.49 धनियाबाई के घर से म.न.65 सुशीलाबाई के घर तक		
		10	म.न.66 खेमचन्द्र के घर से म.न.81 सुशीला के घर तक		
		11	म.न.82 हिन्दूसिंह के घर से म.न.96 महेन्द्र के घर तक		
		12	म.न.97 फूलसिंह के घर से वन्दना का घर अंत तक		
	अथाईखेड़ा	13	म.न.1 वीरेन्द्र के घर से म.न.29 शांतिबाई के घर तक		
		14	म.न.30 उमेदाबाई के घर से म.न.41 भूरीबाई के घर तक		
		15	म.न.42 श्यामलाल के घर से ईश्वरीप्रसाद का घर अंत तक		
	वेन्दीगढ़	16	म.न.1 हल्केराम के घर से म.न.7 बैजन्तीबाई के घर तक		
		17	म.न.8 श्यामलाल के घर से म.न.21 खिलानसिंह के घर तक		
		18	म.न.22 गोपीलाल के घर से विद्याबाई का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-85 रुसल्लीदामा

वार्ड न. 12

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
85	रुसल्लीदामा	1	म.न. 1 अनीताबाई के घर से म.न. 18सेताबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 19 पुनाबाई के घर से म.न. 31 मिथून के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 32 मनाक के घर से म.न. 47 सोनम के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03

1	2	3	4	5	6
		4	म.न. 48 भवंबरसिंह के घर से म.न. 63 संतोशबाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 65 गजराजसिंह के घर से म.न. 75 रानीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 77 नारायणसिंह के घर से म.न. 88 कमलेशबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 89 कुसुमबाई के घर से म.न. 101 रुची के घर तक		03
		8	म.न. 1 बाबूलाल के घर से म.न. 11 हल्केराम के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 2 जानकीबाई के घर से म.न. 16 रेखाबाई के घर तक		
		10	म.न. 17 प्राणसिंह के घर से म.न. 32 धर्मन्द्र के घर तक		
		11	म.न. 33 कछेदीलाल के घर से म.न. 49 आरती के घर तक		
		12	म.न. 54 कुवरलाल के घर से म.न. 70 संगीताबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या

जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 86. इकलोद

कुल वार्ड 13

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
86	इकलोद	1	म.न. 1 रूपसिंह के घर से म.न.12 फूलबाई के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 13 गोरेलाल के घर से म.न.32 रामसेबक के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 33 गोरेलाल के घर से म.न. 47 विशाल के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 48 मोतीबाई के घर से म.न.61 अरविंद के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न.62 फुदनलाल के घर से म.न.76 सलीमखां के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 78 मनोज के घर से म.न.100 सुनीताबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 101 फुदनसिंह के घर से म.न.112 वर्शा दांगी के घर तक		04
		8	म.न.113 उमरावसिंह के घर से म.न.121 ममता के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.122ओमकारपुरी के घर से म.न.144 नंदरानी के घर तक		
		10	म.न. 145 भूरी के घर से म.न.159 प्रीतीबाई के घर तक		
		11	म.न. 160 पचियाबाई के घर से म.न.178 रवि के घर तक		
		12	म.न. 179 अथरखां के घर से म.न.201 रामकृष्ण के घर तक		
		13	म.न. 202 संपतबाई के घर से म.न.364 राजेश के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-87 सोना

वार्ड न. 15

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
87.	सोना	1	म.न. 1 राना बासमीन बी के घर से म.न. 10/1 समीला बी के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 11 राजा मियाँ के घर से म.न. 26 राधिका के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 27 हरचंदी के घर से म.न. 44 राधाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 45 कदीर खाँ के घर से म.न. 64 अनिल के घर तक		02
		5	म.न. 65 फूलसिंह के घर से म.न. 77/1 कमलाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	-
		6	म.न. 78 सुमन्त्राबाई के घर से म.न. 92 जुल्फिकार अली के घर तक	महिला अ.ज.	02
		7	म.न. 93 हमीद खाँ के घर से म.न. 102 रानी के घर तक	जा.	04
		8	म.न. 103 धनबाई के घर से म.न. 108 आशिक खाँ के घर तक	महिला अन्य	
		9	म.न. 01 कमलाबाई के घर से म.न. 25 सुशीलाबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	
		10	म.न. 26 प्रेमबाई के घर से म.न. 38 रमा के घर तक	महिला सामान्य	
		11	म.न. 39 कमरबाई के घर से म.न. 59 पिन्की के घर तक		
		12	म.न. 60 अमरसिंह के घर से म.न. 93 अंत तक रंजीत के घर तक		
		13	म.न. 01 फूलसिंह के घर से म.न. 13 राजेश गिरि के घर तक		
		14	म.न. 01 से सुर्जनसिंह के घर से म.न. 15 सौरभ के घर तक		
		15	म.न. 16 प्रेमबाई के घर से म.न. 41 अंत तक भारतीबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 88. घटवार

कुल वार्ड 14

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
88	घटवार	1	म.न. 2(क) बालाराम के घर से म.न.13 राधाबाई के घर तक	अ.जा.	03
		2	म.न. 14 गीताराम के घर से म.न.24 सुशीलाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न. 25 प्रेमबाई के घर से म.न.46/1 तुरशाबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 47 जीवन के घर से म.न.59 देवीलाल के घर तक	महिला अ.जा.	02

1	2	3	4	5	6
		5	म.न. 60 पूरनसिंह के घर से म.न.75 धर्मेन्द्र के घर तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.76 भगवानसिंह के घर से म.न.80क गुडडी बाई के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 81 लालाराम के घर से म.न.99 सीताबाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 100 मानसिंह के घर से म.न.126 कमरफेश के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 127 नर्बदा के घर से म.न.139 नारायणीबाई के घर तक		
		10	म.न. 140 कमरसिंह के घर से म.न.150/2 देशराज के घर तक		
		11	म.न. 151 हिम्मतसिंह के घर से म.न.163 रानी के घर तक		
		12	म.न. 164 रामलाल के घर से म.न.179(क) गोपीबाई के घर तक		
		13	म.न. 180 सीताराम के घर से म.न.187 मायाबाई के घर तक		
		14	म.न. 188 जमनाप्रसाद के घर से म.न.202 समशूनबी के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंजा

ग्राम पंचायत :- 89. सुल्तानपुर

कुल वार्ड 20

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
89	सुल्तानपुर	1	म.न.1 मोहनलाल के घर से म.न.17 पप्पू के घर तक	अ.जा.	04	
		2	म.न.18 ऐजाजखां के घर से म.न.20/4 मोहसिन के घर तक	अ.ज.जा.	-	
		3	म.न.21 आमनाबी के घर से म.न.35 अरसी के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	
		4	म.न.36 लोडो बी के घर से म.न.55 नजीम के घर तक	महिला अ.जा.	02	
		5	म.न.56 वाहिदखां के घर से म.न.75 अफसाना बी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	-	
		6	म.न.76 मंगलिया के घर से म.न.92/2 शरीफ खां के घर तक	महिला अन्य	03	
		7	म.न.93 मेवा बी के घर से म.न.120/2 इस्सो बी के घर तक	पिछड़ा वर्ग	05	
		8	म.न.121 मुल्ला के घर से म.न.138 रामअवतार के घर तक	महिला सामान्य		
		9	म.न.139 महेश के घर से प्रभाबाई का घर अंत तक			
		10	म.न.1 ग्याबाई के घर से म.न.23 अन्जूबाई के घर तक			
	चितोरा	11	म.न.24 जयन्तीबाई के घर से म.न.33 सीबाखान के घर तक			
		12	म.न.34 भगवानसिंह के घर से म.न.49 चिरोजा के घर तक			
		13	म.न.50 सरस्वतीबाई के घर से राधे का घर अंत तक			
		मंजूरखेड़ी	14	म.न.1 पार्वतीबाई के घर से म.न.29 ममताबाई के घर तक		
			15	म.न.30 विहारीलाल के घर से म.न.55 रीना के घर तक		
			16	म.न.56 कमलाबाई के घर से म.न.74 दीपाबाई के घर तक		
		रतनियाखेड़ी	17	म.न.75 फूलसिंह के घर से जितेन्द्र का घर अंत तक		
			18	म.न.1 पर्वत के घर से म.न.12 सवीता के घर तक		
			19	म.न.13 हल्के के घर से म.न.24 लक्ष्मणसिंह के घर तक		
			20	म.न.25 हरनामसिंह के घर से सूरजसिंह का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-90 सफदलपुर

वार्ड नं. 20

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
90	सफदलपुर रताल	1	म.नं. 01 मोहनसिंह के घर से म.नं. 9 मनीशा के घर तक	अ.जा.	05
		2	म.नं. 10 घासीराम के घर से म.नं. 30 रिंकी के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.नं. 31 मुस्ताक के घर से म.नं.49 सुनीताबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.नं. 50 प्रेमबाई के घर से म.नं.195/2 लाडोबाई के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.नं. 1 बवरोबाई के घर से म.नं. 16 जुबेदा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.नं. 17 रानीबेगम के घर से म.नं. 32 जुबेर खां के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.नं. 33 सावजादी बी के घर से म.नं.48/क रामवावु के घर तक	पिछड़ा वर्ग	04
		8	म.नं. 49 गौराबाई के घर से म.नं. 70 रेशमा के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.नं. 71 फरीद मियां के घर से म.नं. 86 गुलजारमियां के घर तक		
		10	म.नं. 1 गुटदुलाल के घर से म.नं. 13 दीपिका के घर तक		
		11	म.नं. 14/अ संगीता के घर से म.नं. 31 अनीता बाई के घर तक		
		12	म.नं. 32 नवलसिंह के घर से म.नं. 47 शहनाजबी के घर तक		
		13	म.नं. 48 अनामत खां के घर से म.नं.57 रानीबी के घर तक		
		14	म.नं. 58 जलीलखां के घर से म.नं. 88 गीता बाई के घर तक		
		15	म.नं. 1 पूनाबाई के घर से म.नं. 12/1 अनीता बाई के घर तक		
		16	म.नं. 13 गनेश राम के घर से म.नं. 25 मुन्नालाल के घर तक		
		17	म.नं. 26 रशीद खां के घर से म.नं. 36 दोलतबाई के घर तक		
		18	म.नं. 39 अमरीन के घर से म.नं. 56 वृन्दावान के घर तक		
		19	म.नं. 57 वंशीलाल के घर से म.नं. 73/1 रचना के घर तक		
		20	म.नं. 74 बुद्धुलाल के घर से म.नं. 95 सलमाबी के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

ग्राम पंचायत :- 91. घोंसुआताल

कुल वार्ड 18

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
91	घोंसुआताल	1	म.न.1 अमान के घर से म.न.25 राजकुमारीबाई के घर तक	अ.जा.	04
		2	म.न.26 मलखान के घर से म.न.43 रामसखी के घर तक	अ.ज.जा.	01
		3	म.न.44 गुमानसिंह के घर से म.न.59 बतीबाई के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
		4	म.न.60 अमान के घर से म.न.79 राजकुमार के घर तक	महिला अ.जा.	02
		5	म.न.80 सुदामाबाई के घर से रजनी बाई का घर अंत तक	महिला अ.ज.जा.	01
		6	म.न.1 लटोरी बाई के घर से म.न.16 रिजवाना बी के घर तक	महिला अन्य	03
		7	म.न.17 रईशा बी के घर से म.न.28 आशा बाई के घर तक	पिछड़ा वर्ग	03
		8	म.न.29 सिंगार बाई के घर से म.न.42(ख) राजनीता के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न.43 हरि बाई के घर से म.न.57 रीना बाई के घर तक		
		10	म.न.58 बाबूलाल के घर से म.न.73 लीला बाई के घर तक		
		11	म.न.74 गुलाब बाई के घर से सन्नो बी का घर अंत तक		
		12	म.न.1 घासीराम के घर से म.न.16 पिन्कीबाई के घर तक		
		13	म.न.17 गंगो बाई के घर से म.न.33 वेनीबाई के घर तक		
		14	म.न.34 राजकुमारी बाई के घर से म.न.46 वेनीबाई के घर तक		
		15	म.न.47 कला बाई के घर से म.न.61 (क) विद्याबाई के घर तक		
		16	म.न.62 फूलसिंह के घर से म.न.70 विनिता बाई के घर तक		
		17	म.न.71(क) अंतरतसिंह के घर से किरण का घर अंत तक		
		18	म.न.1 जतनबाई के घर से मुकेश का घर अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरोंज

पंचायत:-92 बेरखेड़ी

वार्ड न 13

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
92	बेरखेड़ी	1	म.न. 01 टिन्कू के घर से म.न. 13 ख सनवर शाह के घर तक	अ.जा.	02
		2	म.न. 14 हुकमसिंह के घर से म.न. 41 शैलेश नगीना के घर तक	अ.ज.जा.	-
		3	म.न. 42 गुड्डू खां के घर से म.न. 59 राजेश के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04

1	2	3	4	5	6
		4	म.न. 60 हरिप्रसाद के घर से म.न. 79 रेखाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	01
		5	म.न. 80 जमनाप्रसाद के घर से म.न. 103 रीनाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 104 राधेश्याम के घर से म.न. 122 सुषमाबाई के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
		7	म.न. 123 प्राणसिंह के घर से म.न. 130 प्रियंका के घर तक		04
		8	म.न. 131 शिवनारायण के घर से म.न. 143 समुन्दरसिंह के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 01 तोफानसिंह के घर से म.न. 23 भूरी के घर तक		
		10	म.न. 24 कमलाबाई के घर से म.न. 48 जरीना बी के घर तक		
		11	म.न. 49 कस्तूरीबाई के घर से म.न. 68 राजीव के घर तक		
		12	म.न. 69 दौलतसिंह के घर से म.न. 82 पवन के घर तक		
		13	म.न. 01 सईद खां के घर से म.न. 53 पूरनदास के घर तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एम.बी. ओझा, कलेक्टर विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात् :-

खण्ड :- सिरौज
पंचायत:-93 उनारसीताल

वार्ड न. 13

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
93	उनारसीताल	1	म.न. 1 पुंशपाबाई के घर से म.न. 20 नीरज के घर तक	अ.जा.	06
		2	म.न. 21 जगन्नाथ प्रसाद के घर से म.न. 39 प्रीतीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	—
		3	म.न. 41 खलीनमियां के घर से म.न. 55 सीराज हुसेन के घर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
		4	म.न. 56 फादिलशाह के घर से म.न. 78/ख सुनीता के घर तक	महिला अ.जा.	03
		5	म.न. 79 बांशिया के घर से म.न. 94 रामसखी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	—
		6	म.न. 95 आश्या बी के घर से म.न. 109 गुलाबबाई के घर तक	महिला अन्य	02
		7	म.न. 111 जगतसिंह के घर से म.न. 127 सुहेल मिया के घर तक	पिछड़ा वर्ग	02
		8	म.न. 128 चांद खां के घर से म.न. 149 सुधीर नगीना के घर तक	महिला सामान्य	
		9	म.न. 1 तोफानसिंह के घर से म.न. 10 मीनाबाई के घर तक		
		10	म.न. 13 सावित्रीबाई के घर से म.न. 25 दुलारीवाई के घर तक		
		11	म.न. 26/क कन्हैया के घर से म.न. 39/ख कदीर खां के घर तक		
		12	म.न. 41/क अरमानखां के घर से म.न. 53 प्रदीपकुमार के घर तक		
		13	म.न. 54 प्रेमनारायण के घर से म.न. 81 इरफानखां के घर तक		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	उहर	1	उहर	1 बसीर खां	से	13/2 सुम्मा	तक	अजा	4
		2		13/2 मल्लीबाई		27 सौदान सिंह		अजजा	0
		3		28 रूपसिंह		38 कछेदीलाल		अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4		39 कोकन		49 नवलसिंह		महिला अजा	2
		5		50 ओमकार		56 बल्लोबाई		महिला अजजा	0
		6		57 चन्नीलाल		76 रामनिवास		महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		77 तिहालसिंह		82/1 निरंजनसिंह		महिला सामान्य	4
		8		82/2 गजेन्द्रसिंह		86 जुमरत बी			
		9		87 सुल्तान बी		99 सोमत खा			
		10		99/1 हिमियाबाई		109 गप्पू			
		11		110 रामकली		121मंगलिया			
		12		122 खुमान		132 चिरोजी			
		13		133 गनेशराम		145 फूलसिंह			
		14		146 सक्तीना बी		158 घसीटा			
		15		159 संटरी		अंत हलके खां			

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
2	मेहमूदा	1		1 भागवती बाई	से	15 जसोदा	तक	अजा	7
		2		16 बालमंद		23 इकबाल खां		अजजा	3
		3		24 तबरसुम ओरा		32ललताबाई		अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		33 मुन्नीबाई		44निरपत		महिला अजा	4
		5		45 मेहताव		55 जुल्फार खां		महिला अजजा	2

1	2	3	4		5	6
		6	56 मकीम	67 फरियाद बी	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	68 हलीम	81 रामबाई	महिला सामान्य	1
		8	82 प्रेमा	93 मोती		
		9	94 लखपत	अंत कमरुददीन		
		10	अमोदा 1 महेन्द्रसिंह	10 भैयालाल		
		11	11 हलकई	19 खूबसिंह		
		12	20 राधा	29 जालम		
		13	30 कछेदी	39 ब्रधियाबाई		
		14	40 सुमेरसिंह	अंत कलाबाई		
		15	बर्सी 1 पुष्पाबाई	5 बटनलाल		
		16	6 कमरसिंह	13 सुमन		
		17	14 मांगीलाल	24 शंकर		
		18	25 शिशुपाल	37 कन्हैयालाल		
		19	38 गुलाब	55 हीरालाल		
		20	56 मोहरबाई	अंत मनोज		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4		5	6
3	करैयाजागीर	1	करैयाजागीर 1 खूबा	15 खिलानसिंह	अजा	5
		2	16 प्रहलाद सिंह	38 शातिबाई	अजजा	0
		3	39 मेहताब	53 इस्माल शाह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	54 शिबू	71 मिटटू	महिला अजा	3
		5	72 गनेशराम	86 मोजीलाल	महिला अजजा	0
		6	87 जस्सूराम	101 हिम्मतसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	102 भगवानसिंह	110 गजराजसिंह	महिला सामान्य	3
		8	111 धनराजसिंह	अंत अनरतसिंह		
		9	पबई कुरवाडी 1 फूला	11 सुहाग बी		
		10	12 अन्नोबाई	25 खुमनोबाई		
		11	26 बाबूलाल	38 कल्लू खां		
		12	39 ख्याली	49 मोहम्मद खां		
		13	50 अमानत खां	62 चंद		
		14	63 सोनीबाई	75 शहजाद खां		
		15	76 मस्तुरा बी	88 ज्ञानसिंह		
		16	89 इनायत खां	अंत गुड्डू खां		

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)**

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
4	आटस	1	आटस	1 दुर्जन	11 गीताबाई	अजा	3
		2		12 हलकई	23 नत्थीबाई	अजजा	0
		3		24 नारायणसिंह	29 निरंजनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		30 लक्ष्मीबाई	35 गोकुलसिंह	महिला अजा	2
		5		36 राजबाई	41 साज बाई	महिला अजजा	0
		6		42 टीकाराम	अंत दीमानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	मलकपुर	1 महाराजसिंह	15 लेखराम	महिला सामान्य	4
		8		16 नारायणसिंह	31 रामप्रसाद		
		9		32 जामनसिंह	42 प्रेमबाई		
		10		43 मिटवसिंह	51 करतूरीबाई		
		11		52 सिरनामसिंह	63 मोतीसिंह		
		12		64 लालसिंह	77 खूबसिंह		
		13		78 दोलीबाई	97 रामसिंह		
		14		98 करतूरीबाई	अंत रामकृष्ण		
		15	डाबर	1 कमला	अंत राजेश		

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)**

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
5	उकायला	1	उकायला	1 कृष्णाबाई	14 हेमराजसिंह	अजा	3
		2		15 मोहन प्रसाद	24 वीरेन्द्र	अजजा	0
		3		25 खेमाबाई	31 खिलानसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		32 हलका	45 रामसिंह	महिला अजा	2
		5		46 रागसिंह	57 भीकमसिंह	महिला अजजा	0
		6		58 गीराबाई	65 ठाकुरसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		66 कल्लसिंह	74 गजराजसिंह	महिला सामान्य	4
		8		75 जगतनबाई	89 गुल्ल		
		9		90 लल्ल	अंत हरचरण		
		10	बांकागढ़	1 लक्ष्मीबाई	14 रूकमाबाई		
		11		15 दीवानसिंह	28 तुलसाबाई		
		12		29 मोहरबाई	43 कालराम		
		13		44 जवाहरसिंह	63 अनदा		
		14		64 शिबू	81 कलाबाई		
		15		82 लक्ष्मणसिंह	अंत कृष्णाबाई		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
6	हरगनाखेडी	1	हरगनाखेडी	1 उमकार सिंह	14 चंदनबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	6 0 4 3 0 2 2
		2		15 मुजबलसिंह	28 अमनी		
		3		29 पुनाबाई	42 हकूमसिंह		
		4		43 कमलाबाई	56 भैयालाल		
		5		57 करोडा	70 माखनदास		
		6		71 मुल्लोबाई	84 घसीटा		
		7		85 गुलाबबाई	98 भुरीबाई		
		8		99 कंचनबाई	112 घासीराम		
		9		113 अमीरचद	126 देवीसिंह		
		10		127 धारूसिंह	140 गोती		
		11		141 सरवन	154 निरपत		
		12		155 गणेशराम	अंत ओमकार		
		13	मालीखेडी	1 धन्नाबाई	26 बादामीबाई		
		14		27 कमलाबाई	अंत टीकाराम		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
7	पडरिया	1	पडरिया	1 पिरस्ताबाई	12 हरीबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 0 4 2 0 2 4
		2		13 रघुवर	27 गोपालदास		
		3		28 कालू खा	38 पीरखां		
		4		39 करीम	57 अफरोज		
		5		57 फूलबाई	67 अजयसिंह		
		6		68 गुमनाबाई	86 धरोपसिंह		
		7		87 मोहरबाई	104 महाराजसिंह		
		8		105 मेहरवान	117 हरीबाई		
		9		118 काशीराम	129 गड्डलाल		
		10		130 दोपदीबाई	अंत शिवजीपाल		
		11	शिवरामपुर	1 मुशीलाल	7 पानबाई		
		12		8 भुरीबाई	19 संतोष गिर		
		13		20 गोरीबाई	29 नर्वदीबाई		
		14		30 जयराम	39 फुलियाबाई		
		15		40 फुब्बा	47 गप्पू		
		16		48 बालाबाई	अंत गदनलाल		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
8	बीलाढाना	1	बीलाढाना	कपूरीबाई	15 कंचनबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 0 4 1 0 2 6
		2		16 कालूराम	31 फूलबाई		
		3		32 गण्पलाल	46 रघुवीर		
		4		47 कोमलप्रसाद	61 लटेरीबाई		
		5		62 कछेदीलाल	75 जयराम		
		6		76 बहीद खा	85 जयबाई		
		7		86 बाबूलाल	97 मिटठलाल		
		8		98 लखपतसिंह	111 उधमसिंह		
		9		112 हरप्रसाद	120 द्रोपदीबाई		
		10		121 कछेदीलाल	134 कामताप्रसाद		
		11		135 मोवतसिंह	148 रघुप खां		
		12		149 अहमद नूर	172 सलीम खां		
		13		173 मुन्ना खां	192 भैयालाल		
		14		193 बेनीबाई	209 काशीराम		
		15		210 इस्माईल खा	230 संगनचंद		
		16		231 खिलानसिंह	अंत सुनीताबाई		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4			प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
9	रोजरु	1	रोजरु	1 भुरताक खा	15 / 1 सलीम खां	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 0 5 2 0 3 5
		2		15 / 2 सुगरा बी	34 गजराज		
		3		35 फलाबाई	64 पुरनसिंह		
		4		65 प्रभलाल	94 शहजाद बेग		
		5		95 फिरोजा बी	107 / 1 शरीफ खां		
		6		107 / 2 सुक्का	118 हरीना बी		
		7		119 सिराज खां	136 शांतिबाई		
		8		137 कलिया	151 बबलू		
		9		152 धुग्गाबाई	169 साहिद		
		10		170 मुल्लोबाई	185 / 1 लईक बेग		
		11		185 / 2 रईस खा	192 जहूरन बी		
		12		193 हक्की बी	205 जाहिदा बी		
		13		206 नफीस	227 मुकीम खां		
		14		227 / 3 मवीन खा	237 / 1 साईरा		
		15		237 / 2 सलीम बेग	255 राहुल		
		16		256 रईस बेग	अंत जेबुनिशां		
		17	बिलवाश	1 शेरसिंह	14 मोहन		
		18		15 गोविंदसिंह	22 राजाराम		
		19		23 यशोदा	अंत केशवसिंह		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड-कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
10	मसूदपुर	1	मसूदपुर	1 रामकुंवर	23 धन्	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 1 4 2 1 2 4
		2		24 कंछेदी	52 धनवाई		
		3		53 राजेन्द्रसिंह	62 फूलवाई		
		4		63 लंप	79हीराबाई		
		5		80 भुरीबाई	85 श्यामबाई		
		6		86 सतीश कुमार	98 कमलाबाई		
		7		99 सीमाबाई	120 भूपेन्द्रसिंह		
		8		121 शांतिबाई	140 परमा		
		9		141 इंदरसिंह	162 जानकीबाई		
		10		163 पार्वतीबाई	178 प्रेमबाई		
		11		179 ब्रजेश कुमार	185 श्यामलाल		
		12		186 रामलाल	206 समंदरसिंह		
		13		207 सुरेश	अंत ज्योति		
		14	परिया मसूद	1 प्रीतमसिंह	16 धनश्याम		
		15		17 दयाराम	37 हुकुम		
		16		38 कंछेदीलाल	53 रामकलीबाई		
		17		54 प्रह्लादसिंह	अंत ममता		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड-कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
11	अरनोट	1	अरनोट	1 श्रीपादराव	24हरु	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 3 5 2 2 3 4
		2		25 भुगत	35तुलइया		
		3		36अरुणाबाई	52संगीता		
		4		53छोटेश्याम	78धारुसिंह		
		5		79कोकसिंह	97विमला		
		6		98गोपाल	110वेनीबाई		
		7		111मानसिंह	123हरिशंकर		
		8		124मृगाबाई	137मानसिंह		
		9		138सिमरथसिंह	162तोरनसिंह		
		10		163मुन्नालाल	193इभावाइ		
		11		194प्रवीणसिंह	अंत करनसिंह		
		12	वेपरियाजाजी	1 अशोककुमार	18 हरिसिंह		
		13		19 अजुद्धीबाइ	36 प्रगूदयाल		
		14		37 कमलाबाई	46ममताबाई		
		15		47 यद्वीसिंह	64पतरीबाई		
		16		65सन्मान	85हरिराम		
		17		86 धीरा	अंत मानसिंह		
		18	गोहंघी	1 शालिकराम	13 उषमसिंह		
		19		14 अजयबाई	42 नाराज		
		20		43 गैथालाल	अंत गजरासिंह		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
12	थनवाया	1	थनवाया	1 कलुआ	15 गनेशीवाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	6 0 4 2 0 2 4
		2		16 सुम्मा	34 नारायणसिंह		
		3		35 भमरलाल	52 बीरसिंह		
		4		53 चुन्नीलाल	63 हल्कूराम		
		5		64 रूपसिंह	75 वायूलाल		
		6		76 भीमसिंह	93 हल्कई		
		7		94 गोपीलाल	105 जगदीशवावू		
		8		106 लक्ष्मीवाइ	126 भगवतसिंह		
		9		127 सावित्रीबाई	138 गोरेलाल		
		10		139 रामप्रसाद	अंत मालमसिंह		
		11	मेहरा	1 वसंता	28 गुलाववाई		
		12		29 मेवावाई	47 अमान		
		13		48 बलदेव	62 मुन्नीवाई		
		14		63 रक्कूबाई	77 शैरा		
		15		78 छोटेलाल	95 छोटीवाई		
		16		96 इन्द्रसिंह	104 मलखान		
		17		105 धीरजसिंह	अंत देवीराम		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
13	मुटर्सा	1	मुटर्सा	1 अजववाई	19 सुंदरवाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	5 3 5 3 2 3 2
		2		20 बीरेद्रसिंह	35 अजववाई		
		3		36 खिलानसिंह	55 कपूरीबाई		
		4		56 मोजीलाल	84 गबडूलाल		
		5		85 सरवरअली	96 भैयालाल		
		6		97 गोपीबाई	अंत रामचरण		
		7	वनवासा	1 रामदास	11 गोटीराम		

1	2	3	4	5	6
		8	12 मोहरसिंह	30 कपूरीवाड़	
		9	31 गोपीलाल	58 कमलवाड़	
		10	59 श्यामलाल	78 कुवरवाड़	
		11	दलीपसिंह	101 हरलाल	
		12	102 वबरोवाड़	अंत राधेकिशन	
		13	1 हरीसिंह	10 कडोरीलाल	
		14	11 फोटूलाल	अंत धारूसिंह	
	हरनाखेडी	1	कोमलवाड़	16 हरनामसिंह	
		16	17 शेरसिंह	अंत गनेशराम	
	करुआमोद	1	दीवानसिंह	30 रामप्रसाद	
		18	31 लक्ष्मनसिंह	53 इमरतसिंह	
		19	54 महेशकमार	अंत सोमसिंह	

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
5	2	3			5	6	
1	किरवाया	1	किरवाया	1 वावूलाल	17 रहीसनवी	अजा	5
		2		18 रामवाड़	42 खिलानसिंह	अजजा	0
		3		43 रामप्यारी	56 कोमलसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		57 प्रमोदकुमार	74. हिम्मतसिंह	महिला अजा	3
		5		75 राजाराम	92 जयराम	महिला अजजा	0
		6		93 उमेदा	113 ग्यावाड़	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		114 मुशीलाल	134 दोलतवाड़	महिला सामान्य	3
		8		135 लल्ला	155 खेमराज		
		9		156 रामकिशोर	173 गुलाववाड़		
		10		174 धन्नालाल	204 प्रेमराज		
		11		205 जयसिंह	219 मोहनवाड़		
		12		220 सोदानसिंह	247 फूलसिंह		
		13		248 कल्यानसिंह	289 भैयालाल		
		14		290 विशमिला	307 इस्माइल		
		15		308 इसाफखा	325 कारेलाल		
		16		326 वावूलाल	352 लच्छू		
		17		353 परमावल्देव	363 परमोवाड़		
		18		364 वहीदनवी	अंत आमनावी		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
15	आगासौद	1	आगासौद	1 भूरीवाई	12 पीतमसिंह	अजा	4
		2		12 / 1 दूरजा	22 देवेन्द्रसिंह	अजजा	1
		3		23 भमरलाल	30 हरीसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		31 राजाराम	44 भीकमसिंह	महिला अजा	2
		5		45 कोमलप्रसाद	अंत वावरखा	महिला अजजा	1
		6	ग्रहणी	1 अफसानावी	10 नथूलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		11 रामरवरूप	गुलाववाई	महिला सामान्य	2
		8		23 रामकरणसिंह	34 नाथूराम		
		9		35 पिस्तावाई	46 कस्तूरीवाई		
		10		47 कपूरी	59 सुखलाल		
		11		60 वारोलीवाई	69 मुन्नासिंह		
		12		70 मुलायमसिंह	75 कल्लूखा		
		13		76 हसीवनवी	अंत देवेन्द्रसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
16	खरथरी	1	खरथरी	1 केशरवाई	15 खुशालसिंह	अजा	1
		2		16 रतीवाई	33 मिश्रीलाल	अजजा	1
		3		34 हल्के	अंत ललतावाई	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	बिहारीपुर	1 शांतिवाई	19 माधोसिंह	महिला अजा	1
		5		20 पतीवाई	अंत फूलसिंह	महिला अजजा	1
		6	विजरोठा	1 मनवोवाई	14 गुलाववाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		15 जसवतसिंह	अंत गजेन्द्र	महिला सामान्य	1
		8	पिपरियाघाट	1 सुकमावाई	10 फूलसिंह		
		9		11 देवकावाई	22 विजयसिंह		
		10		22 / 1 रामश्री	अंत ग्यारसा		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
17	अंबानगर	1	अंबानगर	1 मुन्नी	16 लीला	अजा	7
		2		17 लालसिंह	32 हरीवाई	अजजा	1
		3		33 भूरीवाई	48 सुशीला	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		49 बबू	64 वीरसिंह	महिला अजा	4
		5		65 बल्ला	80 मौजीलाल	महिला अजजा	1
		6		81 कुंवरवाई	96 तखतसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		97 दयालवाई	112 दुर्जनसिंह	महिला सामान्य	1
		8		113 सुखिया	128 प्रकाश		
		9		129 दुलीचंद	144 कदूवाई		
		10		145 संतरावाई	अंत एवं मजरा जरोदीखेडा 1 से 13 इमरतवाई		
		11		14 नर्वदीवाई	अंत मिश्रीलाल		
		12	जरोद	1 मर्दनसिंह	14 सम्मदरसिंह		
		13		15 फूलवाई	28 उमावाई		
		14		29 रकीवन वी	42 पुष्पावाई		
		15		43 प्रभूलाल	56 इकवालअली		
		16		57 जाहिदावी	70 हमिदववी		
		17		71 बाबूलाल	84 कपिल		
		18		85 मोहरसिंह	100 गगनदीप		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
18	सकरोली	1	सकरोली	1 कुंवरवाई	24 आशाराम	अजा	7
		2		25 अंतु	45 मंशा	अजजा	4
		3		46 रतनलाल	60 / 3 इमरतवाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		60 / 4 काशीराम	66 जगतसिंह	महिला अजा	4
		5		67 कमला	89 सुगरसिंह	महिला अजजा	2
		6		90 गुडडीवाई	105 हल्कीवाइ	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		106 जगदीश	अंत पन्नालाल	महिला सामान्य	2
		8		1 बल्लू	12 अजूदीवाई		
		9		13 जगदीश	23 कृष्णावाई		
		10		24 मोहरवाई	34 लक्ष्मीवाई		

1	2	3	4	5	6
		11	35 गंगाराम	46 द्रोपतीबाई	
		12	47 हल्कीबाई	59 केशरबाई	
		13	60 अमरबाई	अंत मुकेश	
		14	बोथीजागीर 1 नारायणसिंह	रामकली	
		15	20 राजेन्द्रसिंह	अंत चरणसिंह	
		16	नंदपुरा 1 गोपीलाल	11 रजनी	
		17	12 फेली	21 कमलाबाई	
		18	22 दौलतसिंह	30 विनिताबाई	
		19	31 पदमसिंह	41 खुशालसिंह	
		20	42 हल्कीबाई	अंत बादलसिंह	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ंक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
19	निवोदिया	1	निवोदिया	1 चतरसिंह	12 प्रेमबाई	अजा	3
		2		13 पन्चू	29 किशनलाल	अजजा	2
		3		30 ग्याबाई	44 मोहरसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		45 कछेदी	57 निहालसिंह	महिला अजा	2
		5		57 क नरवदी	67 सनमान	महिला अजजा	1
		6		68 फूलसिंह	अंत सुमित	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	कुसवद	1 मेहताव	11 बेनीबाई	महिला सामान्य	2
		8		12 खुशाल	25 टीकम		
		9		26 गम्भीरसिंह	अंत शरद		
		10	बेरखेडी	1 खूबसिंह	15 वीरसिंह		
		11		16 बावूखा	25 प्रेमबाई		
		12		26 हिम्मतसिंह	अंत जफरखा		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
20	गंज	1	गंज	1 मुन्नालाल	12 पर्वत	अजा	8
		2		13 कल्लूसिंह	23 प्रेमवाई	अजजा	1
		3		24 किशोरी	40 रामसेवक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		41 मुजिया	55 कमलसिंह	महिला अजा	4
		5		56 आनंदी	69 विनोद	महिला अजजा	1
		6		70 मिस्टरसिंह	83 श्यामलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		84 उभेदीवाई	अंत लक्ष्मणसिंह	महिला सामान्य	2
		8	रजौदा	1 विनयसिंह	18 बालकिशन		
		9		19 पार्वती	32 रामवाई		
		10		33 गजराज	54 सुराजो		
		11		55 प्रकाश	74 दौलीवाई		
		12		75 शारदावाई	92 आशासाम		
		13		93 पूरन	107 राजाराम		
		14		108 बालेलाल	118 प्रतापसिंह		
		15		119 सतीशचंद	अंत दयालाल		
				16	पठारीवासौद	1 सरोज	अंत सरोज

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
21	खेरुआ	1	खेरुआ	1 राजीवसिंह	अंत सुनील	अजा	4
		2	नरीदपुर	1 शंकर	32 प्रकाश	अजजा	1
		3		33 रतीराम	35 प्रेम	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		36 तुलई	अंत कृष्णावाई	महिला अजा	2
		5	मडियापोनिय	1 निरंजनसिंह	30 प्रभुआ	महिला अजजा	1
		6		31 गोरेया	60 पन्नालाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		61 भैयालाल	74 प्रेमसिंह	महिला सामान्य	1
		8		75 प्रभूलाल	अंत हरकंवरवाई		
		9	सिरावद	1 नारायणीवाई	13 बीरसिंह		
		10		14 कारेलाल	अंत तोरणसिंह		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
22	हतौडा	1	हतौडा	1 काशीवाई	30 रामकिशन	अजा	1
		2		31 धन्नालाल	53 मुंशीलाल	अजजा	0
		3		54 माया	87 गिरजा	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		88 कलावाई	111 राजेश	महिला अजा	1
		5		112 उभेदीवाई	135 मुन्नीवाई	महिला अजजा	0
		6		136 जगन्नाथ	163 विशाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		164 पूनावाई	186 संजय	महिला सामान्य	3
		8		187 महेन्द्र	189 हीरावाई		
		9		190 परमानंद	212 गजरासिंह		
		10		213 तारावाई	अंत नन्दू		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
23	कंजना	1	कंजना	1 सुकमलवाई	13 बाबूलाल	अजा	5
		2		14 पूनावाई	27 जसराज	अजजा	3
		3		28 कप्तान	36 सोडू	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		37 अमोली	49 तुरषावाई	महिला अजा	3
		5		50 धन्नु	59 भागवतीवाई	महिला अजजा	2
		6		60 रतिवाई	79 कमलसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		80 नारायण	अंत फूलावाई	महिला सामान्य	1
		8	विशकावली	1 द्रोपती	13 घन्नालाल		
		9		14 हरनाम	26 गनेश		
		10		27 रघुवर	40 गंधर्वसिंह		
		11		41 गोपालप्रसाद	54 कपूरीवाई		
		12		55 रंधीर	70 बालाराम		
		13		71 पारवती	अंत प्रेमवाई		
		14	जुगयाई	1 सरदारसिंह	अंत संतावाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
24	बरेठ	1	बरेठ	1 हीरालाल	10 वीरेन्द्रसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 3 5 2 2 3 3
		2		11 कछेदी	18 किशन		
		3		19 हजारीलाल	37 तुरसाबाई		
		4		38 रामस्वरूप	55 करनसिंह		
		5		56 कन्हैयालाल	71 अमोलसिंह		
		6		72 हीरालाल	85 जयबाई		
		7		86 राजू	101 शीला		
		8		102 हरीशंकर	117 रामप्रसाद		
		9		118 बबलू	139 मथुराप्रसाद		
		10		140 ब्रदावन	159 नाथूराम		
		11		160 सावित्री	181 शंकरसिंह		
		12		182 संतोष	201 झुकनलाल		
		13		202 भागवतीबाई	219 हरगोविंद		
		14		220 यशोदाबाई	240 पार्वती		
		15		241 दुर्गाप्रसाद	255 ज्ञानबाई		
		16		256 बालमुकुंद	272 ब्रजगान		
		17		273 मिदाबाई	297 मायाबाई		
		18		298 गुलाब	311 शेरसिंह		
		19		312 लक्ष्मीबाई	332 चिंतामन		
		20		333 गुडडीबाई	अंत प्रीतम		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
25	पुरवाई	1	पुरवाई	1 रामगोपाल	19 हरग्यान	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 3 4 2 2 2 3
		2		20 मचल	38 गुलाबसिंह		
		3		39 सीताराम	51 अनंतसिंह		
		4		52 रामस्वरूप	67 बदरसिंह		
		5		68 बुद्धसिंह	79 दामोदर		
		6		80 भूपतसिंह	91 सुजानसिंह		
		7		92 उधमसिंह	110 हीरालाल		
		8		111 रघुनाथ	128 जामकीप्रसाद		
		9		129 गुलाब	अंत गोपाल		
		10	सरवाया	1 गोपीबाई	11 परमोबाई		
		11		12 वीरसिंह	20 मालमसिंह		
		12		21 गोपीबाई	29 कल्लू		
		13		30 मुन्नीबाई	41 हीरा		
		14		42 सोमा	अंत परबीबाई		
		15	बत्तीसा	1 लाखाराम	14 दौलतसिंह		
		16		15 अजबसिंह	31 छत्रपाल		
		17		32 हीराबाई	अंत शब्योबाई		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
26	चुल्हेटा	1	चुल्हेटा	1 सुक्का	19 हलकई	अजा	4
		2		20 तालेवर	31 हलकई	अजजा	2
		3		32 बसंतीबाई	36 रामकलीबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		37 ग्यारसा	51 नब्बी खा	महिला अजा	2
		5		52 प्रहलादसिंह	60 संध्या	महिला अजजा	1
		6		60/1 पंकज कुमार	69 सियाबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		70 जगन्नाथ	अंत बरकत बी	महिला सामान्य	4
		8	ठरका	1 फूलबाई	13 चंदनसिंह		
		9		14 कल्याणसिंह	37 गुडडीबाई		
		10		38 सबोदराबाई	58 महेन्द्रसिंह		
		11		59 कमलाबाई	76 बारेलाल		
		12		77 चरण	अंत आशाबाई		
				13 इमलिया	1 लछिया	22 गोपीबाई	
		14	23 भगवानसिंह	अंत शिबू			
		15 टीकोद	1 बालमुकंद	13 मानसिंह			
		16	14 प्रकाश	29 हलकीबाई			
		17	30 श्यामलाल	35 मोहरबाई			
		18	36 भगवानसिंह	अंत दसोदाबाई			
		19 खिरिया	1 खिलानसिंह	12 रघुवीर			
		20	13. हीरालाल	अंत रतनसिंह			

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
27	कुल्हार	1	कुल्हार	1 उषादेवी	28 / 1 बैटीबाई	अजा	4
		2		28 / 2 तुलसीराम	44 मंगलसिंह	अजजा	1
		3		45 राजकुमार	78 गोपाल	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		79 मूलाबाई	104 हरगोविंद	महिला अजा	2
		5		105 कल्लू	143 करनसिंह	महिला अजजा	1
		6		144 दमरूलाल	176 गोपालसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		177 सीमाबाई	192 डालचंद	महिला सामान्य	5

1	2	3	4	5	6
		8	193 रज्जन	211 रंजीता	
		9	212 बहादुर प्रसाद	224 शिवानी	
		10	225 दुर्गाबाई	262 रामपालसिंह	
		11	263 इमरतसिंह	284 नारायण	
		12	284 / 3 नर्वदाप्रसाद	307 चतरा	
		13	308 किशोरी	360 मेहरवानसिंह	
		14	361 मुईयाबाई	375 मिटदूलाल	
		15	376 कल्याणसिंह	392 सरस्वती	
		16	393 अंगूरीबाई	401 ब्रजेन्द्रसिंह	
		17	402 अजुदीबाई	419 राघवेन्द्र	
		18	420 श्यामबाई	453 मुन्नालाल	
		19	454 धनसिंह	492 टीकाराम	
		20	493 ललताबाई	अंत सोरभ	

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)**

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ रतम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
28	काजीकिरीदा	1	काजीकिरीदा	1 रतनसिंह	16 बैनीबाई	अज्ञा	2
		2		17 मोतीबाई	34 कमलेशसिंह	अजज्ञा	1
		3		35 रामबाई	61 सल्ला	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		62 बाबूलाल	84 गनेशराम	महिला अज्ञा	1
		5		85 उमेदसिंह	110 श्यामलाल	महिला अजज्ञा	1
		6		111 कन्हैयालाल	अंत नन्ना	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	समदपुर	1 निहालसिंह	15 श्रीराम	महिला सामान्य	2
		8		16 घासीराम	31 गोपीबाई		
		9		32 मुंशीलाल	43 उमेदसिंह		
		10		44 राजबाई	अंत वीरसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
29	बडवासा	1	बडवासा	1 कमल	13 श्रीराम	अजा	2
		2		14 अनुरुद्रप्रसाद	28 हरबोवाई	अजजा	2
		3		29 कन्हई	41 महाराजसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		42 नथूसिंह	51 प्यारेलाल	महिला अजा	1
		5		52 जगन्नाथसिंह	59 कमरसिंह	महिला अजजा	1
		6		60 बिन्दोवाई	71 राधेलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		72 सहोद्रावाई	89 पन्ना	महिला सामान्य	3
		8		90 केशरवाई	अंत थानसिंह		
		9	किशनोदा	1 जूसारसिंह	12 सुरेश		
		10		13 शांतिवाई	19 उमेदसिंह		
		11		20 रघुराज	33 भूरीवाई		
		12		34 करनसिंह	52 जमनाप्रसाद		
		13		53 कस्तूरीवाई	अंत नारान		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
30	भुआंरा	1	भुआंरा	1 मुन्नीवाई	9 शेरसिंह	अजा	4
		2		10 कमलसिंह	17 प्रीतमसिंह	अजजा	1
		3		18 प्रकाश	अंत देवीसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	नारोदा	1 सुन्नीलाल	11 मूगावाई	महिला अजा	2
		5		12 रामलाल	24 गुलाब	महिला अजजा	1
		6		25 परमा	37 गोपाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		38 गनेशीवाई	अंत कस्तूरी	महिला सामान्य	1
		8	भिरगावली	1 दौलतवाई	अंत खुमनीवाई		
		9	देवीपुर	1 कछेदी	12 लक्ष्मणसिंह		
		10		13 द्रोपतीवाई	27 विक्रमसिंह		
		11		28 गंडेरीवाई	अंत भवरीवाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
31	शिलीपुर	1	शिलीपुर	1 मीरावाई	8 मोहरसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 3 0 2 2 0 3
		2		9 तोरनसिंह	19 प्रहलादसिंह		
		3		20 गीतावाइ	29 थानसिंह		
		4		30 राजाराम	40 अमोलसिंह		
		5		41 उमरावसिंह	53 श्यामलाल		
		6		54 फूलबाई	66 अमरसिंह		
		7		67 श्यामवाइ	76 करतूरीवाइ		
		8		77 प्रताप	88 चुन्नीलाल		
		9		89 आशाराम	104 कमला		
		10		105 हलकई	अंत भगवानसिंह		
		11	खडाखेडी	1 यशवंतसिंह	13 गजराजसिंह		
		12		14 वैनीवाइ	29 गोगावाइ		
		13		30 माधो	45 मोकमसिंह		
		14		46 रतीराम	अंत मटरू		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
32	उदयपुर	1	उदयपुर	1 मिटदूलाल	27 गलुकी बी	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 4 5 2 2 3 4
		2		28 बाबूलाल	55 पप्पू		
		3		56 मनमोहन	80 गनेशा		
		4		81 लल्लू	108 कोमल		
		5		109 हरीशंकर	135 सनमान		
		6		136 जुगतीबाई	180 जयश्याम		
		7		161 खैमाबाई	189 पानबाई		
		8		190 सगीम बी	213 हरनाभसिं		
		9		214 रामद	236 गदेश कुमार		
		10		237 सलमा खातून	263 गवरलाल		
		11		264 सुरजन	291 गनेशराम		
		12		292 काशीराम	319 गनेशराम		
		13		320 जगदीश	345 करतूरीबाई		
		14		346 धनीराम	372 नारायण		
		15		373 नन्नीबाई	402 अहीराबाई		
		16		403 मुल्लीबाई	425 शियाबाई		
		17		426 गोरीशंकर	459 सरस्वतीबाई		
		18		460 रामचरण	486 श्यामबाई		
		19		487 धन्नालाल	अंत मनोज		
		20		1 गुलाब	अंत सुखबाई		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ रतम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को रतम्भ तीन में वर्णित वार्ड-कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने रतम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या रतम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ंक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6	
33	साहबा	1	साहबा	1 चिरोजीलाल	7 द्रोपदीबाई	अजा	5	
		2		8 वीरसिंह	17 गन्नू	अजजा	5	
		3		18 प्रीति	32 जालम	अन्य पिछडा वर्ग	5	
		4		33 घनश्याम	42 परसराम	महिला अजा	3	
		5		43 गबडू	53 खुमान	महिला अजजा	3	
		6		54 मुल्लीबाई	67 फूलसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3	
		7		68 बुंदेलसिंह	81 मीराबाई	महिला सामान्य	1	
		8		82 भगोबाई	96 करनसिंह			
		9		97 मुल्लोबाई	110 लच्छोबाई			
		10		111 इमरत	122 हीरालाल			
		11		123 बाबूलाल	133 मोहरसिंह			
		12		134 देबाई	143 प्यारेलाल			
		13		144 रामसहाय	अंत शातमा			
		14	रिया जाफरा	1 मूलचंद	14 कलुआ			
		15		15 मुन्नीबाई	29 हरीराम			
		16		30 राजू	41 मथुराबाई			
		17		42 नेतराम	50 बलवीर			
		18		51 कोमलबाई	अंत रमजान खां			
		19	मुआरा जागी	1 टीकाराम	16 सावित्रीबाई			
		20		17 प्रतापसिंह	अंत शैलेन्द्र			

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ रतम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को रतम्भ तीन में वर्णित वार्ड-कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने रतम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या रतम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ंक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6	
34	भाटनी	1	भाटनी	1 बालचंद	17 हरीराम	अजा	4	
		2		18 काशीराम	32 जगदीशप्रसाद	अजजा	1	
		3		33 मोहन	48 कालूराम	अन्य पिछडा वर्ग	5	
		4		49 रामचरण	62 मनोहरलाल	महिला अजा	2	
		5		63 घनश्याम	119 परमा	महिला अजजा	1	
		6		120 सरजूबाई	138 वैजंतीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3	

1	2	3	4	5	6
				प्रवर्ग	संख्या
		7	139 दशरथ	159 चतरा	महिला सामान्य
		8	160 पूरन	174 अनंतीलाल	5
		9	175 पूरन	190 कुसुम	
		10	191 मोती	203 जितेन्द्रसिंह	
		11	204 गिरजाबाई	219 बाबूलाल	
		12	220 तोरनसिंह	230 अर्जुनसिंह	
		13	231 संतोषी	242 भारतसिंह	
		14	243 सुर्जनसिंह	252 रामश्री	
		15	253 प्रतापसिंह	अंत वीरेन्द्रसिंह	
		16	फतेहपुर 1 बालाप्रसाद	16 हरीसिंह	
		17	17 राजेन्द्रसिंह	39 सूरजबाई	
		18	40 महाराजसिंह	66 श्यामा	
		19	67 विमलाबाई	100 /2 धनसिंह	
		20	100/3 सरोजबाई	अंत गानसिंह	

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)**

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
35	तवककलपुर	1	तवककलपुर	1 दौलतबाई	9 फूलसिंह	अजा	2
		2		10 कलाबाई	25 गुलाबबाई	अजजा	3
		3		26 मिश्रीलाल	43 दीपचंद	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4		44 हरभजन	65 रामबाई	महिला अजा	1
		5		66 काशीराम	77 गोराबाई	महिला अजजा	2
		6		78 जगन्नाथ	90 कमलेश	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		91 मुल्लू	अंत परम	महिला सामान्य	2
		8	कांचरोद	1 श्रीराम	25 प्रभोदसिंह		
		9		26 शंभूसिंह	40 मोकमसिंह		
		10		41 बारे	58 नथूसिंह		
		11		59 रामस्वरूप	74 लक्ष्मण		
		12		75 दामोदर प्रसाद	88 पूरनसिंह		
		13		89 बाबूलाल	113 इमरतसिंह		
				14		114 देबाई	अंत शिवराजसिंह

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
36	डिंडोली	1	डिंडोली	1 बेटीबाई	12 पार्वतीबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 2 4 2 1 2 4
		2		13 फूलबाई	22 प्रेमबाई		
		3		23 मूगाबाई	35 चतरोबाई		
		4		36 मिश्रीलाल	46 मुल्लू		
		5		47 भुग्गा	68 सटटू		
		6		69 शंकरलाल	अंत नवलसिंह		
		7	बैंहटा	1 रामरतन	11 केशरबाई		
		8		12 प्रेमबाई	21 जितेन्द्र		
		9		22 भगवानसिंह	28 रामसिंह		
		10		29 सुशीलाबाई	अंत दामोदरप्रसाद		
		11	सुनारी	1 कलुआ	13 श्यामाबाई		
		12		14 प्रताप	28 धन्नालाल		
		13		29 हलकूराम	41 पुतरी		
		14		42 चतरेलाल	56 कंचेदीलाल		
		15		57 श्यामलाल	74 रामप्रसाद		
		16		75 नारायणसिंह	89 राजेन्द्रसिंह		
		17		90 लक्ष्मणसिंह	अंत इमरतसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
37	मुरादपुर	1	मुरादपुर	1 सुखलाल	17 खुमान	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 2 3 1 1 2 3
		2		18 गनेश	30 शंकरलाल		
		3		31 मुन्नीबाई	47 धनसिंह		
		4		48 हरनामसिंह	60 रामबाई		
		5		61 रामेश्वर	80 बबू		
		6		81 खुम्मीबाई	97 हरगोबाई		
		7		98 ताराबाई	115 विरोजीबाई		
		8		116 हिम्मतसिंह	अंत सुदरबाई		
		9	मूर्तजानगर	1 उमकार	9 कारेलाल		
		10		10 रामकरण	25 रामबाई		
		11		26 भगोबाई	अंत अजुद्धीबाई		
		12	महोली	1 गोविंदसिंह	अंत कंचेदीलाल		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
38	आकाडोडा	1	आकाडोडा	1 करोडी	13 बेनीबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 3 3 2 2 2 1
		2		14 पृथ्वीसिंह	27 फूलसिंह		
		3		28 नथुआ	47 राकेश		
		4		48 दयालोबाई	50 भागवतीबाई		
		5		51 घसीटीबाई	अंत हरीसिंह		
		6	खुरसेनी	1 गनेशराम	11 मोहरबाई		
		7		12 रामजी	अंत कालूराम		
		8	छीपनी	1 गुडडीबाई	13 हलकीबाई		
		9		14 हलकेसिंह	21 रघुआ		
		10		22 मलथू	32 कोसाबाई		
		11		33 मुल्लोबाई	43 गुटटीलाल		
		12		44 गीताबाई	अंत लोकेश		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
39	नेगमापिपरिया	1	नेगमापिपरिया	1 बादामसिंह	22 अजुद्धीलाल	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 0 3 1 0 2 3
		2		23 सडीबाई	54 नारायणसिंह		
		3		55 सुगनाबाई	77 सडडूराम		
		4		78 चंदना	92 उधमसिंह		
		5		93 नारायण	120 लक्ष्मणसिंह		
		6		121 गीराबाई	143 गुब्बर खां		
		7		144 बनेसिंह	अंत सुनीताबाई		
		8	कथरी	1 रलकोबाई	6 भूरेलाल		
		9		7 रतनबाई	34 रघुवीरसिंह		
		10		35 रघुवीरप्रसाद	अंत गुंजीलाल		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ रतम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
40	स्यारी	1	स्यारी	1 भानसिंह	19 गोमतीबाई	अजा	3
		2		20 मुन्नीबाई	41 रमेश	अजजा	2
		3		42 भारतसिंह	63 अजबसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		64 बैजनाथ	83 कमलसिंह	महिला अजा	2
		5		84 रामश्रीबाई	101 गोवर्धन	महिला अजजा	1
		6		102 नत्थू	अंत पार्वतीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	डाबर	1 भगवतीबाई	14 नब्बू खां	महिला सामान्य	3
		8		15 बाबू खा	25 मुशीलाल		
		9		26 गनेशराम	36 मोहरसिंह		
		10		37 जगतसिंह	50 कल्याण		
		11		51 गणेशा	67 अबरार खां		
		12		68 विसमिल्लाह बी	81 बिस्सा बी		
		13		82 साजिम खा	91 गोविंदा		
		14		92 फिदा हुसेन	105 फातमा बी		
		15		106 अब्दुल रसीद	अंत आसिम खां		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ रतम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
41	ककरावदा	1	ककरावदा	1 कोसाबाई	18 रामराजसिंह	अजा	3
		2		19 भगरीबाई	29 नवला	अजजा	2
		3		30 झुत्तू	47 प्रीति	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		48 गनपत	65 रामकृष्ण	महिला अजा	2
		5		66 मेवाबाई	81 वीरसिंह	महिला अजजा	1
		6		82 रामगोपाल	91 विजयसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		92 महाराजसिंह	103 रामसिंह	महिला सामान्य	2
		8		104 सेवाराम	119 अजुदीबाई		
		9		120 निर्भयसिंह	127 भगवानसिंह		
		10		128 नथनसिंह	141 हुकमसिंह		
		11		142 भारतसिंह	156 सोमत		
		12		157 खिमियाबाई	अंत हरीसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
42	मूडरा	1	मूडरा	1 कल्याण	20 शोभा	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 2 4 2 1 2 3
		2		21 हलकू	30 दलीपसिंह		
		3		31 रामकरणसिंह	39 नवलसिंह		
		4		40 कम्मोदसिंह	58 रामकरणसिंह		
		5		59 रूकमनीबाई	70 रामकरणसिंह		
		6		71 मोवतसिंह	80 टीकाराम		
		7		81 हरीनारायण	अंत केशाबाई		
		8	मेवली	1 कलाबाई	23 भैयालाल		
		9		24 मालमसिंह	30 मनोज		
		10		31 धारूसिंह	36 धमेन्द्रसिंह		
		11		37 कैलाश	44 जवाहरसिंह		
		12		45 धन्नालाल	अंत रीना		
		13	जीवाजीपुर	1 कपूरीबाई	15 घनश्याम		
		14		16 गोपाल	अंत मुकेश		
		15	कलाखेडी	1 पूरनसिंह	अंत यानबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
43	सोमरा	1	सोमरा	1 देवीसिंह	39 नरेन्द्र प्रताप	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 1 3 1 1 2 3
		2		40 रम्पोबाई	86 हरप्रसाद		
		3		87 फूलबाई	107 छोटोबाई		
		4		108 मन्नुलाल	123 केशरबाई		
		5		124 लक्ष्मीबाई	अंत नर्वदीबाई		
		6	बालराकला	1 नवला	13 हक्का		
		7		14 मन्नु	23 कल्याणसिंह		
		8		24 रतनसिंह	27 गंगाराम		
		9		28 रतीराम	अंत सतीश		
		10	बालशखुर्द	1 मुन्ना खा	13 किशन		
		11		14 नारायण	24 समीम अख्तर		
		12		25 बिरगिल्लाह बी	अंत बख्तिया		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निजी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
44	स्वरूपनगर	1	स्वरूपनगर	1 मानसिंह	42 भूरीबाई	अजा	7
		2		43 हीराबाई	80 गोपीबाई	अजजा	0
		3		81 लक्ष्मण प्रसाद	121 फूलबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		122 मलोदियाबाई	176 मुन्नाबाबू	महिला अजा	4
		5		177 हरीचरण	213 भीमसिंह	महिला अजजा	0
		6		214 अशोक कुमार	261 ब्रजेश	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		262 दुर्गाबाई	अंत हमीदरहमान	महिला सामान्य	4
		8	लालपठार	1 फूलबाई	59 नरेन्द्र		
		9		60 खुशीलाल	102 रामकलीबाई		
		10		103 गोपाल	159 रूपसिंह		
		11		160 रामगोपाल	211 राजेश		
		12		212 सुमेरसिंह	253 पवनकुमार		
		13		254 माताप्रसाद	309 भगू		
		14		310 शंभूसिंह	379 पचोबाई		
		15		380 अनिल कुमार	441 देवेन्द्र		
		16		442 मुकेश	507 हरकिशन		
		17		508 गनेशराम	567 सागोन जी		
		18		568 रामकिशन	614 भोगीराम		
		19		615 राजाराम	667 टीकाराम		
				20	668 पप्पू	अंत सुशीलाबाई	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निजी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
45	हरदूखेडी	1	हरदूखेडी	1 हरीसिंह	9 भारतसिंह	अजा	4
		2		10 यसोदा बाई	19 भोगीलाल	अजजा	1
		3		20 रामकोबाई	35 अखेसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		36 कुवरबाई	48 गनपत	महिला अजा	2
		5		49 जमनाप्रसाद	अंत संजय कुमार	महिला अजजा	1
		6	बेहलोट	1 संजय	36 भोगीराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		37 महाराजसिंह	69/26 हरीराम	महिला सामान्य	5

1	2	3	4		5	6
					प्रवर्ग	संख्या
		8	69/28 ठाकुरसिंह	79/2 लल्लू		
		9	80 पूनाबाई	86/40 कालूराम		
		10	86/41 शिवनारायण	86/80 मुकेश		
		11	86/82 कैलाश कुमार	109/10 मानकुअरबाई		
		12	109/11 किशोरीलाल	113/4 सावित्रीबाई		
		13	113/6 कमलसिंह	132/43 रामकुवरबाई		
		14	132/44 अमानसिंह	132/90 रतनसिंह		
		15	132/92 मुन्नु	135/19 मुकेश		
		16	135/20 फूलबती	135/63 सावित्रीबाई		
		17	135/64 महाराजसिंह	अंत ब्रजेश		
		18	परसोरा 1 नूर खां	10 इमरतसिंह		
		19	11 प्रेमसिंह	23 रईसन बी		
		20	24 मोहनबाई	अंत सरस्वतीबाई		

**ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)**

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कर्मकों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम नं०	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का कर्मक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
46	रबरयाई	1	रबरयाई	1 करनसिंह	7 धनबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4
		2		8 रमेशप्रसाद	अंत रामबाई		2
		3	राउखेडी	1 राहुल	अंत मनोज		3
		4	अजीजपुर	1 पूनाबाई	18 शांतिबाई		2
		5		19 खूबसिंह	32 नेपालसिंह		1
		6		33 मोतीबाई	43 बबौतबाई		2
		7		44 घसीटा	अंत सुशीलाबाई		2
		8	स्यावदा	1 शैतानसिंह	16 वीरसिंह		
		9		17 प्रेमबाई	28 प्रेमनारायण		
		10		29 गुलाबबाई	41 छोटेलाल		
		11		42 नेतरम	56 फूलबाई		
		12		57 गंगाराम	68 अंगूरीबाई		
		13		69 इमरत	अंत रचना		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
47	महागौर	1	महागौर	1 भोगीराम	13 मोहनलाल	अजा	7
		2		14मुन्नीबाई	37 रूगनाथसिंह	अजजा	0
		3		38 धीरजसिंह	53दरयाबसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		54प्रेमबाई	99/2 भूरा	महिला अजा	4
		5		99/3 दरयाबसिंह	123 शिवदयाल	महिला अजजा	0
		6		124 रामस्वरूप	145बलदानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		146 मर्दनसिंह	173 ज्ञानबाई	महिला सामान्य	4
		8		174 सुंदरलाल	196 महेश		
		9		197हलकीबाई	213 किशोरीलाल		
		10		214 मुन्नालाल	238 कैलाश		
		11		239 मुल्लोबाई	अंत मोकमसिंह		
		12	वनवाजागीर	1 रामरतन	अंत मोहनसिंह		
		13	कानीखेडी	1 रामनाथ	18 मुल्ला		
		14	कानीखेडी	19 प्रेमबाई	अंत इस्माईल		
		15	भदावसा	1 चुन्नीलाल	15 खेमचंद		
		16		16 लक्ष्मण	27 प्रतापसिंह		
		17		28हरीसिंह	36 गिरवरसिंह		
		18		37 भगवानसिंह	अंत गोराबाई		
		19	मढियाखुर्द	1 फूलसिंह	14 श्यामबाई		
		20		15 बुदुलाल	अंत सीमाबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6
		8	107 लक्ष्मणसिंह	120 बलदेव	
		9	121 नंदराम	133 शंकरलाल	
		10	134 हरप्रसाद	149 ब्रजेश	
		11	150 पूनाबाई	165 हामिद अली	
		12	166 अरशद अली	183 दमरुलाल	
		13	184 प्रेमनारायण	204 पानबाई	
		14	205 रामलाल	222 नमीम खां	
		15	223 मुन्ने खा	237 लालसिंह	
		16	238 अंतरबाई	अंत छोटेला	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम अंक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
49	चौरावर	1	चौरावर	1 नरेश	15 भगवतसिंह	अजा	4
		2		16 श्यामसिंह	28 सुनीताबाई	अजजा	0
		3		29 अयूब अली	44 पूनाबाई	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		45 श्रीराम	56 गनेशीबाई	महिला अजा	2
		5		57 ग्यारसा	73 रासिदा बेगम	महिला अजजा	0
		6		74 ग्यासुदीन	85 मलखानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		86 पार्वतीबाई	अंत चतरबाई	महिला सामान्य	5
		8	सेमरी	1 रामकिशन	38 राधाबाई		
		9		39 मोहबत अली	62 थानसिंह		
		10		63 अमानसिंह	69 किशनसिंह		
		11		70 कौमलसिंह	73 प्रेमसिंह		
		12		74 माघोसिंह	88 सुकियाबाई		
		13		89 लालाराम	122 संतीबाई		
		14		123 गोहरसिंह	अंत कल्लू		
		15	भसूडा	1 गजराजसिंह	20 कुसुमबाई		
		16		21 गुलाबसिंह	36 मुन्नालाल		
		17		37 ग्यारसीलाल	अंत कमल		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3				5	6	
50	गमाखर	1	गमाखर	1 श्री कृष्णा	17 मोकमसिंह		अजा	4
		2		18 केसरीसिंह	38 सुभान		अजजा	3
		3		39 धन्ना	62 तुलसीराम		अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		63 शकरीया	79 डालचंद		महिला अजा	2
		5		80 भारत	91 पप्पू खों		महिला अजजा	2
		6		92 जगन्नाथसिंह	111 रामकरण		महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		112 प्राणसिंह	141 लक्ष्मीनारायण		महिला सामान्य	4
		8		142 राजू	162 कुसुमबाई			
		9		163 भरोसा	185 नन्नीबाई			
		10		186 भागवती	207 गनेशराम			
		11		208 बारेलाल	227 सुक्का			
		12		228 सुखलाल	253 गोपीबाई			
		13		254 बाबूलाल	267 रामबाई			
		14		268 प्रयागसिंह	292 लालाराम			
		15		293 शिवनन्दन	315 हल्के			
		16		316 तुलसाबाई	341 शारदाबाई			
		17		342 रामसिंह	358 भोगीराम			
		18		359 श्यामबाई	375 मेमाबाई			
		19		376 गुलाबसिंह	399 विसनाबाई			
		20		400 मोहरसिंह	अंत कोमलबाई			

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3				5	6	
51	कूल्हा	1	कूल्हा	1 भोगीराम	15 सुन्दरबाई		अजा	5
		2		16 परतीतराम	29 सरजूबाई		अजजा	1
		3		30 मोहरबाई	46 सुरेश		अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		47 भीकम	61 प्रेमा		महिला अजा	3
		5		62 धनसिंह	72 रामसिंह		महिला अजजा	1

1	2	3	4	5	6
				प्रवर्ग	संख्या
		6	73 पन्नालाल	84 बतीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग
		7	85 जानकीबाई	अंत परमा	महिला सामान्य
		8	सलोई 1 पूनाबाई	20 मिटठूसिंह	
		9	21 कोमलबाई	39 दीमानसिंह	
		10	40 काशीबाई	61 भुजबल	
		11	62 तुलसीराम	85 रामप्रसाद	
		12	86 मिश्रीलाल	95 बुद्ध	
		13	96 सुरेश	अंत लल्लू	
		14	ललोई 1 करनसिंह	14 कलाबाई	
		15	15. मुल्लोबाई	32 चुन्नी	
		16	33 खचोरा	44 हरीसिंह	
		17	45 गजराजसिंह	57 ओमकार	
		18	58 हिन्दुसिंह	अंत मुकेश	
		19	मूडरा खलील 1 लक्ष्मण	27 राममरोसे	
		20	28 रामसिंह	अंत भमरीबाई	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमोंको में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम नं०	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
52	नौघई	1	नौघई	1 गनेशराम	17 हरीसिंह	अजा	3
		2		18 छतरसिंह	34 फूलबाई	अजजा	2
		3		35 गजराजसिंह	47 अर्जुनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		48 पोपसिंह	81 मोजीलाल	महिला अजा	2
		5		82 हरप्रसाद	85 तोरनसिंह	महिला अजजा	1
		6		86 मथुराबाई	110 गोविंदसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		111 जसवंतसिंह	124 नबलसिंह	महिला सामान्य	3
		8		125 रूपबाई	144 वीरेसिंह		
		9		145 रमेशसिंह	168 चिरंजी		
		10		169 निर्भयसिंह	187 उधमसिंह		
		11		188 कमला	214 श्यामलाल		
		12		215 काशीबाई	अंत मंगल		
		13	पीपरहूटा	1 नारायणसिंह	30 कमलाबाई		
		14		31 पप्पू	44 पानबाई		
		15		45 गंगाराम	अंत शांतिबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
53	मदियासेमरा	1	मदियासेमरा	1 केशरीसिंह	20 बुंदेलसिंह	अजा	6
		2		21 भमरसिंह	42 श्यामलाल	अजजा	0
		3		43 जशोदा	53 राजकुमार	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		54 रमेश	65 फललू	महिला अजा	3
		5		66 ओमकारसिंह	75 सौदानसिंह	महिला अजजा	0
		6		76 अनिल कुमार	97 बालाराम	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		98 सरोजबाई	112 रामगोपाल	महिला सामान्य	4
		8		113 रामकुंवर	अंत रामसखी		
		9	कमरपुर	1 प्रेमनारायण	12 हरीबाई		
		10		13 बाबूलाल	20 पन्नालाल		
		11		21 कलाबाई	अंत रामचरण		
		12	परसोराजागीरी	1 करोडीलाल	14 मूलचंद		
				14		34 बोथाबाई	49 माधोसिंह
		15		50 रूसतम खा	अंत उधमसिंह		
		16	सनावल	1 सुरेन्द्र	16 प्रेमसिंह		
		17		17 मनीराम	30 निरपतसिंह		
		18		31 दलीपसिंह	49 कमलाबाई		
		19		50 प्रेमसिंह	अंत केशर		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
54	पबई	1	पबई	1 रामप्रसाद	11 रामरतन	अजा	4
		2		12 कल्याण	18 बदीसिंह	अजजा	0
		3		19 फूलबाई	27 प्रीतमसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		28 यशवंतसिंह	36 रामकली	महिला अजा	2
		5		37 रामस्वरूप	48 देवाबाई	महिला अजजा	0
		6		49 देवीसिंह	63 गुलाबबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		64 शंकर	78 जसोदीबाई	महिला सामान्य	4

1	2	3	4	5	6
		8	79 प्रेमबाई	100 नर्वदा	
		9	101 कंचेदीलाल	115 सोमतसिंह	
		10	116 हलकीबाई	126 शांतिबाई	
		11	127 निरंजन	152 राजेन्द्रसिंह	
		12	153 सुरेन्द्र	163 जसवंतसिंह	
		13	164 काशीबाई	173 हजरतसिंह	
		14	174 गजराजसिंह	191 राजकुमारी	
		15	192 मथुराबाई	208 परमाबाई	
		16	209 रामकुवरबाई	अंत जीवन	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कर्मों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
55	फरीदपुर	1	फरीदपुर	1 संतोष	21 परमानंद	अजा	3
		2		22 भागवती	30 रूपसिंह	अजजा	0
		3		30 / 1 रामकरण	38 / 2 रामेश्वर	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		38 / 3 हेमलताबाई	45 / 3 सरस्वती	महिला अजा	2
		5		45 / 4 माधोसिंह	62 शेखरसिंह	महिला अजजा	0
		6		63 गीताबाई	73 नर्वदीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		74 राजाराम	82 लक्ष्मणसिंह	महिला सामान्य	3
		8		83 मुशीलाल	101 उमकारसिंह		
		9		102 मोहनसिंह	116 सुखलाल		
		10		117 द्रोपदीबाई	136 कलुआ		
		11		137 खिलानसिंह	अंत तोरन		
		12	मदियादरोई	1 भगरीबाई	अंत मुल्लू		
		13	माधोपुरकला	1 अमानसिंह	31 रतनलाल		
		14		32 रज्जू	अंत कोसाबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
56	सोठिया	1	सोठिया	1 हरिसिंह	12 अनारबाई	अजा	2
		2		13 कमलाबाई	24 वीरसिंह	अजजा	1
		3		25 शंकरसिंह	35 रतन	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		36 सन्नु	47 रामचरण	महिला अजा	1
		5		48 घासीराम	57 रामसिंह	महिला अजजा	1
		6		58 दुरजोबाई	अंत बारेलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	हिरनोदा	1 चंद्रभानसिंह	9 रामप्रसाद	महिला सामान्य	2
		8		10 तुला	21 गोपीबाई		
		9		22 अमोलसिंह	28 कल्याण		
		10		29 शंकरसिंह	31 चंदाबाई		
		11		31 क निम्माबाई	अंत मोहरबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
57	देरखी	1	देरखी	1 दिमानसिंह	16 बल्ला	अजा	3
		2		17 गोपीलाल	30 इकबाल	अजजा	1
		3		31 एजाज	48 विपता	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		49 गंगाराम	64 एजाजहुसेन	महिला अजा	2
		5		64 /1 तक्रीहेदर	77 हरिसिंह	महिला अजजा	1
		6		78 मुंशीलाल	97 नब्बोबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		98 सुंदरबाई	114 /1 सिकदरखां	महिला सामान्य	1
		8		114 /2 रामलाल	अंत इशाकअहमद		
		9	शामोरीहसनपुर	1 प्रेमबाई	8 रामवररूप		
		10		9 नंदलाल	19 सुनीताबाई		
		11		20 उमराव	41 गनपत		
		12		42 नारायणसिंह	अंत प्रेमनारायण		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
58	बसरिया	1	बसरिया	1 हरीराम	18 राधेश्याम	अज्ञा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अज्ञा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 4 4 2 2 2 2
		2		19 सनमानसिंह	33रानी		
		3		34 मीराबाई	46 अनंतसिंह		
		4		47 रामस्वरूप	58 रामकरन		
		5		59 दीवानसिंह	68 भीकमसिंह		
		6		69 शककोबाई	80 छिंगा		
		7		81 मोहरबाई	95 श्यामबाई		
		8		96 बैजनाथ प्रसाद	अंत नीमाबाई		
		9	गजनई	1 करईबाई	15 गुन्ना		
		10		16 चिमना	25 बैजनाथ		
		11		26 भगवानसिंह	37 विजयसिंह		
		12		38 रमकोबाई	43 हरप्रसाद		
		13		44 हरीशंकर	अंत प्रेमदास		
		14	जासीखेडी	1 रामकरन	4 प्रेमबाई		
		15		5 हलकीबाई	अंत सरदारसिंह		
		16	माधोपुरखुर्द	1 दंगल	अंत कल्याणसिंह		

ग्राम पंचायत

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
59	बरखेडा	1	बरखेडा	1 मन्नु	15 रघुवीर	अज्ञा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अज्ञा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 3 4 2 2 2 2
		2		16 कछेदी	24 हलकई		
		3		25 मोतीसिंह	51 नथनसिंह		
		4		52 प्राणसिंह	59 जगन्नाथसिंह		
		5		60 तेजसिंह	65 सुरजनसिंह		
		6		66 फूलसिंह	71 तरवरसिंह		
		7		72 ओमप्रकाश	अंत परता		
		8	डफरयाई	1 मन्नु	20 रामकली		
		9		21 केशरबाई	31 सनमानसिंह		
		10		32 दयाराम	44 श्यामलाल		
		11		45 रामलाल	56 हीराबाई		
		12		57 खुमान	अंत कपूरीबाई		
		13	रतनखेडी	1 कमलाबाई	13 यशोदाबाई		
		14		14 श्रीराम	24 द्रोपदीबाई		
		15		25 पृथ्वीसिंह	41 काशीराम		
		16		42 रामसिंह	अंत गुन्नालाल		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
60	करौंदाकलां	1	करौंदाकलां	1 मंशाराम	11 अमानसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 1 3 1 1 2 3
		2		12 नत्थू	20 कछेदी		
		3		21 ग्यारसी	34 कादर खां		
		4		35 इस्माईल खा	44 बहादुरसिंह		
		5		45 सरीबाई	54 नारायणसिंह		
		6		55 बब्बू	68 भैरोसिंह		
		7		69 मिश्रीलाल	अंत बुद्धा		
		8	कालापाटा	1 उमकारसिंह	14 मानसिंह		
		9		15 राजाराम	24 भारतसिंह		
		10		25 लखनसिंह	35 शांतिबाई		
		11		36 करौडी	46 कुसुम बाई		
		12		47 उधम	57 काशीबाई		
				13	58 हरनाम		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
61	आटासेमर	1	आटासेमर	1 भावसिंह	12 रघुवीरसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 0 5 2 0 3 5
		2		13कनीराम	24 सुमंत्राबाई		
		3		25 प्यारेलाल	40 तुलसाबाई		
		4		41 धन्नालाल	56 भूपतसिंह		
		5		57 पूरनसिंह	67 समंदरसिंह		
		6		68 प्रेमबाई	79 जरावंतसिंह		
		7		80 दौलतसिंह	92 हरबोबाई		
		8		93 गनेशराम	109 हरलाल		
		9		110 वीरन	121 परसराम		
		10		122 गदेशी	अंत देवनिस		
		11	सीगाखेडी	1 हरीनारायण	अंत रामगोपाल		
		12	नानूखेडी	1 चतरा	12 ग्याप्रसाद		
		13		13 कामताप्रसाद	23 डालचंद		
		14	24 तुलारम	36 ज्ञानबाई			
		15	37 प्रेमबाई	47 फूलबाई			
		16	48 मचलसिंह	अंत रामकरन			
		17	गढायला 1 करतूरीबाई	16 रामकरन			
		18	17 शोभाराम	31 प्रेमबाई			
		19	32 कमरसिंह	अंत राजेन्द्रसिंह			
		20	बरबटी 1 मोतीसिंह	अंत हरप्रसाद			

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
62	मासेर	1	मासेर	1 उमकार	7 श्यामलाल	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4
		2		8 जुगरा	14 चांद खां		1
		3		15 सगीर खा	23 भैयालाल		5
		4		24 काशीबाई	40 सनमानसिंह		2
		5		41 रज्जोबाई	अंत गनेशराम		1
		6	कबूलपुर	1 गुलाब	17 पूरनसिंह		3
		7		18 रतिबाई	36 कुटू		4
		8		37 सरदारसिंह	अंत रामबाई		
		9	दैलाखेडी	1 गनेशीबाई	12 राजबाई		
		10		13 करनसिंह	21 कीरतसिंह		
		11		22हरप्रसाद	42 बद्रीप्रसाद		
		12		43 रमेशचंद	53 ए 9 करोडीलाल		
				13	53 ए 10 बल्लू		56 भोकमसिंह
		14	57 भैयालाल	अंत दरयाबसिंह			
		15	गुलाबरी	1 सुमंत्राबाई	14 गोपीलाल		
		16		14 ए 1 दलीप	19 मोतीबाई		
		17		20 मन्लाल	34 सरस्वती		
		18		34 ए 1 मोहनलाल	52 मोहनसिंह		
		19		53 सुखिया	61 नारायणसिंह		
		20		62 प्रहलादसिंह	अंत अरविहद		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
63	सोसेरा	1	सोसेरा	1 जुबेदा बी	16कल्याणसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1
		2		17रामसिंह	38 देवी		0
		3		39 रामगोपाल	67 सावित्रीबाई		3
		4		68 रतिबाई	79 खेमचंद		1
		5		80 भग्गोबाई	93 करनसिंह		0
		6		94 नंदगोपाल	108 खुमनीबाई		2
		7		109 ताराबाई	133 खुशीलाल		3
		8		134 धनसिंह	141 रामकलीबाई		
		9		142 पार्वतीबाई	अंत भग्गोबाई		
				10	बेलई		1 दीवानसिंह

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
64	अनबई	1	अनबई	1 कोकसिंह	13 सूरजसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2
		2		14 नारायणसिंह	25 जुगलसिंह		0
		3		26 भल्ला	43 प्रेमसिंह		4
		4		44 खेमचंद	64 चिरोजीलाल		1
		5		65 लीलधर	76 कमरबाई		0
		6		77 गुडडा	96 नत्थू		2
		7		97 सुदरबाई	112 रामदयाल		5
		8		113 नर्वदाप्रसाद	120 मनोबाई		
		9		121 हरनामसिंह	144 घासीराम		
		10		145 इंदरिया	170 चंदनबाई		
		11		171 कमलेश	अंत हरनाम		
		12	धनसिंहपुर	1 राधाबाई	13 सुशीलबाई		
		13		14 गोपीबाई	25 संपत		
		14		26 लक्ष्मण	34 कल्याण		
		15		35 हरीप्रसाद	अंत दयालसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
65	भिदवासन	1	भिदवासन	1 गौरीशंकर	16 हरनामसिंह	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		2		17 हलके	30 जलाल खां		2
		3		31 दंगलसिंह	53 हरनामसिंह		5
		4		54 जाहिद खां	72 फूलबाई		2
		5		73 दिमानसिंह	89 कंजी		1
		6		90 खिल्ला	101 प्रीतम		3
		7		102 हलकईया	122 जयसिंह		5
		8		123 गोविंदसिंह	136 भगवानसिंह		
		9		137 फुंदीलाल	अंत घासीराम		

1	2	3	4	5	6
		10	करासी 1 रजब अली		21 सब्बोबाई
		11			31 बल्लू
		12			47 रामा
		13			62 अख्तर बी
		14	62 धा मंजूर अली		76 बेगम बी
		15	76 धा हागिद अली		91 रामप्रसाद
		16	92 प्रहलादसिंह		106 हिकमत अली
		17	107 अब्बास अली		125 मोहर अली
		18	125क कलंदर अली		139 गजरीबाई
		19	140 जयराम		158 रघुवीरसिंह
		20	159 तुलसीराम		अंत सीताबाई

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
66	करोंदाखुर्द	1	करोंदाखुर्द	1 बाबूलाल	10 खिलानसिंह	अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3
		2		11 मलखानसिंह	25 पूरन		2
		3		26 इंदरबाई	34 मिश्रीलाल		4
		4		35 सरुआ	40गोपीबाई		2
		5		41 बुलखा	अंत जगतसिंह		1
		6	कैथोरी	1 कन्हैयालाल	12 वृजमोहन		2
		7		13 शंभूसिंह	25 देवाबाई		4
		8		26 मुल्ल	39 हरीराम		
		9		40 जानकीबाई	अंत मुन्ना		
		10	मढिया	1 सुगनाबाई	12 वीरसिंह		
		11		13 शिवराजसिंह	अंत राजकुमार		
		12	रिटेहरी	1 शौभाराम	11 परसू		
		13		12 नंदा	25 ओमप्रकाश		
		14		26 रधीरसिंह	31 भवानीसिंह		
		15		32 कल्लू	अंत संतोष		
		16	गंभीरी	1 कलियाबाई	5 वल्लोबाई		
		17		6 कछेदी	अंत तुलाराम		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
67	मोरोदा	1	मोरोदा	1 गथराबाई	20 नत्थोबाई	अजा	4
		2		21 भमरलाल	43अननंदा	अजजा	0
		3		44 हरप्रसाद	73 उमरावसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		74 परतापसिंह	93 धारूसिंह	महिला अजा	2
		5		94 रामचरण	99 रघवीर	महिला अजजा	0
		6		100 भागवतीबाई	अंत महाबीर प्रसाद	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	बांगची	1 खिम्मा	9 मंशीलाल	महिला सामान्य	6
		8		10 हरनामसिंह	20 कपूरीबाई		
		9		21 नत्थूदास	32 हरनमासिंह		
		10		33 धन्नालाल	अंत बिमलाबाई		
		11	सनाईरामपुर	1 लीलाबाई	16 पतिराम		
		12		17 थानसिंह	32कलाबाई		
		13		33 सरजूबाई	48पुष्पाबाई		
		14		49 कल्याणसिंह	63 मदन		
		15		64हलकीबाई	79 धासीराम		
		16		80 बिहारी	96 गेडेसी		
		17		97 रगवरिया	102 कृष्णाबाई		
		18		103 किशोरी	115 कमलसिंह		
		19		116 रामसिंह	130 जालम		
		20		131 पतिराम	अंत रामू		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
68	सिरनोटा	1	सिरनोटा	1 हनुमानदास	18 ग्रीस कुमार	अजा	3
		2		19 प्रेमबाई	28 जादादा बी	अजजा	1
		3		29 बलदार खा	36 रहीस खां	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		37 हबीब खं	49 छोटाराम	महिला अजा	2
		5		50 खिलान	63 दिलावर खां	महिला अजजा	1

1	2	3	4	5	6	
		6	64हरीसिंह	80 लालाराम	महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		7	81 भैयालाल	96 भैयालाल		4
		8	97 नाथूराम	123 घनश्याम		
		9	124 मुन्नालाल	140 दयाराम		
		10	141 कछेदीलाल	161 गुलाब		
		11	162 बेटीबाई	180 रामबाई		
		12	181 सल्लाबाई	199 रमेश		
		13	200 राजेन्द्र कुमार	213 रतनलाल		
		14	214 हेमनाथ	235 वशजलाल		
		15	236 भैयालाल	250 भारतसिंह		
		16	251 विष्णू	267 बलराम		
		17	268 हिम्मतसिंह	279 रामचरण		
		18	280 समीर खा	293 बहीद खा		
		19	294 हीरालाल	अंत गुलाबबाई		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतसंज्ञा एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
69	बारोद	1	बारोद	1 प्राणसिंह	15 परमलाल	अजा	2
		2		16 वंशी	28 रामकिशन	अजजा	0
		3		29 हरबोबाई	38 मुन्नीबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		39 श्यामलाल	55 कमलाबाई	महिला अजा	1
		5		56 रामकुवर	67 नीरज	महिला अजजा	0
		6		68 नंदकिशोर	75 भूषा	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		76 रामबाई	90 शांतिबाई	महिला सामान्य	7
		8		91 फूलबाई	अंत बुंदेलसिंह		
		9	मुहारासा	1 मर्दनसिंह	12 कृष्णाबाई		
		10		13 नदोबाई	23 रामकिशन		
		11		24 रूपसिंह	36 संपतबाई		
		12		37 भवरलाल	48 खुमानसिंह		
		13		49 तुलाराम	56 बदनसिंह		
		14		57 मर्दनसिंह	72 कमलसिंह		
		15		73 कोमलबाई	84 प्रेमसिंह		
		16		85 काशीराम	अंत गनपतसिंह		
		17	दीघोरा	1 केशवदास	13 गजराजसिंह		
		18		14 नारायणसिंह	23 रहमान खा		
		19		24 जालमसिंह	36 गोविंदसिंह		
		20		37 मुल्लू	अंत सीताराम		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
70	घटेरा	1	घटेरा	1 सुरजनसिंह	13 शिबू	अजा	3
		2		14 दयाराम	28 मोतीवाइ	अजजा	1
		3		29 लक्ष्मीबाई	46 दयालीबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		47 धन्नालाल	53 मथुरावाइ	महिला अजा	2
		5		54 रतनलाल	63 मीरावाइ	महिला अजजा	1
		6		64 रूकसाना	75 अमरसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		76 रामचरण	90 भूरीवाई	महिला सामान्य	4
		8		91 मोतीवाई	103 भागवद		
		9		104 राजकुमार	118 चिरोजीवाई		
		10		119 रामकिशन	130 रामकवरवाई		
		11		131 हरनामसिंह	144 राधेश्याम		
		12		145 विष्णु	161 घनश्याम		
		13		162 नेतराम	174 चन्द्रेश		
		14		175 शांतिबाई	190 शीलचंद		
		15		191 वैनीप्रसाद	211 इरमाईलखां		
		16		212 कालूराम	231 वीनावाई		
		17		232 विमलाधाई	250 मुन्नालाल		
		18		251 कमलावाई	269 आरती		
		19		270 घासीराम	286 बुंदेलसिंह		
				20		287 पप्पू	अंत हर्सराज

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
71	भिलाथं	1	भिलाथं	1 शंकरसिंह	7 भीकमसिंह	अजा	3
		2		8 श्याम	15 थानसिंह	अजजा	5
		3		16 श्यामलाल	25 /4 ग्यारसी	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		25 /5 हरीराम	28 बाबूलाल	महिला अजा	2

1	2	3	4	5	6	
		5	29 कन्दई	39 मोहनलाल	महिला अजजा	3
		6	40 लच्छू	46 गोरेलाल	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	47 सरुआ	54 पूरनसिंह	महिला सामान्य	1
		8	55 चतरसिंह	68 अनिलकुमार		
		9	68 /1 दिमानसिंह	70 /4 रविन्द्र		
		10	70 /5 कल्याणसिंह	70 /11 प्यारीबाई		
		11	70 /12 सगुनी	74 /4 केशरवाड़		
		12	74 /5 मोहनसिंह	85 /4 अर्जुनसिंह		
		13	85 /5 दरयावसिंह	अंत अनितावाई		
		14	भावनखेडी 1 रामदयाल	7 हीरालाल		
		15	8 प्रताप	अंत मालतीवाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
72	मूढरी	1	मूढरी	1 भगोबाई	14 भैयालाल	अजा	2
		2		15 हरलाल	35 ग प्रहलादसिंह	अजजा	2
		3		35 घ अमोलसिंह	51 क मदनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		51 ख अमरसिंह	70 श्यामलाल	महिला अजा	1
		5		70 क वंशीलाल	91 निर्भयसिंह	महिला अजजा	1
		6		91 क निरपंतसिंह	100 गुल्लू	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		100 क नारायणसिंह	103 छ हरलाल	महिला सामान्य	3
		8		103 ड प्रेमबाई	अंत मोहरसिंह		
		9	पधार	1 रूपसिंह	15 घासीराम		
		10		16 ग्यारसीलाल	25 हरगोविंद		
		11		26 प्रीतम	40 शेरसिंह		
		12		41 गज्जू	50 खुमानोबाई		
		13		51 कोमल	58 सम्मतबाई		
		14		59 खुमानवाई	अंत वशजा		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
73	दैलवाडा	1	दैलवाडा	1 निहादोवाई	8 राजू	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4 4 3 2 2 2 1
		2		9 गुलाबवाई	17 भेलाराम		
		3		18 कमलावाई	28 हरीनारायण		
		4		29 गजराज	49 हरीराम		
		5		50 जगदीश	64 सक्कोवाई		
		6		65 कल्याण	86 पारु		
		7		87 रमेश	108 किशन		
		8		109 मुन्नीवाई	123 चुन्नी		
		9		124 मुल्की	136 कल्लू		
		10		137 दुर्जन	146 ओमकार		
		11		147 द्रोपतीवाई	157 गोविंदी		
		12		158 देवीसिंह	अंत पूरन		
				नूरपुर	1 ग्यारसीवाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
74	आबुपुरकुचौली	1	आबुपुरकुचौली	1 परगा	16 मोहरवाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	9 3 5 5 2 3 0
		2		17 अमरसिंह	23 बाबूलाल		
		3		24 बिन्नावाई	33 जवाहरसिंह		
		4		34 कमलाबाई	45 प्रेमबाई		
		5		46 मंगलसिंह	62 राधेलाल		
		6		63 गुडडीबाई	74 बबलू		
		7		75 सुम्मा	82 श्रीराम		
		8		83 थानसिंह	91 पतीराम		
		9		92 रबूदीबाई	105 खिलानसिंह		
		10		106 भागीरथ	112 लाखनसिंह		
		11		113 रामगोपाल	120 रतनसिंह		
		12		121 नारायणसिंह	अंत लक्ष्मण		
		13	करीमपुर	1 बालमुकंद	17 रामकली		
		14		18 बाबूलाल	30 श्यामलाल		
		15		31 कमलाबाई	47 भगवानदास		
		16		48 पल्लू	60 जोधाराम		
		17		61 रामश्रीबाई	अंत छोटेला		
		18	बंजरिया	1 खिलान	21 कल्याणसिंह		
		19		22 बुदेलसिंह	44 ग्यारसा		
		20		45 खुशीलाल	अंत हिम्मतसिंह		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
75	बाबली	1	बाबली	1 मंगला	12 फूलू	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	4
		2		13 मनका	31 काशीराम		0
		3		32 शीलावाइ	46 बबू		4
		4		47 गनेशा	61 कोमल		2
		5		62 वीरसिंह	76 नरेशकुमार		0
		6		77 धांधुसिंह	88 फूलसिंह		2
		7		89 दिनेशकुमार	107 भगवतीवाइ		3
		8		108 फदाली	123 नर्बदाप्रसाद		
		9		124 घनश्याम	137 नर्बदाप्रसाद		
		10		138 मोहरसिंह	149 हरीसिंह		
		11		150 हल्कई	170 नारायणप्रसाद		
		12		171 कोमल	191 हरगोविंद		
		13		192 शोभाश्याम	209 ठाकुरप्रसाद		
				14			210 देशराज

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
76	लहदरा	1	लहदरा	1 गजराज	8 वीरेन्द्र	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		2		9 मंगलसिंह	25 बबरीबाई		4
		3		26 शांतिबाई	43 रामदयाल		3
		4		44 रामकिशन	68 मोहन		2
		5		69 जवाहरखाँ	89 समततबाई		2
		6		90 प्रकाश	101 प्रतापसिंह		2
		7		102 प्रेमबाई	136 मुन्ना		1
		8		137 उधम	150 किशन		
		9		151 परमोली	अंत दौलतबाई		
		10	लमन्या	द्वारकाप्रसाद	कमलाबाई		
		11		11 रामगोपाल	20 चिरोजाबाइ		
		12		21 सुखलाल	54 सुल्तानखाँ		
				13			55 कलाबाई

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
77	औरंगपुर	1	औरंगपुर	1 हीराबाई	10 चतरसिंह	अजा	3
		2		11 सनमानसिंह	20 नारायणसिंह	अजजा	2
		3		21 कीरतसिंह	36 भुजवल	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		37 राजू	47 नत्थूसिंह	महिला अजा	2
		5		48 लच्छोबाई	अंत मुन्नालाल	महिला अजजा	1
		6	बेरखेडी	1 शुक्का	15 सरदारसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		16 दौलतसिंह	24 गजराराजप्रसाद	महिला सामान्य	3
		8		25 कुदनसिंह	अंत हरचंदी		
		9	बरोदिया	1 मायाबाई	13 पर्वतसिंह		
		10		14 कलाबाई	23 कपूरीबाई		
		11		24 नारायणसिंह	35 सुमंत्राबाई		
		12		36 द्वारकाप्रसाद	अंत जमनाबाई		
				13	डिगरोली	1 भुज्जी	14 प्यारेलाल
		14		15 काशीराम	27 श्यामाबाई		
		15		28 लछियाबाई	45 बिहारी		
		16		46 गुंडीबाई	अंत बाबूसिंह		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
78	सत्ताखेडी जाजौन	1	सत्ताखेडी ज	1 बंदेलसिंह	17 गणेश	अजा	2
		2		18 मुन्ना	27 जमनाबाई	अजजा	6
		3		28 प्रेमबाई	44 श्यामबाई	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4		45 कमोदी	64 नाथूराम	महिला अजा	1
		5		65 वंशीबाई	76 गाविदसिंह	महिला अजजा	3
		6		77 सूरतसिंह	95 रामराजसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
		7		96 परमलाल	अंत लीलाबाई	महिला सामान्य	3
		8	सूजाबासोदा	1 कोमलबाई	17 दातार		
		9		18 करन	24 खिलान		
		10		25 कछेदी	38 मायाबाई		
		11		39 रोशन	52 वैजयन्ती		
		12		53 बंदीयाबाई	65 गुडियाबाई		
		13		66 ग्यारसीबाई	81 दौलतसिंह		
		14		82 बलदेव	अंत मूलचंद		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
79	दाउदबासौदा	1	दाउदबासौदा	1 रामरतन	9 गुलामखां	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 1 3 1 1 2 2
		2		10 नल्लूसिंह	20 पहलवान		
		3		21 पन्नालाल	29 अनवारखां		
		4		30 जरदारखां	40 जहीदनखां		
		5		41 मिट्टूखां	52 कासमखां		
		6		53 जफरखां	69 मिहीलाल		
		7		70 धनसिंह	86 रामलाल		
		8		87 रामदयाल	102 कोमल		
		9		103 रहीसखां	116 बाबूलाल		
		10		117 हुकुमसिंह	125 प्रेमसिंह		
		11		126 बसंतीवाई	अंत माधोसिंह		
		12	बाढेरमाफी	1 अनीसाबी	अंत इमरतबाइ		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
80	मुराहर	1	मुराहर	1 वीरसिंह	16 श्यामलाल	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 0 4 2 0 2 4
		2		17 केशरवाई	30 शकुनवाई		
		3		30 / 1 हल्कई	42 धीरज		
		4		43 टीकाराम	53 मीरावाई		
		5		54 सुखलाल	69 जयंराम		
		6		70 प्रेमवाई	76 रंधीरसिंह		
		7		77 श्यामवाई	91 रमेशकुमार		
		8		92 भगवानसिंह	105 लक्ष्मनसिंह		
		9		106 भागीरथ	118 कपूरीवाई		
		10		119 काशीराम	अंत केशर		
		11	करईखुर्द	1 रामकलीवाई	18 सुमंत्रा		
		12		19 तुलाराम	अंत देवीसिंह		
		13	किरारखेडी	1 बुंदलसिंह	18 जगन्नाथ		
		14		19 रूपसिंह	31 राधावाई		
		15		32 हरचरण	अंत बबीतावाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
81	उकायला	1	उकायला	1 रघुवीरसिंह	20 कुन्दन	अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 1 3 1 1 2 3
		2		21 गनेशीवाई	33 दौलतसिंह		
		3		34 हल्कीवाई	43 कमलावाइ		
		4		44 राजेन्द्रसिंह	51 तखतसिंह		
		5		52 सियावाई	अंत सहोद्रावाई		
		6	लहरावदा	1 बलराम	26 इन्द्राजसिंह		
		7		27 कपूरीवाई	42 तुलाराम		
		8		43 शिवकुमार	अंत फूलरानी		
		9	सुमेरकाछी	1 वृन्दावन	9 तुलसीराम		
		10		10 जसबतसिंह	20 मंशाराम		
		11		21 जयसिंह	27 प्रेमवाई		
		12		28 भन्ते	अंत रघुवर		
		13	मटेना	1 मजीतखां	अंत महेन्द्रसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
82	शैरवासा	1	शैरवासा	1 लाखन	12 रूपसिंह	अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 2 5 1 1 3 4
		2		13 सूरजसिंह	27 सरदारसिंह		
		3		28 श्रीवाई	37 पुतरीवाइ		
		4		38 धीरजसिंह	57 सुमत्रा		
		5		58 प्रकाश	65 ग्याप्रसाद		
		6		66 सुखलाल	80 रामरतीवाई		
		7		81 मुन्ना	अंत सियारानी		
		8	बन्दावली	1 बलरामसिंह	8 रंजीता		
		9		9 जवाहरसिंह	20 गोटी		
		10	न्दावली + परास	21 उदल	अंत जयनतीवाई		
		11	मुडैना	1 कुंवरवाई	11 बल्लू		
		12		12 लक्ष्मण	19 आरामवाई		
		13		20 बुंदेलसिंह	28 भंवरलाल		
		14		29 बबुआ	अंत हीरावाई		
		15	करईकला	1 रामसेवक	8 रामसिंह		
		16		9 फूलसिंह	22 कडोरी		
		17		23 रमेशकुमार	32 हरीसिंह		
		18		33 हल्केसिंह	अंत पुष्पाबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
83	खेरोदा	1	खेरोदा	1 शांतिबाई	12 श्याम	अजा	2
		2		13 गोमतीबाई	21 हरीशंकर	अजजा	1
		3		22 मुन्ना	31 लक्ष्मीबाई	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		32 जानकीबाई	43 मेहरवान	महिला अजा	1
		5		44 गजराजसिंह	58 हल्कई	महिला अजजा	1
		6		59 मोहरवाइ	अंत खिलानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	छेवला	1 गोमतीबाई	अंत राजू	महिला सामान्य	5
		8	रूपेटी	1 प्रेमबाइ	7 बहादूरसिंह		
		9		8 देवकरण	17 जानकीबाइ		
		10		18 भगवतीबाई	32 लखन		
		11		33 भोलाराम	अंत प्रगतिदेवी		
		12	हिनाता	1 गिरजाबाइ	अंत रामसहाय		
		13	गुदावल	1 फुलाबाई	10 बीराबाई		
		14		11 बृजबाई	16 छुट्टीलाल		
		15		17 मथराबाई	21 शेरसिंह		
		16		22 संतराम	27 बेनाबाइ		
		17		28 खेमचंद	अंत गुडडा		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
84	मैनवाडा	1	मैनवाडा	1 शौभाराम	9 / 2 सूरजसिंह	अजा	6
		2		9 / 3 सीताराम	10 / 13 बालाप्रसाद	अजजा	1
		3		10 / 14 गोमतीबाई	30 सबोदराबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		31 चैनसिंह	37 शिवराजसिंह	महिला अजा	3
		5		38 रंधीरसिंह	55 लाडले	महिला अजजा	1

1	2	3	4	5	6	
		6	56 मोहनलाल	70 हरीसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		7	71 गनपत	87 रामगुलाम		4
		8	88 देबाई	101 मोहन		
		9	102 प्रह्लादसिंह	112 गुलाब		
		10	113 भावसिंह	अंत ब्रजनंदन		
		11	मटियाई 1 कमलेश	16 ए 1 दरयाबसिंह		
		12	16 ए 2 गुलाबसिंह	25 जगनसिंह		
		13	26 नारायणसिंह	53 आशाराम		
		14	54 हरीसिंह	89 लीलाधर		
		15	90 सुनीताबाई	102 खिलानसिंह		
		16	103 सूरजबाई	अंत भीकम		
		17	हथवाय 1 मल्लीबाई	अंत अमना		
		18	रमपुरा 1 गुलाबसिंह	6 शंकरसिंह		
		19	7 केशवप्रसाद	अंत भोगीराम		
		20	रायखेडी 1 निर्भय सिंह	अंत नोनीबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
85	खामखेडा	1	खामखेडा	1 प्रकाश	14 गनेशराम	अजा	6
		2		15 हीराबाई	37 जगतसिंह	अजजा	0
		3		38 प्रेमसिंह	50 गनेशप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		51 कंछेदीलाल	68 खेमचंद	महिला अजा	3
		5		67 रमेश	90 रंधीरसिंह	महिला अजजा	0
		6		91 राजाराम	118 रामचरण	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		119 सुक्का	133 कलाबाई	महिला सामान्य	3
		8		134 नीयतबाई	152 लसमाबाई		
		9		153 मिलापबाई	164 संपत		
		10		165 रेतजी	अंत शांतिबाई		
		11	कजरई	1 दामोदर	11 तुलाराम		
		12		12 देवकीबाई	22 गमीरा		
		13		23 टीकाराम	30 निहीलाल		
		14		31 श्यामलाल	38 सुरेश		
		15		39 देवाबाई	अंत प्रेमसिंह		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3		5	6		
86	अमारी	1	अमारी	1 अर्जुनसिंह	22 मुलायमखां	अजा	4
		2		23 अनामतवी	39 बाबूलाल	अजजा	1
		3		40 राजेश	54 पानवाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		55 करतुरीबाई	68 मत्थाबाई	महिला अजा	2
		5		69 नारायणसिंह	86 रूपसिंह	महिला अजजा	1
		6		87 बाबूलाल	99 चैनसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		100 भमरीबाई	अंत श्यामवाई	महिला सामान्य	4
		8	सुनेटी	1 सूरजसिंह	15 धनसिंह		
		9		16 तुलसाबाई	29 जनपतसिंह		
		10		30 पप्पू	45 शिवनारायण		
		11		46 फूलाबाई	54 गनेशराम		
		12		55 कल्पना	अंत गीताबाई		
		13	मददेवरा	1 बैजनाथ	12 गनेश		
		14		13 कस्साबाई	26 मीराबाई		
		15		27 चतरसिंह	37 हीरालाल		
		16		38 रामरती	अंत वीनूकुमारी		
		17	बगरोदा	1 गुलाबसिंह	14 बंशी		
		18		15 मर्दनसिंह	28 मालतीबाई		
		19		29 नर्वदाप्रसाद	38 भगवानसिंह		
		20		39 किशनसिंह	अंत मायाबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3		5	6		
87	हामिदपुर	1	हामिदपुर	1 गिरजाबाई	14 चरतसिंह	अजा	1
		2		15 प्रतापसिंह	28 आनंदसिंह	अजजा	0
		3		29 भैरोसिंह	52 सुदमनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		53 हीरालाल	75 भगवानसिंह	महिला अजा	1
		5		76 श्यामलाल	103 /1 रघुवीरसिंह	महिला अजजा	0
		6		103 /2 रतनसिंह	119 गोपालसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		120 दुर्गाबाई	133 महेन्द्रसिंह	महिला सामान्य	3
		8		134 राजबाबू	146 लाखनसिंह		
		9		147 प्रेमवाई	162 अजबसिंह		
		10		163 पुष्पाबाइ	177 विजयसिंह		
		11		178 प्रेमा	अंत एवं परसौरा संपूर्ण मिश्रीलाल		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
88	रसूलपुर	1	रसूलपुर	1 रंधीर	18 गुलाबसिंह	अजा	4
		2		19 रामबाबू	29 रामप्यारी	अजजा	0
		3		30 फूलवाई	36 रामप्यारी	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4		37 हरिसिंह	56 प्रभूलाल	महिला अजा	2
		5		57 गुलाबखां	77 चिरोंजीबाई	महिला अजजा	0
		6		78 हल्केसिंह	98 शारदाबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7		99 लीलाबाई	112 बृजबाई	महिला सामान्य	6
		8		113 प्रीतम	131 संजू		
		9		132 मुन्नालाल	144 ज्ञानचंद		
		10		145 बालचंद	159 राधाबाई		
		11		160 कस्तूरीबाई	184 मोहन		
		12		185 प्रभात	199 मौजीलाल		
		13		200 ग्याबाई	215 अमरसिंह		
		14		216 दूमाबाई	230 सीताराम		
		15		231 रामबाई	251 शादवी		
		16		252 बन्नेखां	261 अफसर		
		17		262 मथुराप्रसाद	286 सुशीलाबाई		
		18		287 आजाद	308 मुन्नी वी		
		19		309 चिरोंजी	375 मोहन		
		20		376 खूबसिंह	अंत गनेशीबाइ		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम ांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
89	महोली	1	महोली	1 बेनीबाई	18 परगलाल	अजा	5
		2		19 बलीराम	31 जगदीशकुमार	अजजा	1
		3		32 नत्थू	43 नन्नीबाइ	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4		44 घसीटा	56 खिलानसिंह	महिला अजा	3

1	2	3	4	5	6		
		5	57 रामकलीबाई	72 विजयकुमार	महिला अजजा	1	
		6	73 संदेरसिंह	अंत मानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2	
		7	मदनयाई	1 बालापुरी	10 गुलाबबाई	महिला सामान्य	2
		8	11 शांतिबाई	23 कालूराम			
		9	24 काशीबाई	अंत उत्तरा			
		10	सुमेरदांगी	1 करतूरीबाई	13 तुलसाबाई		
		11	14 पुन्ना	26 परमिया			
		12	27 रामवतीबाई	33 रजीतसिंह			
		13	34 प्यारीबाइ	44 किशोरीला			
		14	45 पंचा	अंत रामचरण			

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निम्नी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
90	त्योदा	1	त्योदा	1 अमरसिंह	28 अमित	अजा	3
		2		29 हुकमचंद	45 गोमतीबाई	अजजा	2
		3		46 भगोनी	66 देवकी	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		67 परमलाल	83 महेन्द्रकुमार	महिला अजा	2
		5		84 हल्लीबाई	103 सरदारखां	महिला अजजा	1
		6		104 गब्बू	121 जानकीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		124 पार्वतीबाई	145 महाराजगिर	महिला सामान्य	5
		8		147 रतनसिंह	169 /1 रामकुमारी		
		9		170 कमलसिंह	192 /2 पंचोबाई		
		10		193 कमलसिंह	210 सीताबाई		
		11		211 बुंदेल	234 मुल्लोबाई		
		12		235 /1 प्रीतम	253 कामलप्रसाद		
		13		254 सुवकोबाई	268 /2 पूरन		
		14		270 इंदर	287 /2 बलीराम		
		15		288 धन्नु	305 /2 मदनलाल		
		16		306 /3 सुरेशकुमार	320 /ख फूलसिंह		
		17		321 सियाराम	349 /3 विष्णुप्रसाद		
		18		349 /क गंगाप्रसाद	369 सरदारखां		
		19		370 प्रकाशचंद	394 कोमलबाई		
		20		395 कलियाबाई	अंत बाबूलाल		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
91	रीछई	1	रीछई	1 फूलसिंह	15 कर्मोदसिंह	अजा	2
		2		16 दुलारे	28 काशीराम	अजजा	4
		3		29 शिबू	41 भागीरथ	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		42 जमनाबाई	52 गुलाब बाइ	महिला अजा	1
		5		53 कल्लू	68 भज्जी	महिला अजजा	2
		6		69 बुल्ला	81 दयासिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		82 फूलबाई	97 भागचंद	महिला सामान्य	5
		8		98 मुन्नीबाई	111 हरववंश		
		9		112 टीकाराम	128 पानबाई		
		10		129 उमेदीबाई	138 परसराम		
		11		139 सररवतीबाई	अंत श्याम		
		12	सगोनी	1 हरीसिंह	7 हिम्मतसिंह		
		13		8 परमोबाइ	अंत जालम		
		14	कोहना	1 काशीराम	13 मुशीलाल		
		15		14 मोहनसिंह	अंत करन		
		16	बेरखेडी	1 कल्याणसिंह	10 अंतराम		
		17		11 रामचरन	20 बूदाबाई		
		18		21 कुसुमबाई	अंत हमीरसिंह		
		19	रामनगर	1 माकूल बी	25 मकसूर बी		
		20		26 अनीस खां	अंत कर्मोदा		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
92	सतपाडाकलां	1	सतपाडाकलां	1 गिरधारी	19 जानकीबाई	अजा	3
		2		19/1 शक्करबाई	37 कृष्णाबाई	अजजा	1
		3		38 सौदानसिंह	60 सरवनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		61 बालमुकंद	73 धनसिंह	महिला अजा	2
		5		74 हरप्रसाद	106 पपू	महिला अजजा	1
		6		107 सौदानसिंह	135 शैतानसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3

1	2	3	4	5	6	
		7	136 हरिराम	अंत शीलाबाई	महिला सामान्य	4
		8	पैरवासा 1 नत्थूसिंह	16खिलानसिंह		
		9	17 प्रेमबाई	30 पतिराम		
		10	31 अखेसिंह	45 कैलाशनारायण		
		11	46 हरदयाल	65 भैयालाल		
		12	66 उमराव	83 रतीराम		
		13	84 रामबाबू	अंत गुमानोबाई		
		14	परियोजर्मीद 1 बहीद खो	20 ए 2 सुमंत्राबाई		
		15	20 ए 3 हंसराज	34 कोमलिया		
		16	35 ग्यारसा	57 इंदरीश खां		
		17	58 मरसू खा	69 हवीब खां		
		18	70 हफीजन बी	87 बिन्नी बी		
		19	88 असालत खा	114 करीम खां		
		20	115 प्रकाश	अंत बाबू खां		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3			5	6	
93	बरमढी	1	बरमढी	1 मुल्ली	13 उत्तमसिंह	अजा	
		2		14 उधम	24 लालसिंह	अजजा	2
		3		25 चंदाबाई	37 फूलसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4		38 हुकमसिंह	47 अरमानसिंह	महिला अजा	4
		5		48 गोपालसिंह	55 रामस्वरूप	महिला अजजा	1
		6		56 इन्दरसिंह	76 कल्याणसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7		77 देवकावाई	अंत ठाकुरसिंह	महिला सामान्य	2
		8	शेखपुर	1 हरचरन	14 जसवंतसिंह		4
		9		15 जगन्नाथ	32 मुन्नालाल		
		10		33 दयाला	46 नारायणसिंह		
		11		47 खिलान	अंत भमरीवाई		
		12	इनायतपुर	1 जगदीश	14 गजराजसिंह		
		13		15 सरसुतीवाई	26 करनसिंह		
		14		27 कछेदी	40 सिरनामसिंह		
		15		41 रामदयाल	51 श्यामलाल		
		16	डोलवाज	1 मिस्टर सिंह	16 श्यामवाई		
		17		17 बहादुरसिंह	अंत दिमानसिंह		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम नं०	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
94	करबाबागरोद	1	करबाबागरोद	1 महाताबासिंह	14 जमनाबाई	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 0 4 2 0 2 5
		2		15 भीकमप्रसाद	37 घनश्याम		
		3		38 गैदाबाई	56 विष्णुप्रसाद		
		4		57 चिरौजीबाई	70 बैजनाथप्रसाद		
		5		71 भागचंद	90 अहसानअली		
		6		91 रणजीत	111 करणसिंह		
		7		112 नाजिमअली	125 शकुनबाई		
		8		126 सुदामाप्रसाद	143 शम्भूदयाल		
		9		144 पुष्पाबाई	155 शिवराजसिंह		
		10		156 भारतसिंह	167 मूलचंद		
		11		168 सोनू	174 रामचरण		
		12		175 हेमराज	184 सुन्दरलाल		
		13		185 वेनीबाई	198 हामिरसिंह		
		14		199 गोमतीबाई	211 पूरन		
		15		212 धन्शू	225 सोमनाथसिंह		
		16		226 मुन्नालाल	245 कडोरीलाल		
		17		246 काशीराम	अंत अनिलशर्मा		

ग्राम पंचायत

दिनांक 08-05-2014

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निका सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम नं०	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
95	गोडखेडीमार	1	गोडखेडीमार	1 कोमलबाई	14 सेवाराज	अजा अजजा अन्य पिछडा वर्ग महिला अजा महिला अजजा महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 1 5 2 1 3 4
		2		15 मुलायमसिंह	24 जागरसिंह		
		3		25 ललताबाई	41 लक्ष्मणसिंह		
		4		42 दयालबाई	55 शोचंद		
		5		56 राजेश	अंत जवाहरसिंह		
		6	रोदा (बागरो)	1 देवीप्रसाद	15 कल्पनाबाई		
		7		16 गंगाबाई	24 हरीनारायण		
		8		25 अमरसिंह	41 मोहरसिंह		
		9		42 कुन्दनसिंह	55 भैरोबाइ		
		10		56 विष्णुप्रसाद	अंत श्यामसुन्दर		

1	2	3	4	5	6	
		11	गौडखेडीपठा	1 अमोलसिंह	14 दौलतबाई	
		12		15 कोसाबाई	28 अजवसिंह	
		13		29 नारायणसिंह	अंत बीरसिंह	
		14	मुकन्दपुर	1 गोवरधन	15 सेवलाल	
		15		16 नारायणसिंह	31 कोशल्याबाई	
		16		32 सम्पतबाई	अंत मनीराम	
		17	तरावली	1 खिमुआ	20 रामकलीबाई	
		18		21 नारानसिंह	39 हरप्रसाद	
		19		40 हलके	शिवाबाई	

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई स्तरणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
96	लगधा	1	लगधा	1 कोमलप्रसाद	15 बबरीबाई	अजा	1
		2		16 समपतबाई	30 गोपीलाल	अजजा	1
		3		31 बाबूलाल	45 नथू	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		46 गंगाराम	60 चन्दनबाई	महिला अजा	1
		5		61 गेदाबाई	80 प्रेमबाई	महिला अजजा	1
		6		81 हरिसिंह	99 रामस्वरूप	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		100 गोविंदी	115 सूरजबाई	महिला सामान्य	4
		8		116 फूलसिंह	125 हल्केराम		
		9		126 हल्कीबाई	137 गजाधर		
		10		138 जीवन	अंत अर्जुन		
		11	दानमढी	नारायणसिंह	18 रमेश		
		12		19 मर्दन	35 रमकोबाई		
		13		36 देवकिशन	अंत शांतिबाई		
		14	वेदकचौडा	1 काशीबाई	9 भूरीबाई		
		15		10 केशरबाई	अंत फूलोबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
97	पिपरियादौलत	1	पिपरियादौलत	1 बैनीबाई	21 गुमतीबाई	अजा	3
		2		22 अमरसिंह	29 लक्ष्मणसिंह	अजजा	0
		3		30 हल्के	41 कम्मोदा	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		42 हल्केराम	71 गजराजसिंह	महिला अजा	2
		5		72 प्रभूलाल	अंत	महिला अजजा	0
		6	महुआखेडा	1 सुल्तानबी	अंत नबाबखां	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7	नयागांव	1 अमरसिंह	8 मनमोहन	महिला सामान्य	4
		8		9 गिठदुलाल	14 गिरजाबाई		
		9		15 नीमाबाई	22 सनमानसिंह		
		10		23 तुलसीराम	33 दौलतसिंह		
		11		34 बेजनाथ	53 बाबूलाल		
		12		54 दयाराम	अंत रामप्रसाद		
		13	रहमानपुर	1 उदयभान	अंत मोहनबाबू		
		14	मूडरा	1 कल्लू	22 महेन्द्रसिंह		
		15		23 भूरालाल	36 केशरबाई		
		16		37 फूलसिंह	58 खेमराज		
		17		59 अब्दुखां	72 हरीसिंह		
		18		73 घासीराम	अंत रमेशकुमार		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तंभ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रमिक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
98	विसधा	1	विसधा	1 मेहताबसिंह	20 वैजन्तीबाई	अजा	2
		2		21 भंवरलाल	36 अर्चना	अजजा	0
		3		37 मुन्नीबाई	45 खूबसिंह	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4		46 मूंगाबाई	59 शांतिबाई	महिला अजा	1
		5		60 परतापसिंह	अंत रामचरण	महिला अजजा	0
		6	खिरिया	1 शांति	25 मिश्रीबाई	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7		26 रामबिहारी	अंत कौशाबाई	महिला सामान्य	4
		8	सुमेरकासम	1 नोनीत	16 खूमानसिंह		
		9		17 हरनामसिंह	34 सूरजसिंह		
		10		35 भग्गोबाई	48 सिम्भु		
		11		49 रामबाई	अंत ज्ञानसिंह		
		12	नोरजा	1 आत्माराम	इंद्र इमरतीबाई		
		13		इंद्र रमेश	अंत वीनाबाई		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
99	बूढीबागरोद	1	बूढीबागरोद	1 चुन्नीलाल	9 राजकुमार	अजा	5
		2		10 नर्वदीबाई	15 रामस्वरूप	अजजा	1
		3		16 जवाहरसिंह	24 लक्ष्मीप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		25 मुन्नालाल	38 सियाबाई	महिला अजा	3
		5		39 हलकीबाई	48 रामशरणदास	महिला अजजा	1
		6		49 गनपतसिंह	62 पंचम	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		7		63 जमनाबाई	73 मीराबाई	महिला सामान्य	3
		8		74 कोमलबाई	85 दुर्गाप्रसाद		
		9		86 हीरालाल	अंत बाबूलाल		
		10	विशानपार	1 श्योलाल	8 सीताराम		
		11		9 रूपसिंह	19 रतिबाई		
		12		20 उमराव	36 रघुराज		
		13		37 रामप्रसाद	58 विष्णु		
		14	59 महेश	76 मल्लीबाई			
		15	77 भागवतीबाई	अंत कुसुमबाई			
		16	बरोदिया 1 प्यारीबाई	14 मानबाई			
		17	15 गुलाबबाई	24 मंशीलाल			
		18	25 लालसिंह	37 दौलत			
		19	38 किशन	52 कल्लू			
		20	53 नंदलाल	अंत संगीताबाई			

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनुक्रम क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
100	पिपराहा	1	पिपराहा	1 हरचंदी	19 गोवर्धन	अजा	4
		2		20 भोला	41 गोपाल	अजजा	2
		3		42 पूरनसिंह	61 गंगाबाई	अन्य पिछडा वर्ग	5
		4		62 पुरुषोत्तम	79 अजुदीप्रसाद	महिला अजा	2
		5		80 विजयसिंह	99 काशीबाई	महिला अजजा	1

1	2	3	4	5	6	
		6	100 मेहताबसिंह	118 लक्ष्मणसिंह	महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3
		7	119 हरप्रसाद	141 लच्छू		4
		8	142 रमेश	162 माखनसिंह		
		9	163 ज्ञानबाई	182 सुम्मा		
		10	183 संजीव	204 जुम्मा		
		11	205 भारत	227 ज्ञान		
		12	228 कमल	245 लक्ष्मीबाई		
		13	246 भैयालाल	265 तीरथसिंह		
		14	266 दीमानसिंह	284 रमेश कुमार		
		15	285 रामकली	304 जीवन		
		16	305 कोमल	326 प्रेमसिंह		
		17	327 रतनसिंह	348 हरीनारायण		
		18	349 विद्याबाई	367 श्यामबाई		
		19	368 शांतिबाई	390 मूलचंद		
		20	391 धनसिंह	अंत महादेव		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08-05-2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमों में निजी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनुक्रम क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नंबर से मकान नंबर तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3				5	6
101	पचपीपरा	1	पचपीपरा	1 प्रभूलाल	13 विरोजीलाल	अजा	4
		2		14 प्रतापसिंह	24 कल्यानसिंह	अजजा	0
		3		25 शिबू	34 मनबाई	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4		35 हरीसिंह	38 नारायणसिंह	महिला अजा	2
		5		39 दयालाल	52 शारदाबाई	महिला अजजा	0
		6		53 कछेदी	अंत बालकदास	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		7	हांसुआ	1 सारदारसिंह	10 हल्कई	महिला सामान्य	4
		8		11 कमलाबाई	21 देवी		
		9		22 सम्पतबाई	33 / 3 लक्ष्मीबाई		
		10		33 / 4 मुल्लू	अंत रामवती		
		11	सेमरा त्योंदा	1 रतिबाई	20 कोसाबाइ		
		12		21 लक्ष्मीबाई	34 हरसाम		
		13		35 लक्ष्मीप्रसाद	48 नाथूराम		
		14		49 भगवती बाई	59 गजराजसिंह		
		15		60 शिवप्रसाद	74 / 2 सियाबाई		
		16	इटईया	1 राजाराम	अंत बट्टूसिंह		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा.

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट --पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वाढेर	1	वाढेर 1 भमरलाल से 12	अ.जा.	2
		2	हजारी 13 से 28	अ.ज.जा.	0
		3	नर्वदाप्रसाद 29 से 49	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	प्रेमबाई 50 से 70	महिला अ.जा.	1
		5	भमरलाल 71 से 85	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बनबारीदास 86 से 95	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	गुलाबबाई 96 से 105/5	महिला सामान्य	5
		8	गोपालसिंह 105/6 से 105/23		
		9	भारतसिंह 105/24 से 110		
		10	नारायणसिंह 111 से 120		
		11	रतनकमर 121 से 132		
		12	मर्दन 133 से 140		
		13	मौजा 141 से अंत तक		
		14	गोकलपुर 1 जसोदीबाई से 9		
		15	अजयपालसिंह 10 से 36		
		16	विनयसिंह 37 से 51		
		17	कन्हैया 52 से 60/4		
		18	रूपराम 60/5 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट --पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	साढेर	1	साढेर 1 प्रकाश से 15	अ.जा.	2
		2	भगवत 16 से 27	अ.ज.जा.	1

1	2	3	4	5	6
		3	अनिलकुमार 28 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	पूरनदास 41 से 53	महिला अ.ज्जा.	1
		5	शिवरचरण 54 से 66	महिला अ.ज्जा.	0
		6	शदीदखों 67 से 77	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	अमोलसिंह 78 से 86	महिला सामान्य	5
		8	रतनबाई 87 से 96		
		9	भमरलाल 97 से 112		
		10	लालसिंह 113 से 128		
		11	मिश्रीलाल 129 से 146		
		12	मेवाबाई 147 से 160		
		13	हरलाल 161 से 173		
		14	गोपाल 174 से अंत तक		
		15	पुराजागीर 1 नारायणप्रसाद से 14		
		16	गजराजसिंह 15 से 29		
		17	परती 30 से 47		
		18	बल्लोबाई 48 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेश्वर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	करमेडी	1	करमेडी 1 अकरमशाह से 4	अ.ज्जा.	1
		2	रसीदखों 5 से 11	अ.ज्जा.	0
		3	अक्तरखों 12 से 26/1	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	सुलेमानखों 26/2 से 39	महिला अ.ज्जा.	0
		5	निरपत्तखों 40 से 55	महिला अ.ज्जा.	0
		6	काशीबाई 56 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	महबूबखों 67 से 85	महिला सामान्य	6
		8	हरप्रसाद 86 से 105		
		9	मानसिंह 106 से 130		
		10	समीरनबी 131 से 149		
		11	अहमदअली 150 से 163		
		12	चंदनसिंह 164 से 184		
		13	भूरेखों 185 से 195		
		14	कालेखों 196 से 218/3		
		15	आसिकअली 218/4 से 227		
		16	रहीसखों 228 से 231		
		17	मोहरबी 232 से 243		
		18	प्रभूलाल 244 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट --पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	हिनोतियामाली	1	हिनोतियामाली 1 लक्ष्मणदास से 17	अ.जा.	2
		2	हरमोहन 18 से 31	अ.ज.जा.	0
		3	प्यारसिंह 32 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मिश्रीलाल 41 से 54	महिला अ.जा.	1
		5	बाबूलाल 55 से 69	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मुन्नीलाल 70 से 81	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	कृष्णाकमर 82 से 92	महिला सामान्य	6
		8	काशीबाई 93 से 100		
		9	लच्छोबाई 101 से 108		
		10	लक्ष्मण 109 से 117		
		11	मंशा 118 से 125		
		12	करणसिंह 126 से अंत तक		
		13	शहपुरा 1 सनमानसिंह से 12		
		14	मुन्नीबाई 13 से 22		
		15	भमरीबाई 23 से 36		
		16	लक्ष्मण 37 से 51		
		17	मथरीबाई 52 से 60		
		18	प्रेमा 61 से 77		
		19	दल्ला 78 से 87		
		20	हरगोविन्द 88 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	भरनाखेडा	1	भरनाखेडा 1 पप्पू से 14	अ.जा.	3
		2	कच्छेरीलाल 15 से 28	अ.ज.जा.	0
		3	हरिनारायण 29 से 43	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मूगाराम 44 से 55	महिला अ.जा.	2
		5	तुरसाबाई 56 से 71	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामसेवक 72 से 83	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	फूलबाई 84 से 96	महिला सामान्य	5
		8	काशीबाई 97 से 109		
		9	सत्यनारायण 110 से अंत		
		10	बरखेडाजाट 1 कारेलाल से 15		
		11	बल्ला 16 से 25		
		12	दीपक 26 से 37		
		13	तुलाराम 38 से 56		
		14	करोडीखान 57 से 69		
		15	लालाराम 70 से अंत तक		
		16	गोलना 1 प्रभूलाल से 10		
		17	पर्वतसिंह 11 से 22		
		18	प्रेमबाई 23 से 37		
		19	प्रेमबाई 38 से 44		
		20	पूरनसिंह 45 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	जीरापुर	1	जीरापुर 1 कौसाबाई से 11	अ.जा.	4
		2	केसाबाई 12 से 22	अ.ज.जा.	3
		3	सरस्वतीबाई 23 से 38	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	गनपत 39 से 49	महिला अ.जा.	2
		5	लक्ष्मणसिंह 50 से 75	महिला अ.ज.जा.	2
		6	शिवचरण 76 से 91	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	मुंगियाबाई 92 से 101	महिला सामान्य	2
		8	समरतनसिंह 102 से 116		
		9	खिलानसिंह 117 से 131		
		10	हल्कैया 132 से 141		
		11	नब्बीबाई 142 से 151		
		12	मिटबूलाल 152 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	लखार	1	लखार 1 मदनलाल से 14	अ.जा.	2
		2	भमरलाल 15 से 26	अ.ज.जा.	0
		3	बाबूलाल 27 से 39	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भूरीबाई 40 से 58	महिला अ.जा.	1
		5	ललिताबाई 59 से 73	महिला अ.ज.जा.	0
		6	असगरखी 74 से 98	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	फोरनसिंह 99 से 113	महिला सामान्य	4
		8	फैयादखान 114 से 125		
		9	सुखलाल 126 से 141		
		10	सादीनखान 142 से 157		
		11	विपताबाई 158 से 173		
		12	असरदखान 174 से 191		
		13	जाबरअली 192 से 213		
		14	तैयदखी 214 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	नादिया	1	नादिया 1 बालचंद से 17	अ.जा.	2
		2	हपीजखों 18 से 29	अ.ज.जा.	0
		3	अनीजखों 30 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	इब्राहीमखों 41 से 49	महिला अ.जा.	1
		5	भालखों 50 से 58/2	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कालेखों 58/3 से 60	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	बहीदखों 61 से 79	महिला सामान्य	3
		8	बरोलीबाई 80 से 92		
		9	हल्कैया 93 से अंत तक		
		10	डफरयाईखुर्द 1 असगरखली से 13		
		11	हुसयारखों 14 से 21		
		12	मोतीबाई 22 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	सतपाडाहाट	1	सतपाडाहाट 1 नवल से 20	अ.जा.	4
		2	छुक्का 21 से 42	अ.ज.जा.	3
		3	चिरोजी 43 से 60	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	गणेश 61 से 74	महिला अ.जा.	2
		5	टीकमचंद 75 से 91	महिला अ.ज.जा.	2

1	2	3	4	5	6
		5	टीकमचंद 75 से 91	महिला अ.ज.जा.	2
		6	रामदयाल 92 से 113	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सकूरखों 114 से 131	महिला सामान्य	4
		8	बटन 132 से 145		
		9	रामगोपाल 146 से 159		
		10	प्रभूलाल 160 से 169		
		11	फूलखों 170 से 185		
		12	ओमप्रकाश 186 से 214		
		13	मोहनसिंह 215 से 238		
		14	सुमित्राबाई 239 से 264		
		15	गौरीशंकर 265 से 277		
		16	फूलचंद 278 से 290		
		17	जगदीश 291 से 315		
		18	कारेलाल 316 से 331		
		19	राजनबाई 332 से 336		
		20	जानकीबाई 337 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	सांगुल	1	सांगुल 1 पन्नालाल से 14	अ.जा.	4
		2	प्रभूलाल 15 से 28	अ.ज.जा.	3
		3	धनियाबाई 29 से 41	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	गायत्रीबाई 42 से 51	महिला अ.जा.	2
		5	नंदराम 52 से 66	महिला अ.ज.जा.	2
		6	रणवीरसिंह 67 से 78	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	ज्ञानसिंह 79 से 89	महिला सामान्य	3
		8	कपूरीबाई 90 से 96		
		9	ख्यालीराम 97 से 110		
		10	फूलसिंह 111 से 122		
		11	लक्ष्मीबाई 123 से 139		
		12	भीकमसिंह 140 से 154		
		13	पर्वतसिंह 155 से 172		
		14	सरीफखों 173 से 184		
		15	राजेन्द्रप्रसाद 185 से 196		
		16	सरस्वतीबाई 197 से 209		
		17	गजराजसिंह 210 से 219		
		18	माधोसिंह 220 से 234		
		19	अमजदखों 235 से 261		
		20	पहलवानसिंह 262 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	हीरापुर	1	हीरापुर 1 कौसियाबाई से 10	अ.जा.	3
		2	भमरीबाई 11 से 25	अ.ज.जा.	1
		3	तुला 26 से 41	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गुलाबबाई 42 से 58	महिला अ.जा.	2
		5	कमलाबाई 59 से 74	महिला अ.ज.जा.	1
		6	रहीसनबी 75 से 80	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	नबलसिंह 81 से 85	महिला सामान्य	3
		8	रामबाबू 86 से अंत तक		
		9	पैगयाई 1 बिमलाबाई से 10		
		10	अखैसिंह 11 से 21		
		11	वैजनाथसिंह 22 से 35		
		12	अंगूरीबाई 36 से 46		
		13	खुशीलाल 47 से 56		
		14	भीकमसिंह 57 से 66		
		15	रामचरण 67 से 108		
		16	महाराजसिंह 109 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	बरखेडामाखू	1	बरखेडामाखू 1 मेहरबान से 14	अ.जा.	5
		2	दीवानसिंह 15 से 23	अ.ज.जा.	0

1	2	3	4	5	6
		3	पर्वतसिंह 24 से 35	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गुडडीबाई 36 से 51	महिला अ.जा.	3
		5	राजकुमारी 52 से 63	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मूरतसिंह 64 से 76	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	भगवानसिंह 77 से 87	महिला सामान्य	3
		8	महेन्द्र 88 से 94		
		9	अरमानखॉ 95 से 108		
		10	रामदयाल 109 से 119		
		11	विक्रमसिंह 120 से 131		
		12	गोरेलाल 132 से 145		
		13	सुनीताबाई 146 से 153		
		14	उमरावसिंह 154 से 167		
		15	जगना 168 से 181		
		16	घासीराम 182 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	हंडा	1	हडा 1 कारेलाल से 9	अ.जा.	2
		2	किशनसिंह 10 से 23	अ.ज.जा.	1
		3	बिनियाबाई 24 से 41	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	कमलसिंह 42 से 48	महिला अ.जा.	1
		5	तोरनसिंह 49 से 59	महिला अ.ज.जा.	1
		6	परमा 60 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	पूनाबाई झिरी 1 से 10	महिला सामान्य	5
		8	मेहरवानसिंह 11 से 21		
		9	मेहरवानसिंह 22 से 32		
		10	काशीबाई 33 से 47		
		11	भारतसिंह 48 से 63		
		12	राजेन्द्र 64 से 77		
		13	जवाहरसिंह 78 से अंत तक		
		14	मनियाबरखेडा 1 धीरजसिंह से 7		
		15	महाराजसिंह 8 से 16		
		16	गोपालसिंह 17 से 25		
		17	प्रेमबाई 26 से 31		
		18	सियाबाई 32 से 38		
		19	पदमसिंह 39 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	थाना	1	थाना 1 कल्याणसिंह से 12	अ.जा.	3
		2	कन्हैयालाल 13 से 28	अ.ज.जा.	0
		3	पुनियाबाई 29 से 38	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	काशीराम 39 से 49	महिला अ.जा.	2
		5	नासायणसिंह 50 से 59	महिला अ.ज.जा.	0
		6	खुमानसिंह 60 से 71	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	अनारबाई 71 से 80	महिला सामान्य	4
		8	नथनसिंह 81 से 92		
		9	कमरसिंह 93 से 101		
		10	रतीराम 102 से 111		
		11	कमलाबाई 112 से 119		
		12	धनीबाई 120 से 132		
		13	प्राणसिंह 133 से 139		
		14	सिंगारबाई 140 से 157		
		15	कोमल बाई 158 से 170		
		16	समलीबाई 171 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	हींगली	1	हींगली 1 गुलाबबाई से 13	अ.जा.	1
		2	बलराम 14 से 21	अ.ज.जा.	3

1	2	3	4	5	6
		3	हरनामसिंह 22 से 28	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रामसिंह 29 से 39	महिला अ.जा.	0
		5	आधारबाई 40 से 51	महिला अ.ज.जा.	2
		6	ग्याबाई 52 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	अमरसिंह 67 से 83	महिला सामान्य	3
		8	फूलसिंह 84 से 100		
		9	खुशाल 101 से अंत तक		
		10	अगराजागीर रामप्रसाद 1 से 17		
		11	शंकरिया 18 से 32		
		12	श्रीचंद 33 से 48		
		13	गण्पूलाल 49 से 61		
		14	दौलतराम 62 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र

परिशिष्ट --पांच (ब)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड नटेरन

सारणी

अ.क्र.	खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षण का विवरण (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नटेरन	1	1 वाढेर, 2 साढेर, 4 हिनोतियामाली	अ.जा.	5
		2	3 करमेढी, 7 लखार 8, नादिया 9 सतपाडाहाट	अ.ज.जा.	1
		3	5 भरनाखेडा, 6 जीरापुर 10 सांगुल, 11 हीरापुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
		4	13 हडा, 14 थाना, 15 हींगली, 17 रमपुराजागीर	महिला अ.जा.	3
		5	16 बीलखेडी, 18 बरखेडाजागीर, 19 बरूआखार	महिला अ.ज.जा.	0
		6	20 कोलुआ, 21 बरौवा, 23 बामौरी, 24 पाली, 35 महुटा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	32 बरोदिया, 33 भियांखेडी, 34 संग्रामपुर	महिला सामान्य	6
		8	28, मोही, 29 बिछिया, 30 नहरयाई, 31 करैया		
		9	22 जमनयाई, 25 रूसल्ली, 26 डंगरवाडा, 27 बेरखेडी किरार		
		10	36 धोबीखेडा 38 पिपलधार		
		11	12 बरखेडामारवू, 40 वर्धा, 50 अमखेडाकालू		
		12	39 बींझ, 41 इमलिया, 53 पमारिया		
		13	51 महुआखेडा, 52 पिपरिया, 53 आमखेडासूखा		
		14	54 नरखेडाखडया, 78 सिलवायखजूरी, 79 नागौर 82 ताजखजूरी, 83 रायपुर, 84 खैराई		
		15	42 रिनियां, 47 सेऊ,		
		16	37 अमरपुरा, 43 मूडराशैरपुर, 44 कस्वाखेडी		
		17	49 नटेरन, 80 मूडरापीताम्बर		

1	2	3	4	5	6
		18	45खाईखेडा,46रावन,48खजूरीदास		
		19	70गुरोद,76जौहद,77घटवाई,81दिघौनी		
		20	56नानकपुर,74पडरियाजागीर,75बूधौर		
		21	66फूफेर,67बमूरिया,68सोमवारा,69मरखेडा		
		22	63पैरवासा,65सकराई,72जोगीकिरोदा, 73हसनपुरजाठौदा,71तिलातिली		
		23	58खडेर,59ऐचदा,60रजौदा		
		24	61महु,62घोघरा,64रायखेडी		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	बीलखेडी	1	बीलखेडी 1 कंगलिया से 23	अ.जा.	1
		2	हजारीलाल 24 से 44	अ.ज.जा.	0
		3	जसोदीबाई 45 से 54/1	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	राजेन्द्रसिंह 54/3 से 68	महिला अ.जा.	0
		5	अमरीबाई 69 से 75	महिला अ.ज.जा.	0
		6	वैजनाथसिंह 76 से 96	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	अमोलसिंह 97 से 104	महिला सामान्य	6
		8	कोकसिंह 105 से 114		
		9	हरजी 115 से 135		
		10	महेन्द्रसिंह 136 से अंत तक		
		11	डलापाटई 1 भमरलाल से 13		
		12	शंकरसिंह 14 से 22		
		13	पूरनसिंह 23 से 46		
		14	नन्लाल 47 से 60		
		15	भगवानसिंह 61 से अंत तक		
		16	गौरिया 1 मोकमसिंह से 4		
		17	जीलाल 5 से 11		
		18	अमान 12 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	रमपुराजागीर	1	रमपुराजागीर 1 मुशीलाल से 19	अ.जा.	3
		2	केशरबाई 20 से 34	अ.ज.जा.	0
		3	पार्वतीबाई 35 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	वरोलाल 48 से 62	महिला अ.जा.	2
		5	किशोरी 63 से 77	महिला अ.ज.जा.	0
		6	श्यामबाई 78 से 87	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	चैनसिंह 88 से 104	महिला सामान्य	4
		8	नन्सूसिंह 105 से 119		
		9	भैयालाल 120 से 136		
		10	चंदरबाई 137 से 153		
		11	उधमसिंह 154 से 173		
		12	इंदरबाई 174 से अंत तक		
		13	शीलखेडा 1 मुशीलाल से 10		
		14	हल्कीबाई 11 से अंत तक		
		15	सागर 1 हीरालाल से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	बरखेडाजागीर	1	बरखेडाजागीर 1 बहीदखी से 30	अ.जा.	4
		2	चंदनसिंह 31 से 49	अ.ज.जा.	0
		3	धीरजसिंह 50 से 71	अन्य पिछड़ा वर्ग	5

1	2	3	4	5	6
		4	लच्छोबाई 72 से 94	महिला अ.जा.	2
		5	छुट्टू 95 से 109	महिला अ.ज.जा.	0
		6	भगवतसिंह 110 से 127	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	शंकरलाल 128 से 155	महिला सामान्य	5
		8	मुंशीलाल 156 से 184		
		9	मानसिंह 185 से 200		
		10	गिखरसिंह 201 से 227		
		11	वारेलाल 228 से 247		
		12	लुडकोबाई 248 से 278		
		13	चिरोजीलाल 279 से 289		
		14	मुनब्वरखों 290 से 315		
		15	मुंशीखों 316 से 338		
		16	बुदेलसिंह 339 से 381		
		17	गंगूराम 382 से 399		
		18	धम्माबाई 400 से 415		
		19	कोमलसिंह 416 से 432		
		20	सरस्वतीबाई 433 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गोंव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	बरुआखार	1	बरुआखार 1 बैरोसिंह से 11	अ.जा.	4
		2	नासरखों 12 से 18	अ.ज.जा.	0
		3	नारायणसिंह 19 से 30	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	कल्लूखों 31 से 39	महिला अ.जा.	2
		5	करनसिंह 40 से 50	महिला अ.ज.जा.	0
		6	चिरोजीबाई 51 से 57	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	मोकमसिंह 58 से 70	महिला सामान्य	5
		8	जयकिशन 71 से 85		
		9	सैयदखों 86 से 94		
		10	नबाबरखों 95 से 101		
		11	हसीनाबी 102 से अंत तक		
		12	रतबा 1 हर्जुनसिंह से 18		
		13	श्यामप्रसाद 19 से 29		
		14	चतरोबाई 30 से 50		
		15	जानकीबाई 51 से 65		
		16	मुलचंद 66 से 74		
		17	बुदेलसिंह 75 से 90		
		18	अमानसिंह 91 से 119		
		19	बलवंतसिंह 120 से 136		
		20	रामप्रसाद, 136क से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	कोलुआ	1	कोलुआ 1 घनश्यामसिंह से 12	अ.जा.	1
		2	अनंतसिंह 13 से 21	अ.ज.जा.	1
		3	नाथूराम 21ख से 34	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	लालाराम 35 से 45	महिला अ.जा.	0
		5	हरनाथसिंह 46 से 57	महिला अ.ज.जा.	1
		6	गोपालसिंह 58 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	उमरिया 1 खिलानसिंह से 7	महिला सामान्य	4
		8	करनसिंह 8 से 16		
		9	केराबाई 17 से 29		
		10	पार्वतीबाई 30 से अंत तक		
		11	दौलतपुरा 1 कोमलसिंह से अंत तक		
		12	दौलतसिंह जटपुरा 1 से 11		
		13	बिनियाबाई 12 से 28		
		14	अजबसिंह 29 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	बरोदा	1	बरोदा 1 पंखाबाई से 12	अ.जा.	1
		2	पर्वतसिंह 13 से 21	अ.ज.जा.	0
		3	इमरतसिंह 22 से 32	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	जगन्नाथ 33 से अंत तक	महिला अ.जा.	0
		5	मुरलीहुरी 1 करनसिंह से 6	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बुंदेलसिंह 7 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	बिसोनिया 1 तुलसीराम से 13	महिला सामान्य	4
		8	धीरजसिंह 14 से अंत तक		
		9	फतेहपुर 1 अमरसिंह से 4		
		10	भीकमसिंह 5 से 13		
		11	माधोसिंह 14 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	जमनयाई	1	जमनयाई 1 बाबूलाल से 10	अ.जा.	2
		2	हेमराज 11 से 23	अ.ज.जा.	0
		3	रामकलीबाई 24 से 36	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	पंचमसिंह 37 से 47	महिला अ.जा.	1
		5	मुंशीलाल 48 से 59	महिला अ.ज.जा.	0
		6	ममताबाई 60 से 72	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	प्रभू 73 से 89	महिला सामान्य	5
		8	कलाबाई 90 से 109		
		9	धनसिंह 110 से 125		
		10	नारायणसिंह 126 से अंत तक		
		11	खताखेडी 1 कलीराम से 11		
		12	नारायणसिंह 12 से 22		
		13	लालाराम 23 से 30		
		14	बाबूलाल 31 से 47		
		15	सौदानसिंह 48 से अंत तक		
		16	लवाखेडी कैलाश 1 से 10		
		17	लालाराम 11 से 25		
		18	कल्लू 26 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	बामोरी	1	बामोरी 1 गोपालसिंह से 10	अ.जा.	3
		2	गजराजसिंह 11 से 17	अ.ज.जा.	0
		3	हरिप्रियाबाई 17/1 से 26	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	हरप्रसाद 27 से 40	महिला अ.जा.	2
		5	शंकरसिंह 41 से 52	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मुन्नीबाई 53 से 68	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	द्वारकादास 69 से 95/6	महिला सामान्य	3
		8	रामवतीबाई 95/7 से अंत तक		
		9	मोहनपुरा 1 गनपतसिंह से 9		
		10	गनपतसिंह 10 से 14		
		11	कल्याणसिंह 15 से 18		
		12	घासीराम 19 से 24		
		13	कन्हैयालाल 25 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नंटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	पाली	1	पाली 1 तोरनसिंह से 27	अ.जा.	2
		2	तोरनसिंह 28 से 36	अ.ज.जा.	0
		3	कमलसिंह 37 से 61	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	लालाराम 62 से 78	महिला अ.जा.	1
		5	प्रेमबाई 79 से 90	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कोमलबाई 91 से 96	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कपूरीबाई 97 से 101	महिला सामान्य	3
		8	मोतीबाई 102 से 114		
		9	हरिसिंह 115 से 128		
		10	गोरेलाल 129 से अंत तक		
		11	मनाखेडी 1 रतनसिंह से 13		
		12	तोरनसिंह 14 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नंटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	रुसल्ली	1	रुसल्ली 1 लीलाबाई से 10	अ.जा.	3
		2	नर्वदाप्रसाद 11 से 22	अ.ज.जा.	1
		3	हरिसिंह 23 से 32	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	शान्तिबाई 33 से 41	महिला अ.जा.	2
		5	बलवंतसिंह 42 से 54	महिला अ.ज.जा.	1
		6	राजराम 55 से 63	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	मथुरालाल 64 से 76	महिला सामान्य	4
		8	गनेशराम 77 से 87		
		9	गुबरालाल 88 से 96		
		10	पन्नालाल 97 से 106		
		11	जयसाम 107 से अंत तक		
		12	डफरबाईकला 1 सरदारसिंह से 6		
		13	बालाराम 7 से 17		
		14	गनेशराम 18 से 34		
		15	मुशीलाल 35 से 39		
		16	हल्कूखों 40 से 46		
		17	मोहरसिंह 47 से 50		
		18	राजकुमारी 51 से 55		
		19	पंचमसिंह 56 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	डंगरवाडा	1	डंगरवाडा 1 अयोध्याप्रसाद से 16	अ.जा.	2
		2	सादिमखों 17 से 32	अ.ज.जा.	0
		3	सम्पतबाई 33 से 43	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भैरोसिंह 44 से 54	महिला अ.जा.	1
		5	निर्भयसिंह 55 से 69	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कोमलप्रसाद 70 से 79	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	हमीरसिंह 80 से 102	महिला सामान्य	5
		8	हल्कैया 103 से 114		
		9	रतनबाई 115 से 124		
		10	अमीनाबी 125 से 131		
		11	मोजीलाल 132 से 143		
		12	भैयालाल 144 से 151		
		13	महेन्द्रसिंह 152 से 161		
		14	माधोसिंह 162 से 177		
		15	कालूराम 178 से 187		
		16	भागवतीबाई 188 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	बेरखेडीकिरार	1	बेरखेडीकिरार 1 खुमामा से 11	अ.जा.	2
		2	करनसिंह 12 से 23	अ.ज.जा.	0
		3	मोहनसिंह 24 से 31	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	बीनाबाई 32 से 35	महिला अ.जा.	1
		5	बीनाबाई 36 से 47	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बदनसिंह 48 से 56	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	परमा 57 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	काछीखेडा 1 भारतसिंह से 16		
		9	रामकली 17 से 34		
		10	धापाबाई 35 से अंत तक		
		11	गडी 1 गंजराजसिंह से 15		
		12	मेहरवानसिंह 16 से 26		
		13	सियाबाई 27 से अंत तक		

कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	मोही	1	मोही 1 मांगीलाल से 11	अ.जा.	3
		2	नाथूराम 12 से 22	अ.ज.जा.	1
		3	सडुआ 23 से 35	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	विद्याबाई 36 से 44	महिला अ.जा.	2
		5	ओमकारसिंह 45 से 55	महिला अ.ज.जा.	1
		6	पर्वतसिंह 56 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	विशाल 67 से 76	महिला सामान्य	3
		8	कस्तूरीबाई 77 से 86		
		9	शिवचरन 87 से अंत तक		
		10	सकतपुर 1 लखनसिंह से 9		
		11	गोपालसिंह 9क से 16		
		12	गजरीबाई 17 से 25		
		13	संदेशसिंह 26 से 36		
		14	करनसिंह 37 से 46		
		15	नेतराम 47 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	मोही	1	मोही 1 मांगीलाल से 11	अ.जा.	3
		2	नाथूराम 12 से 22	अ.ज.जा.	1
		3	सडुआ 23 से 35	अन्य पिछड़ा वर्ग	4

1	2	3	4	5	6
		4	विद्याबाई 36 से 44	महिला अ.ज.जा.	2
		5	ओमकारसिंह 45 से 55	महिला अ.ज.जा.	1
		6	पर्वतसिंह 56 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	विशाल 67 से 76	महिला सामान्य	3
		8	कस्तूरीबाई 77 से 86		
		9	शिवचरन 87 से अंत तक		
		10	सकतपुर 1 लखनसिंह से 9		
		11	गोपालसिंह 9क से 16		
		12	गजरीबाई 17 से 25		
		13	सदेशसिंह 26 से 36		
		14	करनसिंह 37 से 46		
		15	नेतराम 47 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -घांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नदरेन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गोंव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	विछिया	1	विछिया 1 जसवंतसिंह से 21	अ.जा.	2
		2	पालू 22 से 38	अ.ज.जा.	1
		3	घासीराम 39 से 60	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	नर्वदाबाई 61 से 80	महिला अ.जा.	1
		5	अन्नीखों 81 से 108	महिला अ.ज.जा.	1
		6	जुबेदाबी 109 से 129	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	मोहरबाई 130 से 152	महिला सामान्य	5
		8	भैयालाल 153 से 180		
		9	खिलान 181 से 210		
		10	अमीरचंद 211 से 227		
		11	श्यामबाई 228 से 244		
		12	भूरेसिंह 245 से 264		
		13	बलराम 265 से 279		
		14	श्रीराम 280 से 297		
		15	किशनलाल 298 से 319		
		16	बलराम 320 से 339		
		17	इमरतबाई 340 से 355		
		18	जबाहरसिंह 356 से 374		
		19	रामप्रसाद 375 से 385		
		20	386 अंत एवं रमपुराखुर्द श्यामलाल		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	नहरयाई	1	नहरयाई 1 बुंदेलसिंह से 10	अ.जा.	1
		2	संदेरसिंह 11 से 20	अ.ज.जा.	0
		3	छतरसिंह 21 से अंत तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	सूरजबाई मझोरा 1 से 9	महिला अ.जा.	0
		5	खिलानसिंह 10 से 18	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गोकल 19 से 34	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	पंखाबाई 35 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	बेरखेडीअहीर 1 हरिनारायण से 11		
		9	सोदानसिंह 12 से अंत तक		
		10	महुआडोंगरी 1 लूमाबाई से अंत तक		
		11	रजपुरा 1 लक्ष्मणसिंह से अंत तक		
		12	सारसी 1 जवाहरसिंह से 10		
		13	कालूराम 11 से अंत तक		
		14	दुनातर 1 चिरोजीबाई से 8/2		
		15	गंगाप्रसाद 8/3 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	करैया	1	करैया 1 सिंगारबाई से 9	अ.जा.	1
		2	फतैसिंह 10 से 20	अ.ज.जा.	0
		3	करनसिंह 21 से 30	अन्य पिछड़ा वर्ग	4

1	2	3	4	5	6
		4	जसलीबाई 31 से 44	महिला अ.जा.	0
		5	बालमुकंद 45 से 55	महिला अ.जा.	0
		6	शंकरसिंह 56 से 65	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कमलसिंह 66 से 79	महिला सामान्य	5
		8	बालमुकंद 80 से 91		
		9	पूरनसिंह 92 से 106		
		10	धीसीलाल 107 से 122		
		11	हीरालाल 123 से 139		
		12	रम्मू 140 से 153		
		13	रानीबाई 154 से 158		
		14	कोमलसिंह 159 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेशन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	बरोदिया	1	बरोदिया 1 प्रीतिकमर से 9	अ.जा.	1
		2	देवकरन 10 से 15	अ.जा.	3
		3	जतनबाई 16 से 20	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	सुनीलाल 21 से 26	महिला अ.जा.	0
		5	नन्नु 27 से 37	महिला अ.जा.	2
		6	छककीलाल 38 से 49	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	गोपाल 50 से 58	महिला सामान्य	5
		8	नारायण 59 से 64		
		9	सीताराम 65 से 70		
		10	बाबूलाल 71 से 82		
		11	गौरिलाल 83 से 95		
		12	रामप्रसाद 96 से 104		
		13	कलाबाई 105 से 115		
		14	जानीबाई 116 से अंत तक		
		15	खुशालपुरा 1 गनेशराम से 4		
		16	प्रेमसिंह 5 से 7		
		17	8 से अंत एवं घाटखेडी रतनबाईसम्पूर्ण		
		18	दूदनखेडी 1 सुमित्राबाई से 13		
		19	रामनारायण 14 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड नं०

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	भियाखेडी	1	भियाखेडी 1 भैयालाल से 20/1	अ.जा.	4
		2	ताराबाई 20/2 से 33	अ.ज.जा.	1
		3	कालूराम 34 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	ख्यालीराम 47 से 65	महिला अ.जा.	2
		5	उमरावसिंह 66 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	रगरू 1 कल्लूराम से 11	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	रामस्वरूप 12 से 30	महिला सामान्य	4
		8	मोजी 31 से अंत तक		
		9	जोतपुर 1 गोपालसिंह से 11		
		10	पानबाई 12 से 29		
		11	रामबाई 30 से अंत तक		
		12	पिपरोंदा 1 हरीसिंह से 21		
		13	सम्पतबाई 22 से 40		
		14	सूरजबाई 41 से 65		
		15	फुल्ला 66 से 77		
		16	पृथी 78 से 94		
		17	रतनलाल 95 से अंत तक		
		18	भगवानपुर 1 गुलाब से 16		
		19	चिरोंजीबाई 17 से 27		
		20	पुनियाबाई 28 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	संग्रामपुर	1	संग्रामपुर 1 उमेदीबाई से 7	अ.जा.	2
		2	दसरथसिंह 8 से 15	अ.ज.जा.	2
		3	राजबाई 16 से 24	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	हरिसिंह 25 से 36	महिला अ.जा.	1
		5	हीरा 37 से 44	महिला अ.ज.जा.	1
		6	धुन्नीबाई 45 से 54	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	चालकुमारी 55 से 59	महिला सामान्य	4
		8	रूपसिंह 60 से अंत तक		
		9	किशनपुर 1 देवीप्रसाद से 9		
		10	मुंशीलाल 10 से 16		
		11	मज्जी 17 से 22		
		12	बनीबाई 23 से 27		
		13	भगवानसिंह 28 से अंत तक		
		14	खोहा 1 सवलसिंह से 7		
		15	करनसिंह 8 से 19		
		16	धन्नलाल 20 से 30		
		17	हरिसिंह 31 से 39		
		18	उमकारसिंह 40 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	महूठा	1	महूठा 1 भुजवलसिंह से 12	अ.जा.	3
		2	पंचमसिंह 13 से 23	अ.ज.जा.	3
		3	मालमसिंह 24 से 35	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	हल्कैया 36 से 51	महिला अ.जा.	2
		5	प्रेमबाई 52 से 61	महिला अ.ज.जा.	2
		6	लालाराम 62 से 78	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	बबरा 79 से 83	महिला सामान्य	3
		8	कमलसिंह 84 से 98		
		9	नारायणसिंह 99 से 116		
		10	लीलाधर 117 से 127		

1	2	3	4	5	6
		11	पीपरीबाई 128 से अंत तक		
		12	शाहपुर 1 रामकमरबाई से 9/3		
		13	कमरबाई 9/4 से अंत तक		
		14	शालाखेडी 1 पानबाई से 5		
		15	मोहन 6 से 20		
		16	हरिसिंह 21 से 29		
		17	धुन्ना 30 से 54		
		18	हल्के 55 से 74		
		19	सावित्रीबाई 75 से 85		
		20	महेशप्रसाद 86 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)
दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	धोबीखेडा	1	धोबीखेडा 1 रामप्रसाद से 16	अ.जा.	3
		2	हरगोविन्द 17 से 33	अ.ज.जा.	0
		3	रामचरण 34 से 53	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	अनारबाई 54 से 71	महिला अ.जा.	2
		5	कल्याणसिंह 72 से 85	महिला अ.ज.जा.	0
		6	पैजनसिंह 86 से 105	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	पहलवानसिंह 106 से अंत तक	महिला सामान्य	5
		8	तिन्सयाई 1 मेंदाबाई से 16		
		9	टीकमसिंह 17 से 25		
		10	गोपीबाई 26 से 38		
		11	अमोलसिंह 39 से 47		
		12	दीपसिंह 48 से अंत तक		
		13	खजूरी 1 सूरजसिंह से 16		
		14	धीरजसिंह 17 से 36		
		15	भुजरीबाई 37 से 54		
		16	हरनामसिंह 55 से 69		
		17	सियाबाई 70 से 90		
		18	रमेशकुमार 91 से 109		
		19	अमानसिंह 110 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	अमरपुरा	1	अमरपुरा 1 रामनारायण से 15	अ.जा.	1
		2	नर्वदीबाई 16 से अंत तक	अ.ज.जा.	0
		3	भैरोवाग 1 रामसिंह से 14	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	खिलानसिंह 15 से 24	महिला अ.जा.	0
		5	पंचमसिंह 25 से 34	महिला अ.ज.जा.	0
		6	हरिसिंह 35 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	गौरिया 1 रामप्रसाद से 23	महिला सामान्य	0
		8	माधोसिंह 24 से 44		
		9	गोरेलाल 45 से 57		
		10	पहलवानसिंह 58 से 77/2		
		11	सुकका 77/3 से अंत तक		
		12	बेरखेड़ीघाट 1 दिनेश से 9		
		13	हल्कूराम 10 से 31		
		14	मजबूतसिंह 32 से 46		
		15	मजबूतसिंह 47 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	पिपलधार	1	पिपलधार 1 भवानीसिंह से 17	अ.जा.	3
		2	चैनसिंह 18 से 33	अ.ज.जा.	0
		3	बलबीरसिंह 34 से 53	अन्य पिछड़ा वर्ग	5

1	2	3	4	5	6
		4	कल्लू 54 से 71	महिला अ.जा.	2
		5	कपूरीबाई 72 से 118	महिला अ.ज.जा.	0
		6	टीकाराम 119 से 150	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	मोहरबाई 151 से 190	महिला सामान्य	5
		8	अमरसिंह 191 से 229		
		9	लक्ष्मणसिंह 230 से 263		
		10	कोमलसिंह 264 से 289		
		11	पैजनसिंह 290 से 316		
		12	इंदरसिंह 317 से 344		
		13	अजुड़ीबाई 345 से 377		
		14	खुमानसिंह 378 से 390		
		15	भगवानसिंह 391 से 404		
		16	करनसिंह 405 से 426		
		17	चम्पालाल 427 से 451		
		18	कल्याणसिंह 452 से अंत तक		
		19	मजबूतसिंह 1 से 18		
		20	रामकिशन 19 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसूचित जाति, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	बीड़ा	1	बीड़ा 1 वंशीलाल से 12	अ.जा.	4
		2	कालूराम 13 से 24	अ.ज.जा.	0
		3	परमीबाई 25 से 35/1	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	नारायणसिंह 35/2 से 53	महिला अ.जा.	2
		5	तुरसी 54 से 69	महिला अ.ज.जा.	0
		6	देवीसिंह 70 से 86	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	सोदानसिंह 87 से 97/1	महिला सामान्य	5
		8	रामनाथ 97/2 से 105		
		9	कोसाबाई 106 से 114		
		10	थानसिंह 115 से 123		
		11	गुमानी 124 से 134		
		12	कल्लू 135 से 139		
		13	बृजेश 140 से 146		
		14	वारेलाल 147 से अंत तक		
		15	मोतीपुरा 1 अजुड़ीबाई से 12		
		16	हीरालाल 13 से 30		

1	2	3	4	5	6
		17	रामकुवरबाई 31 से 37		
		18	भरोसीबाई 38 से 55		
		19	गुलाबबाई 56 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	वर्धा	1	वर्धा 1 अब्दुलहलीमखों से 39	अ.जा.	3
		2	चुन्नीलाल 40 से 64	अ.ज.जा.	0
		3	रामकुमार 65 से 91	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	जमनाप्रसाद 92 से 122	महिला अ.जा.	2
		5	पूरनसिंह 123 से 156	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गीताबाई 157 से 182	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	शादीनखों 183 से 205	महिला सामान्य	5
		8	बाबूलाल 206 से 234		
		9	बीरेन्द्रसिंह 235 से 256		
		10	अमरसिंह 257 से 280		
		11	हल्के 281 से 310		
		12	भूरीबाई 311 से 336		
		13	गुलाबबाई 337 से 367		
		14	भीमसिंह 368 से 401		
		15	फूलसिंह 402 से 440		
		16	सुम्नोबाई 441 से 471		
		17	हरिराम 472 से 495		
		18	खुमानसिंह 496 से 523		
		19	लल्लू 524 से अंत तक		
		20	अमरपुर 1 विनयाबाई से अंत तक		

कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा (म.प्र.)

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नदरेन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	इमलिया	1	इमलिया 1 रम्मोबाई से 14	अ.जा.	1
		2	मुन्नीबाई 15 से 30	अ.ज.जा.	0
		3	भगवानसिंह 31 से 57	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	चिमना 58 से 68	महिला अ.जा.	0
		5	चिरोंजीबाई 69 से 77	महिला अ.ज.जा.	0
		6	इमरतसिंह 78 से 92	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	पार्वतीबाई 93 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	कारेलाल खेजडा 1 से 12		
		9	रामप्रवेश 13 से 27		
		10	प्यारीबाई 28 से 46		
		11	मोतीलाल 46/1 से 51		
		12	रूपसिंह 52 से अंत तक		
		13	गजेन्द्र सतीसी 1 से 16		
		14	नर्वदीबाई 17 से 34		
		15	मोहरबाई 35 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नदरेन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	रिनिया	1	रिनियां 1 सूरजसिंह से 15	अ.जा.	4
		2	श्यामलाल 16 से 35	अ.ज.जा.	0
		3	शिवनरैन 36 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	करोडीलाल 47 से 59	महिला अ.जा.	2
		5	तुलाराम 60 से 71	महिला अ.ज.जा.	0
		6	भारतसिंह 72 से 85	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सुंदरलाल 86 से 95	महिला सामान्य	4
		8	छन्नू 96 से अंत तक		
		9	सनमान सिरसी 1 से 17		
		10	मोहरसिंह 18 से 31		
		11	किरणबाई 32 से अंत तक		
		12	बरखेडाअडवार 1 राकेश से 16		
		13	रम्मोबाई 17 से 30		
		14	हरनामसिंह 31 से 40		
		15	विपताबाई 41 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	मूडराशेरपुर	1	मूडराशेरपुर 1 रामस्वरूप से 10	अ.जा.	2
		2	इमरतबाई 11 से 21	अ.ज.जा.	0
		3	सुकुकोबाई 22 से 28	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	शान्तिबाई 29 से 40	महिला अ.जा.	1
		5	छुटदू 41 से 52	महिला अ.ज.जा.	0
		6	दिवान 53 से 59	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	खुमानसिंह 60 से 69	महिला सामान्य	4
		8	बुन्देलसिंह 70 से अंत तक		
		9	नगतरा 1 शिवलाल से 14		
		10	मन्नूलाल 15 से 22		
		11	मन्नीबाई 23 से 29		
		12	गोपीनाथ 30 से 56		
		13	ईश्वरीप्रसाद 57 से 81		
		14	पूनाबाई 82 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	कस्वाखेडी	1	कस्वाखेडी 1 श्यामलाल से 7	अ.जा.	6
		2	ढडकोबाई 8 से 16	अ.ज.जा.	0
		3	खिलानसिंह 17 से 24	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	धनीराम 25 से 30	महिला अ.जा.	3

1	2	3	4	5	6
		5	शंकरलाल 31 से 45	महिला अ.ज.जा.	0
		6	करोडीलाल 46 से 56	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रघुरानथसिंह 57 से 58	महिला सामान्य	1
		8	नन्डूलाल 59 से 62		
		9	मधुवालाल 63 से 70		
		10	सुमित्राबाई 71 से 74		
		11	पार्वतीबाई 75 से 88		
		12	धारूसिंह 89 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के कमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	खाईखेडा	1	खाईखेडा 1 कुशुमबाई से 14	अ.जा.	1
		2	लम्पू 15 से 30	अ.ज.जा.	2
		3	हरप्रसाद 31 से 39	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	ठाकुरदास 40 से 50	महिला अ.जा.	0
		5	कलाबाई 51 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	गूजरखेडी 1 कुशुमबाई से 17	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लखन 18 से 38	महिला सामान्य	2
		8	विपताबाई 39 से अंत तक		
		9	पीपरी 1 थानसिंह से 15		
		10	लालखोँ 16 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

अधिसूचना

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड कमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	रावन	1	रावन 1 अमानसिंह से 15	अ.जा.	4
		2	प्रेमबाई 16 से 30	अ.ज.जा.	0
		3	भूरीबाई 31 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	सुखलाल 48 से 58	महिला अ.जा.	2
		5	ईश्वरीप्रसाद 59 से 76	महिला अ.ज.जा.	0
		6	धन्नालाल 77 से 90	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	कोमलबाई 91 से 97	महिला सामान्य	5
		8	धर्मनारायण 98 से 99		
		9	सावित्री 100 से 108		
		10	चंदाबाई 109 से 120		
		11	कालूराम 121 से 131		
		12	फूलचंद 132 से 143		
		13	मुशीलाल 144 से अंत तक		
		14	बम्हीरी 1 रामदयाल से 10		
		15	लालजी 11 से 29		
		16	जगन्नाथसिंह 30 से 43		
		17	रुकमणी 44 से 53		
		18	सम्पतबाई 54 से 70		
		19	गौराबाई 71 से 85		
		20	गनेशराम 86 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वाड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वाड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	सेउ	1	सेऊ 1 कारीमोहम्मद से 24	अ.जा.	3
		2	मुन्नेखों 25 से 55	अ.ज.जा.	0
		3	फूलसिंह 56 से 73	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मलखानसिंह 74 से 97	महिला अ.जा.	2
		5	शिवलाल 98 से 120	महिला अ.ज.जा.	0
		6	नारायण 121 से 141	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	गंगाबाई 142 से 157	महिला सामान्य	5
		8	दयालदास 158 से 174		

1	2	3	4	5	6
		9	रहीसखों 175 से 190		
		10	रामरतनलाल 191 से 206		
		11	बाबूलाल 207 से 230		
		12	सियाबाई 231 से 250		
		13	बुन्दोबाई 251 से 275		
		14	कलाबाई 276 से 289		
		15	कारेलाल 290 से 312		
		16	मेवाबाई 313 से 332		
		17	राजाराम 333 से 356		
		18	रमकोबाई 357 से अंत तक		
		19	काशीपुर 1 बुन्देलसिंह से 9		
		20	मुंशीलाल 10 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	खजूरीदास	1	खजूरीदास 1 सविता से 15	अ.जा.	1
		2	कमलसिंह 16 से 27	अ.ज.जा.	2
		3	बाबूलाल 28 से 35/5	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	कोमलबाई 35/6 से 61	महिला अ.जा.	0
		5	परसू 62 से 81	महिला अ.ज.जा.	1
		6	सरदारसिंह 82 से 96	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लखन 97 से 108	महिला सामान्य	2
		8	कैलाशनारायण 109 से अंत तक		
		9	चमराहा 1 हरिसिंह से 17		
		10	परमा 18 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	नटेरन	1	नटेरन 1 देवकीनंदन से 34	अ.जा.	4
		2	सरदारसिंह 35 से 61	अ.ज.जा.	0
		3	गुलाबसिंह 62 से 97	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	काशीबाई 98 से 126	महिला अ.जा.	2
		5	हरिराम 127 से 157	महिला अ.ज.जा.	0
		6	धारूसिंह 158 से 208	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	कोकसिंह 209 से 229	महिला सामान्य	5
		8	नारायणसिंह 230 से 248		
		9	सोमतसिंह 249 से 270		
		10	रामप्रसाद 271 से 293		
		11	कन्धैरीलाल 294 से 318		
		12	कोकसिंह 319 से 347		
		13	बृजमोहन 348 से 376		
		14	कन्धैरी 377 से 406		
		15	हल्के 407 से 442		
		16	लक्ष्मीबाई 443 से 452		
		17	रुकमणीबाई 453 से 468		
		18	हल्कीबाई 469 से 492		
		19	मोहरबाई 493 से 533		
		20	सुखलाल 534 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	आमखेडाकालू	1	आमखेडाकालू 1 हरिसिंह से 11	अ.जा.	3
		2	भगवानसिंह 12 से 18	अ.ज.जा.	1
		3	बदनसिंह 19 से 30	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	कमलसिंह 31 से 49	महिला अ.जा.	2
		5	गुलाबसिंह 50 से 59	महिला अ.ज.जा.	0
		6	सुमित्राबाई 60 से 73	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	करनसिंह 74 से 84	महिला सामान्य	4
		8	तुलसीराम 85 से 94		
		9	पन्नालाल 95 से 107		

1	2	3	4	5	6
		10	पूरनसिंह 108 से 115		
		11	रामलाल 116 से 129		
		12	खिलानसिंह 130 से 141		
		13	कमलसिंह 142 से 150		
		14	ठाकुरसिंह 151 से 158		
		15	विनयसिंह 159 से 170		
		16	वटनलाल 171 से 184		
		17	फूलबाई 185 से 195		
		18	कलाबाई 196 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	महुआखेड़ा	1	महुआखेड़ा 1 नारानीबाई से 12	अ.जा.	4
		2	भगवानसिंह 13 से 23	अ.ज.जा.	0
		3	हल्केराम 24 से 35	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	जगन्नाथ 36 से 51	महिला अ.जा.	2
		5	तुलराम 52 से 64	महिला अ.ज.जा.	0
		6	किशनसिंह 65 से 88	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	धनसिंह 89 से 110	महिला सामान्य	4
		8	केशरबाई 111 से 131		
		9	सवोद्राबाई 132 से अंत तक		
		10	ढाढोन 1 मिटदूलाल से 14		
		11	इमरतीबाई 15 से 25		
		12	बाबूलाल 26 से 36		
		13	विक्रमसिंह 37 से 51		
		14	हल्कू 52 से 68		
		15	पुतरी 69 से 84		
		16	गुलाबबाई 85 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	पिपरिया	1	पिपरिया 1 गजराजसिंह से 13	अ.जा.	2
		2	हल्कीबाई 14 से 27	अ.ज.जा.	1
		3	सडीराम 28 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	कृष्णाप्रसाद 41 से 48	महिला अ.जा.	1
		5	भारतसिंह 49 से 57	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मूलचंद 58 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	जगन्नाथसिंह 67 से 77	महिला सामान्य	4
		8	भैयालाल 78 से 92		
		9	रामचरण 93 से 103		
		10	रामथ्यारी 104 से 116		
		11	रामकृष्ण 117 से 125		
		12	हल्के 126 से 138		
		13	शैरसिंह 139 से 152		
		14	श्यामबाई 153 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

अधिसूचना

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार हमी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अक्धारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	पमारिया	1	पमारिया 1 रज्जूलाल से 13	अ.जा.	6
		2	लुडियाबाई 14 से 20	अ.ज.जा.	0
		3	सनमान 21 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	रामरतन 41 से 48	महिला अ.जा.	3
		5	खिलानसिंह 49 से 61	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बल्लोबाई 62 से 76	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	कपूरीबाई 77 से 88	महिला सामान्य	3
		8	हल्केया 89 से 100		
		9	रामस्वरूप 101 से 113		
		10	गुलाब 114 से 129		
		11	गोपालसिंह 130 से 138		
		12	बाबूलाल 139 से 152		
		13	भमरीबाई 153 से 167		
		14	झुन्नीलाल 168 से 172		

1	2	3	4	5	6
		15	रोहितकुमार 173 से 183		
		16	भमरीबाई 184 से 204		
		17	कन्हैया 205 से 218		
		18	बल्लूराम 219 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	नरखेडाखडया	1	नरखेडाखडया 1 रामगोपाल से 27	अ.जा.	6
		2	रामबाई 28 से 43/3	अ.ज.जा.	0
		3	कल्याणसिंह 43/4 से 59/1	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	दोलतराम 59/2 से 79	महिला अ.जा.	3
		5	मोहरबाई 80 से 100	महिला अ.ज.जा.	0
		6	लखनलाल 101 से 120	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सौदानसिंह 121 से 157	महिला सामान्य	2
		8	मानसिंह 158 से अंत तक		
		9	निपानियां 1 रघुवरसिंह से 11		
		10	खुमानसिंह 12 से 25		
		11	अर्जुनसिंह 25/1 से 34		
		12	भगवतीप्रसाद 34/1 से 48		
		13	गोविन्दा 49 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	आमखेडासूखा	1	आमखेडासूखा 1 बन्नूलाल से 21	अ.जा.	7
		2	खेलन 22 से 49	अ.ज.जा.	1
		3	खिमियाबाई 50 से 74	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	भरोसा 75 से 100	महिला अ.जा.	4
		5	हीराबाई 101 से 121	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मूलचंद 122 से 143	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	सुखलाल 144 से 172	महिला सामान्य	3
		8	रतीबाई 173 से 202		
		9	राजकुमार 203 से 221		
		10	प्रकाश 222 से 237		
		11	प्रतापसिंह 238 से 254		
		12	बलू 255 से 270		
		13	रामप्रसाद 271 से 285		
		14	खुमानसिंह 286 से 294		
		15	दयाराम 295 से 314		
		16	कारेलाल 315 से 323		
		17	गनेशराम 324 से 335		
		18	लक्ष्मण 336 से 344		
		19	प्रमूलाल 345 से 355		
		20	विटदूलाल 356 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	नानकपुर	1	नानकपुर 1 सीताराम से 13	अ.जा.	1
		2	बाबूलाल 14 से 31	अ.ज.जा.	4
		3	फूलबाई 32 से 48	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भगवानसिंह 49 से 65	महिला अ.जा.	0
		5	जयराम 66 से 79	महिला अ.ज.जा.	2
		6	सूरजबाई 80 से 94	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रामनारायण 95 से 101	महिला सामान्य	3
		8	हल्केई 102 से 109		

1	2	3	4	5	6
		9	महाराजसिंह 110 से 116		
		10	मोतीलाल 117 से 134		
		11	हिम्मतसिंह 135 से 153		
		12	सूरजसिंह 154 से अंत तक		
		13	पलालकपुर 1 रूकमणीबाई से 11		
		14	भगवतसिंह 12 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	रमपुराकलों	1	रमपुराकलों 1 लक्ष्मी से 15	अ.जा.	4
		2	लक्ष्मणसिंह 16 से 29	अ.ज.जा.	0
		3	रामसिंह 30 से 42	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	रामबाई 43 से 59	महिला अ.जा.	2
		5	रामभरोसा 60 से 78क	महिला अ.ज.जा.	0
		6	चिरोंजी लाल 78ख से 89	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	खेलन 90 से अंत तक	महिला सामान्य	5
		8	तोफाखेडी 1 सडुआ से 15		
		9	गनेशराम 16 से 36		
		10	महाराजसिंह 37 से अंत तक		
		11	बबचिया 1 पीराशाह से 09		
		12	कल्लूबी 10 से 20		
		13	हल्लोबी 21 से 32		
		14	नसीदखॉ 33 से 46		
		15	अजीजखॉ 47 से 57		
		16	कमलखॉ 58 से 60क		
		17	जरीनाबी 60ख से 70		
		18	हकीमनबी 71 से 81		
		19	नसीमनबी 82 से 89		
		20	घूडेखॉ 90 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	खडेर	1	खडेर 1 बीनाबाई से 24	अ.जा.	6
		2	चिरोजीलाल 25 से 36	अ.ज.जा.	0
		3	कोमलबाई 37 से 51	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	जयगोविन्द 52 से 67	महिला अ.जा.	3
		5	सुल्तानखॉ 68 से 81	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गोविन्दसिंह 82 से 90	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	प्रहलादसिंह 91 से 106	महिला सामान्य	4
		8	फूलबाई 107 से 118		
		9	नारायणसिंह 119 से 132		
		10	नारायणसिंह 133 से 144		
		11	अमरसिंह 145 से 160		
		12	प्रेमबाई 161 से 207		
		13	चिरोजीबाई 208 से 219		
		14	भैरोसिंह 220 से 228		
		15	अनूपबाई 229 से 246		
		16	श्रीराम 247 से 269		
		17	लच्छा 270 से 288		
		18	कल्लू 289 से 313		
		19	कौसियाबाई 314 से 328		
		20	कलाबाई 329 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वाड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वाड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	ऐंचदा	1	ऐंचदा 1 पन्नालाल से 19	अ.जा.	3
		2	पर्वतसिंह 20 से 33	अ.ज.जा.	1
		3	मिश्रीलाल 34 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	सुंदरबाई 47 से 55	महिला अ.जा.	2
		5	रहीसनबी 56 से 68	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मायाबाई 69 से 80	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	पार्वतीबाई 81 से 97	महिला सामान्य	5

1	2	3	4	5	6
		8	पानबाई 98 से 110		
		9	चंदनसिंह 111 से 127		
		10	खुशीलाल 128 से 139		
		11	कोमलबाई 140 से 151		
		12	मोहरबाई 152 से 157		
		13	तरवरसिंह 158 से 166		
		14	नर्वदाप्रसाद 167 से 178		
		15	खिलानसिंह 179 से 193		
		16	मुल्लूभारती 194 से 206		
		17	इमरतबाई 207 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	रजौदा	1	रजौदा 1 नन्नु से 14	अ.जा.	6
		2	गंगाराम 15 से 26	अ.ज.जा.	0
		3	बालाबाई 27 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	ज्ञानसिंह 47 से 55	महिला अ.जा.	3
		5	फूलसिंह 56 से 74	महिला अ.ज.जा.	0
		6	फुल्लोबाई 75 से 92	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	तुलसी 93 से 102	महिला सामान्य	3
		8	अमरसिंह 103 से 122		
		9	रामश्री 123 से 133		
		10	सूरजबाई 134 से अंत तक		
		11	महौली 1 प्यारेलाल से 14		
		12	मूलचंद 15 से 28		
		13	तोरन 29 से 55		
		14	कुदईया 56 से 82		
		15	मित्तूलाल 83 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नदरेन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	महू	1	महू 1 गोविन्दा से 11	अ.जा.	3
		2	कृष्णबाई 12 से 30	अ.ज.जा.	0
		3	लालाराम 31 से 51	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	टन्डू 52 से 69	महिला अ.जा.	2
		5	कमलोबाई 70 से 87	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जीनतबी 88 से 105	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	कल्लू 106 से 120	महिला सामान्य	4
		8	सावित्रीबाई 121 से 142		
		9	ताराबाई 143 से 158		
		10	उधमसिंह 159 से 167		
		11	हिम्मतसिंह 168 से 173		
		12	प्रेमसिंह 174 से 186		
		13	खुमानसिंह 187 से 202		
		14	सोजी 203 से 214		
		15	चेना 215 से 227		
		16	चिरौजा 228 से 248		
		17	जवाहरसिंह 249 से 266		
		18	कलाबाई 267 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नदरेन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	घोघरा	1	घोघरा 1 वीरसिंह से 13	अ.जा.	1
		2	दरयावसिंह 14 से 35	अ.ज.जा.	0
		3	भमरलाल 36 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	मुल्लूसिंह 56 से 63	महिला अ.जा.	0
		5	रामलाल 64 से 80	महिला अ.ज.जा.	0
		6	किशनूबाई 81 से 101	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कमरलाल 102 से 111	महिला सामान्य	6
		8	रामचरण 112 से 127		
		9	गनेशीबाई 128 से 143		
		10	रबूदीबाई 144 से 154		

1	2	3	4	5	6
		11	पवर्तसिंह 155 से अंत तक		
		12	मौमनखेडी 1 हल्कैया से 18		
		13	मोतीबाई 19 से 41		
		14	दौलतबाई 42 से 66		
		15	प्यारेलाल 67 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गॉव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	पैरवासा	1	पैरवासा 1 शाहदशाह से 19/1	अ.जा.	1
		2	रामरतन 19/2 से 32	अ.ज.जा.	0
		3	इत्तूखों 33 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	इब्राहीमखों 41 से 51	महिला अ.जा.	0
		5	अक्तरअली 52 से 66	महिला अ.ज.जा.	0
		6	पीरबी 67 से 72	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	फुल्लू 73 से 87	महिला सामान्य	7
		8	देवचंद 88 से 99		
		9	विलायतखों 100 से अंत तक		
		10	खूसौर 1 हनीफखों से 11		
		11	कमरअली 12 से 18		
		12	आशीषकुमार 19 से 36		
		13	धनसिंह 37 से 54		
		14	फूलसिंह 55 से 62		
		15	चिरोजीलाल 63 से 74/1		
		16	देवीसिंह 74/2 से 88		
		17	रसूलीबी 88/1 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	रायखेडी	1	रायखेडी 1 चरनसिंह से 19	अ.जा.	4
		2	अजुद्धीबाई 20 से 32	अ.ज.जा.	0
		3	काशीबाई 33 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	दोलीबाई 66 से 92	महिला अ.जा.	2
		5	गुलाब 93 से 108	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गोगबाई 109 से 122	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	डालचंद 123 से 144	महिला सामान्य	5
		8	मिटदूलाल 145 से अंत तक		
		9	जामुनपुर 1 लक्ष्मण से 11		
		10	जुम्मी बाई 12 से 21		
		11	हल्कीबाई 22 से 27		
		12	कस्तूरीबाई 28 से 33		
		13	नेतराम 34 से अंत तक		
		14	लखाखेडी 1 गनेशीबाई से 10		
		15	हीरोबाई 11 से 21		
		16	भारतसिंह 22 से 32		
		17	उमरावसिंह 33 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
65	सकराई	1	सकराई 1 मोकमसिंह से 15	अ.जा.	2
		2	कमलसिंह 16 से 31	अ.ज.जा.	0
		3	हरिनारायण 32 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	मिटदूलाल 48 से 63	महिला अ.जा.	1
		5	राधाबाई 64 से 80	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मिश्रीबाई 81 से 89	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	काशीराम 90 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	बलरामपुर 1 ओमकारसिंह से 9		
		9	मिश्रीलाल 10 से 23		
		10	अमोलसिंह 24 से 36		
		11	रुमकोबाई 37 से अंत तक		
		12	निचरोन 1 भागबाई से 8		
		13	मनबाई 9 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	फूफेर	1	फूफेर 1 कमलिया से 14	अ.जा.	4
		2	हरकिशन 15 से 26	अ.ज.जा.	0
		3	कन्दईलाल 27 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भगोनी 48 से 73	महिला अ.जा.	2
		5	झण्डूलाल 74 से 89	महिला अ.ज.जा.	0
		6	शान्तिबाई 90 से 100	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	अंधेरसिंह 101 से 120	महिला सामान्य	3
		8	मुन्नीबाई 121 से 135		
		9	अजबबाई 136 से 157		
		10	सुंदरबाई 158 से 175		
		11	योगेशकुमार 176 से 187		
		12	रामकुमारबाई 188 से 208		
		13	लक्ष्मण 209 से 221		
		14	डालचंद 221क से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	बमूरिया	1	बमूरिया 1 मेवाबाई से 17	अ.जा.	3
		2	विनिताबाई 18 से 32	अ.ज.जा.	1
		3	सूरतबाई 33 से 42	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	नारायणसिंह 43 से 46	महिला अ.जा.	2

1	2	3	4	5	6
		5	प्रतापसिंह 47 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	2
		6	इकौदिया 1 किशनसिंह से 11	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	गौरा 12 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	फतेहपुरश्यामसी 1 कामताप्रसाद से 12		
		9	भूरीबाई 13 से 25		
		10	देवीसिंह 26 से 36		
		11	धन्जू 37 से 48		
		12	निताई मेहतो 49 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड-1 नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
68	सोमवारा	1	सोमवारा 1 इन्दादखों से 17	अ.जा.	3
		2	हिम्मतसिंह 18 से 27	अ.ज.जा.	2
		3	जयवंतराव 28 से 41	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	सूरजसिंह 42 से 57	महिला अ.जा.	2
		5	मुशीलाल 58 से 63/4	महिला अ.ज.जा.	1
		6	कुसुमबाई 63/5 से 65	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	शंकरसिंह 66 से 85	महिला सामान्य	3
		8	सीताराम 86 से 113		
		9	बाबूखों 114 से 135		
		10	कलाबाई 136 से 155		
		11	ज्योती 156 से 165		
		12	जीमल 166 से 178		
		13	पानबाई 179 से 193		
		14	बाबूलाल 194 से अंत तक		
		15	चम्पाखेडी 1मथरीबाई से 14		
		16	झिरिया 15 से 27		
		17	राधे 28 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	मरखेडा	1	मरखेडा 1 शिबू से 10	अ.जा.	4
		2	अमोला 11 से 28	अ.ज.जा.	0
		3	अमरसिंह 29 से 48	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गण्डेशीबाई 49 से 56	महिला अ.जा.	2
		5	बालमुकंद 56/1 से 67	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामस्वरूप 68 से 73	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	श्रीकिशन 74 से 84	महिला सामान्य	3
		8	उमराव 85 से 91		
		9	मुन्नीबाई 92 से 112/1		
		10	सनमानसिंह 112/2 से 121		
		11	अजबबाई 122 से 133		
		12	कोमलबाई 134 से 141		
		13	मोकमसिंह 142 से 153		
		14	गुलाबबाई 154 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	गुरोद	1	गुरोद 1 सम्पतबाई से 21	अ.जा.	3
		2	सुकालबाई 22 से 33	अ.ज.जा.	1
		3	रामचरण 34 से 46	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	प्रयागसिंह 47 से 61	महिला अ.जा.	2
		5	अन्नीबाई 62 से 66	महिला अ.ज.जा.	0
		6	भोगीराम 67 से 73	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कल्याणसिंह 74 से 104	महिला सामान्य	3
		8	बल्लू 105 से 120		
		9	सरजू 121 से 137		
		10	खिलानसिंह 138 से 156		
		11	दौला 157 से 177		
		12	नवल 178 से 189		
		13	गोपालसिंह 190 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट --पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	तिलातिली	1	तिलातिली 1 बाबूलाल से 14	अ.जा.	3
		2	ललतिया 15 से 27	अ.ज.जा.	1
		3	फुल्लू 28 से 38	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	जमनाबाई 39 से 54	महिला अ.जा.	2
		5	श्यामलाल 55 से 63	महिला अ.ज.जा.	0
		6	फूलबाई 64 से 77	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	फत्तू 78 से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	1 भगवानसिंह से अंत तक सम्पूर्ण कल्नाखेडी		
		9	शाहपुर 1 नन्नु से 7		
		10	अमोली 8 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट --पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड -- नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
72	जोगीकिरीदा	1	जोगीकिरीदा 1 शंकरबाई से 19	अ.जा.	7
		2	गनेशराम 20 से 41	अ.ज.जा.	0
		3	मुल्लू 42 से 77	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	दौलतसिंह 78 से 115	महिला अ.जा.	4
		5	कुवरलाल 116 से 139	महिला अ.ज.जा.	0
		6	राजबाई 140 से 163	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	मोहनबाई 164 से 186	महिला सामान्य	3
		8	प्रेमबाई 187 से 203		
		9	माधोसिंह 204 से 227		

1	2	3	4	5	6
		10	भग्गाबाई 228 से अंत तक		
		11	पायरी 1 गंगाबाई से 23		
		12	फूलबाई 24 से 45		
		13	गजराज 46 से 61		
		14	भमरीबाई 62 से 69		
		15	कालूराम 70 से अंत तक		
		16	नेवली 1 बाबूलाल से 21		
		17	दयाराम 22 से 42		
		18	लालाराम 43 से 52		
		19	सावित्रीबाई 53 से 74		
		20	विद्याबाई 75 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नटेरन,

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
73	हसनपुर जाठोदा	1	हसनपुरजाठोदा 1 सूरजबाई से 19	अ.जा.	3
		2	गोपालसिंह 20 से 36	अ.ज.जा.	0
		3	रूपकुंवर 37 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	लक्ष्मणसिंह 51 से 66	महिला अ.जा.	2
		5	रामसिंह 67 से 82	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बाबूलाल 83 से 98	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	दौलतसिंह 99 से 114	महिला सामान्य	2
		8	बृन्दाबाई 115 से 128		
		9	मोहरखों 129 से 154		
		10	लल्लू 155 से अंत तक		
		11	1 भमरलाल से अंत तक सम्पूर्ण मोहनियाखेडी		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
74	पडरियाजागीर	1	पडरियाजागीर 1 रुकमणीबाई से 11	अ.जा.	5
		2	कन्छैदीशाह 12 से 17	अ.ज.जा.	1
		3	निरंजनसिंह 18 से 28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	सोमतसिंह 29 से 38/1	महिला अ.जा.	3
		5	लक्ष्मीबाई 38/2 से 50	महिला अ.ज.जा.	0
		6	वारेलाल 51 से 61	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	फैयादखों 62 से 72	महिला सामान्य	4
		8	कलाबाई 73 से 85		
		9	वसीरखों 86 से 97		
		10	शिवनारायण 97/1 से 109		
		11	कपूरीबाई 110 से 119क		
		12	रहीसखों 119ख से 128		
		13	बनैसिंह 129 से अंत तक		
		14	गजनयाई 1 वलीखों से 13		
		15	हपीजखों 14 से 24		
		16	राजबाई 25 से 35		
		17	मुनब्वरखों 36 से अंत तक		
		18	नगदा 1 अजबोबाई से 11		
		19	बदनसिंह 12 से 21		
		20	सम्पतबाई 22 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
75	बूधौर	1	बूधौर 1 वटनलाल से 8	अ.जा.	2
		2	पर्वतसिंह 9 से 23	अ.ज.जा.	2
		3	निरपतसिंह 24 से 44	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	हल्कैया 45 से 55	महिला अ.जा.	1
		5	ग्याबाई 56 से 68	महिला अ.ज.जा.	1
		6	सरदारसिंह 69 से 85	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	देवीराम 86 से 100	महिला सामान्य	3

1	2	3	4	5	6
		8	प्रह्लादसिंह 101 से 117		
		9	अलमा 118 से 130		
		10	जामवतीबाई 131 से अंत तक		
		11	बैहटा 1 गनेशराम से 11		
		12	हंसियाबाई 12 से 20		
		13	बाबूलाल 21 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नम्बर	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
76	जौहद	1	जौहद 1 गुलाब से 14	अ.जा.	6
		2	रघुवीर 15 से 40	अ.ज.जा.	1
		3	निर्मय 41 से 63	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	भारतसिंह 64 से 83	महिला अ.जा.	3
		5	करन 84 से 107	महिला अ.ज.जा.	0
		6	देवाबाई 108 से 125	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	गुलाबसिंह 126 से 149	महिला सामान्य	4
		8	इंदरसिंह 150 से 159		
		9	ठाकुरसिंह 160 से 173		
		10	गुलाबसिंह 174 से 188		
		11	गणू 189 से 215		
		12	घासी 216 से 231		
		13	भमरलाल 232 से 261		
		14	मुंशीलाल 262 से 290		
		15	बाबूलाल 291 से 310		
		16	मुल्लूसिंह 311 से 333		
		17	मंगल 334 से 357		
		18	मोती 358 से 383		
		19	सोदान 384 से 419		
		20	प्रेमसिंह 420 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
77	घटवाई	1	घटवाई 1 शिवनारायण से 7	अ.जा.	5
		2	कलाबाई 8 से 16	अ.ज.जा.	0
		3	जियाबाई 17 से 24	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	लक्ष्मणसिंह 25 से अंत तक	महिला अ.जा.	3
		5	धिनीची 1 राधाबाई से 13	महिला अ.ज.जा.	0
		6	पृथ्वीसिंह 14 से 23	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	तुलसाबाई 24 से 44	महिला सामान्य	1
		8	धिसियाबाई 45 से 64		
		9	धन्ना 65 से अंत तक		
		10	नौराजखेडी 1 छौटीबाई से 12		
		11	बृजमोहन 13 से 25		
		12	कन्दईलाल 26 अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
78	सिलवायखजूरी	1	सिलवायखजूरी 1 कस्तूरीबाई से 18	अ.जा.	4
		2	पन्नालाल 19 से 37	अ.ज.जा.	1
		3	इमरत 38 से 49	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	खछोरी 50 से 60	महिला अ.जा.	2
		5	सरजूबाई 61 से 68	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मंगलसिंह 69 से 81	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	खुशीलाल 82 से 92	महिला सामान्य	4

1	2	3	4	5	6
		8	हिम्मतसिंह 93 से 101		
		9	महाराजसिंह 102 से 108		
		10	अशोक 109 से 119		
		11	गंगाराम 120 से 127		
		12	लक्ष्मीनाराया 128 से 138		
		13	रामप्रसाद 139 से अंत तक		
		14	नरखेडाघाट 1 परमो से 12		
		15	हरिसिंह 13 से 23		
		16	शरीफखों 24 से 30		
		17	नाकेदार 31 से 39		
		18	कलाबाई 40 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
79	नागौर	1	नागौर 1-देवीसिंह से 10	अ.जा.	5
		2	गनपतसिंह 11 से 21	अ.ज.जा.	1
		3	गप्पूलाल 22 से 38	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भवानीसिंह 39 से 52	महिला अ.जा.	3
		5	सम्पतियां 53 से 72	महिला अ.ज.जा.	0
		6	फूलसिंह 73 से 85	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	खिलानसिंह 86 से 105	महिला सामान्य	3
		8	सावित्रीबाई 106 से 118		
		9	श्यामलाल 119 से 129		
		10	करोडीलाल 130 से 145		
		11	जसोदाबाई 146 से 157		
		12	हरिसिंह 158 से 168		
		13	रम्मोबाई 168 से 176		
		14	शम्भूसिंह 177 से 189		
		15	ओरनसिंह 190 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
80	मूडरापीताम्बर	1	मूडरापीताम्बर 1 शिबू से 15/1 तक	अ.जा.	4
		2	राजाराम 15/3 से 26तक	अ.ज.जा.	0
		3	गीताबाई 27 से 44	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	खिल्लू 45 से 67	महिला अ.जा.	2
		5	वतीबाई 68 से 81	महिला अ.ज.जा.	0
		6	शान्तिबाई 81/1 से 98	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कैलाशनारायण 99 से 126	महिला सामान्य	3
		8	मोजीलाल 127 से 137		
		9	श्यामबाई 138 से अंत तक		
		10	मूडरीखरनी 1 काशीबाई से 14		
		11	खुमनीबाई 15 से 27		
		12	कमोदा 28 से 37		
		13	भारतसिंह 38 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट -पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
81	दिघौनी	1	दिघौनी 1 रामरतन से 18	अ.जा.	3
		2	हरगोविन्द 19से 39	अ.ज.जा.	4
		3	ओमप्रकाश 40से 53	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गुलाबबाई 54से 67	महिला अ.जा.	2
		5	विद्याबाई 68से 85	महिला अ.ज.जा.	2
		6	मर्दनसिंह 86से 109	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मुन्नीबाई 110से 122	महिला सामान्य	2
		8	जसोदाबाई 123से 145		
		9	सनमानसिंह 146से अंत तक		
		10	खेजडातिला 1 काशीराम से 16		
		11	सुगनीबाई 17से 43		
		12	गंगोबाई 44से 61		
		13	कमरसिंह 62से 92		
		14	सौभाग्यसिंह 93से 103/1		
		15	भगवतीबाई 103/2से अंत तक		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
82	ताजखजूरी	1	ताजखजूरी 01 गजनरीबाई से 18	अ.जा.	12
		2	सरस्वतीबाई 19 से 46	अ.ज.जा.	0
		3	कच्छेदी 47 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	दिवानसिंह 66 से 77	महिला अ.जा.	6
		5	मंगलिया 78 से 90	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गजराजसिंह 91 से 99	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	पन्नालाल 100 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	मियांखेडी 1 मंगलसिंह से 13		
		9	सुंदरिया 14 से 22		
		10	शोभाबाई 23 से 30		
		11	खिलानसिंह 30 से 43		
		12	रामदयाल 44 से 58		
		13	सरदारसिंह 59 से अंत तक		
		14	खेजडाकाशीराम 1 मुन्नालाल से 17		
		15	बटनलाल 18 से 31		
		16	हल्कैई 32 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
83	रायपुर	1	रायपुर 1 अनूपसिंह से 19	अ.जा.	7
		2	गोपीलाल 20 से 48	अ.ज.जा.	0

1	2	3	4	5	6
		3	चिरौंजा 49 से 70	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	झुमकोबाई 71 से 94	महिला अ.जा.	4
		5	उमकारसिंह 95 से 103	महिला अ.ज.जा.	0
		6	अमरया 104 से 116	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	रेशमईयां 117 से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	रतनपुरचक्क 01 इमरतसिंह से 17		
		9	रामसिंह 18 से 27		
		10	लल्लूराम 28 से अंत तक		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

अधिसूचना

परिशिष्ट - पांच (अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं। अर्थात्

खण्ड - नटेरन

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
84	खैराई	1	खैराई 1 मोहनसिंह से 16	अ.जा.	4
		2	श्यामबाई 17 से 26	अ.ज.जा.	0
		3	चुन्नीलाल 27 से 40	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	भमरीबाई 41 से 49	महिला अ.जा.	2
		5	सुम्नोबाई 50 से 62	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कमरसिंह 63 से 74	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	भोगीराम 75 से 97	महिला सामान्य	1
		8	रामबाई 98 से 116		
		9	कल्लू 117 से 133		
		10	जीवनसिंह 134 अंत तक		

यत

:-5(अ)

4437

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छीरखेड़ा	1	1 रणवीर के मकान से सियाबाई के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	17 आलम के मकान से 31 हीरालाल के मकान तक	अ0ज0जा0	1
3		3	32 नब्बोबाई के मकान से 53 मुन्ना के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4		4	54 भवरलाल के मकान से 69 सूरजबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	70 ज्ञानसिंह के मकान से 91 गिरवरसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	92 रतनलाल के मकान से 102 टीकाराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	103 कलेक्टर सिंह के मकान से 116 नारायणके मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	117 रतिराम के मकान से 141 छोटेलाल के मकान तक		
9		9	142 कछेदी के मकान से 157 लीलाबाई के मकान तक		
10		10	158 सरदार के मकान से 174 बाबूलाल के मकान तक		
11		11	175 दौलत सिंह के मकान से 196 पहलवान के मकान तक		
12		12	197 रघुवीर के मकान से 211 भैयालाल के मकान तक		
13	कुर्रयाई	13	1 आशाराम के मकान से 14 हरनाम के मकान तक		
14		14	15 तोफान के मकान से 34 रूकमणीबाई के मकान तक		
15		15	35 कुंअर सिंह के मकान से 54 गौराबाई के मकान तक		

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.14

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एट द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धारुखेड़ी	1	1 तेजाबाई के मकान से 21 भागीरथ के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	22 रामचरण के मकान से 38 द्रोपतीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	2
3		3	39 भगवती प्रसाद के मकान से 50 कलेक्टर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	51 लालाराम के मकान से 67 दशोदाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	68 जुगलकिशोर के मकान से 84 रामसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	रायमूडरा	6	1 कल्लू सिंह के मकान से 15 अजुद्धीप्रसाद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	16 रज्जू के मकान से 26 मुल्लू के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	27 नर्वदीबाई के मकान से 38 परमोबाई के मकान तक		
9		9	39 सरस्वतीबाई के मकान से 48 दिलीप के मकान तक		
10		10	49 कृष्णाबाई के मकान से 63 धनसिंह के मकान तक		
11		11	64 लक्ष्मणदास के मकान से 74 ग्याबाई के मकान तक		
12		12	75 उधम सिंह के मकान से 88 पच्चोबाई के मकान तक		
13		13	89 पर्वत सिंह के मकान से 103 कैलाश के मकान तक		

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.1

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एर द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	करैया	1	1 बब्लू के मकान से 11 हिम्मत सिंह के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	12 हरिशंकर के मकान से 26 प्रताप सिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	27 ज्ञानसिंह के मकान से 43 कंचेदीलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4		4	44 रामप्रसाद के मकान से 56 मोहन के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	57 जमना के मकान से 68 तुलसीराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	69 देवीसिंह के मकान से 77 हरुआ के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	78 रामबाबू के मकान से 91 रघुवीर के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	बामोरी	8	1 रघुवीर सिंह के मकान से 13 खुमान सिंह के मकान तक		
9		9	14 हल्कीबाई के मकान से 31 गोपाल सिंह के मकान तक		
10		10	32 राजेन्द्र सिंह के मकान से 52 जानकीप्रसाद के मकान तक		
11	पड़रिया	11	1 दोजा के मकान से 10 क मथरोबाई के मकान तक		
12		12	11 कंचेदी के मकान से 19 प्रेमबाई के मकान तक		
13		13	20 मलीपाबाई के मकान से 34 कष्णाबाई के मकान तक		
14		14	35 श्यामलाल के मकान से 54 मिटठू के मकान तक		
15		15	55 हटे सिंह के मकान से 95 ओमप्रकाश के मकान तक		

मध्यप्रदेश पंचायतराज

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एर द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शेखपुर	1	1 पहलवान सिंह के मकान से 16 अजीज के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	17 कैलाश के मकान से 38 शेर सिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	39 राजबाई के मकान से 55 कोमलसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	56 क सोमचंद के मकान से 80 ग्याबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	81 मीराबाई के मकान से 92 रघुवीर के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	93 थान सिंह के मकान से 195 मोनू के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	घोसुआ	7	1 कस्तूरीबाई के मकान से 23 हरलाल के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	24 मंगल के मकान से 44 अमर बाई के मकान तक		
9		9	45 बल्लीबाई के मकान से 60 हरनारायण के मकान तक		
10		10	61 शीलाबाई के मकान से 79 रामनारायण के मकान तक		
11	बरी	11	80 राजधर सिंह के मकान से 102 रमकेबाई के मकान तक		
12		12	103 झबू के मकान से 124 पूरन के मकान तक		
13		13	125 सम्पतबाई के मकान से 144 ग सिरदार के मकान तक		
14	डेहर	14	145 आलम सिंह के मकान से 170 थानसिंह के मकान तक		
15		15	171 सुगनीबाई के मकान से 192 थान सिंह के मकान तक		
16		16	193 मोकम सिंह के मकान से 218 हटे सिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ --दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ --5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दादूरा	1	1 मायाबाई के मकान से 16 केशवदास के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	17 चेताराम के मकान से 44 अर्जुन के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	45 अमोली के मकान से 79 रामकरण के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
4		4	80 लक्ष्मीनारायण के मकान से 101 रामवती के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	102 पुतरोबाई के मकान से 116 श्रीबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	117 कलेक्टर सिंह के मकान से 131 खेत सिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	बरोदिया	7	1 नर्वदीबाई के मकान से 17 प्रयाग सिंह के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	18 नर्वदीबाई के मकान से 34 राकेश के मकान तक		
9	गिरवासा	9	1 शिवराज के मकान से 11 घसीटा के मकान तक		
10		10	12 हरिया के मकान से 22 वक्ता के मकान तक		
11					

1	2	3	4	5	6
11		11	23 गंगाराम के मकान से 34 लक्ष्मण के मकान तक		
12		12	35 घासीराम के मकान से 47 भीकम के मकान तक		
13		13	48 पर्वत सिंह के मकान से 59 मिटठूलाल के मकान तक		
14		14	60 ग्यारसी के मकान से 75 ग्याबाई के मकान तक		
15		15	76 धनबाई के मकान से 91 रामदेवदास के मकान तक		
16	छोटीपठारी	16	1 सहाब सिंह के मकान से 16 बाबूसिंह के मकान तक		
17		17	17 द्रोपतीबाई के मकान से 39 नंदा के मकान तक		
18		18	40 भंवरलाल के मकान से 63 सियारामदास के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बासौदा	1	1 लियाकत बी के मकान से 19 अहमदअली के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	20 फातिमा के मकान से 34 लियाकत के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	35 मुवीन खां के मकान से 51 द्रोपतीबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	52 राजाराम के मकान से 69 शारदाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	70 ताराबी के मकान से 93 सुम्मा के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	94 खातूनबी के मकान से 109 बसोरा के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	जरहा	7	1 रंधीर के मकान से 29 रंजीत सिंह के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	30 मंगल सिंह के मकान से 51 शेर सिंह के मकान तक		
9		9	52 पर्वत सिंह के मकान से 105 पूनाबाई के मकान तक		
10	वण्डोरा	10	1 रामरतन के मकान से 25 बुंदेल सिंह के मकान तक		
11		11	26 रामदयाल के मकान से 61 नारायणप्रसाद के मकान तक		
12	अखाई	12	1 राकेश कुमार के मकान से 29 बलराम के मकान तक		
13		13	30 सल्ले के मकान से 47 राजकुमारी के मकान तक		
14		14	48 श्रीबाई के मकान से 63 अनीताबाई के मकान तक		
15		15	64 सीताराम के मकान से 84 सुमित्राबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नाउकुण्ड	1	1 मिथलेश के मकान से 11 रघुवीर सिंह के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	12 रामसिंह के मकान से 21/1 गोविंद गिर के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	22 भरत सिंह के मकान से 35 प्रहलाद सिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	36 जयराम के मकान से 46 गोगाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	47 मायाबाई के मकान से 63/1 हटे सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	64 चिरोंजीबाई के मकान से 78 क गुडडीबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	79 सम्पतबाई के मकान से 92/1 श्रीकिशन के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	93 सुमित्राबाई के मकान से 106/1 बजेश के मकान तक		
9		9	107 किशन गिर के मकान से 116 लालाराम के मकान तक		
10		10	117 निरन के मकान से 141 घूमनके मकान तक		
11		11	142 द्रोपतीबाई के मकान से 158 नर्वदीबाई के मकान तक		
12	दांगीकुम्हरिया	12	1 विशाल सिंह के मकान से 13 मिल्लू के मकान तक		
13		13	14 समरथ के मकान से 34 बूटीबाई के मकान तक		
14		14	35 नेतराम के मकान से 50 गीताबाई के मकान तक		
15		15	51 धीरज के मकान से 63 काशीबाई के मकान तक		
16		16	64 राजेश के मकान से 84 बबीताबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	टेंकू	1	1 राजेन्द्र सिंह के मकान से 18 प्रीतिबाई के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	19 घसीटी के मकान से 35 रूपबती के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	36 सुक्का के मकान से 45 शीलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	46 नत्थू के मकान से 60 उधमसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	61 महेन्द्र सिंह के मकान से 75 छाया के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	76 नारायण सिंह के मकान से 86 जयंती के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	87 मेहरवान के मकान से 94 राजकुमारी के मकान तक	महिला सामान्य	3
8	सिकंदरपुर	8	1 रवि कुमार के मकान से 19 हरिराम के मकान तक		
9		9	20 मुन्नालाल के मकान से 39 देशराज के मकान तक		
10	परेवरा	10	1 प्रयागदास के मकान से 36 मुकेश के मकान तक		
11		11	37 वकील के मकान से 60 रंजना के मकान तक		
12		12	61 रमेश के मकान से 82 लाली के मकान तक		
13		13	83 राजू के मकान से 99 क प्रवेशकुमारी के मकान तक		
14		14	100 राधाबाई के मकान से 114 रामकुंवरबाई के मकान तक		
15	मूडरी	15	1 हब्बू के मकान से 8 धर्मेन्द्र के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धुवा	1	1 अमीर सिंह के मकान से 18 विशनलाल के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	19 रामलाल के मकान से 39 कलीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	40 कछेदी के मकान से 60 ताम सिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	61 क सुनील के मकान से 76 घ हजारीलाल के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5	रेवरा	5	1 फूलबाई के मकान से 18 घासीराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	19 मुलुआ के मकान से 34 मुन्ना के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	35 भगवान सिंह के मकान से 59 जशोदाबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	60 कलाबाई के मकान से 66 ग परसराम के मकान तक		
9	बरी	9	1 चंदन सिंह के मकान से 11 ख कुंआर सिंह के मकान तक		
10		10	12 जशवंतसिंह के मकान से 36 प्रहलाद के मकान तक		
11		11	37 गंगाराम के मकान से 72 ख कल्याण के मकान तक		
12	निपानिया	12	1 अमर सिंह के मकान से 21 ख प्रभु के मकान तक		
13		13	21 ग अशोक के मकान से 39 ख मेवाबाई के मकान तक		
14		14	40 मलखान के मकान से 71 रामस्वरूप के मकान तक		

पंचायत
शिष्टि-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत
गर्चन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद
रा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा
के सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित
र सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	करईबरखेड़ी	1	1 मोतीलाल के मकान से 13 बल्लू के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	13 क हरिओम के मकान से 21 वकील के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	22 भरत सिंह के मकान से 35 मेहरवान के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	36 राजाराम के मकान से 62 वंदना के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	62 क गिरजेश के मकान से 86 प्रदीप के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	87 लक्ष्मण सिंह के मकान से 104 नगमा के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
7		7	105 शब्बीर अली के मकान से 123 नंहा के मकान तक		
8		8	124 भीकम के मकान से 145 तुलसा के मकान तक		
9		9	146 बलविन्दरसिंह के मकान से 151क प्रीतिबाई के मकान तक		
10	विलोदा	10	1 ममताबाई के मकान से 12 घ रामकली के मकान तक		
11		11	13 चतरा के मकान से 28 जयराम के मकान तक		
12		12	29 बालकिशन के मकान से 46 लक्ष्मण सिंह के मकान तक		
13		13	47 शशीबाई के मकान से 58 देवेन्द्र सिंह के मकान तक		
14		14	59 मथुरालाल के मकान से 70 रचना के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इमलिया	1	1 हफीज के मकान से 13 मुन्नीबाई के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	13 क मिस्टर खां के मकान से 24 मौजीलाल के मकान तक	अ0जा0जा0	01
3		3	25 सब्बोबाई के मकान से 40 कैलाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	41 लाल सिंह के मकान से 51 पथ्वीसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	52 द्रोपतीबाई के मकान से 66 दुल्हामियां के मकान तक	महिला अ0जा0जा0	1
6		6	67 रफीक खां के मकान से 82 ख साबिर खां के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	83 मुल्लू के मकान से 103 हल्कई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	104 प्रेमबाई के मकान से 126 उमेदीबाई के मकान तक		
9	मढ़ीजागीर	9	1 मंगल सिंह के मकान से 15 कल्याण सिंह के मकान तक		
10		10	16 खिलान सिंह के मकान से 28 गोपी के मकान तक		
11		11	29 पन्नालाल के मकान से 38 रामकरण के मकान तक		
12		12	39 भरतलाल के मकान से 57 क मुकेश के मकान तक		
13		13	58 रामस्वरूप के मकान से 125 अजयसिंह के मकान तक		
14	सेमराजागीर	14	1 कमल सिंह के मकान से 17 मोहन सिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तमोइया	1	1 गणेशराम के मकान से 13 कमलाबाई के मकान तक	अ0जा0	24
2		2	14 उर्मिलाबाई के मकान से 28 सावित्रीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	29 लाखन सिंह के मकान से 44 कन्हैयालाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	24
4		4	44/1 मिटतूलाल के मकान से 57 प्रताप के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	58 हजारीलाल के मकान से 69 जगन्नाथ के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	70 गोविंद सिंह के मकान से 87 गुमनाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	88 राधाबाई के मकान से 103 पप्पू के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	नेहपिपरिया	8	1 शांतिबाई के मकान से 15 रामसिंह के मकान तक		
9		9	16 विजय सिंह के मकान से 30 हरिओम के मकान तक		
10		10	31 वकील के मकान से 40 बाबूलाल के मकान तक		
11		11	40 ख जयराम के मकान से 59 आशाराम के मकान तक		
12		12	60 क रम्माबाई के मकान से 73 खिलान के मकान तक		
13		13	74 रामकिशोर के मकान से 91 ख फूलबाई के मकान तक		
14	+सेमराशाहपुर	14	91 ग विजयसिंह के मकान से 117 प्रयागबाई के मकान तक एवं 1 कछेदी के मकान से 5 रामरती के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कांकर	1	1 वीर सिंह के मकान से 19 परमोबाई के मकान तक	अ0जा0	24
2		2	21 कमरलाल के मकान से 28 क मेदाबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	28 ख कोमलबाई के मकान से 39 दरउआ के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	06
4		4	39 क राजवती के मकान से 53 रजनीबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	53 ख उमाशंकर के मकान से 72 क मंजूलता के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	72 ख कष्णाबाई के मकान से 80 क कमलाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	81 रमेश के मकान से 94 छ भागवतीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8	खिरिया	8	1 गनेशराम के मकान से 12 कमलाबाई के मकान तक		
9		9	13 क गनेशराम के मकान से 22 कमलाबाई के मकान तक		
10		10	23 अमर सिंह के मकान से 35 राजाराम के मकान तक		
11		11	36 सनमान के मकान से 55 घसीटा के मकान तक		
12		12	56 रामस्वरूप के मकान से 78 उ मुन्नासिंह के मकान तक		
13	बरखेड़ा	13	1 विनिताबाई के मकान से 8 मेदाबाई के मकान तक		
14		14	9 परमा के मकान से 20 फुल्लू के मकान तक		
15		15	21 अनुसईयाबाई के मकान से 34 हल्कईया के मकान तक		
16		16	35 बब्लू के मकान से 49 मेबाई के मकान तक		
17		17	51 भूरीबाई के मकान से 66 ड विजय सिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

व

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लचायरा	1	1 हजरत सिंह के मकान से 40 सुशीलाबाई के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	41 तुलसीराम के मकान से 66 नरेन्द्र के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	67 दरयाब सिंह के मकान से 95 सुशीलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	01
4		4	96 पानबाई के मकान से 137 रामनारायण के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	138 बालीबाई के मकान से 168 सीताराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	169 निरपाल के मकान से 182 यशोदाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	183 कुसुमबाई के मकान से 204 लक्ष्मणदास के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	कछउआ	8	1 सरजू के मकान से 18 सुखलाल के मकान तक		
9	बोधी	9	1 शेर सिंह के मकान से 22 राजरानी के मकान तक		
10		10	23 हरबाई के मकान से 37 संजय कुमार के मकान तक		
11		11	38 रामप्यारी के मकान से 55 राजीव कुमार के मकान तक		
12		12	56 नारायण सिंह के मकान से 70 नरेश के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेड़ा लायरा	1	1 केशव के मकान से 14 अशोक के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	14 क रामप्यारीबाई के मकान से 28 पूरन सिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	29 नत्थू के मकान से 50 चतरा के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	51 नंदलाल के मकान से 72 रोरी के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	73 सददू के मकान से 89 नसर सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	90 मोती सिंह के मकान से 100 फूलबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	माडल	7	1 स्वदेश के मकान से 10 नत्थू के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	11 बारीबाई के मकान से 17 परमानंद के मकान तक		
9		9	18 पुतरोबाई के मकान से 31 भगवान सिंह के मकान तक		
10		10	32 सरस्वतीबाई के मकान से 47 हरिराम के मकान तक		
11		11	48 फूल सिंह के मकान से 69 महेन्द्र के मकान तक		
12		12	70 मुन्नीबाई के मकान से 82 हीराबाई के मकान तक		
13	भागोदा	13	1 वंशी के मकान से 18 अख्ता के मकान तक		
14		14	19 भवर सिंह के मकान से 30 सक्कोबाई के मकान तक		
15		15	31 गजराज सिंह के मकान से 41 मनगोबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मलियाखेड़ा	1	1 संतोष कुमार के मकान से 16 सुमित्राबाई के मकान तक	अ0जा0	25
2		2	17 मूलचंद के मकान से 41 गोवर्धन के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	42 गुलाब सिंह के मकान से 57 मुनब्वर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	13
4	करमोदिया	4	1 नारायण सिंह के मकान से 14 बलदार के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	15 प्रताप सिंह के मकान से 33 ग्याबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	34 रामदयाल के मकान से 51 सुजान के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	52 बारेलाल के मकान से 67 विजय के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	68 वन्द्रावनलाल के मकान से 99 तुलाराम के मकान तक		
9		9	100 नंदकिशोर के मकान से 113 मुन्नालाल के मकान तक		
10		10	114 घसीटा के मकान से 153 पुरुषोत्तम के मकान तक		
11	परसोरिया	11	1 राजेन्द्र के मकान से 14 फूलरानी के मकान तक		
12		12	15 सदारानी के मकान से 31 मूलचंद के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पाड़ोछा	1	1 सुखलाल के मकान से 15 जानकीबाई के मकान तक	अ0जा0	13
2		2	16 गुलाब सिंह के मकान से 30 सपना के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	31 हीरालाल के मकान से 46 ताराबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4		4	47 नन्हीबाई के मकान से 62 दाखाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	63 सुखलाल के मकान से 74 प्रियंका के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	75 विजय के मकान से 83 मीराबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	84 कस्तूरीबाई के मकान से 96 ज्ञानसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	3

1	2	3	4	5	6
8	खिरिया	8	1 गजराज के मकान से 21 दुर्गेशबाई के मकान तक		
9		9	22 काशीबाई के मकान से 34 क सविताबाई के मकान तक		
10		10	34 ख भीकम के मकान से 48 भारती के मकान तक		
11	भटोली	11	1 कमल सिंह के मकान से 15 गुलाब सिंह के मकान तक		
12		12	16 धनाबाई के मकान से 28 संगीता के मकान तक		
13		13	29 भरोसा के मकान से 44 घ यशोदाबाई के मकान तक		
14		14	45 श्रीराम के मकान से 65 प्रेम सिंह के मकान तक		
15	केशरगंज	15	1 माधौसिंह के मकान से 14 नैनाबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरवाई	1	1 पुष्पाबाई के मकान से 13 ख सतेन्द्र सिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	13 ग रचनाबाई के मकान से 17 फूलबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	18 क सरोजबाई के मकान से 23 ग मूंगाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	24 थान सिंह के मकान से 35 गनेशीबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	36 कष्णानंद के मकान से 48 क नीतू के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	48 ख कुंअर सिंह के मकान से 56 क हरप्रसाद के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	56 ख ओमकार के मकान से 75 क खिलान के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	76 सलमान के मकान से 92 चिरोजीबाई के मकान तक		
9		9	93 विनोद के मकान से 103 विद्याबाई के मकान तक		
10		10	104 प्रकाशचंद के मकान से 119 रामरतीबाई के मकान तक		
11		11	120 बाबूलाल के मकान से 143 बालकिशन के मकान तक		
12		12	144 लक्ष्मीबाई के मकान से 151 ग मोनू के मकान तक		
13		13	151 घ मुन्नालाल के मकान से 163 ख अरविंद के मकान तक		
14		14	164 जयप्रकाश के मकान से 194 लक्ष्मी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नेहरा	1	1 भूरी बी के मकान से 35 प्रताप सिंह के मकान तक	अ0जा0	0 2
2		2	36 भुजबल के मकान से 44 ज्ञान सिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	0 1
3		3	45 हल्कूराम के मकान से 64 फेली सिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0 4
4		4	65 मुन्नालाल के मकान से 83 मुन्नालाल के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	84 मोहर सिंह के मकान से 101/7 अजब सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	102/1 अतुलबाई के मकान से 125 सुखलानल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	126 संतोष के मकान से 153 रामलाल के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	154 रहीस के मकान से 171 प्राण सिंह के मकान तक		
9	मढ़ैया	9	1 हरनाम के मकान से 22 लखन सिंह के मकान तक		
10		10	23 हीराबाई के मकान से 47 नारायण सिंह के मकान तक		
11		11	48 मोहनबाई के मकान से 58 बट्टीप्रसाद के मकान तक		
12		12	59 मुन्नालाल के मकान से 77 भारत सिंह के मकान तक		
13		13	78 नारायण सिंह के मकान से 98 क सचेन्द्र के मकान तक		
14		14	99 जूली के मकान से 155 निर्भय के मकान तक		
15		15	156 रामबाई के मकान से 219 रूपवती के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरियाजागीर	1	1 करोडी के मकान से 14 अंशू दीक्षित के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	15 चुन्ना के मकान से 28 राजेश के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	29 भागचंद के मकान से 42 ग सुनीता बाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	43 गोपीबाई के मकान से 56 जयंती के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	57 दलेल के मकान से 73 रजनी के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	74 बल्लोबाई के मकान से 87 कारेलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	88 गंगाराम के मकान से 101 ड नस्थीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8	झागर	8	1 बाबूलाल के मकान से 12 सविताबाई के मकान तक		
9		9	13 उमेदाबाई के मकान से 25 सरोजबाई के मकान तक		
10		10	26 खेलन सिंह के मकान से 36 ब्रहमाबाई के मकान तक		
11		11	37 गुलाबबाई के मकान से 49 पुष्पाबाई के मकान तक		
12		12	50 जवाहरसिंह के मकान से 59 स शशीनारायण के मकान तक		
13		13	60 कप्तान सिंह के मकान से 65 ख रामबाबू के मकान तक		
14		14	66 रतिराम के मकान से 95 पंकजदास के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

कलेक्टर जिला विदिशा म.प्र.
अधिसूचना

दिनांक 08.05.201.

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके आस-पास में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फतेहपुर	1	1 संदीप कुमार के मकान से 25 सुनीताबाई के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	26 मुन्नालाल के मकान से 40/1 सुंदरलाल के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	41 बदरुननिशा के मकान से 48 साबिर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	49 जगन्नाथ के मकान से 64 इमरतबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	65 कपूरीबाई के मकान से 78 क नन्हे खां के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	79 मुदीन खां के मकान से 92 अमोला के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	93 तुलसाबाई के मकान से 117 अचला के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	118 गोपाल के मकान से 137/1 बरेलाल के मकान तक		
9		9	137/2 पाचोबाई के मकान से 155 विनिताबाई के मकान तक		
10	शेखपिपरिया	10	1 कपूरीबाई के मकान से 20 फूलाबाई के मकान तक		
11		11	21 हरप्रसाद के मकान से 40 चांद अली के मकान तक		
12		12	41 मुनब्वर अली के मकान से 59 जुगलकिशोर के मकान तक		
13		13	60 गुलाबाई के मकान से 74 कलाबाई के मकान तक		
14		14	75 चंदनबाई के मकान से 82 मीना बी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फतेहपुर	1	1 संदीप कुमार के मकान से 25 सुनीताबाई के मकान तक	अ0जा0	3
2		2	26 मुन्नालाल के मकान से 40/1 सुंदरलाल के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	41 बदरूननिशा के मकान से 48 साबिर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	49 जगन्नाथ के मकान से 64 इमरतबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	65 कपूरीबाई के मकान से 78 क नन्हे खां के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	79 मुवीन खां के मकान से 92 अमोला के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	93 तुलसाबाई के मकान से 117 अचला के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	118 गोपाल के मकान से 137/1 बारेलाल के मकान तक		
9		9	137/2 पाचोबाई के मकान से 155 विनिताबाई के मकान तक		
10	शेखपिपरिया	10	1 कपूरीबाई के मकान से 20 फूलाबाई के मकान तक		
11		11	21 हरप्रसाद के मकान से 40 चांद अली के मकान तक		
12		12	41 मुनब्वर अली के मकान से 59 जुगलकिशोर के मकान तक		
13		13	60 गुलाबाई के मकान से 74 कलाबाई के मकान तक		
14		14	75 चंदनबाई के मकान से 82 मीना बी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वीरपुर	1	1 ककील के मकान से 19 रमेश के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	20 गनेशराम के मकान से 32 अनबबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	33 गुलाबबाई के मकान से 52 कलाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	53 कमर सिंह के मकान से 63 विद्याबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	64 रामकलीबाई के मकान से 79 सोमत सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	80 सुजानसिंह के मकान से 97 जयराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	98 हल्कू के मकान से 116 सुखलाल के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	117 शैतान के मकान से 145 क कल्लू के मकान तक		
9	सकोली	9	1 कल्याण सिंह के मकान से 22 शंकर के मकान तक		
10		10	23 देवी सिंह के मकान से 39 ओमकार के मकान तक		
11	बेरखेड़ी	11	1 पहलवान सिंह के मकान से 7 रघुवीर सिंह के मकान तक		
12		12	8 अरविंद के मकान से 20 केशरबाई के मकान तक		
13		13	21 श्यामबाई के मकान से 29 मोहर सिंह के मकान तक		
14		14	30 कलाबाई के मकान से 42 लला के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मदउखेड़ी	1	1 पूरन सिंह के मकान से 16 आजाद सिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	17 कमलाबाई के मकान से 33 ज्ञानीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	34 सरला के मकान से 50 नयन सुख के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	51 ओरलिया के मकान से 64 गजराम के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	65 उमकार के मकान से 75 गुलाब सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
6		6	76 कल्लोबाई के मकान से 87 ग चित्तर सिंह के मकान तक		
7		7	88 प्रताप सिंह के मकान से 93 बालकदास के मकान तक		
8	मेनखेड़ी	8	1 सुशीलाबाई के मकान से 12 सावित्रीबाई के मकान तक		
9		9	13 तोरन सिंह के मकान से 26 सरस्वतीबाई के मकान तक		
10		10	27 बलराम के मकान से 42 जनमेद के मकान तक		
11		11	43 पप्पू के मकान से 55 गजरोबाई के मकान तक		
12		12	56 गजराज सिंह के मकान से 68 रामकिशोर के मकान तक		
13		13	69 फूलबाई के मकान से 82 अमर सिंह के मकान तक		
14		14	83 अवधबाई के मकान से 143 अंजनाबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	काछीकुम्हरिया	1	1 वंशीलाल के मकान से 14 सुनीताबाई के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	15 किशोरी के मकान से 36 उमाबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	37 सीताराम के मकान से 52 हीराबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	06
4		4	53 नारायण के मकान से 68 जितेन्द्र के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	69 गोपीबाई के मकान से 77 गुडडीबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	परासरी	6	1 दिलीप सिंह के मकान से 16 नंदकुमारी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	17 माधौ सिंह के मकान से 36 सविताबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
8		8	37 कोमल के मकान से 71 रूपसिंह के मकान तक		
9	सरखण्डी	9	1 मन्नू के मकान से 24 सुनीताबाई के मकान तक		
10		10	24 क बाबूलाल के मकान से 40 घनश्याम के मकान तक		
11		11	41 अजुद्धीबाई के मकान से 68 मिटठूलाल के मकान तक		
12	जुन्हैयाखेड़ी	12	1 लखनदास के मकान से 9 विक्रम सिंह के मकान तक		
13		13	10 रज्जू के मकान से 26/1 जयंतीबाई के मकान तक		
14		14	27 सरोजबाई के मकान से 36 कष्णाबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झगरिया	1	1 बुत्थोबाई के मकान से 16 सनमान सिंह के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	17 संपतबाई के मकान से 27 गजराज सिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	28 जवाहर सिंह के मकान से 42 खिलान सिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	43 मेहरवानसिंह के मकान से 53 कमलाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	54 नर्वदीबाई के मकान से 66 संग्राम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	कलरयाई	6	1 गनेशराम के मकान से 15 तुलसीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	16 नत्थू के मकान से 29 धीरन सिंह के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	सलेतरा	8	1 बलीराम के मकान से 11 तुलसीराम के मकान तक		
9		9	12 हरिराम के मकान से 22 प्रेम सिंह के मकान तक		
10		10	23 परमानंद के मकान से 35 प्राण सिंह के मकान तक		
11		11	36 शारदाबाई के मकान से 57 कस्तूरीबाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भौरासा	1	1 कल्लोबाई के मकान से 18 ख लक्ष्मीबाई के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	18 ग मुलाबाई के मकान से 31 जरीनाबानोके मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	32 उस्मान के मकान से 60 रितुराज के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	61 रामस्वरूप के मकान से 71 उदयराज के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	72 फूलबाई के मकान से 93 रहीमन के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	94 कस्तूरीबाई के मकान से 108 क तराना के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	109 अय्युब के मकान से 122 तराना के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	123 शरीफ के मकान से 135 वसीम के मकान तक		
9		9	136 समीम के मकान से 148/1 सैफउद्दीन के मकान तक		
10		10	148/2 खुशीद के मकान से 161 मरजीता के मकान तक		
11		11	162 रामप्यारी के मकान से 166 ज संध्या के मकान तक		
12		12	166 झ बुद्धाराम के मकान से 178 राजकुमारी के मकान तक		
13		13	179 कंछेदी के मकान से 198 हरिओम के मकान तक		
14		14	199 गिरजाबाई के मकान से 211 आरती के मकान तक		
15		15	212 रमाशंकर के मकान से 224 रविन्द्र के मकान तक		
16		16	225 मंगल सिंह के मकान से 242 रचना के मकान तक		
17		17	243 कोशियाबाई के मकान से 266 लच्छोबाई के मकान तक		
18		18	267 सुम्मा के मकान से 288 शाहनाज के मकान तक		
19		19	289 शहीदउद्दीन के मकान से 300 सलमान के मकान तक		
20		20	301 सईद के मकान से 335 रीना मांझी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जरगुंवा	1	1 भईया मियां के मकान से 24 कल्लू के मकान तक	अ0जा0	48
2		2	25 भैयालाल के मकान से 45 हरनाम के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	46 भागवतीबाई के मकान से 67/1 रघुवीरसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	68 कुंवरबाई के मकान से 82/4 कस्तूरीबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	4
5		5	83 गोपाल के मकान से 124 रज्जूलाल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	125 फूलाबाई के मकान से 150/4 मुलाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	151 रामचरण के मकान से 168 मेदाबाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	169/1 प्रभुलाल के मकान से 186 फूलसिंह के मकान तक		
9		9	187/1 द्रोपतीबाई के मकान से 203 कछेदी के मकान तक		
10	पीरोटा	10	1 नवलसिंह के मकान से 12 धनियाबाई के मकान तक		
11		11	13 दोजा के मकान से 29 बाबूलाल के मकान तक		
12		12	30 शांतिबाई के मकान से 42 सुंदरलाल के मकान तक		
13	दुनातर	13	43/1 गोधनसिंह के मकान से 49 घ अमरसिंह के मकान तक एवं 1 कमलगिर के मकान से 1 क दुलारीबाई के मकान तक		
14	खिरियाबागड़ी	14	1 के मकान से 22 के मकान तक		
15		15	23 के मकान से 55 के मकान तक		
16		16	56 के मकान से 74 के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ईसाखेड़ी	1	1 तेजाबाई के मकान से 29 गुडडीबाई के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	30 चंदाबाई के मकान से 62 भीनाबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	63 राजाराम के मकान से 81 पुष्पाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	82 बरेलाल के मकान से 94 शकुनकुमारी के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	95 गुलाबबाई के मकान से 104 पुष्पाबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	105 सावित्रीबाई के मकान से 129 रामसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	घुरावली	7	1 प्रीतमसिंह के मकान से 22 सुनीताबाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	23 मानकुंवरबाई के मकान से 38 दीक्षा के मकान तक		
9		9	39 अमर सिंह के मकान से 53 सोनू के मकान तक		
10		10	54 कलाबाई के मकान से 65 धर्मन्द्र के मकान तक		
11	शाहपुर	11	1 प्रभु के मकान से 14 रामसखी के मकान तक		
12		12	15 फूलसिंह के मकान से 26 रिकू सप्रे के मकान तक		
13	गलफराखेड़ी	13	1 भग्गोबाई के मकान से 19 संगीता के मकान तक		
14		14	20 हल्के सिंह के मकान से 35 राजकुमारी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रूसिया	1	1 कुअर सिंह के मकान से 20 चिरोजीबाई के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	21 लीलाबाई के मकान से 33 मुन्नीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	34 हरप्रसाद के मकान से 51 राजकुमार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	52 गीताबाई के मकान से 64 मुन्नालाल के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	65 रामप्रसाद के मकान से 90 मुन्नालाल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	82 आजादसिंह के मकान से 110 दशोदाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
7		7	111 नंदू के मकान से 127 कुअरबाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	128 अशोक के मकान से 133 कमल सिंह के मकान तक		
9		9	134 लच्छोबाई के मकान से 140 नत्थू के मकान तक		
10		10	141 रामकिशन के मकान से 148 रामप्यारी के मकान तक		
11		11	149 सुनिया के मकान से 164 किशन के मकान तक		
12		12	166 कुदउआ के मकान से 188 जबलूबाई के मकान तक		
13		13	190 गुडडीबाई के मकान से 224 अशोक के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पैराखेड़ी	1	1 कालूराम के मकान से 10 भोगीराम के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	11 धनसिंह के मकान से 22 हल्के के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	23 तुलसीराम के मकान से 41 जगन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
4		4	42 बारेलाल के मकान से 50 हल्कीबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	51 देवीसिंह के मकान से 58/1 रमकोबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	58/2 रणधीर सिंह के मकान से 67 देवाबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	68 कोशाबाई के मकान से 80 कछेदी के मकान तक	महिला सामान्य	3

1	2	3	4	5	6
8		8	81 खुन्नीलाल के मकान से 92 क कमलेशबाई के मकान तक		
9	रेहकला	9	1 रूपेश के मकान से 13 सुखलाल के मकान तक		
10		10	14 भोलाराम के मकान से 27 सियाबाई के मकान तक		
11		11	28 संपतबाई के मकान से 50 जमनाबाई के मकान तक		
12		12	51 कलाबाई के मकान से 68 सरदार के मकान तक		
13		13	69 पानबाई के मकान से 79 सुक्काबाई के मकान तक		
14	+कछपुरा	14	80 जमनाबाई के मकान से 125 मुकेश के मकान तक एवं 1 अमर सिंह के मकान से 25 अमरसिंह के मकान तक		
15	खेमखेड़ी	15	1 सपना के मकान से 20 धरनीधर के मकान तक		
16		16	21 गोपीबाई के मकान से 30 दुर्ग सिंह के मकान तक		
17		17	31 नारायण के मकान से 48 कमरलाल के मकान तक		
18		18	49 तिजियाबाई के मकान से 67 नारायणसिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मेहलुआ	1	1 अर्जुन के मकान से 17 बाबूलाल के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	18 गंगाराम के मकान से 33 छोटू के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	34 सहोदराबाई के मकान से 50 ग्याप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	51 रामसिंह के मकान से 66 चंदन सिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	67 दशरथ के मकान से 77 पार्वतीबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	78 भागवतीबाई के मकान से 93 सीताराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	94 शारदाबाई के मकान से 107 सुकिया के मकान तक	महिला सामान्य	4

1	2	3	4	5	6
8		8	108 मन्नू के मकान से 126 सूरजबाई के मकान तक		
9		9	127 हीरालाल के मकान से 146 रामसेवक के मकान तक		
10		10	147 रामसिंह के मकान से 161 तोफानसिंह के मकान तक		
11		11	162 गुलाबबाई के मकान से 183 दलीप के मकान तक		
12		12	184 सादिकउलहक के मकान से 202 धरमदास के मकान तक		
13		13	203 गनेशराम के मकान से 214 लक्ष्मणप्रसाद के मकान तक		
14		14	215 मातादीन के मकान से 229 गौरैलाल के मकान तक		
15		15	230 फूलाबाई के मकान से 236 मुन्नालाल के मकान तक एवं 1 मो.अली के मकान से 167 सुनील के मकान तक		
16		16	174 क चतुरबाई के मकान से 228 क यशवंत के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	माला	1	1 अंजली के मकान से 21 रामस्वरूप के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	22 गीता के मकान से 35 संगधलाल के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	36 श्यामबाई के मकान से 56 गजराज के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4		4	57 रतन सिंह के मकान से 70 सियाबाई के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	71 मुलुआ के मकान से 80 ख कमर सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	81 करता सिंह के मकान से 103 रामचरण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	3

1	2	3	4	5	6
7		7	104 रामनाथ के मकान से 119 मचलसिंह के मकान तक		
8		8	120 अमर सिंह के मकान से 153 मुन्नालाल के मकान तक		
9	करमेड़ी	9	1 फूलसिंह के मकान से 23 राधाबाई के मकान तक		
10		10	24 सुखलाल के मकान से 38 सोमत सिंह के मकान तक		
11		11	39 कपूर सिंह के मकान से 54 भैयालाल के मकान तक		
12		12	55 मुन्नालाल के मकान से 73 घासीराम के मकान तक		
13		13	74 कछेदीलाल के मकान से 153 बुद्धा के मकान तक		
14	सिरावदा	14	1 आमनाबाई के मकान से 15 क कम्मोदा के मकान तक		
15		15	16 छुट्टी के मकान से 28 क कमलेश के मकान तक		
16		16	29 अजुद्धी के मकान से 35 मोहर सिंह के मकान तक		
17		17	36 मुल्लोबाई के मकान से 46 डू सालकराम के मकान तक		
18		18	47क रामनारायण के मकान से 54 भागवतीबाई के मकान तक		
19		19	55 विजय सिंह के मकान से 89 ख बजेशकुमार के मकान		
20		20	90 गनेशा के मकान से 100 लालू एवं 1 दयाराम के मकान से 6 उषा के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रोशनपिपरिया	1	1 रमेश कुमार के मकान से 12 कल्याणसिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	13 हरनामसिंह के मकान से 26 अ कल्याण के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	27 शारदा के मकान से 49 धरोपी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	50 गुलाब के मकान से 68 क फूलसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	70 रविशंकर के मकान से 87 धन्नालाल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	88 श्यामलाल के मकान से 104 धीरजसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	105 क मुशीलाल के मकान से 117 भरोसी के मकान तक	महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
8		8	118 गनेशा/बल्ला के मकान से 135 भैयालाल के मकान तक		
9		9	136 रामप्रसाद के मकान से 149 उमकार के मकान तक		
10		10	149 क हरिराम के मकान से 162 मानदास के मकान तक		
11	सड़ेरा	11	1 कछेदी के मकान से 12 प्रेमसिंह के मकान तक		
12		12	13 बदन सिंह के मकान से 27 खिलानसिंह के मकान तक		
13		13	28 गनेश के मकान से 46 गोपालसिंह के मकान तक		
14		14	47 श्यामलाल के मकान से 61 देवराज के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वरेठा	1	1 भगवान सिंह के मकान से 10/1 गोपालसिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	11 कालूराम के मकान से 24 फूलसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	25 रूपसिंह के मकान से 38 मदनलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	39 कलाबाई के मकान से 53 तुलाराम के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	54 फूलबाई के मकान से 70 मोहनबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	71 घसीटीबाई के मकान से 83 भैयालाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	2
7		7	83/1 मानसिंह के मकान से 102 कैलाशसिंह के मकान तक		
8		8	103 प्रेमनारायण के मकान से 116 कम्मोद के मकान तक		
9		9	117 बालाराम के मकान से 138 धर्मन्द्र के मकान तक		
10		10	139 तरवर के मकान से 154 बिजेन्द्र के मकान तक		
11	केशोपुर	11	1 शंकरलाल के मकान से 15 जयराम के मकान तक		
12		12	16 मूलचंद के मकान से 30 राजकुंवरबाई के मकान तक		
13		13	31 भैयालाल के मकान से 39 रामसिंह के मकान तक		
14	आगासोद	14	1 राजपंथी के मकान से 34 घनश्याम के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201.

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पनावर	1	1 रूपाली के मकान से 27 नेतराम के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	28 कल्लू के मकान से 38/3 अमित के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	39 कल्लू के मकान से 69 सियाबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4		4	70 राजेन्द्रप्रसाद के मकान से 89/2 सतीश के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5	हिनोता	5	1 भैरोसिंह के मकान से 26 मुकेशकुमार के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	27 गंगोबाई के मकान से 47 कालूराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	48 माखन के मकान से 67 अजयकुमार के मकान तक	महिला सामान्य	2
8	शाहपुर	8	1 रम्मू के मकान से 10 चम्पालाल के मकान तक		
9		9	11 गजानंद के मकान से 24 इन्द्रपाल के मकान तक		
10	बुखारा	10	1 गनतोबाई के मकान से 21 सोनपाल के मकान तक		
11		11	22 सियानीबाई के मकान से 42 हरिराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

कलेक्टर जिला विदिशा म.प्र.
अधिसूचना

दिनांक 08.05.201.

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कैथोरा	1	1 पप्पूसिंह के मकान से 33 राधेश्याम के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	34 चुन्नीलाल के मकान से 50 गोमतीबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	51 मेहताब के मकान से 69 रामचरण के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	70 शेरसिंह के मकान से 87 खिलानसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	03
5		5	88 सुखलाल के मकान से 111 श्यामबाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	116 जयराम के मकान से 142 वंदना के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	नाही	7	1 घनश्याम के मकान से 4 शुभम के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	7 जशोदाबाई के मकान से 22 रामलाल के मकान तक		
9		9	23 प्रेमसिंह के मकान से 39 बाबूलाल के मकान तक		
10		10	41 सोमत सिंह के मकान से 52/2 सहोदराके मकान तक		
11		11	52/3 शांतिबाई के मकान से 62/1 धन्नालाल के मकान		
12		12	67 कलीबाई के मकान से 103 सरवन के मकान तक		
13		13	105 पंचा के मकान से 117 मनीराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वरुआल	1	1 हरप्रसाद के मकान से 16 शंकरलाल के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	17 दयालाल के मकान से 35 गुलाबसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	36 रघुवीर के मकान से 56 गनपतसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	57 सूरजबाई के मकान से 75 ख नर्वदाप्रसादके मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	76 केशरबाई के मकान से 86 सुहैलहसनन के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	87 गजेन्द्रसिंह के मकान से 91क मुशीलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
7		7	92 रामशंकर के मकान से 106 नन्हीबाई के मकान तक		
8		8	107 अखलेश के मकान से 146 हरिसिंह के मकान तक		
9		9	147 खुशहालसिंह के मकान से 163 रघुवीर के मकान तक		
10		10	164 गुजरबाई के मकान से 175 कीरतिया के मकान तक		
11		11	176 फेरियाबाई के मकान से 202 संतोषकुमार के मकान तक		
12		12	203 रामबाबू के मकान से 237 पुख्खीबाई के मकान तक		
13		13	238 रामसिंह के मकान से 264 रविन्द्रनाथ के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तलापार	1	1 श्यामलाल के मकान से 18 हरप्रसाद के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	19 मिस्टर खां के मकान से 35 रघुवीर के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	36 लक्ष्मण के मकान से 51 खेमचंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	52 हरजू के मकान से 65 पप्पू के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5	बेलई	5	1 कृवरलाल के मकान से 22 रामकिशन के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	23 भैयालाल के मकान से 32 केशरबाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	33 चंदाबाई के मकान से 52 सोनू के मकान तक	महिला सामान्य	3
8	गम्भीरिया	8	1 सरजूबाई के मकान से 16 मलखान के मकान तक		
9		9	17 प्रयाग सिंह के मकान से 34 प्यारा के मकान तक		
10		10	35 बेनीबाई के मकान से 48 गोतीराम के मकान तक		
11		11	49 चित्तर सिंह के मकान से 72 जगन्नाथ के मकान तक		
12		12	73 भारत के मकान से 85 करन के मकान तक		
13	खजरोद	13	1 अमोली के मकान से 17 बाबूलाल के मकान तक		
14		14	18 तुलसाबाई के मकान से 37 अशोक के मकान तक		
15		15	38 छोटेलाली के मकान से 66 प्रेमनारायण के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सीहोरा	1	1 राजेन्द्रपसाद के मकान से 27 साबिर खां के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	28 नन्नू खां के मकान से 47 धीरे खां के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	48 बाबू खां के मकान से 79 नूरनबी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	80 हबीबन बी के मकान से 107 पप्पू खां के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	108 इस्लामउद्दीन के मकान से 127 नामदार के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	128 ताराबी के मकान से 151 सलीम खां के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	152 नफीस खां के मकान से 171 मंजूरखां के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	172 हनीफखां के मकान से 195 रामस्वरूप के मकान तक		
9		9	196 मुन्नीबाई के मकान से 230 खिलान के मकान तक		
10		10	231 धर्मेन्द्र के मकान से 259 जावेद के मकान तक		
11		11	260 रहमत अली के मकान से 288 मनोहरलाल के मकान तक		
12		12	289 रतनलाल के मकान से 310 कुदउ के मकान तक		
13		13	311 अशोक के मकान से 335 मूलचंद के मकान तक		
14		14	336 लक्ष्मण सिंह के मकान से 364 खातूनबी के मकान तक		
15		15	365 कमलसिंह के मकान से 388 सुंदरलाल के मकान तक		
16		16	389 हामिद अली के मकान से 409 नादे अली के मकान तक		
17		17	410 गनेशराम के मकान से 433/1 हरिशंकर के मकान तक		
18		18	433/2 मदनलाल के मकान से 460 शंकरा के मकान तक		
19		19	461 नत्थीबाई के मकान से 489 मो.अजीज के मकान तक		
20		20	490 आरती के मकान से 521 राजकुमारी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

द

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिरावली	1	1 हबीब खां के मकान से 9 प्रेमबाई के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	10 गनेशराम के मकान से 24 दयाराम के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	25 सकीलाबी के मकान से 39 मजहरउल्लहक के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	40 बहादुर खां के मकान से 50 पीरखां के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	51 मिटठा के मकान से 92 श्रीराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	नावरा	6	1 भज्जू के मकान से 13 अमरसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	14 श्रीबाई के मकान से 30 शांतिबाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	31 प्रभुलाल के मकान से 47 क मोहन के मकान तक		
9	जोनाखेड़ी	9	1 भूरेलाल के मकान से 16 पूरन सिंह के मकान तक		
10		10	17 गोपाल के मकान से 23/1 कुंजीलाल के मकान तक		
11		11	24 बैजनाथ के मकान से 53 आशाराम के मकान तक		
12	कोठा	12	1 केशव के मकान से 20 ओमप्रकाश के मकान तक		
13		13	21 खिलान के मकान से 40 मेवाबाई के मकान तक		
14		14	41 रामवती के मकान से 54 उमेदसिंह के मकान तक		
15	भुगावली	15	1 दीपिका के मकान से 28/4 परमानंद के मकान तक		
16		16	29 मूकेश के मकान से 60 गनपत के मकान तक		
17	+मढ़िया	17	61 हीराबाई के मकान से 86 थानसिंह के मकान तक एवं 1 तुफेलखां के मकानसे 7 आयशाबी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बजीरावाद	1	1 मनोरमा के मकान से 12 मंशाराम के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	13 उमकार के मकान से 24 बाबूलाल के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	25 सुमित्रावाई के मकान से 42 सादीन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	43 हसरुद्धीन के मकान से 58 इस्लाम के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	59 आजम खों के मकान से 71 विशना के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	फतनपुर	6	1 वर्षा के मकान से 14 रामस्वरूप के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	15 हीरालाल के मकान से 30 जैतून बी के मकान तक	महिला सामान्य	1
8	बोथी	8	1 जस्सू के मकान से 15 लाखन सिंह के मकान तक		
9		9	16 गोविन्द के मकान से 30 अनामत खों के मकान तक		
10		10	31 विस्सा बी के मकान से 44 सियावाई के मकान तक		
11		11	45 लक्ष्मण सिंह के मकान से 58 कुलआ के मकान तक		
12		12	59 प्रेमसिंह के मकान से 80 रामप्रसाद के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

व

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिथोली	1	1 मन्नुलाल के मकान से 12 ग सुंदरवाई के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	13 गिरजावाई के मकान से 22 रघुवीरसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	—
3		3	23 बैजनाथ प्रसाद के मकान से 35 गजराजसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	36 जगननाथ के मकान से 43 अतरवाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	44 अमरसिंह के मकान से 52 चतरलाल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	—
6		6	53 भूरीवाई के मकान से 63 ब्रजोवाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	64 कस्तूरीवाई के मकान से 72 ग मुन्ना के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	73 अनूपसिंह के मकान से 78 क सियावाई के मकान तक		
9		9	78 ख रामकुंवरवाई के मकान से 84 छोटीवाई के मकान तक		
10		10	85 अंतरवाई के मकान से 95 क सादुलसिंह के मकान तक		
11	गडरू	11	1 शाति के मकान से 16 सुफिया के मकान तक		
12		12	17 घासीराम के मकान से 37 आशा के मकान तक		
13		13	38 श्रीवाई के मकान से 53 ब्रहमकुमारी के मकान तक		
14		14	54 पद्माकुमारी के मकान से 68 रहीस खों के मकान तक		
15		15	69 अनीसा बी के मकान से 201 गंगाराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कूलहन	1	1 ओमकार के मकान से 11 रामवाई के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	12 मोहनसिंह के मकान से 29 सुमनवाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	30 गुलाबवाई के मकान से 41 मनमोहन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	42 रूपसिंह के मकान से 54 सोनम के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	55 भगवानसिंह के मकान से 67/2 भूरा के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	68 भैयालाल के मकान से 80 प्यारेलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	81 राजधर सिंह के मकान से 92 आरती के मकान तक	महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
8		8	93 पुन्ना के मकान से 107 बेनीवाई के मकान तक		
9		9	108 जीवनलाल के मकान से 129 मानसिंह के मकान तक		
10		10	130 हरिराम के मकान से 145 सवितावाई के मकान तक		
11		11	146 रतिवाई के मकान से 162 राजश्रीवाई के मकान तक		
12		12	163 मुलुआ के मकान से 181 विनोद के मकान तक		
13		13	182 जगदीश के मकान से 717 क रामचरण के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विशनपुर	1	1 हरिराम के मकान से 16 हरिसिंह के मकान तक	अ0जा0	25
2		2	17 मोबतसिंह के मकान से 35 कस्तूरीवाई के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	02 04
3		3	36 कोमलवाई के मकान से 53 मेबावाई के मकान तक	महिला अ0जा0	3
4		4	54 मुन्ना के मकान से 70 संतोष के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5		5	71 ब्रजेश के मकान से 81 अमरसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
6		6	82 बदनसिंह के मकान से 100 बद्रीप्रसाद के मकान तक	महिला सामान्य	1
7		7	101 पोथी के मकान से 116 मथुरावाई के मकान तक		
8		8	117 काशीवाई के मकान से 132/1 राजवाई के मकान तक		
9		9	133 पर्वतसिंह के मकान से 150 जवाहरसिंह के मकान तक		
10		10	151 अवधनारायण के मकान से 170 भूरलाल के मकान तक		
11		11	171 रम्मू के मकान से 191 मुनब्वर के मकान तक		
12		12	192 छोटे खों के मकान से 212 सुलेखा के मकान तक		
13		13	213 रसूल के मकान से 228 जयनारायण के मकान तक		
14		14	229 छोटेलाल के मकान से 251 वीरेन्द्र के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीकलोन	1	1 विजय के मकान से 21 लीला वाईके मकान तक	अ0जा0	04
2		2	22 धनीराम के मकान से 47 सुनीतावाई के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	48 मोतीलाल के मकान से 67 धानुकुमार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
4		4	68 मुन्नालाल के मकान से 86 विनीता वाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	87 तारावाई के मकान से 107 विकास के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6		6	108 विष्णु के मकान से 121 विकास के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	122 रामनारायण के मकान से 137 अनीता के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	138 ओमप्रकाश के मकान से 154 नथनसिंह के मकान तक		
9		9	155 जमनावाई के मकान से 171 रशिमी दाँगी के मकान तक		
10		10	172 प्रहलाद के मकान से 184 साधनासिंह के मकान तक		
11		11	185 सेमेरसिंह के मकान से 208 वर्षा के मकान तक		
12		12	209 कपूरीवाई के मकान से 230 वर्षा दाँगी के मकान तक		
13		13	231 गजराज के मकान से 253 आरतीके मकान तक		
14		14	254 प्रमसिंह के मकान से 280 मनोजकुमार के मकान तक		
15		15	281 शारदावाई के मकान से 304 पवन के मकान तक		
16		16	305 निरपत के मकान से 330 अनीता के मकान तक		
17		17	331 मोजीलाल के 349 पप्पू के मकान तक		
18		18	350 कछेदी के मकान से 381 सुनीता क के मकान तक		
19		19	382 बब्लू के मकान से 191 महेश के मकान तक		
20		20	392 गोरावाई के मकान से 403 रामकृष्णके मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एट द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधाकि कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या व विवरण	
				प्रवर्ग	सं
1	2	3	4	5	6
1	लेटनी	1	1 हरलाल के मकान से 12 रामवक्स के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	13 ग्यारसी के मकान से 23 नोनीता के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	24 रामवाई के मकान से 36 रतिवाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	37 संतोषसिंह के मकान से 52 श्रीराम के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	53 गुलाबवाई के मकान से 61 रमेश सिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	62 अमोलसिंह के मकान से 78 दुर्गसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	79 रूकमणीवाई के मकान से 90/1 करनसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	90/2 प्रभूसिंह के मकान से 101 लक्ष्मणसिंह के मकान तक		
9		9	102 प्रभाव सिंह के मकान से 119 सुनील के मकान तक		
10	कोलुआ	10	1 बाला वार्ड के मकान से 10 किशनलाल के मकान तक		
11		11	11 बाबूलाल के मकान से 25 उधमसिंह के मकान तक		
12		12	26 गुलाब खों के मकान से 35 शहीद खों के मकान तक		
13		13	36 सुल्ताना बी के मकान से 50 विनीता वार्ड के मकान तक		
14	चक्क	14	1 मिस्टर खों के मकान से 13 जावेद खों के मकान तक		
15	बकवारा	15	1 रंधीरसिंह के मकान से 12 मेवावाई के मकान तक		
16		16	13 भगवानसिंह के मकान से 26 नारायण के मकान तक		
17		17	27 कोमल के मकान से 36 संजीदा वी के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
1	नगवासा	1	1 किशनलाल के मकान से 35 पूरन के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	36 दौजे के मकान से 62 ए धमेन्द्र के मकान तक	अ0ज0जा0	—
3	गिटोला	3	1 सुमित्रावाई के मकान से 22/2 विनोद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0	2 3
4		4	22/3 गजरोवाई के मकान से 36 रामकृष्ण के मकान तक	महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	— 2
5		5	37 भंवरलाल के मकान से 55 सुरेश के मकान तक	महिला सामान्य	3
6		6	56 घुसआ के मकान से 91 देवेन्द्र के मकान तक		
7	सांकरोद	7	1 बारेलाल के मकान से 17 रतिवाई के मकान तक		
8		8	18 मूलचंद्र के मकान से 30 राजकुमारी के मकान तक		
9		9	31 भरोसा के मकान से 48 रचना के मकान तक		
10		10	49 संपत वाई के मकान से 69 संजीव के मकान तक		
11		11	70 अमरसिंह के मकान से 90 शीलावाई के मकान तक		
12		12	91 दयाराम के मकान से 107 राजवाई के मकान तक		
13	ककरुआ	13	1 ककरुआ के मकान से 19 सरोजवाइ के मकान तक		
14		14	20 शकीला के मकान से 38 गायत्री वाई के मकान तक		
15		15	39 कड़ोरी खों के मकान से 85 अंतराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एत द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गुदावल	1	1 मथुरावाई के मकान से 10 परमोवाई के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	11 कमलावाई के मकान से 18/2 देवीशंकरके मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	— 0
3		3	18/3 भजनलाल के मकान से 28 शमीलाके मकान तक	महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0	1 —
4		4	29 जीरवी के मकान से 40 रूचीला के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
5		5	41 मिस्टर के मकान से 51 जासिब के मकान तक	महिला सामान्य	4
6		6	52 सकीना के मकान से 63 नहीम के मकान तक		
7		7	64 वाहिद के मकान से 79 जैबुनिशा के मकान तक		
8		8	80 छोटे के मकान से 92 अरमान के मकान तक		
9		9	93 विया वी के मकान से 101 राजकुमार के मकान तक		
10		10	102 शाकिर के मकान से 115 निरनसिंह के मकान तक		
11		11	116 हरिसिंह के मकान से 136 मेहरुन बी के मकान तक		
12		12	137 फूलावाइ के मकान से 150 सुनील के मकान तक		
13	+लोहरा	13	151 रामकुंवरवाई के मकान से 162 कल्यान एवं 1 कूपरीवाई के मकान से 9 ममता वाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोसी	1	1 रामवाई के मकान से 24 मंजू बाईके मकान तक	अ0जा0	1
2		2	25 काशीवाई के मकान से 51 किशाना वाई के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	— 0
3		3	52 गीता वाई के मकान से 71 संध्या वाई के मकान तक	महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0	2 —
4		4	72 बन्देलसिंह के मकान से 85 भीकम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
5		5	86 सुखेदव के मकान से 110 रज्जू के मकान तक	महिला सामान्य	3
6					

1	2	3	4	5	6
6		6	111 मूलचंद्र के मकान से 131/2 गजूआ के मकान तक		
7		7	131/3 मथरा के मकान से 147 सुशीला वाई के मकान तक		
8	सिनोटी	8	1 सुम्मा के मकान से 19/2 क युसुफ के मकान तक		
9		9	20/1 आमिर के मकान से 40/1 अकबर के मकान तक		
10		10	41 आजाद खों के मकान से 54 हसरुउद्दीन के मकान तक		
11		11	55 सरदार के मकान से 75 एहसान के मकान तक		
12		12	76 जगन के मकान से 90 रफीक के मकान तक		
13		13	91 शकिर के मकान से 106 मरियम के मकान तक		
14		14	107 अय्युब के मकान से 117 छोटे खों के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एट द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
1	भैसवाया	1	1 विनीता वाई के मकान से 6 शेरसिंह के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	7 कल्याण सिंह के मकान से 19 गजरोवाई के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	20 रामवती के मकान से 31/3 लक्ष्मनसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0	0 2
4		4	32 दौलतसिंह के मकान से 39/3 राकेश के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5		5	40 गोपीलाल के मकान से 47 देवीसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 3

1	2	3	4	5	6
6		6	48 रामस्वरूप के मकान से 57/1 रूकमणी के मकान तक		
7		7	58 चितरावाई के मकान से 79/1 नाथूराम के मकान तक		
8	नाह	8	1 हल्कीवाई के मकान से 27 कशिया के मकान तक		
9		9	28 मोती के मकान से 56 रामरती के मकान तक		
10		10	57 बूदावाई के मकान से 89 हमीरसिंह के मकान तक		
11		11	90 भीकम सिंह के मकान से 113 लटोरीप्रसाद के मकान तक		
12		12	114 शिवलाल के मकान से 127 रणवीर सिंह के मकान तक		
13		13	128 विद्यावाई के मकान से 141 हटेसिंह के मकान तक		
14		14	142 बंदेलसिंह के मकान से 157 रूमाल सिंह के मकान तक		
15	हरसदूखेड़ी	15	1 उमावाई के मकान से 13 इस्माईल के मकान तक		
16	भरी	16	1 केदारनारायण के मकान से 17 मुशीलाल के मकान तक		
17		17	18 हलकई के मकान से 37/1 सियावाई के मकान तक		
18		18	38 श्रीवाई के मकान से 55 ग्यावाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश ए द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारण कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या व विवरण	
				प्रवर्ग	सं.
1	2	3	4	5	6
1	सिरनोटा	1	1 रामसेवक के मकान से 22 गनेशीराम के मकान तक	अ0जा0	1
2		2	23 कोमल के मकान से 34 क अवनीश के मकान तक	अ0ज0जा0	1
3		3	34 ख शान्तिवाई के मकान से 53/1भैयालाल के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4		4	54 ग्यारसी के मकान से 70 ग बल्लू के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5	उमरछा	5	1 गनेश के मकान से 15 नारायण के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	16 प्रेमचंद्र के मकान से 34 क श्रीलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
7		7	34 ख शिबू के मकान से 57 सियावाई के मकान तक	महिला सामान्य	1

1	2	3	4	5	6
8		8	58 रमुआ के मकान से 76 अलीमन बी के मकान तक		
9		9	77 गुलशेर के मकान से 104 अमरसिंह के मकान तक		
10		10	105 गनेशराम के मकान से 111 कमलावाई के मकान तक		
11		11	112 अजमेरसिंह के मकान से 135 भगवानदास के मकान तक		
12	मोहनियाखेड़ी	12	1 शारदावाई के मकान से 35 अजबसिंह के मकान तक		
13		13	36 गुमावाई के मकान से 42/5 शेरसिंह के मकान तक		
14		14	42/6 प्रेमसिंह के मकान से 63 उमराव के मकान तक		
15	पेराजखेड़ी	15	1 नंदलाल के मकान से 27/1 द्रौपती वाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एट द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
1	देवली	1	1 अनीस के मकान से 12 शाबाना के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	13 कमरुउद्दीन के मकान से 16 गुफरान के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	0
3		3	17 मुस्ताक के मकान से 30 साजदा के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4		4	31 नौशे के मकान से 34 ड अकतरी बी के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5		5	34 च कल्लो बी के मकान से 48 ऐजाज खों के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
6		6	49 सईद खों के मकान से 67 वन्नू खों के मकान तक	महिला सामान्य	3
7		7	68 मुन्ना शाह के मकान से 79 साबिर खों के मकान तक		
8		8	80 अबरार खों के मकान से 89 नफीस खों के मकान तक		
9		9	90 नूर खों के मकान से 100 इमाम खों के मकान तक		
10		10	101 आयशा के मकान से 109 ग्यासुउद्दीन के मकान तक		
11		11	110 असगरी वी के मकान से 117 इब्राहिम खों के मकान तक		
12		12	118 मुबारिक के मकान से 128 अ. रहमान के मकान तक		
13		13	129 रामश्री वाई के मकान से 139 क रफीक के मकान तक		
14	मददूखेड़ी	14	1 जवाहर सिंह के मकान से 13 मोहनलाल के मकान तक		
15		15	14 वहीद खों के मकान से 25 धनुआ के मकान तक		
16		16	26 गनेश के मकान से 37 रामसिंह के मकान तक		
17	मोदनखेड़ी	17	1 शान्तिवाई के मकान से 29 दौलतसिंह के मकान तक		
18		18	30 रामदास के मकान से 55 तुलसीराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

क

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	अ0जा0	02
1	शहरवासा	1	1 शिवराज के मकान से 26 गनेशराम के मकान तक	अ0ज0जा0	01
2		2	27 सम्पत वाई के मकान से 49/1 दौलतसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0	04 2
3		3	50 वेनीवाई के मकान से 67 रघुराज के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
4		4	68 गवडू के मकान से 95 बिहारी के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
5		5	96 पन्नालाल के मकान से 119 उमकारसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	2
6		6	120 भगवानसिंह के मकान से 133 शीलावाई के मकान तक		
7		7	136 बाबूलाल के मकान से 163 शीलावाई के मकान तक		
8		8	164 रामवती वाई के मकान से 178 हाजरा वीके मकान तक		
9		9	179 सरदार के मकान से 194 हबीब खाँ के मकान तक		
10		10	195 शरीफ के मकान से 207 हरनामसिंह के मकान तक		
11		11	208 धीरज के मकान से 217 हरिसिंह के मकान तक		
12		12	218 चिरोजीलाल के मकान से 230 प्रताप के मकान तक		
13		13	231 रामावाई के मकान से 258 गुलाबवाई के मकान तक		
14		14	259 हल्कई के मकान से 278 राहुल के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दतेरा	1	1 गोमतीवाड़ी के मकान से 28 लक्ष्मीवाड़ी के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	29 दुर्जन के मकान से 51 गीतावाड़ी के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	52 अजय सिंह के मकान से 86 हरिसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	87 कंछेदीलाल के मकान से 111 अंगूरीवाड़ी के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	112 बाबूलाल के मकान से 131 हेमलता के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6		6	132 प्रेमवाड़ी के मकान से 152 ज्योति के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	फुटेरा	7	1 कमलवाड़ी के मकान से 18 सत्यनारायण के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	19 राजावाड़ी के मकान से 35 रामकली के मकान तक		
9	सफली	9	1 रतनसिंह के मकान से 9/2 नंदकुमारी के मकान तक		
10		10	10 गंगावाड़ी के मकान से 21 सूमावाड़ी के मकान तक		
11		11	22 गंधर्वसिंह के मकान से 33 हरनामसिंह के मकान तक		
12	दाउदखेड़ी	12	1 शेरसिंह के मकान से 31 विहारीलाल के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उकावद	1	1 लालसिंह के मकान से 16/3 बुन्देलसिंह के मकान तक	अ0जा0 अ0ज0जा0	3 -
2		2	16/4 गजराजसिंह के मकान से 27 पार्वतीवाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
3		3	28 कल्लू के मकान से 38 पूनावाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4	जरतौली	4	1 लक्ष्मण के मकान से 31 लालसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
5		5	32 भवूता के मकान से 49 ख प्रीतिवाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
6		6	50 क ब्रजेश के मकान से 60 कलावाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
7		7	61 शान्तिवाई के मकान से 82 कस्तूरीवाई के मकान तक		
8		8	83 ग्यारसी राम के मकान से 110 लालसिंह के मकान तक		
9		9	111 केशरवाई के मकान से 136 ब्रजेन्द्रसिंह के मकान तक		
10	रूसल्ला+डाबरी	10	1 शेरसिंह के मकान से 6 घनश्याम एवं 1 गोकुल के मकान से 13 वारीवाई के मकान तक		
11		11	14 बाबूलाल के मकान से 35 क लखन के मकान तक		
12		12	36 गंदावाई के मकान से 53 संदीप के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मनेशा	1	1 रोशनसिंह के मकान से 13 रानी के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	14 हरलाल के मकान से 26 भारती के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	27 कल्लू के मकान से 36 रामदीन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	37 क कोमल के मकान से 54 देशराज के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	55 यशोदावाइ के मकान से 65 नीतू के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	72 हरिराम के मकान से 80 कविता के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	2

1	2	3	4	5	6
7	बनोह	7	3 सुशीला वाई के मकान से 15 रानी के मकान तक		
8		8	16 क गजेन्द्रसिंह के मकान से 20 प्रदीप के मकान तक		
9		9	21 श्रीवाई के मकान से 33 सूरजवाई के मकान तक		
10		10	34 रामकलीवाई के मकान से 48 राजश्री के मकान तक		
11		11	49 परशुराम के मकान से 56 भानूप्रताप के मकान तक		
12		12	57 नारायणसिंह के मकान से 73 सेवकली के मकान तक		
13		13	74 के मकान से 85 हाकम ख के मकान तक		
14		14	86 पंचम के मकान से 95 सुशीलावाई के मकान तक		
15		15	96 मनीराम के मकान से 153 सरोजवाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजपुर	1	1 बजा के मकान से 41 कुंजीलाल के मकान तक	अ0जा0	12
2		2	42 ग्यारसा के मकान से 63 शांतिबाई के मकान तक	अ0ज0जा0	03
3		3	64 अशोक के मकान से 80 दशरथ के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	81 जगदीश के मकान से 103 रघुनाथ के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5		5	104 रामगुलाम के मकान से 114 सुखरानी के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	115 कष्णाबाई के मकान से 127 श्रीराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बेरखेड़ी	7	1 गंगाबाई के मकान से 25 भमरीबाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	26 रामबाई के मकान से 32 हाकमसिंह के मकान तक		
9		9	33 मुन्नासिंह के मकान से 40 बहादुरसिंह के मकान तक		
10		10	41 रोशनसिंह के मकान से 60 राणाबाई के मकान तक		
11		11	61 रामप्रसाद के मकान से 86 पुष्पाबाई के मकान तक		
12	मिठोली	12	1 सोदान सिंह के मकान से 11 कमर सिंह के मकान तक		
13	इकोदा	13	1 राजे खां के मकान से 12 बल्लू के मकान तक		
14		14	13 रामकली के मकान से 39 गुडडू के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	श्यामपुर गुदावल	1	1 इमरतसिंह के मकान से 25/2 मूलचंद्र के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	25/3 हजरतसिंह के मकान से 32/3 बाबूलाल के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	- 02
3		3	33 रामसेवक के मकान से 50 मोहनसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4		4	51 गोमतीवाई के मकान से 64 श्रीराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
5		5	65 मीरावाई के मकान से 78 नत्थीवाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
6		6	79 रामकलीवाई के मकान से 89 कृष्णपाल के मकान तक	महिला सामान्य	4
7		7	90 धीरजसिंह के मकान से 121 खुशालसिंह के मकान तक		
8	पलीता	8	1 पलीतावाइ के मकान से 25 हरिराम के मकान तक		
9		9	26 प्रेमसिंह के मकान से 43 सुरेन्द्र मोहन के मकान तक		
10		10	44 कैलाशनारायण के मकान से 67 डेलनसिंह के मकान तक		
11		11	68 परमसिंह के मकान से 84 नारायणसिंह के मकान तक		
12		12	85 प्रेमसिंह के मकान से 108 गोरेलाल के मकान तक		
13	पूनाखेड़ी	13	1 राजेशकुमार के मकान से 18 प्रेमवाई के मकान तक		
14		14	19 खिलानसिंह के मकान से 33 सरजूलाल के मकान तक		
15		15	34 लालसिंह के मकान से 57/1 नाथूसिंह के मकान तक		
16		16	57/2 नर्वदीवाई के मकान से 111 रामसिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भालबामोरा	1	1 फूलावाई के मकान से 17 कोमलसिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	18 लक्ष्मीवाई के मकान से 37 सूरजवाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	38 तुलसावाई के मकान से 55 रामरतन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
4		4	56 कन्हैयाला के मकान से 75 शान्तिलाल के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	76 खुमानोवाई के मकान से 95 हाजरा वाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	96 मोहरसिंह के मकान से 117 शान्तिवाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	118 राजेन्द्रसिंह के मकान से 130 नत्थीवाई के मकान तक	महिला सामान्य	4
8		8	131 काशीवाई के मकान से 145 हलीम खों के मकान तक		
9		9	146 ईशाक खों के मकान से 167 तुलसीराम के मकान तक		
10		10	168 जीवनलाल के मकान से 187 प्रेमवाई के मकान तक		
11		11	188 जानकीवाई के मकान से 206 सावित्री वाई के मकान तक		
12		12	207 रमेशचंद्र के मकान से 225 दुर्गावाई के मकान तक		
13		13	226 खूबसिंह के मकान से 249 पूनावाई के मकान तक		
14		14	250 रामवाई के मकान से 268 अहमद नूर खों के मकान तक		
15		15	269 बन्ने खों के मकान से 284 सईद खों के मकान तक		
16		16	285 सकीना वी के मकान से 299 उर्मिला वाई के मकान तक		
17		17	300 हरिराम के मकान से 319 शिबुआ के मकान तक		
18		18	320 रमेश के मकान से 340 नंदलाल के मकान तक		
19		19	341 प्रेमवाई के मकान से 494 मलखान के मकान तक		
20	नजफगंज	20	1 नथुआ के मकान से 20 जुगरू के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दुधावरी	1	1 काशीवाई के मकान से 24 कंवरवाई के मकान तक	अ0जा0	02
2		2	25 बाबूलाल के मकान से 63 तुलाराम के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	64 भुग्गे के मकान से 83 दयाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4		4	84 पुष्पावाई के मकान से 101 बलवीरसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	102 चतरावाई के मकान से 112 क रामेश्वरप्रसाद के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	112 ख गोविन्द्रप्रसाद के मकान से 146 नन्नूके मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	147 नंदुआ के मकान से 167 क मेवावाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	168 रामसिंह के मकान से 188 ख रामराज के मकान तक		
9		9	189 दुर्गसिंह के मकान से 209 रविन्द्रसिंह के मकान तक		
10		10	210 कृष्णावाई के मकान से 231 मनेशीवाई के मकान तक		
11	सतोह	11	1 महेन्द्रसिंह के मकान से 12 प्रेमसिंह के मकान तक		
12		12	13 छोटेलाल के मकान से 24 कुसुमवाई के मकान तक		
13		13	25 गनेशीवाई के मकान से 36 शिवराजसिंह के मकान तक		
14		14	37 देवगिर के मकान से 49 लखन के मकान तक		
15	+चक्क	15	1 फूलसिंह के मकान से 21 दिनेश के मकान तक		
16		16	22 रमेश के मकान से 39 कमलेश के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

कलेक्टर जिला विदिशा मध्य प्रदेश

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 का धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिमरघान	1	1 रघुवीर के मकान से 15 रामकिशन के मकान तक	अ0जा0	24
2		2	16 केशरी के मकान से 23 सुरागसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	24 फेरनसिंह के मकान से 32 वारीवाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	24
4		4	33 राधावाई के मकान से 42 गजानंद के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	43 सरस्वती के मकान से 52 मंगल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6		6	53 ब्रजरानी के मकान से 66 लक्ष्मण के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	67 करन के मकान से 116 माखन के मकान तक	महिला सामान्य	4
8	मालापठारी	8	1 माला पठारी के मकान से 20 पंचमसिंह के मकान तक		
9		9	21 राजवाई के मकान से 41 विशनलाल के मकान तक		
10		10	42 खचोरी के मकान से 52 वंशी के मकान तक		
11	पड़राज	11	1 जितेन्द्र के मकान से 16 रामरतन के मकान तक		
12	रमखिरिया	12	1 चूड़ामड़ के मकान से 30 मनीराम मकान तक		
13		13	31 गीतावाई के मकान से 46 लीलावाई के मकान तक		
14		14	47 गिरजवाई के मकान से 61 खुमान के मकान तक		
15	ककरावली	15	1 सतपाल के मकान से 10 सनैत्रा शर्मा के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वंद्रावठा	1	1 वेटीवाई के मकान से 24 लालाराम के मकान तक	अ0जा0	2
2		2	25 मनीराम के मकान से 35 भागवतीवाई के मकान तक	अ0ज0जा0	02
3		3	36 संतोष के मकान से 56 सरस्वती वाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	—
4		4	57 लक्ष्मीनारायण के मकान से 64 उमराव के मकान तक	महिला अ0जा0	4
5		5	65 रशीद खों के मकान से 74 कल्याण के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6		6	75 गनेशलाल के मकान से 98 मोहन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	—
7		7	99 पप्पू के मकान से 112 सरस्वती वाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8		8	113 मनशा वाई के मकान से 127 नत्थू के मकान तक		
9		9	128 फूलचंद्र के मकान से 145 पूरन के मकान तक		
10		10	146 तेजावाई के मकान से 161 हमीरसिंह के मकान तक		
11		11	162 मुन्ना के मकान से 187 बाबूलाल के मकान तक		
12		12	188 स हटेराम 207 वंशीराम के मकान तक		
13		13	208 फूलवाई के मकान से 225 राजाराम के मकान तक		
14		14	226 लालाराम के मकान से 248 कन्हई के मकान तक		
15		15	249 हरिनारायण के मकान से 503 गंगा वाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201.

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं; अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धामोनीपुरा	1	1 नारायणसिंह के मकान से 9 तुलसावाई के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	10 धरनीधर के मकान से 16 प्रतापसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	17 हल्कई के मकान से 39 कुन्दन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	03
4		4	40 खुमान के मकान से 57 पूरनियों के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	58 खिल्ला के मकान से 72 महेन्द्रसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	दानखेड़ी	6	1 ग्यारसी के मकान से 10 सरवन के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	11 भगवतसिंह के मकान से 23 चिरोजीलालके मकान तक	महिला सामान्य	1

1	2	3	4	5	6
8		8	24 मुन्ना के मकान से 40 छोटेराजा के मकान तक		
9	विलगोना	9	1 झगडू के मकान से 12 लालसिंह के मकान तक		
10		10	13 मुल्लू के मकान से 26 कम्मोदसिंह के मकान तक		
11		11	27 बाबूलाल के मकान से 39 वीरन के मकान तक		
12		12	40 पूरन के मकान से 50 क कमल के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बावईखुर्द	1	1 भंवरसिंह के मकान से 7 पूजा वाई के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	8 हल्कई सिंह के मकान से 14 मटरू के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	15 फूलसिंह के मकान से 25 देवीसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4		4	26 गोरवाई के मकान से 35 दयाराम के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	36 घनश्याम के मकान से 46 समरसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6		6	47 कुन्दनसिंह के मकान से 49 मोहनसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	60 नन्हीवाई के मकान से 72 विच्छी वाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
8	महुआखेड़ा	8	1 सुमित्रावाई के मकान से 21 हरगीविन्द के मकान तक		
9		9	22 जगदीश के मकान से 38 पन्नालाल के मकान तक		
10		10	39 गोवर्धनसिंह के मकान से 68 कांतावाई के मकान तक		
11	कांकरोन	11	1 विमलावाई के मकान से 20 गनू के मकान तक		
12		12	21 बलासम के मकान से 40 सेवरानी के मकान तक		
13	बीलाखेड़ी	13	1 हीरालाल के मकान से 19 बाबूलाल के मकान तक		
14		14	20 परमोवाई के मकान से 29 हरिशंकर के मकान तक		
15		15	30 रामश्री के मकान से 45 निर्भय के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	रामगढ़	1	1 हुकमसिंह के मकान से 14 किशोरसिंह के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	15 प्रहलादसिंह के मकान से 30 कमलाबाई के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	1 0
3		3	31 हरिसिंह के मकान से 41 घ संगीता के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4	परसोरा	4	1 दशरथसिंह के मकान से 7 ख गुलाबसिंह के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
5		5	7 ग बहादुरसिंह के मकान से 17 पार्वती बाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 1
6		6	18 क सरवर के मकान से 31 शंकर के मकान तक		
7		7	32 रूकमणीबाई के मकान से 52 इकराम के मकान तक		
8	बावईकलां	8	1 हरिसिंह के मकान से 11 रघुवीरसिंह के मकान तक		
9		9	12 मुन्ना के मकान से 25 मेहरवान के मकान तक		
10		10	26 संतोष के मकान से 51 उपासना बाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.20

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छपारा	1	1/1 सियावाई के मकान से 15/3 शेरसिंह के मकान तक	अ0जा0 अ0ज0जा0	0 0
2		2	16 छोटेलाल के मकान से 28 मूला वाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
3		3	29 खिलान के मकान से 39/2 दुर्जन के मकान तक	महिला अ0जा0	3
4		4	40 धनावाई के मकान से 61 जीनस वी के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5		5	62 रहीमन वी के मकान से 82 श्रीपत के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
6		6	83 कौशल्या वाई के मकान से 99 रमेश के मकान तक	महिला सामान्य	2
7		7	100 कल्याणसिंह के मकान से 113 मंगला के मकान तक		
8		8	114 कोमलिया के मकान से 131 उमेदियाके मकान तक		
9		9	132 किशोरी के मकान से 154 सुमनतरा के मकान तक		
10		10	155 राजकुमारी के मकान से 180 रामदयाल के मकान तक		
11		11	181 प्रकाशचंद्र के मकान से 202 रमेशकुमार के मकान तक		
12		12	203 अमान के मकान से 211/4 बलवीरसिंह के मकान तक		
13		13	212 विजयसिंह के मकान से 223 रघुवर के मकान तक		
14		14	224 चैनसिंह के मकान से 249 किशना के मकान तक		
15		15	249/1 कन्हैया के मकान से 268 पुरुषोत्तम के मकान तक		
16		16	269 ब्रजलाल के मकान से 286 बलराम के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मथुरापुर	1	1 खुशालसिंह के मकान से 19 मोहनसिंह के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	20 संपतवाई के मकान से 39 जवाहरसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	40 रामचरण के मकान से 51 सुमंत्रावाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4		4	52 खिलानसिंह के मकान से 64 परमोवाई के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	65 जशोदावाई के मकान से 90 क जीवनसिंह के मकान	महिला अ0ज0जा0	1
6	जारोली	6	1 संतोष के मकान से 18 गजराजसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		7	19 गुलाबसिंह के मकान से 30 दमेतीवाई के मकान तक	महिला सामान्य	1
8		8	31 तारावाई के मकान से 54 खुशाला के मकान तक		
9		9	55 रतनसिंह के मकान से 74 ग्याप्रसाद के मकान तक		
10		10	75 अमरसिंह के मकान से 92 भरोसी के मकान तक		
11	किशनपुर	11	1 हरनामसिंह के मकान से 24 जीवनसिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेड़ापठारी	1	1 हींगलाल के मकान से 23 प्यारेलाल के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	24 अमरसिंह के मकान से 40 खिलानसिंह के मकान तक	अ0ज0जा0	0
3		3	41 बल्देव के मकान से 55 सरजूवाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	56 अमरसिंह के मकान से 75 तीजावाई के मकान तक	महिला अ0जा0	1
5	+सूजाबरखेड़ा	5	76 प्रीतम के मकान से 88 ग रामदयाल एवं संतोष के मकान से 3 गनेशराम के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	3

1	2	3	4	5	6
6		6	4 कल्लू के मकान से 15 क शिवलाल के मकान तक		
7		7	16 मर्दन के मकान से 23 प्रेमवाई के मकान तक		
8		8	24 मोहरवाई के मकान से 39 प्रेमवाई के मकान तक		
9		9	40 ग्याप्रसाद के मकान से 50 नब्बीवाई के मकान तक		
10		10	51 जगननाथ के मकान से 60 ठाकुरप्रसाद के मकान तक		
11		11	61 मिंदावाई के मकान से 76 सुरेश के मकान तक		
12	सेमरखेड़ी	12	1 नन्नी वी के मकान से 13 शरीफ के मकान तक		
13		13	14 हाजरा वी के मकान से 25 नबाब खॉ के मकान तक		
14		14	26 मजीत खॉ के मकान से 48 क रफीक के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पठारी	1	1 जालमसिंह के मकान से 74 गुलाबचंद्र के मकान तक	अ0जा0	0
2		2	75 राजकुमार के मकान से 153 मन्मूलाल के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	154 विनोदकुमार के मकान से 215 कमलसिंह के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	216 प्रेमनारायण के मकान से 273 कुरेशा बी के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	274 सत्तार के मकान से 338 कोमलप्रसाद के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6		6	339 शिवनारायण के मकान से 398 सुन्दरवाई के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	399 रफीक के मकान से 462 महेन्द्रसिंह के मकान तक	महिला सामान्य	5
8		8	463 शाकिर शाह के मकान से 504 इस्माहिल के मकान तक		
9		9	505 फरीदउद्दीन के मकान से 559 ज्ञानचंद्र के मकान तक		
10		10	560 अमरचंद्र के मकान से 604 बजेन्द्रसिंह के मकान तक		
11		11	605 लाखनलाल के मकान से 646 कड़ोरीलालके मकान तक		
12		12	647 लक्ष्मीनारायण के मकान से 708 कमलावाई के मकान तक		
13		13	709 पार्वतीवाई के मकान से 757 बंशीलाल के मकान तक		

1	2	3	4	5	6
14		14	758 रमेशकुमार के मकान से 827 मुन्नबर के मकान तक		
15		15	828 दमको वाई के मकान से 904 कलावाई के मकान तक		
16		16	905 नबाब खाँ के मकान से 965 श्रीराम के मकान तक		
17		17	966 दौलतसिंह के मकान से 1005 कुजीलाल के मकान तक		
18		18	1006 मोहनसिंह के मकान से 1065 टन्डूलाल के मकान तक		
19		19	1066 जीवनलाल के मकान से 1126 रतनसिंह के मकान तक		
20		20	1127 पंचालाल के मकान से 1199 पप्पू के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.201

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विसलोनी	1	1 पप्पू के मकान से 15 फूलरानी के मकान तक	अ0जा0	0/2
2		2	16 मुशीलाल के मकान से 24 भगवतीप्रसाद के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	0
3		3	25 रामविशाल के मकान से 31 रामसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4		4	32 मनवाई के मकान से 41 भारतवाई के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5		5	42 रामकिशन के मकान से 62 ग सुखलाल के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
6	सेदपुर	6	1 परमोली के मकान से 10 कलावाई के मकान तक	महिला सामान्य	3
7		7	11 सुहागरानी के मकान से 21 भागवती वाई के मकान तक		
8		8	22 कलावाई के मकान से 35 मनीराम के मकान तक		
9		9	36 कलावाई के मकान से 56 कन्हैयालाल के मकान तक		
10	चौपड़ा	10	1 आनंदसिंह के मकान से 12 गोरेलाल के मकान तक		
11		11	13 वीरसिंह के मकान से 24 के दरयावसिंह मकान तक		
12		12	25 गुलाबसिंह के मकान से 43 ख घनश्याम के मकान तक		
13		13	44 अयोध्याप्रसाद के मकान से 59 मलखानसिंह के मकान तक		
14		14	60 गनेशराम के मकान से 68 सियारानी के मकान तक		
15		15	69 कुंवरसिंह के मकान से 77 ज्ञानवाई के मकान तक		
16		16	78 मुल्कराज के मकान से 86 रघुवरप्रसाद के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरियापठारी	1	1 मुल्ले के मकान से 13 अर्चना के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	14 भागवाई के मकान से 27 जुगतिवा वार्ड के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	01 05
3		3	28 सुम्मा के मकान से 40 मुलावाई के मकान तक	महिला अ0जा0	3
4		4	41 ललतावाई के मकान से 76 नत्थू के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	1
5	विसराहा	5	1 हरीशचंद्र के मकान से 13 प्रहलादसिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
6		6	14 बहदुरसिंह के मकान से 23 गजराज के मकान तक	महिला सामान्य	3
7		7	24 शीलारानी के मकान से 34 धन्नालाल के मकान तक		
8		8	35 भुजबलसिंह के मकान से 46 तोरनसिंह के मकान तक		
9		9	47 ओमप्रकाश के मकान से 63 राजवाई के मकान तक		
10	विसराही	10	1 धीरजसिंह के मकान से 16 बब्बू के मकान तक		
11		11	17 लक्ष्मन के मकान से 38 भारत के मकान तक		
12		12	39 कौशावाई के मकान से 50 खिलानसिंह के मकान तक		
13		13	51 अर्जुनसिंह के मकान से 62 गनेशराम के मकान तक		
14		14	63 बिहारी के मकान से 80 प्यारेलाल के मकान तक		
15		15	81 मोहन के मकान से 100 रघुवर के मकान तक		
16		16	101 हरकिशन के मकान से 118/4 रामबाबू के मकान तक		
17	गौणखेड़ी	17	1 सावित्री के मकान से 15 रामवाई के मकान तक		
18		18	16 प्रेमवाई के मकान से 30 निर्भयसिंह के मकान तक		
19		19	31 बलीराम के मकान से 53 प्रेमवाई के मकान तक		
20		20	54 हरकिशन के मकान से 83 छोटीवाई के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जाजपोन	1	1 चंद्रशेखर के मकान से 14 पूनाबाई के मकान तक	अ0जा0	05
2		2	15 रामचरण के मकान से 28 सुदामा के मकान तक	अ0ज0जा0	-
3		3	29 खिलान के मकान से 42 चंद्रावाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	43 प्रेम के मकान से 50 चंद्रा रानी के मकान तक	महिला अ0जा0	3
5		5	51 दौलतसिंह के मकान से 93 मुल्लू के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	-
6	चंदूली	6	1 राजाराम के मकान से 18 नर्वदा के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खड़ाखेड़ी	7	1 मुल्लू के मकान से 28 शान्तिवाई के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	29 तखतसिंह के मकान से 45 रामप्रसाद के मकान तक		
9		9	46 प्रहलादसिंह के मकान से 60 रामप्रसाद के मकान तक		
10		10	61 धन्नू के मकान से 79 ख गनेशराम के मकान तक		
11	हासमपुर	11	1 नंदराम के मकान से 16 खूबसिंह के मकान तक		
12		12	17 रेखावाई के मकान से 28 प्रवेशवाई के मकान तक		
13	जमूनिया	13	1 अमरसिंह के मकान से 18 इमरत के मकान तक		
14		14	19 महेश के मकान से 62 भीकम सिंह के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बड़ोह	1	1 गुलाबसिंह के मकान से 17 मुल्लू के मकान तक	अ0जा0	04
2		2	18 जाहिद के मकान से 34 अनवर के मकान तक	अ0ज0जा0	03
3		3	35 सहादत अली के मकान से 56 फीरोज के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	05
4		4	57 गुड्डी के मकान से 75 शरीफ के मकान तक	महिला अ0जा0	2
5		5	76 हफीजन के मकान से 88 कमल के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	2
6		6	88क कल्लू के मकान से 103 हीरालालके मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	104 राजवाई के मकान से 118 ख महेश के मकान तक	महिला सामान्य	2
8		8	119 चिरोजीवाई के मकान से 135 रमेश के मकान तक		
9		9	136 कलावाई के मकान से 149 नब्बोवाई के मकान तक		
10		10	151 भीकमसिंह के मकान से 161 क गुलजारी के मकान तक		
11		11	162 कुंवरवाइ के मकान से 173 जशोदावाई के मकान तक		
12		12	174 राजाराम के मकान से 192 दुर्गावाई के मकान तक		
13		13	193 विनिया के मकान से 210 चंदनवाइ के मकान तक		
14		14	211 लालसिंह के मकान से 222 मिहीलाल के मकान तक		
15		15	223 सुरेश के मकान से 240 रामाबाबू के मकान तक		
16		16	241 कृष्णनारायण के मकान से 261 प्रभू के मकान तक		
17		17	262 गनपत के मकान से 277 राजरानी के मकान तक		
18		18	278 भूरीवाई के मकान से 480 क रेहाना वी के मकान तक		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कांकलखेड़ी	1	1 छोटेलाल के मकान से 26 मुन्नासिंह के मकान तक	अ0जा0	06
2		2	27 गंगाराम के मकान से 41 कैलाश के मकान तक	अ0ज0जा0	01
3		3	42 खिलानसिंह के मकान से 58 कैलाश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	04

1	2	3	4	5	6
4		4	59 रशीद के मकान से 75 छतरसिंह के मकान तक	महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3
5		5	76 रामकलीवाई के मकान से 87 यशोदावाई के मकान तक		1
6		6	88 नोनीवाई के मकान से 99 रामप्रसाद के मकान तक		2
7		7	100 चतरा के मकान से 108 रियाज के मकान तक		2
8		8	109 सेवाराम के मकान से 126/2 मोहन के मकान तक		
9	पटरा	9	1 रोशनसिंह के मकान से 18 महाराजसिंह के मकान तक		
10		10	19 गुलाबवाई के मकान से 44 चतुर्भज के मकान तक		
11		11	45/1 भगवानसिंह के मकान से 83 गुलाब के मकान तक		
12		12	84 अवधरानी के मकान से 102 ख तुलसीराम के मकान तक		
13	पदमयाई	13	1 नेहा के मकान से 14 सुरेश के मकान तक		
14		14	15 देवीसिंह के मकान से 27 पानवाई के मकान तक		
15		15	28 दशरथ के मकान से 56 नीलेश के मकान तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 08.05.2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. के मकान से मकान नं. के मकान तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लायरा	1	1 जवाहरलाल के मकान से 17 बन्ने खां के मकान तक	अ0जा0	03
2		2	18 अमोल सिंह के मकान से 57 रेवाबाई के मकान तक	अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग	0 05
3		3	58 लक्ष्मीबाई के मकान से 79 फातमाबी के मकान तक	महिला अ0जा0	2
4		4	80 रफी खां के मकान से 95 नजीरबी के मकान तक	महिला अ0ज0जा0	0
5		5	96 मो.हुसैन के मकान से 114 कय्युम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
6		6	115 हनीफ के मकान से 135 सायरा बी के मकान तक	महिला सामान्य	5
7		7	136 निसायतबी के मकान से 150 आबिद के मकान तक		
8		8	151 अमर सिंह के मकान से 162 वहीदननूर के मकान तक		
9		9	163 पर्वत के मकान से 186 जोहरा के मकान तक		
10		10	187 बाबू खां के मकान से 211 अकलाम के मकान तक		
11		11	212 नासरा बी के मकान से 231 सलीम के मकान तक		
12		12	232 मोतीलाल के मकान से 246 क शहादत के मकान तक		
13		13	247 अकबर के मकान से 267 खेत सिंह के मकान तक		
14		14	268 हजारीलाल के मकान से 285 बलवंत के मकान तक		
15		15	286 हरिचरण के मकान से 307 इमामशाह के मकान तक		
16		16	308 जैलन बी के मकान से 328 मथुराबाई के मकान तक		
17		17	329 देवीसिंह के मकान से 356 मथुराबाई के मकान तक		
18		18	357 महेशकुमार के मकान से 385 बारीबाई के मकान तक		
19		19	386 मंगू के मकान से 416 चिन्दू के मकान तक		
20		20	418 कुंदन के मकान से 437 इमाम खां के मकान तक		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

ग्राम पंचायत पठेराचाण्डू

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन विधिम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पठेराचाण्डू	1 पठेराचाण्डू	म.नं. 1 बलवंतसिंह से म.नं. 11 निर्भलवीर तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 13 कलाबाई से म.नं. 30 प्रियंका तक	अ.ज.जा.	5
			3 म.नं. 31 पहलवान से म.नं. 42 श्यामबाई तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 43 बदुल सिंह से म.नं. 57 सुमंत्राबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 59 इमरत से म.नं. 78 अरविंद तक	अ.ज.जा. महिला	3
			6 म.नं. 80 गुमना से म.नं. 84 शाबिर तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
		7 अम्हाई	म.नं. 1 धीरजसिंह से म.नं. 7 रामभान तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 8 कल्याणसिंह से म.नं. 18 विश्वनाथसिंह तक		
			9 म.नं. 19 बादलसिंह से म.नं. 34 कलीबाई तक		
			10 म.नं. 35 अमोलसिंह से म.नं. 48 जनक तक		
			11 म.नं. 47 पहाडसिंह से म.नं. 58 तोफान तक		
		12 बाजना	म.नं. 01 प्रसन्नबाई से म.नं. 9 रामबाई तक		
			13 म.नं. 10 गुमानसिंह से म.नं. 22 बल्ला		
			14 म.नं. 23 फूलसिंह से म.नं. 31 संगीतबाई तक		
			15 म.नं. 32 सिरनामसिंह से म.नं. 42 जशोदा तक		
			16 म.नं. 43 नारायणप्रसाद से म.नं. 53 घनश्याम तक		
			17 म.नं. 54 भैयालाल से म.नं. 70 तक सुनीता		
			18 म.नं. 71 काशीराम से म.नं. 85 विन्नाबाई		

ग्राम पंचायत मूडरारतनसी
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	मूडरारतनसी	1 मूडरारतनसी	म.नं. 1 अरूणबाई से म.नं. 8 कोक सिंह तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 9 बल सिंह से म.नं. 19 कोमालिया तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 20 पहलवानसिंह से म.नं. 32 नथुआ तक	अ.पि.वर्ग	2
			4 म.नं. 33 बाबूलाल से म.नं. 44 कल्लू तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 45 बृजेश से म.नं. 55 हनुमंतसिंह तक	अ.ज.जा. महिला	1
			6 म.नं. 56 गोविन्दसिंह से म.नं. 68 रमेश तक	अ.पि.वर्ग महिला	1
			7 म.नं. 69 शांतिबाई से म.नं. 79 मुखराम तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 80 अभयसिंह से 88 रघुवीर सिंह तक		
		9 मुक्ताखेड़ा	म.नं. 02 कोमलप्रसाद से म.नं. 23 ऊधमसिंह तक		
			10 म.नं. 24 खुशीलाल से म.नं. 54 भगोबाई तक		
			11 म.नं. 66 सनमान से म.नं. अंत घनश्याम तक		

ग्राम पंचायत चांदबढ़
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	चांदबढ़	1. चांदबढ़	म.नं. 1 कांताबाई से म.नं. 22 ब्रजेश तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 23 गोरेलाल से म.नं. 36 अजयकुमार तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 37 दलीप से म.नं. 62 विनीताबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 63 भारतसिंह से म.नं. 77 राधेश्याम तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 78 तोफान से म.नं. 90 देवेन्द्र तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 91 बलवंतसिंह से म.नं. 110 वलवीर तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 111 मूलचंद से म.नं. 129 संजीव तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 130 पार्वतीबाई से अंत तक		
		9 बामोरी	म.नं. 01 भगवतसिंह से म.नं. 27 कमलेश तक		
			10 म.नं. 28 गजेन्द्र से म.नं. 47 पप्पू तक		
			11 म.नं. 48 सोजाबाई से म.नं. 64 मलखान तक		
			12 म.नं. 65 भमरलाल से म.नं. अंत तक		

ग्राम पंचायत सावनखेड़ी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	सावनखेड़ी	1 सावनखेड़ी	म.नं. 1 सीमाबाई से म.नं. 12 रिजवानाबी तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 13 कमलाबाई से म.नं. 29 सतेन्द्र तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 30 नब्बी से म.नं. 41 फूलबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 42 मूलचंद से म.नं. 50 श्यामबाई तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 51 काशीराम से म.नं. 67 अनीताबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 68 लेखराज से अंत भानु तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 अमीरगंज	म.नं. 01 लल्लू से म.नं. 25 रामबाई तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 26 गोपीलाल से म.नं. 58 गौतम तक		
			9 म.नं. 59 भगवानसिंह से अंत प्रीतिबाई तक		
		10 चंपाखेड़ी	म.नं. 01 मोहब्बतसिंह से म.नं. 15 रमेश्वर तक		
			11 म.नं. 16 जमनालाल से म.नं. अंत वीरनसिंह तक		

ग्राम पंचायत जरसेना

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं; अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	जरसेना	1 जरसेना	म.नं. 1 पानबाई से म.नं. 14 गजराज सिंह तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 15 हरजा से म.नं. 32 कोशल्याबाई तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 33 कैलाश से म.नं. 50 गजरीबाईतक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 51 मांगीलाल से म.न. 64 गोपीलाल	अ.जा. महिला	1
		5 डुगरावनी	म.नं. 03 कलावती से म.नं. 12 तोफान सिंह तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 13 लालराम से म.नं. 19 मुंशीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 21 मंगल सिंह से म.नं. 28 फूलबाई तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 29 कांताबाई से 46/1 रमेश तक		
		9 झीतरी	म.नं. 01 संजयसिंह से म.नं. अंत युवराज तक		
		10 खामखेड़ा	म.नं. 01 कल्याणसिंह से म.नं. 30 प्रेमबाई तक		
		11 खामखेड़ा	म.नं. 31 गोरा से म.नं. 58 सुरेश संपूर्ण भंवरालाल		
		11 अलीगढ़	म.नं. 01 विशन सिंह से म.नं. 09 भंवरलाल तक		
		12 भीलावावड़ी	म.नं. 01/1 गुमानसिंह से म.नं. 5/3 शांतिबाई		

ग्राम पंचायत उनारसीकला

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं; अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	उनारसीकला	1 उनारसीकला	म.नं. 1 मनीराम से म.नं. 14/2 मुक्तीलता	अ.जा.	3
		2	म.नं. 13 मुन्नीबाई से म.नं. 28/6 रामलेश तक	अ.ज.जा.	1
		3	म.नं. 29 हुकुमबाई से म.नं. 43 तेजपाल तक	अ.पि.वर्ग	5
		4	म.नं. 44 मनीराम से म.नं. 69 धर्मन्द्र तक	अ.जा. महिला	2
		5	म.नं. 72 चिरोजीलाल से म.नं. 90 रेखाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 91 मूबीनाबी से म.नं. 101 जितेन्द्र तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
		7	म.नं. 103/1 नन्नूलाल से म.नं. 119 उमा तक	अनारक्षित महिला	5
		8	म.नं. 121/1 सबलसिंह से म.नं. 132 चंदाबाइ तक		
		9	म.नं. 133 /1 नीलमसिंह से म.नं. 146 सीताबाई तक		
		10	म.नं. 147 जयंतीबाई से म.नं. 165 ममताबाई तक		
		11	म.नं. 166 श्रीकृष्ण से म.नं. 182 पूजा तक		
		12	म.नं. 182/1 रामकली से म.नं. 206 सददाम तक		
		13	म.नं. 207 रमजानी से म.नं. 231 सविता तक		
		14	म.नं. 232 मोहरबाई से म.नं. 247/2 मीना तक		
		15	म.नं. 248 हरबोबाई से म.नं. 271 रामकुमार तक		
		16	म.नं. 272 नर्वदा से म.नं. 297 घनश्याम तक		
		17	म.नं. 298 मांगीलाल से 327 परमाल तक		
		18 राधोगढ़	म.नं. 01/1 गुलाबबाई से म.नं. 12/2 शेष तक		
		19	म.नं. 13/1 नारायणसिंह से म.नं. 30 कलाबाई तक		
		20	म.नं. 33 महेन्द्र से म.नं. अंततक राजू तक		

ग्राम पंचायत कालादेव

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	कालादेव	1 कालादेव	म.नं. 1 महाराजसिंह से म.नं. 13 सीताराम तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 15 रामप्रसाद से म.नं. 26 मोहन तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 27/1 कल्ला से म.नं. 41/1 विजय तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 42 डूम्माबाई से 55 किरणबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 56 मुन्नीलाल से म.नं. 71 लीलाबाईतक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 72 श्रवणकुमार से म.नं. 84 जगदीश तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 85 काशियाबाई से म.नं. 97 हरिओम तक	अनारक्षित महिला	5
			8 म.नं. 98 हरिराम से 111 तक सुखराम तक		
			9 म.नं. 112 रघुनाथ से म.नं. 126 हेमबाई तक		
			10 म.नं. 127 राजबाई से म.नं. 137 रचना तक		
			11 म.नं. 138 पानबाई से म.नं.150 राजकुमार तक		
			12 म.नं. 151 सूरजलाल से म.नं.168 मुक्तराम तक		
			13 म.नं. 169 दयाबाई से म.नं.182 उर्मिलाबाई तक		
			14 म.नं. 183 रघुवीरसिंह से म.नं. 198 संतोष तक		

ग्राम पंचायत नारायणपुरकला

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	नारायणपुरकला	1 नारायणपुरकला	म.नं. 1 इमरतसिंह से म.नं. 10 बुदेल सिंह तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 11 हरिचरण से म.नं. 19 बाबूलाल तक	अ.ज.जा.	3
			3 म.नं. 20 रमेश से म.नं. 33 गोपाल तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 34 गुमान से म.नं. 47/1 पहलवान तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 48 कप्तान सिंह से म.नं. 63 रहीपाल तक	अ.ज.जा. महिला	2
			6 म.नं. 64 मांगीलाल से म.नं. 80 देवाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 81 संपतबाई से अंत माखनसिंह तक	अनारक्षित महिला	3
		8 बरखेड़ादेव	म.नं. 01 फेरनसिंह से म.नं. 12 बुन्देलसिंह तक		
			9 म.नं. 13 मलखानसिंह से म.नं. 25 देवीलाल तक		
			10 म.नं. 26 कृष्णमोहन से म.नं. 35 गुल्ला तक		
			11 म.नं. 36 सोडू से अंत सविताबाई तक		
		12 नारायणखेड़ा	म.नं. 01 रामवल से म.नं. 16 रामबाबू तक		
			13 म.नं. 17 हीरालाल से अंत नन्नूलाल तक		
		14 खिरियाखेड़ा	म.नं. 01 मलखान से म.नं. 09 रेवाबाई तक		
			15 म.नं. 10 श्रवण से म.नं. 23 गुडडीबाई तक		
			16 म.नं. 24 सुलतान से म.नं. अंत सुदार्मा तक		

ग्राम पंचायत महोटी
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	महोटी	1 महोटी	म.नं. 1 मायाबाई से म.नं. 15/1 नारायणसिंह तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 15/2 रामप्रसाद से म.नं. 29 रतनसिंह तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 29/1 मथरालाल से म.नं.44 मांगीलाल तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 45 हल्कैया से म.नं. 64 मुन्नीबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 65 गणेशीबाई से म.नं. 80 नाथूराम तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 81 मिंदाबाई से म.नं. 93 रसीदाबी तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 94 राजामिया से म.नं.114 अरविंद तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 115 प्रेम सिंह से म.नं. 129 हिम्मा तक		
			9 म.नं. 130 लक्ष्मीबाई से म.नं. 147/4 सीताराम		
			10 म.नं. 148 बालमुकंद से म.नं. 160 चिमना तक		
			11 म.नं. 161 प्रेमबाई से अंत जमनालाल तक		
		12 मुनीमपुर	म.नं. 01 भगवानसिंह से म.नं.12 ज्ञानीबाई तक		
			13 म.नं. 13 सीताराम से म.नं. 33 मानसिंह तक		
			14 म.नं. 34 सोडीबाई से म.नं. 50 पिस्ताबाई तक		
			15 म.नं. 51 परता से अंत गोकुल तक		

ग्राम पंचायत तीतरवरी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	तीतरवरी	1 तीतरवरी	म.नं. 1 लीलाबाई से म.नं. 20 अवधबाई तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 21 विजयसिंह से म.नं. 42 प्रभूलाल तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 43 कपूरीबाई से म.नं. 59 प्राणसिंह तक	अ.पि.वर्ग	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4 म.नं. 60 सनमानसिंह से म.नं. 77/1 भीम सिंह तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 79 हीरालाल से म.नं. 93 मदन तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 95/1 गंगाराम से म.नं. 106 प्रेमसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 108 हिमान से म.नं. 124 भुजबलसिंह तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 125 सौरमसिंह से 134 तक प्रहलाद तक		
		9 दौरला	म.नं.01 बाबूगिर से म.नं.11/2 नारायणप्रसाद तक		
			10 म.नं. 12 हरिचरण से म.नं. 19/2 कमलाबाई तक		
			11 म.नं. 21 गंगाराम से म.नं. 36 काशीराम तक		
			12 म.नं. 38 फूलजीराम से म.नं. 47/2 वीर सिंह तक		
			13 म.नं. 48 गुलाबबाई से म.नं. 58 गणेशराम तक		
			14 म.नं. 59 शक्करियाबाई से म.नं. 69 रामप्रसाद तक		
			15 म.नं. 70/1 जमनालाल से म.नं. 73/2 अमनीबाई		
			16 म.नं. 77 मुंशीलाल से म.नं. 82 श्रवण तक		

**ग्राम पंचायत मोतीपुर
परिशिष्ट-5(अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	मोतीपुर	1 मोतीपुर	म.नं. 1 बाबूलाल से म.नं. 13 संपतबाई तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 14 प्रेमबाई से म.नं. 34 रामनारायण तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 39 हमीर सिंह से म.नं. 49 आरामबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 50 जसोदाबाई से म.नं. 69 नौनितराम तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 70 प्रेमबाई से म.नं. 85 मोहरबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 86 कमरलाल से म.नं. 96 दौलीराम तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 98 सरस्वतीबाई से म.नं. 110 मधुरीबाई तक	अनारक्षित महिला	1
			8 म.नं. 111 भूरा से म.नं. 123 गणेशराम तक		
			9 म.नं. 124 भगवतसिंह से अंत तक हमीरसिंह		
		10 मेंहमूदगंज	म.नं. 01 जगदीश से म.नं. 11 जण्डेल तक		
			11 म.नं. 12 दुर्गेशबाई से अंत तक महेन्द्र तक		

ग्राम पंचायत बापचा

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	बापचा	1 बापचा	म.नं. 5 साजीद खॉ से म.नं. 17 हल्बी तक	अ.जा.	3
		2	म.नं. 18 भगवान सिंह से म.नं. 23 सोनू तक	अ.ज.जा.	0
		3	म.नं. 24 दिवानसिंह से म.नं. 40 दिनेश तक	अ.पि.वर्ग	3
		4	म.नं. 41 पूरनसिंह से म.नं. 62 राममणिबाई तक	अ.जा. महिला	2
		5	म.नं. 63 गंगाबाई से म.नं. 69 रमाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 70 बबरो बाई से म.नं. 85 वीरन सिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7	म.नं. 87 कोमलबाई से म.नं. 98 सत्यानारयण तक	अनारक्षित महिला	1
		8	म.नं. 99 बलवीर से 6 पिस्ताबाई अंत तक		
		9 शेरगढ	म.नं. 01 शातिबाई से म.नं. 15/2 सीमाबाई तक		
		10	म.नं. 17 बाबूलाल से 28 मुन्नीबाई के घर तक		

ग्राम पंचायत गोलाखेडा

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	गोलाखेडा	1 गोलाखेडा	म.नं. 1 श्याम से म.नं. 13 रामभरोसा तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 14 मेवाबाई से म.नं. 33 सुग्रीव तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 34 मानसिंह से म.नं. 53 मथरालाल तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 54 कपूरा से म.नं. 64 माधूसिंह तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 65 गुलाबसिंह से म.नं. 73 मनीराम तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 74 नारायणसिंह से म.नं. अंत धनराजू	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 कोलापुरा	म.नं. 01 गनेशराम से म.नं. 11 प्रेमबाई तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 12 मांगीलाल से म.नं. 16 मांगीलाल तक		
			9 म.नं. 17 रामचरण से म.नं. 32 भोगीराम तक		
			10 म.नं. 33 करण सिंह से 43 जतूनबी		
		11 शाहपुर	म.नं. 01 शिवम से म.नं. 17 सौदान तक		
			12 म.नं. 18 मथरालाल से म.नं. 31 विक्रम तक		
			13 म.नं. 32 प्रीतमसिंह से म.नं. 47 सागरसिंह तक		
			14 म.नं. 48 श्यामलाल से 58 लक्ष्मीबाई तक		

ग्राम पंचायत ओखलीखेडा

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	ओखलीखेडा	1 ओखलीखेडा	म.नं. 1 फूलसिंह से म.नं. 12 दीवानसिंह तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 13 कमरसिंह से म.नं. 24 कमलाबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 25 देवीचरण से म.नं. 36 हरिसिंह तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 37 चरणबाई से म.नं. 57 कल्लू तक	अ.जा. महिला	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5 म.नं. 58 भोगचंद से म.नं. 74 शैतान तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 75 गंगाराम से म.नं. 95 मुलियाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 97 बाबलाल से म.नं. 111 विमलकुमार तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 112 कशोडीलाल से म.नं. 131 मुशीलाल तक		
			9 म.नं. 132 चिरकिटिया से म.नं. 153 कलसुन तक		
			10 म.नं. 154 रसूल खां से म.नं. 168 प्रभु तक		
			11 म.नं. 172 गेदाबाई से म.नं. 184 पूरन तक		
			12 म.नं. 185 प्रेमनारायण से म.नं. 200 विशान तक		
			13 म.नं. 201 जयद्रसिंह से अंत तक		
	14 बंदीपुर		म.नं. 01 तोफान सिंह से म.नं. 08 दशरथ तक		
			15 म.नं. 09/1 मुल्ला से म.नं. 24 उधम तक		
			16 म.नं. 25 तुलाराम से म.नं. 38/3 लालसहाब तक		
			17 म.नं. 39 चिरोजीलाल से म.नं. 50 सुदरलाल तक		
			18 म.नं. 51/1 बल्देवसिंह से म.नं. 64 तोफान तक		
			19 म.नं. 65 सुंदरलाल से म.नं. 86 मोगीलाल तक		
			20 म.नं. 87 ताजलाल से म.नं. 98/3 गजरा तक		

ग्राम पंचायत खैरखेडी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं; तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	खैरखेडी	1 खैरखेडी	म.नं. 1 तोरन से म.नं. 14 श्यामा तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 15 राधाबाई से म.नं. 31 चंदनसिंह तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 32 कल्याणसिंह से म.नं. 46 कोमलप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 47 शेर सिंह से म.नं. 68/3 ज्ञान सिंह तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 69 मेहताबाई से अंत तक लालाराम तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6 लालाटोरा	म.नं. 01 भूरा से म.नं. 17 मुशी तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 18 धीसाराम से म.नं. 28 सिरनाम सिंह तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 29 कल्याणसिंह से म.नं. 37 चैनसिंह तक		
			9 म.नं. 38 पहवानसिंह से म.नं. 45 कैलाशसिंह तक		
			10 म.नं. 46 मोहर बाई से अंत तक लालसिंह तक		
		11 सिराजनगर	म.नं. 01 कल्याण से म.नं. 11 मुनेश तक		
			12 म.नं. 12 राजाराम से म.नं. 30/2 रामप्रसाद तक		
			13 म.नं. 31 गुमानसिंह से म.नं. 64 सबदल तक		

ग्राम पंचायत डोंडखेडा

परिशिष्ट-5(अ)

कलेक्टर जिला विदिशा

अधिसूचना

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	डोंडखेडा	1 डोंडखेडा	म.नं. 1 कालूराम से म.नं. 13/1 मथुरालाल तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 13/2 नारान से म.नं. 25/1 राजेन्द्रतक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 26 गंगाराम से अंत तक कन्हैयालाल तक	अ.पि.वर्ग	4
		4 उमरियामीना	म.नं. 01 मिश्रीलाल से म.नं. 12 तेज सिंहतक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 13 मथुरलाल से म.नं. 34/3 खिलानसिंह तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 35/1 हजारी से अंत तक रामदयाल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 कोलूखेडी	म.नं. 01 हरि सिंह से अंत तक छगनलाल	अनारक्षित महिला	5
		8 कीलनखेडी	म.नं. 01 टीकाराम से म.नं.09/3 तक तखत तक		
			9 म.नं. 10 रामप्रसाद से अंत तक रमेशबाबू		
		10 चौपना	म.नं. 01 रूपसिंह से म.नं. 09 तक भारतसिंह		
			11 म.नं. 10/1 शहीद खाँ से म.नं. 19 सुखलाल तक		
			12 म.नं. 20/1 रामदयाल से अंत तक सुरेश		
		13 सडावता	म.नं. 01 रंधीरसिंह से म.नं. 21/1 प्राण सिंह तक		
			14 म.नं. 22 वीरन से अंत तक राजू तक		
		15 कुंदनखेडी	म.नं. 01 भरोसी से म.नं. 06 तक रामबाबू		
			16 म.नं. 07 संभूसिंह से 15/2 सलीमखाँ तक		

ग्राम पंचायत चमरउमरिया

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	चमरउमरिया	1 चमरउमरिया	म.नं. 1 हेमराज से म.नं. 14/4 गुडडीबाई तक	अ.जा.	1
			2 म.नं. 15 जसमाल से म.नं. 21 फोटोबाई तक	अ.ज.जा.	5
			3 म.नं. 23/1 भारतसिंह से म.नं. 35/1 पवन तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 36 करनसिंह से म.नं. 51 लाखन तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 52 मिश्रीलाल से अंत तक आशाराम	अ.ज.जा. महिला	3
		6 हैदरपुर	म.नं. 01 हरजी से म.नं. 10/4 कोमल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 10/5 रसाल से म.नं. 16 गुडडी बाई तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 16/2 विशनसिंह से म.नं. 22 हेमलताबाई तक		
			9 म.नं. 23/1 तोफाबाई से अंत तक		
		10 झूकरउमरिया	म.नं. 01 तौरनसिंह से म.नं. 09 चंदाबाई तक		
			11 म.नं. 10 धीरजसिंह से अंत तक		
		12 सालरा	म.नं. 01 प्रेमनारायण से म.नं. 13 बाबूलाल तक		
			13 म.नं. 14 नारायण सिंह से अंत तक		

ग्राम पंचायत ईशरवास
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	ईशरवास	1	01 से 14/1 तक (चतुर्भुज के मकान से थानसिंह के मकान तक)	अ.जा.	2
		2	15 से 26 तक(जगराम के मकान से रुगनाथ के मकान तक)	अ.ज.जा.	5
		3	28 से 45 तक(किशनसिंह के मकान से अ.गनी खां के मकान तक)	अ.पि.वर्ग	4
		4	46 से 66 तक(प्रागसिंह के मकान से दखिया बाई के मकान तक)	अ.जा. महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	68 से 85 तक(गोविन्दा के मकान से गोविन्दा के मकान तक)	अ.ज.जा. महिला	3
		6	87 से 98 तक(भैयालाल के मकान से फुल्लोबाई के मकान तक)	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7	100 से 115 तक (नाथूराम के मकान से कला बाई के मकान तक)	अनारक्षित महिला	1
		8	1 से 12 तक (रतनलाल के मकान से धूलजी के मकान तक)		
		9	1 से 25 तक (वीरम जी के मकान से अमरचंद के मकान तक)		
		10	1 से 10/5 तक (बैजनाथ के मकान से कमल सिंह के मकान तक)		
		11	11 से 21/1तक (शान्तिबाई के मकान से गोरेलाल के मकान तक)		
		12	23 से 35/2 तक (लट्टीबाई के मकान से सूरतसिंह के मकान तक)		
		13	37 से 46/4 तक (धनसिंह के मकान से तोफानसिंह के मकान तक)		
		14	47 से 59/8 तक (रम्बाबाई के मकान से विजय सिंह के मकान तक)		

ग्राम पंचायत नरसोवरी
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	नरसोवरी	1 नरसोवरी	म.नं. 1 धोलीबाई से म.नं. 20 पार्वतीबाई तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 21 प्रकाश से म.नं. 30/4 मर्दनसिंह तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 31 मांगीलाल से म.नं. 43 उमरावसिंह तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 44 रामप्रसाद से म.नं. 64 गंगाराम तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 65 मोहनलाल से म.नं. 73 हरिनारायण तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 74 नारायणसिंह से म.नं. 89 दातारसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 90 प्रेमसिंह से म.नं. 102 रंधीर सिंह तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 103 प्रभुलाल से म.नं. 112 धन्नालाल तक		
			9 म.नं. 113 पार्वती से म.नं. 135 नारायणबाई तक		
			10 म.नं. 136 कैलाशबाबू से अंत 152 हीरालाल तक		
		11 नैनवासखुर्द	म.नं. 01 गुलाबबाई से म.नं. 19 तोफान तक		
			12 म.नं. 20 जमनालाल से म.नं. 42 अयुब खां तक		
			13 म.नं. 43 तोरन से अंत 55 कांताप्रसाद		

ग्राम पंचायत बनारसी
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--:: सारणी ::--

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	बनारसी	1 बनारसी	म.नं. 1 अजबाई से म.नं. 18 कल्याणसिंह तक	अ.जा.	1
			2 म.नं. 19 सूरत सिंह से म.नं. 31 अर्जन सिंह तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 32 चिरौजा से म.नं. 42 महेन्द्रसिंह तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 43 मोहन से म.नं. 53 बलराम तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 54 लक्ष्मणसिंह से अंत तक माखन	अ.ज.जा. महिला	0
		6 हरिपुर	म.नं. 01 तेजप्रताप से म.नं. 09 भगवानसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 10 भमरलाल से म.नं. 23 प्रेमसिंह तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 24 हजारीलाल से अंत तक कमल सिंह तक		
		9 नयानगर	म.नं. 01 जयसिंह से म.नं. 18 भारत सिंह तक		
			10 म.नं. 19 मांगीलाल से अंत तक कमलाबाई		

ग्राम पंचायत मडावता
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21	मडावता	1 मडावता	म.नं. 1 मांगीलाल से म.नं. 14 रानू तक	अ.जा.	0
			2 म.नं. 15 धीरजसिंह से म.नं. 32 वकील तक	अ.ज.जा.	4
			3 म.नं. 33 लक्ष्मणसिंह से म.नं. 51 रूपसिंह तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 52 धूलजोबाई से म.नं. 74 गगराम तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 75 भारतसिंह से म.नं. 90 राजकुमारी तक	अ.ज.जा. महिला	2
			6 म.नं. 91 प्रेमनारायण से अंत तक गुडडीबाई	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 अलीगंज	म.नं. 01 ग्यारसीबाई से म.नं. 17 किशनलाल तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 18 सुंदरबाई से 28 लेखराज तक		
		9 मोहरपुरखुर्द	म.नं. 01 प्रभुलाल से म.नं. 11/2 मोहरबाई तक		
			10 म.नं. 12 दौलतसिंह से म.नं. 23 सावित्री तक		
			11 म.नं. 25/1 हीराबाई से म.नं. 37 अयोध्याबाई तक		

ग्राम पंचायत जावती
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	जावती	1 जावती	म.नं. 1 इदरीश खां से म.नं. 21 लालदास तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 22 सफी खां से म.नं. 45 कोकसिंह तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 46 खुशीलाल से म.नं.63 अवधनारायण तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 64 पंकज से म.नं. 78/2 विजय तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 79 फितूरी से म.नं. 97/2 हरिनारायण तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 98 दिवानसिंह से म.नं. 124 कमलसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 125 मांगीलाल से म.नं.145 हरिनारायण तक	अनारक्षित महिला	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं.146 गणेशराम से म.नं.165 कृष्णपाल तक		
			9 म.नं. 166 लालजी से म.नं. 180 लक्ष्मीनाराण तक		
			10 म.नं. 181 राधेश्याम से म.नं. 206 हीरालाल तक		
			11 म.नं. 207 श्रीराम से म.नं. 227 रामबाबू तक		
			12 म.नं.228 किशनलाल से म.नं.250 बादाम सिंह तक		
			13 म.नं. 251 टुण्डा से म.नं. 268 कमरलाल तक		
			14 म.नं. 269 भमरीबाई से म.नं. 299 गीताबाई तक		
			15 म.नं. 300 किशनलाल से म.नं. 315 गंगाराम तक		
			16 म.नं. 316 श्रीराम से म.नं. 333 रतनलाल तक		
			17 म.नं. 334 नर्वदाप्रसाद से म.न. 357 रामवीर तक		
			18 म.नं. 358 गनेशराम से म.नं. 382 सुनीता तक		
			19 म.नं. 383 रामभरोसा से म.नं. 415 हरिराम तक		
			20 म.नं. 416 प्रेमा से 435 गजराज तक		

ग्राम पंचायत आनंदपुर

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	आनंदपुर	1 आनंदपुर	म.नं. 1 प्रर्थी से म.नं. 24 महेश तक	अ.जा.	7
			2 म.नं.25/1 चिरोजीलाल से म.नं.59 महेन्द्रसिंह तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 60 मुन्ने खॉ से म.नं. 85 रामस्वरूप तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 86 गजानंद से म.नं. 117 राधेश्याम तक	अ.जा. महिला	4
			5 म.नं. 118 लालचंद से म.नं. 140 कोमल तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं.141 तोफानसिंह से म.नं. 156 भुजबल तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं.157 हजारीलाल से म.नं.180 भगवानसिंह तक	अनारक्षित महिला	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 181 वीरसिंह से म.नं. 205 मुकेश तक		
			9 म.नं. 206 रामबाबू से म.नं. 233 राजेन्द्र तक		
			10 म.नं. 231 अनीसशाह से म.नं. 248 बृजमोहन तक		
			11 म.नं. 249 ज्ञानसिंह से म.नं. 270 मूलचंद तक		
			12 म.नं. 271 बाबूलाल से म.नं. 297 बाबूखॉ तक		
			13 म.नं. 298 सौदानसिंह से म.नं. 320 तोफान तक		
			14 म.नं. 321 चरणसिंह से म.नं. 345 प्रमनारायण तक		
			15 म.नं. 346 दौलतराम से म.नं. 370 भारत सिंह तक		
			16 म.नं. 371 सूरजसिंह से म.नं. 398 राजू तक		
			17 म.नं. 399 रामसिंह से म.नं. 416 मनोज तक		
			18 म.नं. 416/1 रविन्द्र से म.नं. 452 गोवर्धन तक		
			19 म.नं. 453 दोलराम से म.नं. 474 अरविंद तक		
			20 म.नं. 475 पिंटू से 448 ब्रजेश तक		

ग्राम पंचायत परवरिया

परिशिष्ट-5(अ)

1

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी ::--

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	परवरिया	1 परवरिया	म.नं. 5 कपूरीबाई से म.नं. 23 लक्ष्मीनारायण तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 24 परमाल से म.नं. 44 सूरजप्रसाद तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 45 शिवप्रकाश से म.नं. 73 रामसिंह तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 74 रामकिशन से म.नं. 92 गजेन्द्र तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 93 उधमसिंह से म.नं. 115 भागवती तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 116 सबुद्राबाई से म.नं. 135/2 बाबूलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 136 कल्याण से म.नं. 152 रामबाबू तक	अनारक्षित महिला	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8 सतपाडा	म.नं. 01 कस्तूरीबाई से म.न. 12 भूरीबाई तक		
			9 म.नं. 13 खिलान सिंह से म.नं. 20 आलम तक		
			10 म.नं. 21 कमलोबाई से म.नं. 33 बाबूलाल तक		
			11 म.नं. 34 जमनाबाई से म.नं. 44 प्रीतमदास तक		
			12 म.नं. 45 सरस्वतीबाई से म.नं. 52 चंदनबाई तक		
			13 म.नं. 53 भैयालाल से म.नं. 63 धन्नालाल तक		
			14 म.नं. 64 छतरसिंह से 85 बादाम बाई तक		

ग्राम पंचायत काछीखेडा
परिशिष्ट-5(अ)

1

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	काछीखेडा	1 काछीखेडा	म.नं. 1 पूरन से म.नं. 15 समरत तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 16 मंशाराम से म.नं. 33 कमरबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 34 रामप्रसाद से म.नं. 51 शिवबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 52 पुनियाबाई से म.नं. 64 रामगोपाल तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 65 रामबाई से म.नं. 82 रामबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 83 हरिबाबू से म.नं. 97 केसरीमल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 98 तोफानसिंह से म.नं. 114 मासूमबी तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 115 पीरखां से म.न. 133 मो0अली तक		
			9 म.नं 134 नफीसाबी से म.नं. 152 नर्वदीबाईतक		
			10 म.नं. 153 धन्नालाल से म.नं. 173 बूदाबाई तक		
			11 म.नं. 174 फुलियाबाई से म.नं. 193 कैलाश तक		
		12 ऊलाखेडी	म.नं. 01 दोलीबाई से म.नं. 12 श्रीकृष्ण तक		
			13 म.नं. 13 फूलबाई से म.नं. 30 अमान तक		
			14 म.न. 31 चतरुबाई से म.न.47 गूजरीबाई		
			15 म.न. 48 श्रीचंद से म.न. 62 दीपकमर अंत तक		

ग्राम पंचायत बामनखेडी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	बामनखेडी	1 बामनखेडी	म.नं. 1 सौभा से म.नं. 23 अरविंद तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 24 रघुवीरसिंह से म.नं. 30/2 रूपवतीतक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 31 बल्देवसिंह से म.नं. 41/2 रामू तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 42 गजराज सिंह से म.नं. 51 हर्षारानीतक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 52 खिलान से म.नं. 67 ओमबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6 लोधाखेडी	म.नं. 01 दीपक से म.नं. 11 विनोद तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 12 खिलान से म.नं. 28 बलवीर तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 29 बल्देव से म.नं. 51 रवि तक		
		9 जाजमखेडी	म.नं.01 विनोद से म.नं.18/2 हरिओम तक		
			10 म.नं. 19 भीमसिंह से म.नं. 33 ज्योतिबाई तक		
			11 म.नं. 34 उमेदीबाई से अंत तक चंद्रभान सिंह		
		12 रघुनाथपुर	म.नं. 01 कमलाबाई से म.नं. 17 सविता तक		
		13 रूसल्लीउदरन	म.नं. 01 हीरालाल से म.नं. 22 सुनीता तक		
			14 म.नं. 23 बलियाबाई से म.नं. 46 मांगो तक		
			15 म.नं. 47/2 नारायणसिंह से म.नं. 61 लीलाबाई		
			16 म.नं. 62 गीताबाई से म.नं. 75 गुडडीबाई		
			17 म.नं. 76 बिहारी से म.नं. 89 मांगोबाईतक		

ग्राम पंचायत सुनखेर
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	सुनखेर	सुनखेर 1	म.नं. 1 महाराजसिंह से म.नं. 24 कुसुमबाई तक	अ.जा.	3
		2	म.नं. 25 पार्वती से म.नं. 41 विनिताबाई तक	अ.ज.जा.	1
		3	म.नं. 42 पानबाई से म.नं. 58 आशाबाई तक	अ.पि.वर्ग	5
		4	म.नं. 59 हरिबाई से म.नं. 74 मनोज तक	अ.जा. महिला	2
		5	म.नं. 75 मिश्रीलाल से म.नं. 81/2 घनश्याम तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 82 हीरालाल से म.नं. 108 खलीलबेग तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
		7	म.नं. 109 खूबचंद से म.नं. 121 कविता तक	अनारक्षित महिला	5
		8	म.नं.122 दौलतबाई से म.नं. 146 जवरसिंह तक		
		9	म.नं.147 रामप्रसाद से म.नं.158 मुन्नीबाई तक		
		10	म.नं.159 त्रिवेणीराम से म.नं. 182 कृष्णाबाई तक		
		11	म.नं. 183 रूगनाथ से म.नं. 200 सलीम तक		
		12	म.नं. 201 बलवंत से म.नं. 211 ममता तक		
		13	म.नं. 02 रामबाबू से म.नं. 11 गुलाबसिंह तक		
		14	म.नं. 13 विजयसिंह से म.नं. 28 भानुबाई तक		
		15	म.नं. 01 कल्याणसिंह से म.नं. 12 वनवीर तक		
		16	म.नं. 13 नारायणसिंह से म.नं. 20 जरीनाबी तक		
		17	म.नं. 01 गोलोबाई से म.नं. 12 मुन्नीबाई तक		
		18	म.नं. 13 लटूरा से म.नं. 24 बलवीरसिंह तक		
		19	म.नं. 25 पप्पू से म.नं. 35 लक्ष्मणदास तक		

ग्राम पंचायत मलनिया
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	मलनिया	1 मलनिया	म.नं. 1 रिजवानाबी से म.नं. 17 रईस खों तक	अ.जा.	1
			2 म.नं.18 राजे खां से म.नं. 32 मो0सजीदखों तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 33 ब्रजेशबी से म.नं. 39 आमिर खों तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 40 से म.नं. 47 रूकैयाबी	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं.48 सुभानखों से म.नं.54 सायनाबी तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 55 इमामखों से म.नं. 68 खदिजाबी तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 69 से म.नं.86 अनीसाबी तक	अनारक्षित महिला	6
			8 म.नं. 87 से म.न. 117 कदीर खों		
			9 म.नं. 118 खातूनबी म.नं. 139 जकीर खों		
			10 म.नं. 140 से म.नं. 158 सकीर खों		
			11 म.नं. 159 से म.नं. 159 आसमाबी		
			12 म.नं. 181 मोजम खां से म.नं. 201 शबनमबी तक		
			13 म.नं. 202 से म.नं. 227 रज्जाक खों तक		
			14 म.नं. 228 सत्तार खां से म.नं. 244 पूजाबाई तक		
			15 म.नं. 245 से म.नं. 256 सजनाबाई		
			16 म.नं. 257 से म.न. 267 नूरबी तक		

ग्राम पंचायत वीरपुरकला

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	वीरपुरकला	1. वीरपुरकला	म.नं. 1 हरिसिंह से म.नं. 11/3 नूरमियां तक	अ.जा.	3
			2.म.नं. 12 हफीजनबी से म.नं. 17/4 आमनाबी तक	अ.ज.जा.	1
			3.म.नं. 19 हनीफ से म.नं. 33 फूल सिंह तक	अ.पि.वर्ग	4
			4.म.नं. 37 धन्नालाल से म.नं. 46/3 यशीमबीतक	अ.जा. महिला	2
			5.म.नं. 47 मो0सहीदखों से म.नं. 66 मरजीनाबी तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6.म.नं. 67 खातूनबी से म.नं. 80 अतीकखों तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7.म.नं. 83 आयमाबी से म.नं. 89 राजबाईतक	अनारक्षित महिला	4
			8.म.नं. 90 प्रभु से म.न. 99 सायदाबी तक		
			9.म.नं. 102 दंगलिया से म.नं. 111 कल्लू तक		
			10.म.नं. 112 पनीमाबाईसे अंत तक इद्रीश खों		
		11. झूझलाखेडा	म.नं.01 जोराबी से अंत तक कदीर खों		
		12. बूढाखेडामंगल	म.नं. 02 भागबाई से म.नं. 11 पानबाई तक		
		13.म.नं. 16 अलीमाबी से 25/1 तक आदिल खों			
		14. बूढाखेडागबरू अमीनपुर	म.नं. 01 घासीलाल से कपूरीबाई तक		
		15. भुगईकला	म.नं. 15 उमेदलाल 21 नादिरखों तक		

ग्राम पंचायत ललचिया

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	ललचिया	1 ललचिया	म.नं. 1 रामसिंह से म.नं. 22 हरचंदा तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 23 तोफानसिंह से म.नं. 42 अजीत कुमार तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 43 बदनसिंह से म.नं. 52 भारतसिंह तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 53 गिरवसिंह से म.नं. 76 दलीपसिंह तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 77 रतनलाल से अंत तक रामसिंह तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6 बहादुरपुर	म.नं. 01 मथरालाल से म.नं. 16/1 सुरेन्द्रसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 16/2 खिलानसिंह से अंत तक यशवंतसिंह	अनारक्षित महिला	3
		8 डोंडखेड़ी	म.नं. 01 भांगीलाल से म.नं. 08/03 ज्ञानसिंह तक		
			9 म.नं. 09 राजेन्द्र से म.नं. 18 नारायणसिंह तक		
			10 म.नं. 19 लखन से म.नं. 40 उधमसिंह तक		
			11 म.नं. 40/1 रंधीर से अंत तक धन्नुलाल तक		
		12 भीलाखेड़ी	म.नं. 01 भगवान से म.नं. 14 मजीद खां तक		
			13 म.नं. 15 परमोला से अंत तक श्रीकृष्ण		
		14 भुगईखुर्द	वीरान		

ग्राम पंचायत रूसल्लीसाहू

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	रूसल्लीसाहू	1 रूसल्लीसाहू	म.नं. 1 गप्पालाल से म.नं. 18 केशवशर्मा तक	अ.जा.	6
			2 म.नं. 19 सरजूबाई से म.नं. 40 गौरा तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 41 रेखाबाई से म.नं. 59 राकेश तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 60 गुलाबचंद से म.नं. 77 हरिओम तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 78 कमलाबाई से म.नं. 94 धनराज तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 95 दौलतराम से म.नं. 111 अमरेश तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 112 हिम्मतराय से म.नं.124 सुमनबाई तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 125 नरेश से म.नं. 147 मीना तक		
			9 म.नं. 148 कृष्णा से म.नं.163 अशोक कुमार तक		
			10 म.नं. 164 छंगूलाल से म.नं. 180 त्योंदा तक		
			11 म.नं. 181 विजय से म.नं. 192 काशीबाई तक		
			12 म.नं.193 परसादियाबाई से म.नं.208 ज्ञान सिंह तक		
			13 म.नं. 209 राधाबाई से म.नं. 224 अजय तक		
			14 म.नं. 225 बद्रीलाल से म.नं. 251 ज्ञानवती तक		
			15 म.नं.252 नर्वदीबाई से म.नं.268 शहिदअली तक		
			16 म.नं. 269 मुबारकअली से म.नं. 283 रामू तक		
			17 म.नं. 284 मोहरबाई से म.न. 296 प्रदीपसिंह तक		
			18 म.नं. 297 कमलाबाई से म.नं. 325 भूपेन्द्रसिंह तक		
			19 म.नं. 326 संध्या से म.नं. 335 सत्येन्द्र तक		
			20 म.नं. 336 धन्नालाल से अंत तक रचनाबाई तक		

ग्राम पंचायत रूसलिया

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	रूसिया	1 रूसिया	म.नं. 01 राधेलाल से म.नं. 14 कलाबाई तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 15 बलीमोहम्मद से म.नं. 27/03 आशाबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 29 सियाबाई से म.नं. 47 मिमियाबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 48 छोटेलाल से म.नं. 59 सुनीताबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 61 कुंदनलाल से म.नं. 72/1 कलाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 75 केशरबाई से म.नं. 91 भगवतसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 92 लल्लीराम से म.नं. 102/1 भारतसिंह तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 103 हुकमचंद से म.नं. 122 अरुण तक		
			9 म.नं. 123 रामबाबू से म.नं. 134 ज्योतिबाई तक		
			10 म.नं. 135 प्रेमनारायण से म.नं. 148 सुनीताबाई तक		
			11 म.नं. 149 खुशीलाल से म.नं. 157 महेश तक		
			12 म.नं. 159 साक्षीगोपाल से म.नं. 174 रूकमणी तक		
			13 म.नं. 175 छगनलाल से म.नं. 190 अंत रामश्री तक		
		14 खलीलपुर	म.नं. 02 मुन्नीबाई से म.नं. 18 विजयरानी तक		
			15 म.नं. 19 मोहनसिंह से म.नं. 39 अंत कौशल्याबाई तक		

ग्राम पंचायत मसूड़ी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	मूसडी	1 मसूड़ी	म.नं. 01 खुमानसिंह से म.नं. 17 मथरीबाई तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 19 माहरबाई से म.नं. 39 महारानीबाई तक	अ.ज.जा.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3 म.नं. 39 लालाराम से म.नं. 48/03 पानबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 48/4 डालचंद से म.नं. 63 रजनीबाई तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 64 हनुमत से म.नं. 80 राजकुमारी तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 80/2 दलीप से म.नं. 95 लाखनसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 96 गिरवर से म.नं. 112 दर्शनसिंह तक	अनारक्षित महिला	5
			8 म.नं. 113 गनपत से म.नं. 128 घनश्याम तक		
			9 म.नं. 129 नन्तूलाल से म.नं. 145 उर्मिलाबाई तक		
			10 म.नं. 145 कमलसिंह से म.नं. 164 अंत भूरसिंह तक		
		11 अलीनगर	म.नं. 01 गुलाबसिंह से म.नं. 15 आरतीबाई तक		
			12 म.नं. 16 किशनलाल से म.नं. 31 जरीनाबी तक		
			13 म.नं. 32 जैतूनबी से म.नं. 47 कदीर खां तक		
			14 म.नं. 48 सुखियाबाई से म.नं. 58 सवीताबाई तक		
			15 म.नं. 59 कल्लोबाई से म.नं. 65 अंत फूलबाई तक		

ग्राम पंचायत बलरामपुर

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	बलरामपुर	1 बलरामपुर	म.नं. 1 हरनाथ सिंह से म.नं. 10 संकेत तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 10/1 क्षमाबाई से म.नं. अकरम तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 17 वंशीलाल से म.नं. 22/3 सीमाबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 23 मजीद खां से म.नं. 36 राजकुमारी तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 38 कालूराम से म.नं. 47 अमित तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 48 कन्नैहयालाल से म.नं. 56 अरविंद तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 57/1 राजबाई से म.नं. 65 सोनू तक	अनारक्षित महिला	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 67 चिरोजीबाई से म.न. 81 वीरेन्द्र तक		
			9 म.नं. 84 पन्नालाल से म.नं. 97 जानकीबाई तक		
			10 म.नं. 100 पार्वती से म.नं. 106 साजमाबी तक		
			11 म.नं. 107 हनीफ खां से म.नं. 125 समीना बी तक		
			12 म.नं. 127 धनोबाई से म.नं. 141 लेखराज तक		
			13 म.नं. 142 विनियाबाई से 165 ज्ञान सिं तक		
		14 चांदपुर	म.नं. 01 हल्कीबाई से म.नं. 16 रेखाबाई तक		
			15 म.नं. 17 रामबाई से अंतसिंह हीरेन्द्र		
		16 चंपतपुर	म.नं. 31/02 गजराज से अंत तक संपूर्ण ग्राम		

ग्राम पंचायत मुरवास

परिशिष्ट-5(अ)

कलेक्टर जिला विदिशा

अधिसूचना

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	मुरवास	1 मुरवास	म.नं. 01 हफीज खां से म.नं. 24 जुबेदा वी तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 25 मजीत खां से म.नं. 59 कोमल तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 60 तोरनसिंह से म.नं. 79 काले खां तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 80 गफफार खां से म.नं. 125 वहीदखां तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 126 हफीज खां से म.नं. 157/1 मोतीलाल तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 158 पूरनसिंह से म.नं. 198 मोहम्मद खां तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 199 फुईयाबी से म.नं. 237 बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला	6
			8 म.नं. 238 खिलान से म.नं. 267/3 बाबूलाल तक		
			9 म.नं. 268 कलाबाई से म.नं. 299 गुड्डीबाई तक		
			10 म.नं. 300 गोविन्द से म.नं. 341 शिवनारायण तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11 म.नं. 342 मथुराबाई से म.नं. 369 सुलेमान खां तक		
			12 म.नं. 370 अयुब खां से म.नं. 410 टीकाराम तक		
			13 म.नं. 411 कलाबाई से म.नं. 445 फिदामो.खां तक		
			14 म.नं. 446 अ.हफीज से म.नं. 483 गुलहसनखां तक		
			15 म.नं. 484 रफीक खां से म.नं. 519असिया बी तक		
			16 म.नं. 520 गुलहसन से म.नं. 554 जफरखां तक		
			17 म.नं. 555 अहमदसईद से म.नं. 589 फुलिया तक		
			18 म.नं. 590 सुखराम से म.नं. 624 छम्मु खां तक		
			19 म.नं. 625 रहमान से म.नं. 652 अकबर खां तक		
			20 म.नं. 653 शांतिबाई से म.नं. 676 अंत तक		

ग्राम पंचायत धरगा

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	धरगा	1 धरगा	म.नं. 02 रामचरण से म.नं. 20/2 मुल्ला तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 22 भूरीबाई से म.नं. 32/5 अशोक तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 33 मिश्रीलाल से म.नं. 46 राजकुमारी तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 47 हफीज खां से म.नं. 74 भगोबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 79 भमरा से म.नं. 99 महेन्द्रसिंह तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 100/1 हन्ना से म.नं. 112/3 महेन्द्र सिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 113 गिरवर से म.नं. 120ख नवलसिंह तक	अनारक्षित महिला	4
		8 आमखेडा	म.नं. 04 मोहरबाई से म.नं. 19 जानकीबाई तक		
			9 म.नं. 20 रामसिंह से म.नं. 37 सुनिताबाई तक		
			10 म.नं. 38 दसौदीबाई से म.नं. 57 रामकलीबाई तक		
		11 इस्लामनगर	म.नं. 01/1 गप्पूलाल से म.नं. 16 मरियमबी तक		
			12 म.नं. 17 वशील खां से म.नं. 42/1 मारईस खां तक		
			13 म.नं. 43 शरीफ खां से म.नं. 56 कुनतीबाई तक		
			14 म.नं. 58 बन्नूशाह से म.नं. 71/2 यासमी नवी तक		
			15 म.नं. 72 गपफार खां से म.नं. 83/2 सिताराबी तक		
			16 म.नं.85 निजामखां से म.नं. 98/3 सिद्धिकाबी तक		

ग्राम पंचायत मूडरासागर
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	मूडरासागर	1	म.नं. 1/2 मोहन सिंह कुशवाह से म.नं. 12 ख अमरसिंह अहिरवार तक	अ.जा.	4
			2 म.नं. 13 से शीला बाई बघेल म.नं. 23 गुलाब बाई विश्वकर्मा तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 24 से राजेशबाबू विश्वकर्मा से म.नं. 33 लीलाबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 33/2 से कमलाबाई बघेल से म.नं. 45 केसवकमल बघेल तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 46 से लेखराज सिंह बघेल से म.नं. 66क वतीबाई मालवीय तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 70 से अमोल सिंह चिडरा से म.नं. 83 बलराम सेन से तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		मोहबतपुर 7	म.नं. 2 से उल्फतबी मंसूरी से म.नं. 19 रवि धाकड तक	अनारक्षित महिला	5
			8 म.नं. 21 से सुवराती खां मंसूरी से म.नं. 33 ब्रजमाहन धाकड तक		
			9 म.नं. 34/1 से रामप्रसाद धाकड से म.नं. 49अंकेश धाकड तक		
			10 म.नं. 50 से नर्बदीबाई धाकड से म.नं. 71/2 रूकमा बाई अहिरवार तक		
			11 म.नं. 72 से रूगनाथ अहिरवार से म.नं. 107 रीना बाई धाकड तक		
			12 म.नं.108 से भैरो सिंह धाकड से म.नं. 124 मोहनबाबू प्रजापति तक		
			13 म.नं. 125 से ब्रदीप्रसाद सेन से म.नं. 133 पूजाबाई चिडार तक		
			14 म.नं. 134 से मोतीलाल धाकड से म.नं. 151 कमलाबाई चिडार तक		
			15 म.नं. 152 से नत्थोबाई चिडार से म.नं. 163 भगवत सिंह केवट तक		
			16 म.नं. 164 से लक्ष्मीबाई प्रजापति से म.नं. 269 सरोज बाई चिडार तक		
		मदनखेडी 17	म.नं. 01 प्रभुलाल अहिरवार से म.नं. 29 प्रेमबाई अहिरवार तक		

ग्राम पंचायत मुरारिया

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	मुरारिया	1 मुरारिया	म.नं.1 कारोडीलाल से म.नं.32/4 निर्भयसिंह तक	अ.जा.	4
			2 म.नं.33/1 अमरचंद से म.नं.64/1किशनलाल	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 64/2 रामसिंह से म.नं. 100 बल्देवा तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 101 संपतबाई से म.नं. 142 हेमराज तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 143 मीशा से म.नं. 171 काशीराम तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 172 नारायणसे म.नं. 205 भैयालाल तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 206 उमराव से म.नं. 230 बैनीराम तक	अनारक्षित महिला	6
			8 म.नं. 231 वलीराम से म.नं. 257 लालूप्रसाद तक		
			9 म.नं.258 शांतीलाल से म.नं.294 ईस्माईलखां तक		
			10 म.नं.295 अलाउद्दीन से म.नं.351 हजारीलाल तक		
			11 म.नं. 352 बाबूलाल से म.नं. 371 मोदी तक		
			12 म.नं. 372 मोहन से म.नं. 398 कन्हैयालाल तक		
			13 म.नं. 399 कोमलसिंह से म.नं. 427 भूरालाल तक		
			14 म.नं. 428 छोटेखां से म.नं. 453 ईमाम खां तक		
			15 म.नं.454 रईसखां से म.नं.473/1 भूषणप्रसाद तक		
			16 म.नं. 473 गोरीशंकर से म.नं. 501 रूपसिंह तक		
		17 अमराई	म.नं. 01 अयुब से म.नं. 08 सौजी तक		
			18 म.नं. 09 फुल्ला से म.नं. 20 सईद खां तक		
			19 म.नं. 21 फिदामोहम्मद से म.नं. 33 जयसिंह तक		
			20 म.नं. 34 मोहरलाल से अंत तक सुरजनिया		

ग्राम पंचायत बरखेडाघोषी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	बरखेडाघोषी	1 बरखेडाघोषी	म.नं. 02 रानीबाई से म.नं. 20 इंदरसिंह तक	अ.जा.	6
		2	म.नं. 21 नन्तूलाल से म.नं. 31 राजकुमारी तक	अ.ज.जा.	0
		3	म.नं. 34 लक्ष्मणदास से म.नं. 48 रविबाबू तक	अ.पि.वर्ग	4
		4	म.नं. 52 प्रेमबाई से म.नं. 67 कमलसिंह तक	अ.जा. महिला	3
		5	म.नं. 68 गीताबाई से म.नं. 83 राजबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 86 खेमा से म.नं. 114 शारदाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7	म.नं. 116 खेमा से म.नं. 139 सरिताबाई तक	अनारक्षित महिला	3
		8	रामपुरनौआबाद म.नं. 01 विनोदकुमार से म.नं. 76ख अंत भूरीबाई तक		
		9	जगतपुर म.नं. 01 हरबोबाई से म.नं. 26 बैजनाथ तक		
		10	म.नं. 27 रमेश से म.नं. 52 पुष्पाबाई तक		
		11	म.नं. 53 दौला से अंत तक राखीबाई		
		12	सगडा म.नं. 02 थानसिंह से म.नं. 18 ऊधमसिंह तक		
		13	म.नं. 19 मुलचंद से म.नं. 35 धनराज तक		
		14	म.नं. 36 द्रोप्तीबाई से म.नं. 50ख अंत कल्याण तक		
		15	रतनगढ म.नं. 01 सत्तार खां से म.नं. 07 हलीम तक		
		16	म.नं. 8 लईक खां से म.नं. 16 अंत अजराबी तक		

ग्राम पंचायत शहरखेडा
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	शहरखेडा	1 शहरखेडा	म.नं. 01 नसीमशाह से म.नं. 27 रामवतीबाई तक	अ.जा.	2
		2	म.नं. 30 चिरोजीबाई से म.नं. 54 रेखाबाई तक	अ.ज.जा.	0
		3	म.नं. 55 बालाबाई से म.नं. 70 रीनाबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
		4	म.नं. 71 शक्करबाई से म.नं. 83 जुवेदा वी तक	अ.जा. महिला	1
		5	म.नं. 84 हमीदखों से म.नं. 95 शर्मीलावी तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 102 हसीनावी से म.नं. 115 नासिरखों तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7	म.नं. 116 प्रेमबाई से म.नं. 131 दीपक तक	अनारक्षित महिला	4
		8	म.नं. 133 अययूवखों से म.नं. 154 रामकलीबाई तक		
		9	म.नं. 154/1 विपतसिंह से म.नं. 165 युनुसखों तक		
		10	म.नं. 166 शरीफखों से म.नं. 175 नीलमसिंह तक		
		11	म.नं. 176 मुमताजवी से म.नं. 18 पूनमबाई तक		
		12	म.नं. 188 भंवरलाल से म.नं.196 भूराखों तक		
		13	म.नं. 197 गफफारखों से म.नं. 215 कल्लोबाई तक		

ग्राम पंचायत टोंकरा
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	ढोंकरा	1 ढोंकरा	म.नं. 06 विपलप कुमार से म.नं. 27 शौतानसिंह तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 28 भीमसिंह से म.नं. 43 लालसिंह तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 44 नरोत्तमसिंह से म.नं. 60ख महेश तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 61 मूलचंद से म.नं. 69 रचनाबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 71 पहलवानसिंह से म.नं. 81 प्रीतिबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 82 सुन्दरसिंह से म.नं. 102 सोनू तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 105रतोबाई से म.नं. 128 विनोद तक	अनारक्षित महिला	5
			8 म.नं. 129 रम्कोबाई से म.नं. 137द राजू तक		
			9 म.नं. 138 मर्दनसिंह से म.नं. 148 आशियावी		
			10 म.नं. 149 जखीरखों से म.नं. 163 कोशियाबाई तक		
			11 म.नं. 164 कोमल से म.नं. 180 पप्पू तक		
			12 म.नं. 181 कमलाबाई से म.नं. 195 भूरीबाई तक		
			13 म.नं. 196रूपसिंह से म.नं. 208क शिवचरण तक		
		14 इब्राहिमगंज	म.नं. 01 कुसुमबाई से म.नं. 39 उर्मिलाबाई तक		
		15 सोजना	म.नं. 01 शिवचरण से म.नं. 17भाग्यबाई तक		
			16 म.नं. 25 प्रेमनारान से म.नं. 37 नीतू शर्मा तक		
			17 म.नं. 39 प्रभुलाल से म.नं. 57 राजीव तक		
			18 म.नं. 60 लालजी से म.नं. 84 संजीव तक		
			19 म.नं. 85 जमनाप्रसाद से म.नं. 100 भैरोंसिंह तक		
			20 म.नं. 101 अमनीबाई से म.नं. 114 अनीताबाई तक		

ग्राम पंचायत छिशरी
परिशिष्ट-5(अ)

T

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	छिरारी	1 छिरारी	म.नं. 01 अमोलसिंह से म.नं. 14 मोहनसिंह तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 15 कुमेरसिंह से म.नं. 30 सुष्माबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 31 थानसिंह से म.नं. 47 रीनाबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 48 गोपालसिंह से म.नं. 56 गजराजसिंह तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 57 सूरतसिंह से म.नं. 65 रिकीबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 66 जगननाथ से म.नं. 79 नर्वदीबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 80 निर्भयसिंह से म.नं. 93 हीरालाल तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 94 पदमसिंह से म.नं. 104 शवानावी तक		
			9 म.नं. 105 रसीदखों से म.नं. 118 शाहिदमियों तक		
		10 जालपुर	म.नं. 01 सुमत्राबाई से म.नं. 13 परमोबाई तक		
		11 मोहम्मदगढ़	म.नं. 01 हल्कीबाई से म.नं. 11 लाखनसिंह तक		
			12 म.नं. 12 मांगीलाल से म.नं. 26 रानीबाई तक		

ग्राम पंचायत गोपालपुर
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	गोपालपुर	1 गोपालपुर	म.नं. 01 नीलेश से म.नं. 12 सीमाबाई तक	अ.जा.	1
			2 म.नं. 13 कमलसिंह से म.नं. 23 सविताबाई तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 24 पर्वतसिंह से म.नं. 43 मुकेश तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 44 नारानसिंह से म.नं. 53/1 बलराम तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 53/1 रघुवर से म.नं. 66 सरवन तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 72/2 रंजीतसिंह से म.नं. 84 अंत मुन्नीबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 शरीफपुर	म.नं. 03 गुलाबसिंह से म.नं. 16 अंत रनवीर तक	अनारक्षित महिला	4
		8 खैरखेड़ी	म.नं. 01 मुंशीलाल से म.नं. 10 अंत सुनीतबाई तक		
		9 चैनपुरा	म.नं. 01 हजारीलाल से म.नं. 11 गणगौरी तक		
			10 म.नं. 12 मेहताबसिंह से म.नं. 23 हेमराज तक		
			11 म.नं. 24 धनसिंह से म.नं. 33 अंत केराबाई तक		

ग्राम पंचायत दनवास
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	दनवास	1 दनवास	म.नं. 01 नथुआ से म.नं. 16 रीनाबाई तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 17 नारानप्रसाद से म.नं. 35 शिवराजसिंह तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 36 रामरूप से म.नं. 50/4 अभिषेक तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 51 नारानसिंह से म.नं. 66 लक्ष्मीनारान तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 67 सव्योबाई से म.नं. 78 नरेन्द्र तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 79 नलथू से म.नं. 101 पूजाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 101 धनवीरसिंह से म.नं. 119 आरिफखॉ तक	अनारक्षित महिला	4
			8 म.नं. 120 न्याजखॉ से म.नं. 139 गुडडीबाई तक		
			9 म.नं. 140 केशरबाई से म.नं. 159 सोनाबाई तक		
			10 म.नं. 160 अमानबाई से म.नं. 172 द्रोपतिबाई तक		
		11 मामखेडी	म.नं. 01 मामसूमी से म.नं. 07 शकील तक		
			12 म.नं. 08/1 कमरलाल से म.नं. 16/2 सतीमखॉ तक		
			13 म.नं. 17 ईस्माईलखॉ से म.नं. 32 शरमीनावी तक		

ग्राम पंचायत सेमरामेघनाथ
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	सेमरामेघनाथ	1 सेमरामेघनाथ	म.नं. 2/1 से उमरावसिंह से म.नं. 12 रामवती बाई तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 13 से बुंदेलसिंह से म.नं. 24 सियाबाई तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 25 विनयसिंह से म.नं. 31 तिलकराज तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 32 तुलसीराम से म.नं. 48 भुरियाबाई तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 51 वाफूलाल से म.नं. 61 कुंतीबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 63 मेवाबाई से म.नं. 74 गुडडीवाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 75 सखूलाल से म.नं. 85 रीनाबाई तक	अनारक्षित महिला	5
			8 म.नं. 86 रामेदिबाई से म.नं. 9 ममताबाई तक		
			9 म.नं. 100 दयाराम से म.नं. 109 कुँगरपाल तक		
		10 बडागाव	म.नं. 01 किशनसिंह से म.नं. 20 विक्रमसिंह तक		
			11 म.नं. 21 श्यामलाल से म.नं. 38 पूजाबाई तक		
			12 म.नं. 41 अमोलसिंह से म.नं. 55 रघुवीरसिंह तक		
		13 दौलतपुरा	म.नं. 01 बालमुकंद से म.नं. 16 यशोदाबाई तक		
			14 म.नं. 17 मोकमसिंह से म.नं. 33 रामवावू तक		
			15 म.नं. 34 पंचमसिंह से म.नं. 64 दुर्जनसिंह तक		
			16 म.नं. 65 नवलसिंह से म.नं. 80 ज्ञानसिंह तक		

ग्राम पंचायत नैनवासकला

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	नैनवासकला	1 नैनवासकला	म.नं. 01 मुन्नालाल से म.नं. 16 रचनाबाई तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 17 आधारबाई से म.नं. 19/6 निशाबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 17/7 बाफूलाल से म.नं. 21/10 राजेन्द्र सिंह तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 22/1 भमरलाल से म.नं. 26 सीमाबाई तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 27 रामप्रसाद से म.नं. 49/2 रेखाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 50 पूरनचंद से म.नं. 62 गुलाबबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 63 बाबूलाल से म.नं. 74 पूजाबाई तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 75 मोहरबाई से म.नं. 97/2 एम.डी. त्यागी तक		
			9 म.नं. 98 बाबूलाल से म.नं. 113 पुनियाबाई तक		
			10 म.नं. 114 जालमसिंह से म.नं. 122 कंचनबाई तक		
			11 म.नं. 123 भुजवल से अंत सुमंत्राबाई तक		
		12 मढखो	म.नं. 01 मोहरबाई से अंत मोहन तक		

ग्राम पंचायत जमोनियाकला
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	जमोनियाकला	1 जमोनियाकला	म.नं. 01 जमनाबाई से म.नं. 19 गप्पू वेग तक	अ.जा.	6
			2 म.नं. 20 रईस बेग से म.नं. 37 अरविन्द तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 38 बब्बू से म.नं. 56 शीलाबाई तक	अ.पि.वर्ग	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	म.नं. 57 प्रेमबाई से म.नं. 68 लखन तक	अ.जा. महिला	3
		5	म.नं. 70 भोलाराम से म.नं. 87 राधाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
	6	फिरोजगंज	म.नं. 01 हेमराज से म.नं. 12 पतिराम तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
	7	बरखेड़ाधन्नु	म.नं. 01 प्यारेलाल से म.नं. 10 राकेश तक	अनारक्षित महिला	3
		8	म.नं. 11 अतरबाई से म.नं. 26 लक्ष्मीबाई तक		
		9	म.नं. 27 चिरोजा से म.नं. 41 सूरत सिंह तक		
		10	म.नं. 01 बालाराम से म.नं. 55 तुरसाबाई तक		
		11	म.नं. 56 भीकमसिंह से म.नं. 70 बुल्लोबाई तक		
		12	म.नं. 71 शंकरसिंह से म.नं. 87 जगमोहन तक		
	13	कोलुआनोआबाद	म.नं. 01 प्रीतिबाई से म.नं. 16 सेठानीबाई तक		
		14	म.नं. 18 मेहरवानसिंह से म.नं. 41 वीरनसिंह तक		
		15	म.नं. 42 संपतबाई से म.नं. 66 शांतिबाई तक		

ग्राम पंचायत झूकरजोगी
परिशिष्ट-5(अ)

II

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	झूकरजोगी	1 झूकरजोगी	म.नं. 01 जमनीबाई से म.नं. 15 अभिमन्यु तक	अ.जा.	5
			2 म.नं. 16/1 सुक्का से म.नं. 39 रामदयाल तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 40/1 सनमान से म.नं. 65 गजेन्द्रसिंह तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 66 सुमेरसिंह से म.नं. 87 कैलाशबाई तक	अ.जा. महिला	3
			5 म.नं. 88 नाथूराम से म.नं. 119 रागवेन्द्र तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 120 लाडबाई से म.नं. 154 प्रेमबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 155 धिंसा से म.नं. 187 लक्ष्मीबाई तक	अनारक्षित महिला	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	म.नं. 188 सोमतसिंह से म.नं. 233 हल्के तक		
		9	म.नं. 234 भुजवल से म.नं. 249 महेशबाबू तक		
		10	म.नं. 250 लतीफखां म.नं. 281 राकेश तक		
		11	म.नं. 282 श्यामलाल म.नं. 303/1 मथरीबाई तक		
		12	म.नं. 304 देवीराम से म.नं. 333 मुनीमसिंह तक		
		13	म.नं. 334 धारूसिंह से म.नं. 357 संगीताबाई तक		
		14	म.नं. 358 सरस्वतीबाई से म.नं. 393 राजन तक		
		15	म.नं. 394 दौलतराम से म.नं. 414 मेहताब तक		
		16	म.नं. 415 पहलवान से म.नं. 440 नेपाल सिंह तक		
		17	म.नं. 441 कमलसिंह से म.नं. 462 जंडेलसिंह तक		
		18	म.नं. 463 गुट्टा से म.नं. 495 सावित्रीबाई तक		
		19	म.नं. 496 बांदलसिंह से म.नं. 509 रामदयाल तक		
	20	खेरखेड़ीनौआवाद	म.नं. 01 माधोसिंह से म.नं. 74 नौरंग बाई तक		

ग्राम पंचायत तिलोनी

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	तिलोनी	1 तिलोनी	म.नं. 02 पहलवान से म.नं. 15 पिकीबाई तक	अ.जा.	1
			2 म.नं. 16 कोमल से म.नं. 28 प्रीतीबाई तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 29 शंकरसिंह से म.नं. 41 जीवनसिंह तक	अ.पि.वर्ग	5
			4 म.नं. 44 बाबूलाल से म.नं. 51 गेंदीबाई तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 52 बंशी से म.नं. 66 लाखन तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 67 बदनसिंह से म.नं. 80 फूलसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	3
			7 म.नं. 81 गुलाब से म.नं. 92 सीताराम तक	अनारक्षित महिला	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 93 ओमकार से म.नं. 108 मनोरीबाई तक		
			9 म.नं. 109 कस्तूरीबाई से म.नं. 121 रामकलीबाई तक		
			10 म.नं. 122 कमरलाल से म.नं. 136 कैलाशबाई तक		
			11 म.नं. 138 गंगाराम से म.नं. 152 अंत सुनिताबाई तक		
	12 नगौरी		म.नं. 02 धनराज से म.नं. 17 संजीवकुमार तक		
			13 म.नं. 18 मुल्लोबाई से म.नं. 28 विमलेशबाई तक		
			14 म.नं. 29 महेन्द्रसिंह से म.नं. 43 श्रीमाबाई तक		
	15 टोका		म.नं. 01 दलसिंह से म.नं. 11 धोरीबाई तक		
			16 म.नं. 12 विनयसिंह से म.नं. 18 मनफूलसिंह तक		
	17 बहेड़ाबरी		म.नं. 01 भैयालाल से म.नं. 07 राजनसिंह तक		
			18 म.नं. 08 सौदानसिंह से 14 अंत रामदुलारी तक		

**ग्राम पंचायत सेमरीअहीर
परिशिष्ट-5(अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	सेमरीअहीर	1 सेमरीअहीर	म.नं. 1 बृजलाल से म.नं. 16 धर्मन्द्रसिंह तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 17/1 विनयसिंह से म.नं. 21 राजमोहन तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 22 हरलाल से म.नं. 34 अनारबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 35 चैनसिंह से म.नं. 49 गीताबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 50 रमेश से म.नं. 63 सुनीताबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 64/1 कांशीबाई से म.नं. 80/2 शिशुपाल तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 84 बिशनसिंह से म.नं. 92 माखन तक	अनारक्षित महिला	2
			8 म.नं. 93 लालजीराम से अंत राजकुमारी तक		
		9 हिनोतियां	म.नं. 02 करनसिंह से म.नं. 20 कलाबाई तक		
			10 म.नं. 21 अमरसिंह से म.नं. 40 अंत मोहन तक		

ग्राम पंचायत मुस्करा
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-- सारणी --

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	मुस्करा	1 मुस्करा	म.नं. 01 फेरनसिंह से म.नं. 14 मोहरसिंह तक	अ.जा.	1
		2	म.नं. 16 करोडी से म.नं. 35 हजरतसिंह तक	अ.ज.जा.	0
		3	म.नं. 40 रामकिशन से म.नं. 51 प्रागसिंह तक	अ.पि.वर्ग	3
		4	म.नं. 54 मालमसिंह से म.नं. 64 जुगराज तक	अ.जा. महिला	0
		5	म.नं. 65 जमनीबाई से म.नं. 87 गोरेलाल तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6	म.नं. 88 मोहरसिंह से म.नं. 104 अंत बिहारी तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 नरसिंहपुर	म.नं. 01 रूपसिंह से म.नं. 06(ख) मिश्रीलाल तक	अनारक्षित महिला	5
		8	म.नं. 07 आधारबाई से म.नं. 17 धूपसिंह तक		
		9	म.नं. 20 पहलवान से म.नं. 23 अंत मेहरबान तक		
		10 दामखेड़ा	म.नं. 01 लूमाबाई से म.नं. 13 बुन्देलसिंह तक		
		11	म.नं. 14 छोटेशम से म.नं. 26 बटनसिंह तक		
		12	म.नं. 27 कोमलसिंह से म.नं. 40 मल्हू तक		
		13	म.नं. 41 लालाराम से म.नं. 51 अंत विनय तक		

ग्राम पंचायत अगरापठार

परिशिष्ट-5(अ)

T

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
52	अगरापठार	1	अगरापठार	म.नं. 01 सुमेरसिंह से म.नं. 6/3 कृष्णाबाई तक	अ.जा.	1
		2		म.नं. 7/1 राजधर से म.नं. 16/2 भूरीबाई तक	अ.ज.जा.	1
		3		म.नं. 17 कपूरीबाई से म.नं. 25 मोहन तक	अ.पि.वर्ग	3
		4		म.नं. 25/1 बाबूलाल से म.नं. 34/4 जानकीदास तक	अ.जा. महिला	0
		5	थानावीरान	म.नं. 02 दिमान से म.नं. 07 कृष्णाबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
		6		म.नं. 07 गौराबाई से म.नं. 17 रूकमणिबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7	चौपड़ा	म.नं. 01 कैलाश से म.नं. 27 नानाबाई तक	अनारक्षित महिला	4
		8		म.नं. 28 कपूरी से म.नं. 76 दयालीबाई तक		
		9	गावसिघ	म.नं. 01 बटनलाल से म.नं. 09 गुड्डीबाई तक		
		10		म.नं. 10 मुशीलाल से म.नं. 27 शिब्बाबाई तक		
			बेलाराडी	वीरान		
			11 पौरिया	म.नं. 01 तुरसाबाई से म.नं. 20 जीवनसिंह तक		
		12	म.नं. 21 बुदेलसिंह से म.नं. 28 जगमोहन तक			

ग्राम पंचायत बैरागढ़

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

-:: सारणी ::-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
53	बैरागढ़	1	बैरागढ़	म.नं. 01 कस्तूरीबाई से म.नं. 16 सीमा तक	अ.जा.	4
		2		म.नं. 17 रतनबाई से म.नं. 27 रविबाबू तक	अ.ज.जा.	2
		3		म.नं. 28 देवी से म.नं. 42 रामकलीबाई तक	अ.पि.वर्ग	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	म.नं. 43 भागचंद से म.नं. 80 रेखाबाई तक	अ.जा. महिला	2
		5	म.नं. 81 मदन से म.नं. 94 लक्ष्मीबाई तक	अ.ज.जा. महिला	1
		6	म.नं. 95 संतोष से म.नं. 104 गुलाबबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
	7	गोरयापुरा	म.नं. 105 गुल्लोबाई से म.नं. 119 मनीषकुमार तक	अनारक्षित महिला	2
	8	हरिपुरा	म.नं. 120 नारायणसिंह से म.नं. 137 संतोषबाई तक		
		9	म.नं. 138 भूलीबाई से म.नं. 156 संपतबाई तक		
		10	दपकन	म.नं. 01 नारायणसिंह से म.नं. 05 गुलाबबाई तक	
		11	म.नं. 06 फूलसिंह से म.नं. 15 मुकेश तक		
		12	म.नं. 16 नारायणसिंह से म.नं. 28 मोहरसिंह तक		
		13	म.नं. 29 नन्नू से म.नं. 42 हरिनारायण तक		
		14	म.नं. 43 भौंदा से म.नं. 48 कलाबाई तक		

ग्राम पंचायत धीरगढ़
परिशिष्ट-5(अ)

व

T

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--- सारणी ---

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	धीरगढ़	1 धीरगढ़	म.नं. 01 अर्जुनसिंह से म.नं. 17 नन्नूलाल तक	अ.जा.	1
			2 म.नं. 18 नन्नूराम से म.नं. 21 नन्नूलाल तक	अ.ज.जा.	4
			3 म.नं. 22 नानाजी से म.नं. 29 समंदर तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 30 मिश्रीलाल से म.नं. 47 पंचमसिंह तक	अ.जा. महिला	0
			5 म.नं. 48 लक्ष्मणसिंह से म.नं. 62 विश्वनाथ तक	अ.ज.जा. महिला	2
			6 म.नं. 63 भंवरलाल से म.नं. 78 गंगाराम तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 79 पन्नालालसे म.नं. 94 मोहनप्रसाद तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 95 भगवान से म.नं. 106 सुन्दरलाल तक		
		9 जमोनियाखुर्द	म.नं. 01 से लालसिंह म.नं. 07 गजराजसिंह तक		
			10 म.नं. 08 से मथुरालाल म.नं. 27 इमरतलाल तक		
			11 म.नं. 28 से पर्वतसिंह म.नं. 46 भैरोंसिंह तक		
		12 भीलाखेड़ीखुर्द	म.नं. 01 सौदानसिंह से म.नं. 07 सज्जनसिंह तक		
			13 म.नं. 08 अर्जुनसिंह से म.नं. 14 जसवंत तक		
			14 म.नं. 15 राजाराम से म.नं. 19 मलखान तक		

ग्राम पंचायत मुण्डेला
परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	मुण्डेला	1 मुण्डेला	म.नं. 01 शिवचरण से म.नं. 08 तेजप्रताप तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 09 मेहताब से म.नं. 17 चतरा तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 18 कम्मा से म.नं. 30 मेहरवान तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 31 चैनसिंह से म.नं. 43 नारानबाई तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 44 पर्वतसिंह से म.नं. 53 विनय तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 55 पप्पू से म.नं. 63 दीपाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 64 भंवरलाल से म.नं. 83 कलाबाई तक	अनारक्षित महिला	5
		8 अलीगढकोटरा	म.नं. 01 इमरतबाई से म.नं. 13 प्रहलादसिंह तक		
			9 म.नं. 14 दयाराम से म.नं. 36 कैलाशबाई तक		
			10 म.नं. 37 प्रेमबाई से म.नं. 54 देवा तक		
			11 म.नं. 55 सरदारबाई से म.नं. 71 सियाबाई तक		
			12 म.नं. 72 फूलबाई से म.नं. 89 सुकुमबाई तक		
			13 म.नं. 90 तोफान से म.नं. 106 लालाराम तक		
			14 म.नं. 107 छतरिया से म.नं. 117 कलाबाई तक		
		15 हुसैनपुर	म.नं. 01 प्रेमबाई से म.नं. 06 विनिताबाई तक		
			16 म.नं. 07 चुन्नीलाल से म.नं. 17 भंवरलाल तक		

ग्राम पंचायत बीजूखेडी
परिशिष्ट-5(अ)

[

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	बीजूखेड़ी	1 बीजूखेड़ी	म.नं. 01 मिट्टूलाल से म.नं. 17 छोटीबाई तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 18 हल्कीबाई से म.नं. 41 बृजेशकुमार तक	अ.ज.जा.	0
			3 म.नं. 42 बालमुकुन्द से म.नं. 60 पुनियाबाई तक	अ.पि.वर्ग	3
			4 म.नं. 61 सडीराम से म.नं. 82 सुमित्राबाई तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 83 कमलसिंह से म.नं. 102 गीताबाई तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 103 मान्या से म.नं. 113 शारदाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 ककराज	म.नं. 01 विजयबाई से म.नं. 09 रेखाबाई तक	अनारक्षित महिला	3
			8 म.नं. 10 मूलचंद से म.नं. 20 फूलसिंह तक		
			9 म.नं. 21 सबलसिंह से म.नं. 32 ज्योतिराजपूत तक		
			10 म.नं. 33 श्यामबाई से म.नं. 41 गीताबाई तक		
			11 म.नं. 42 कलियाबाई से म.नं. 47 कमलेश तक		

ग्राम पंचायत देहरीपामा

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	देहरीपामा	1 देहरीपामा	म.नं. 01 मेहताब से म.नं. 09/01 गुलाबबाई तक	अ.जा.	0
			2 म.नं. 10 लालचंद से म.नं. 25 कैलाशबाई तक	अ.ज.जा.	6
			3 म.नं. 26 जानकीबाई से म.नं. 37 धनीबाई तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 38/1 मोहनसिंह से अंत मांगीलाल तक	अ.जा. महिला	0
		5 रायपुरा	म.नं. 01/1 पुनियाबाई से म.नं. 13 मोहरबाई तक	अ.ज.जा. महिला	3
			6 म.नं. 14 लालजी से म.नं. 21 सुरेश तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 22 मांगीलाल से म.नं. 34 सरवन तक	अनारक्षित महिला	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 35 प्रेमसिंह से म.नं. 49 जसोदाबाई तक		
			9 म.नं. 50 धूरीबाई से म.नं. 63 प्रेमबाई तक		
			10 म.नं. 64 बापूलाल से म.नं. 273 गीताबाई तक		
		11 चमराकोडल	म.नं. 01 रामगोपाल से म.नं. 20 हरिसिंह तक		
			12 म.नं. 21 नत्थू से म.नं. 39 लाखन तक		
		13 हफीजपुर,खोना	म.नं. 01 सिमरत से म.नं. बसंतीबाई तक		
		14 फौजपुर	म.नं. 1/1 कमरलाल से म.नं. 114 कस्तूरीबाई तक		
		15 अहमदपुरकला	म.नं. 01 इमरतसिंह से म.नं. 12/1 कृष्णाबाई तक		
			16 म.नं. 12/1 ग्याप्रसाद से म.नं. 23 पूजाबाई तक		

ग्राम पंचायत कोलुआपठार

परिशिष्ट-5(अ)

I

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं; तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	कोलुआपठार	1 कोलुआपठार	म.नं. 01 मिश्रीबाई से म.नं. 09 गंगोला तक	अ.जा.	2
			2 म.नं. 10 नत्थूसिंह से म.नं. 24 सनमानसिंह तक	अ.ज.जा.	1
			3 म.नं. 25 मोतियाबाई से म.नं. 33 नाथूराम तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 34 बाबूलाल से म.नं. 49 मिश्री तक	अ.जा. महिला	1
			5 म.नं. 50/1 ओमकार से म.नं. 63 हेमा तक	अ.ज.जा. महिला	0
			6 म.नं. 64 किशन से म.नं. 76 रामसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
			7 म.नं. 77 नंदराम से म.नं. 89 दिमानसिंह तक	अनारक्षित महिला	6
			8 म.नं. 90 रामसिंह से म.नं. 100 मिश्रीबाई तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	म.नं. 90 धरूआ से म.नं. 103 मिश्रीलाल तक		
		9	म.नं. 104 तुलसीबाई से म.नं. 116 प्रेमा तक		
		10	म.नं. 117 प्रताप से म.नं. 128 नन्नू तक		
		11	म.नं. 129 हीरालाल से म.नं. 144 मांगीलाल तक		
		12	म.नं. 145 रगनाथ से म.नं. 161 अंत मदनलाल तक		
	13 बांदरसेना		म.नं. 01/01 पैजन से म.नं. 09 गब्बूलाल तक		
		14	म.नं. 16/01 ऊधम से म.नं. 30 अजबबाई तक		
		15	म.नं. 32 हरनाथ से म.नं. 49 तोफानसिंह तक		
		16	म.नं. 51 रूपसिंह से म.नं. 63 गजराज तक		
		17	म.नं. 63/क शंकरसिंह से म.नं. 68 अंत ऊधमसिंह तक		

**ग्राम पंचायत ताजपुरा
परिशिष्ट-5(अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	ताजपुरा	1 ताजपुरा	म.नं. 01 भमरीबाई से म.नं. 08/1 भूलीबाई तक	अ.जा.	1
		2	म.नं. 09 जगदीश से म.नं. 18 कान्तिबाई तक	अ.ज.जा.	14
		3	म.नं. 19 कमरलाल से म.नं. 27 बबीताबाई तक	अ.पि.वर्ग	1
		4	म.नं. 29/1 पर्वतसिंह से म.नं. 35 लक्ष्मण तक	अ.जा. महिला	0
		5	म.नं. 36 सौदान से म.नं. 46 अंत अरविन्द तक	अ.ज.जा. महिला	8
		6 चंदेरी	म.नं. 01 रूगनाथ से म.नं. 12/2 भगवानसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला	0
		7	म.नं. 13 गजरीबाई से म.नं. 19/4 नारायण तक	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 20 कमरलाल से म.नं. 60 अंत धर्मन्द्र तक		
		9 फतेहगढ़	म.नं. 01 गंगराम से म.नं. 20 गंगाबाई तक		
			10 म.नं. 21 रमकोबाई से म.नं. 35 छमलीबाई तक		
			11 म.नं. 38 तखतसिंह से म.नं. 723/क अंत मेहताबसिंह तक		
		12 आरीनोबाद	म.नं. 01 कालू से म.नं. 04 सुनीताबाई तक		
			13 म.नं. 06 ग्यारसीबाई से म.नं. 10/05 रामकन्याबाई तक		
			14 म.नं. 11 जालमसिंह से म.नं. 15 कातिबाई तक		
			15 म.नं. 16 ग्यारसीबाई से म.नं. 21/1 रसीताबाई तक		
			16 म.नं. 21/2 हरिसिंह से म.नं. 24 मुकेश तक		
			17 म.नं. 25 फूलसिंह से म.नं. 31 कृष्णाबाई तक		
			18 म.नं. 33 मोहरसिंह से म.नं. 536/क अंत शीलाबाई तक		

ग्राम पंचायत महावन

परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी :-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	महावन	1 महावन	म.नं. 01 पहलवान से म.नं. 12/2 कृष्णाबाई तक	अ.जा.	3
			2 म.नं. 14 नारायण से म.नं. 25/3 रचनाबाई तक	अ.ज.जा.	2
			3 म.नं. 26 लखपत से म.नं. 37/2 रामकेशन तक	अ.पि.वर्ग	4
			4 म.नं. 37/3 शिवलाल से म.नं. 46 चंपाबाई तक	अ.जा. महिला	2
			5 म.नं. 47 मांगीलाल से म.नं. 61 कनीराम तक	अ.ज.जा. महिला	1
			6 म.नं. 62 मांगीलाल से म.नं. 71 जमनाबाई तक	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 नेवली	म.नं. 01 रघुवीर से म.नं. 09 गिरजाबाई तक	अनारक्षित महिला	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8 म.नं. 10/1 अर्जनसिंह से म.नं. 18/2 बृजेश तक		
			9 म.नं. 19 मुल्लोबाई से म.नं. 34 सुमनबाई तक		
			10 म.नं. 35 अर्जनसिंह से म.नं. 54 फूलबाई तक		
			11 म.नं. 55 भागबाई से म.नं. 69/2 धर्मेन्द्र तक		
			12 म.नं. 70 हरलाल से म.नं. 91 राजनबाई तक		
			13 म.नं. 92 ग्यारसीबाई से म.नं. 110 भागश्रीबाई तक		
			14 म.नं. 111 दौलीबाई से म.नं. 125 सविताबाई तक		
			15 म.नं. 126 सौदानसिंह से म.नं. वनारसबाई तक		
	16	सेमरीबशीर	म.नं. 01 गुलाबबाई से म.नं. 09 लाखनसिंह तक		
			17 म.नं. 10 बाबूलाल से म.नं. 22 मायाबाई तक		

**ग्राम पंचायत भटोली
परिशिष्ट-5(अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायतों को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

--: सारणी ::--

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	भटोली	1 भटोली	01 से 14 तक(राधेलाल के मकान से नारायण के मकान तक)	अ.जा.	2
			2 15 से 27 तक(मन्ना के मकान से नारायण के मकान तक)	अ.ज.जा.	5
			3 28 से 36 तक(हरिसिंह के मकान से लालसिंह के मकान तक)	अ.पि.वर्ग	4
			4 37 से 47 तक(अमरसिंह के मकान से लालसिंह के मकान तक)	अ.जा. महिला	1
		5 सौजनीखेड़ा	01 से 20 तक(रूपाबाई के मकान से नेपालसिंह के मकान तक)	अ.ज.जा. महिला	2
			6 21 से 29/3 तक(जगन्नाथ के मकान से करणसिंह के मकान तक)	अ.पि.वर्ग महिला	2
		7 बसीलगढ़	03 से 12 तक(धनसिंह के मकान से रमेश के मकान तक)	अनारक्षित महिला	2
			8 13 से 18/3 तक(नेनकराम के मकान से रमेश के मकान तक)		
		9 तिसिया	05 से 18/3 तक(रमेश के मकान से हुकमसिंह के मकान तक)		
			10 20 से 28/4 तक(किशनसिंह के मकान से लाखन सिंह के मकान तक)		
		11 कोकनगढ़	01 से 8/1 तक(दल्ला के मकान से सुन्दरबाई के मकान तक)		
			12 10 से 26 तक(दयालीबाई के मकान से लालजी के मकान तक)		
		13 रैगना हुसेनगढ़	01 से 13/1 तक(मुशीलाल के मकान से मलखानसिंह के मकान तक)		
		14 सेमरीसिकंदराबाद	14 से 30/2 तक(मानसिंह के मकान से प्रताप के मकान तक)		
			15 32/1 से 57/3 तक(गोवर्धन के मकान से मांगीलाल के मकान तक)		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

अंतिम प्रकाशन जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र

परिशिष्ट-पांच (ब)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित खण्ड को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ। अर्थात:-

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षण का विवरण (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ग्यारसपुर	1	1.इकोदिया, 2.धतूरिया, 3.ऐरन, 4.अंडियाकला	अ.जा.	4
		2	5.बरीघाट, 7.गुलाबगंज, 10. मढीचौबीसा	अ.ज.जा.	2
		3	6.गूलरखेडी, 8.चकरघुनाथपुर,	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	9.संतापुर, 16.मुंगवारा, 17.घोंसुआ, 18.पिपरिया	महिला अ.जा.	2
		5	11.सौजना, 12.हत्तियाखेडा, 14. सुमेरबरी, 15.बनजागीर	महिला अ.ज.जा.	1
		6	13. मेहरूखेडी, 21.मूडरागनेशपुर, 22.गुनुआ, 23.सिमरहार	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	19.चाठोली 20.लखनगार, 27 इमलावदा 29.चिरावटा,	महिला सामान्य	5
		8	25.सुआखेडी, 26 पथरई 35.अटारीखेजडा		
		9	24.मढीपुर, 37.अम्बार, 38.खेजडापडरात, 39.नादौर		
		10	28.इंदरवास, 30.उहरकोटरा, 32.ओलिंजा		
		11	31.ग्यारसपुर		
		12	33.मानोरा, 34.बंजरिया		
		13	36.दीघोरा, 41. सीहोद 49.सियासी, 50. कंजेला,		
		14	40.नौलास, 43. बंडवा 46. पुरागुसाई 48. बोरीरामपुर		
		15	42.बरखेडागंभीर, 44.झिरनिया, 45.लखूली, 47. घटेरा		
		16	52.हैदरगढ, 53.बरवाई,		
		17	54.मोहम्मदगढ, 55.चीकली, 56.खिरियाजागीर, 57.कोलुआधामनोद		
		18	58.मढियाधामनोद, 59.पिपरियापाराशर, 66. धामनोद		
		19	60.देयरपुर, 61.बासादेही, 62.सेमराटप्पा, 63. बेहलोट		
		20	51.धोखेडा, 68.गुन्नोटा, 69.मढियाजामन, 71. मढियादरोई		
		21	64. मदनई, 65. पचपेडिया, 67 नौरजा, 70. कोलुआजागीर		

अंतिम प्रकाशन ग्राम पंचायत वार्ड

परिशिष्ट-पांच (अ)

विदिशा, दिनांक 8 मई 2014

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ। अर्थात:-

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इकोदिया	1	भैयालाल/रामलाल 1 से 14 तक	अ.जा.	5
		2	थानसिंह/रामलाल 15 से 28 तक	अ.ज.जा.	0
		3	कपूरीबाई/बिहारी 29 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रतीबाई/धीरजसिंह 40 से 49 तक	महिला अ.जा.	3
		5	खुमानसिंह/रघुनाथसिंहा 50 से 62 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	हकुमसिंह/बाबूलाल 63 से 79 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	फूलसिंह /छोटेरालाल 80 से 90 तक	महिला सामान्य	4
		8	तखतसिंह/नारायणसिंह 91 से 102 तक		
		9	ग्यारसीबाई/सहेलेराम 103 से 110 तक		
		10	कमोदीलाल/गन्नू 111 से 116 तक		
		11	सुमित्रबाई/मालमसिंह 117 से 125 तक		
		12	राधेलाल/सुकका 126 से अंत तक		
		13	सारदाबाई/माखनसिंहककरुआ 1 से 12 तक		
		14	सुरेश कुमार/गोर्वधन 13 से 26 तक		
		15	चिरोंजीलाल/ग्यारसीराम 27 से 42 तक		
		16	राधाबाई/तोरनप्रससाद 43 से 53 तक		
		17	धूमाबाई/पन्नालाल 54 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का	वार्डों के	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
1	2	3	4	5	6
2	धतूरिया	1	सोदासिंह/बारेलाल धतूरिया 1 से 11 तक	प्रवर्ग	संख्या
		2	जयराम/अमरसिंह 12 से 21 तक	अ.जा.	4
		3	अमनीबाई/गनेशराम 22 से 38 तक	अ.ज.जा.	1
		4	टीकाराम/बन्टी 39 से 55 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		5	रतनबाई/तुलसीराम 56 से 74 तक	महिला अ.जा.	2
		6	कल्याणसिंह/अमरसिंह 75 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	0
		7	श्यामाल/पन्नालाल रूसल्ली 1से 15 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		8	द्रोपतीबाई/फूलसिंह 16 से 24 तक	महिला सामान्य	3
		9	दलसिंह/मोतीसिंह 25 से 44 तक		
		10	दोलीबाई/छुट्टा 45 से अंत तक		
		11	खुमानसिंह/सुकका करारिया 1 से 15 तक		
		12	रतीबाई/लम्पूसिंह 16 से 27 तक		
		13	खिरियाबाई/नंदराम 28 से 36 तक		
		14	नगन्नाथसिंह/हरनाथसिंह 37 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
1	2	3	4	5	6
3	एरन	1	कालूराम/चिटतूलाल एरन 1 से 19 तक	अ.जा.	5
		2	सुककोबाई/छुट्टा 20 से 36 तक	अ.ज.जा.	0
		3	राजू/बाबूलाल 37 से 54 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भगवानसिंह/नलथूसिंह 55 से 70 तक	महिला अ.जा.	3
		5	सावित्रीबाई/प्रानसिंह 71 से 92 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कृपाराम/भुजवलप्रसाद 93 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लच्छोबाई/परमा रकोली 1 से 27 तक	महिला सामान्य	3
		8	हीराबाई/भारतसिंह 28 से 41 तक		
		9	महरवानसिंह/जगन्नाथसिंह 42 से 51 तक		
		10	उर्मिलाबाई/रमेश 52 से अंत तक		
		11	सुग्रेनसिंह/फूलसिंह खजूरीबरी 1 से 13 तक		
		12	आलोकबाई/सनमानसिंह 14 से 33 तक		
		13	सहीदखां/सिकन्दरखां 34 से 54 तक		
		14	मोजीलाल/मलथू 55 से 84 तक		
		15	जमनाबाई/काशीराम 85 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	अंडियाकला	1	प्रवेशबाई/धीरजसिंह अंडियाकला 1 से 10 तक	अ.जा.	4
		2	जानकीबाई/धीरजसिंह 11 से 28 तक	अ.ज.जा.	0
		3	बाबूलाल/नत्थूलाल 29 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	रामकली/जवाहरसिंह 45 से 57 तक	महिला अ.जा.	2
		5	बुन्देलासिंह/मोजीलाल 58 से 69 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामकलीबाई/रामभारती 70 से 80 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मोजीलाल/नाथूराम 81 से 95 तक	महिला सामान्य	2
		8	चर्तुभुज/देवचंद 96 से 106 तक		
		9	हरविलास/जालमसिंह 107 से 114 तक		
		10	शकुनबाई/रमेश 115 से 137 तक		
		11	लालाराम/हरलाल 138 से 156 तक		
		12	गनेशराम/पुन्जा 157 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	बरीघाट	1	फुल्लू/बुदधा बरीघाट 1 से 12 तक	अ.जा.	6
		2	भमरीबाई/नत्था 13 से 25 तक	अ.ज.जा.	0
		3	देवीसिंह/अर्जुनसिंह 26 से 41 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मुन्ना/सुन्दरा 42 से 73 तक	महिला अ.जा.	3
		5	ज्ञानबाई/प्रभूलाल 74 से 90 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	महेन्द्रकुमार/रामस्वरूप 91 से 108 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	रामकुंवर/गजराजसिंह 109 से 127 तक	महिला सामान्य	4
		8	सुखरामदास प्रभूलाल 128 से 137 तक		
		9	अजबबाई/दशरथसिंह 138 से अंत तक		
		10	खुमानीबाई/नंदराम 1 से 22 तक मानपुर		
		11	भैयालाल/सनमानसिंह 23 से 40 तक		
		12	मूलचंद/प्यारेलाल 41 से 57 तक		
		13	भुज्जीलाल/दलीपसिंह 58 से 69 तक		
		14	कलाबाई/मूलचंद 70 से 85 तक		
		15	राजाराम/नत्थूसिंह 86 से अंत तक		
		16	रमेश/काशीराम खामखेडा 1 से 15 तक		
		17	मंशाराम/हरदास 16 से 22 तक		
		18	कल्लू/पूरन 23 से 31 तक		
		19	मायाबाई/भारतसिंह 32 से 51 तक		
		20	निहालसिंह/गुलाबसिंह 52 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	गूलरखेड़ी	1	कोमलबाई/गणेशराम गूलरखेड़ी 1 से 31 तक	अ.जा.	4
		2	जवाहरलाल/कन्हैयालाल 32 से 62 तक	अ.ज.जा.	0
		3	छोटेलाल/सुखलाल 63 से 94 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	हजारी/मन्नुलाल 95 से 127 तक	महिला अ.जा.	2
		5	कृष्णगोपाल/बल्लभदास 128 से 146 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	सीतादेवी/नारायणदास 147 से 151 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	उषा/परमानंद 152 से 182 तक	महिला सामान्य	5
		8	जानकीबाई/माधोसिंह 183 से 205 तक		
		9	बेजनाथसिंह/यज्ञमानसिंह 206 से 223 तक		
		10	नजरअली/सरदारअली 224 से 241 तक		
		11	सरस्वती/महेशकुमार 242 से 264 तक		
		12	बेनीबाई/मोजीलाल 265 से 290 तक		
		13	लक्ष्मीबाई/बद्रीप्रसाद 291 से 319 तक		
		14	हल्कीबाई/पूरनसिंह 320 से 352 तक		
		15	राधेश्याम/मोतीलाल 353 से 381 तक		
		16	रामबाई/रामदास 382 से 405 तक		
		17	रजनीबाई/मलखानसिंह 406 से 421 तक		
		18	मोतीलाल/ज्ञानप्रसाद 422 से 446 तक		
		19	मदनलाल/चुन्नीलाल 447 से 471 तक		
		20	हरीराम/बालाप्रसाद 472 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	गुलाबगंज	1	करनसिंह/मोतीसिंह गुलाबगंज 1 से 10 तक	अ.जा.	4
		2	रामचरण/पुनीतराम 11 से 27 तक	अ.ज.जा.	1
		3	सुन्दरा/बन्शी 28 से 39/1 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	जगतसिंह/हेवंतसिंह 39/2 से 40/3 तक	महिला अ.जा.	2
		5	तीरनसिंह/प्रयागसिंह 40/4 से 50 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	भैरो/बलिया 51 से 62 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लल्लू/ग्यारसा 63 से 75 तक	महिला सामान्य	3
		8	सावित्रीदेवी/दयालूराम 76 से 90 तक		
		9	रघुवीर/कमलसिंह 91 से 99/1 तक		
		10	अशोक/हरनारायण 99/2 से 107 तक		
		11	बलराम/शोभाराम 108 से 120 तक		
		12	शकुबाई/कल्याणसिंह 121 से 130 तक		
		13	मोहनलाल/कालूराम 131 से 231 तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	चकरधुनाथपुर	1	सोबरन/भज्जू चकरधुनाथपुर 1 से 22 तक	अ.जा.	4
		2	बाबूलाल/शोभाराम 23 से 38 तक	अ.ज.जा.	0
		3	मोहन/राजधन 39 से 48 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रामदास/रामानंददास 49 से 61 तक	महिला अ.जा.	2
		5	गजराजसिंह/दशरथसिंह 62 से 70 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गनेशराम/हल्कूराम 71 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ललता/सोदानसिंह खुजरहार 1 से 19 तक	महिला सामान्य	3
		8	बाबूलाल/मानसिंह 20 से 32 तक		
		9	रामाधर/बालाप्रसाद 33 से 53 तक		
		10	मूलचंद/बलदेव 54 से 69 तक		
		11	गुल्लू/मुल्ला 70 से 88 तक		
		12	हल्कीबाई/बारेलाल 89 से 112 तक		
		13	गोपालसिंह/नारायणसिंह 113 से अंत तक		

खण्ड -- ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	संतापुर	1	जयसिंह/भुगन्तसिंह संतापुर 1 से 16 तक	अ.जा.	2
		2	भारतसिंह/बाबूलाल 17 से 32 तक	अ.ज.जा.	0
		3	हरीसिंह/मुलीसिंह 33 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	ओमकारसिंह/मंशीलाल 45 से 55 तक	महिला अ.जा.	1
		5	अनारबाई/मुन्नीलाल 56 से 73 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	नर्वदीबाई/फूलसिंह 74 से 83 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	चंदूलाल/हल्के 84 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	बूदाबाई/बाबूलाल चितरायन 1 से 16 तक		
		9	भयलाल/अंतराम 17 से अंत तक		
		10	कछेदी/परमलाल उत्तमाखेडी 1 से 16 तक		
		11	नानारायण/काशीराम 17 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	मढ़ीचौबीसा	1	रूपवतीबाई/सोदानसिंह मढ़ीचौबीसा 1 से 14 तक	अ.जा.	3
		2	बुन्देलसिंह/बालबुकन्द 15 से 23 तक	अ.ज.जा.	1
		3	प्रेमबाई/मुन्शीलाल 24 से 38 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	धीरजसिंह/धरोपसिंह 39 से 49 तक	महिला अ.जा.	2
		5	रमेश/कडोरी 50 से 68 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	बुलाखी/संतरी 69 से 84 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मुल्लू/भगोले 85 से 99 तक	महिला सामान्य	1
		8	कल्लू/जगू 100 से 123 तक		
		9	मोहनसिंह/जगू 124 से अंत तक		
		10	चंद्रकांता/जयनारायण मेहेन्दर 1 से 15 तक		
		11	हरीराम/कुन्जीलाल 16 से 34 तक		
		12	बारेलाल/सुखराम 35 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	सौजना	1	धन्नालाल/हरीराम सौजना 1 से 21 तक	अ.जा.	4
		2	मचलसिंह/खेमचंद 22 से 36 तक	अ.ज.जा.	1
		3	पदम/प्यारेलाल 37 से 64 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रामलाल/सोमा 65 से 75 तक	महिला अ.जा.	2
		5	मुन्नालाल/लालसिंह 76 से 103 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	जगन्नाथसिंह/अजबसिंह 104 से 122 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	अमोलसिंह/लालाराम 123 से 132 तक	महिला सामान्य	2
		8	परसूराम/बालाराम 133 से 145 तक		
		9	नवलसिंह/टीकाराम 146 से अंत तक		
		10	कल्याणसिंह/मोहनलाल धनियाखेडी 1 से 17 तक		
		11	लक्ष्मणसिंह/बिहारीलाल 18 से 33 तक		
		12	सेवलाल/नेक्सा 34 से 52 तक		
		13	जानकीबाई/हल्कई 53 से 73 तक		
		14	दीवानसिंह/भारतसिंह 74 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	हतियाखेड़ा	1	मुन्नीबाई/चंदनसिंह हतियाखेड़ा 1 से 17 तक	अ.जा.	3
		2	किशोरीलाल/हरचंदा 18 से 30 तक	अ.ज.जा.	0
		3	श्यामलाल/दोलतसिंह 31 से 37 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	दशरथसिंह/मंगलसिंह 38 से अंत तक	महिला अ.जा.	2
		5	धीरजसिंह/हरीराम हरजाखेड़ी 1 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	काशीबाई/खुन्नीलाल धुरदा 1 से 16 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कलाबाई/भगवानसिंह 17 से 28 तक	महिला सामान्य	1
		8	प्रभूलाल/सोभा 29 से 44 तक		
		9	बालोबाई/जगन्नाथसिंह 45 से 55 तक		
		10	चैनसिंह/उमरावसिंह 56 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	मेहरूखेड़ी	1	गोपाल/पन्नालाल मेहरूखेड़ी 1 से 17 तक	अ.जा.	3
		2	कृष्णाबाई/अजयसिंह 18 से 35 तक	अ.ज.जा.	0
		3	तुलसीराम/रानायणप्रसाद 36 से 51 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	हरीशचंद/गजाधरप्रसाद 52 से 63 तक	महिला अ.जा.	2
		5	शोभा/जालमसिंह 64 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामप्रसाद/बल्ला सेमरा पडरात 1 से 18 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	गिरजाबाई/धासीराम 19 से 29 तक	महिला सामान्य	2
		8	मिठटूलाल/रामलाल 30 से 44 तक		
		9	शिवराजसिंह/रमेश 45 से 50 तक		
		10	रामबाई/रामकरण 51 से 62 तक		
		11	मुल्लोबाई/कल्याणसिंह 63 से अंत तक		

खण्ड -- ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	सुमेरबरी	1	बिहारी/परमा सुमेरबरी 1 से 15 तक	अ.जा.	2
		2	फूलसिंह/पंचम 16 से 30 तक	अ.ज.जा.	1
		3	नबावखां/रश्मखां 31 से 55 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	प्रकाशचंद/चतुर्भुज 56 से 90 तक	महिला अ.जा.	1
		5	सिताराबी/शंमशेरखां 91 से 163 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	रामसिंह/छोटेलाल 164 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	बुद्धा/रूपा खेजडाबरी 1 से 17 तक	महिला सामान्य	2
		8	कमलसिंह/ऊधमसिंह 18 से 40 तक		
		9	भयलाल/मूलचंद 41 से अंत तक		
		10	भवूतसिंह/अमोलसिंह धनोराचौबीसा 1 से 9 तक		
		11	लतीफनबी/रफीकखां 10 से अंत तक		

खण्ड -- ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	वनजागीर	1	भोगचंद/गुलाबसिंह वनजागीर 1 से 15 तक	अ.जा.	2
		2	महेश/गोपाल 16 से 33 तक	अ.ज.जा.	0
		3	सुदामाप्रसाद/विश्वनाथ 34 से 47 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	नर्वदीबाई/करनसिंह 48 से 61 तक	महिला अ.जा.	1
		5	मोहनसिंह/मुल्ली 62 से 72 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	दीपक/रामस्वरूप 73 से 76 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	दोलतसिंह/चंदनसिंह 77 से 88 तक	महिला सामान्य	3
		8	रूपसिंह/गुलाबचंद 89 से 94 तक		
		9	शिवनारायण/बद्रीप्रसासद 95 से 113 तक		
		10	मतीबाई/कमलसिंह 114 से 135 तक		
		11	चिरोजीलाल/बुधराम 136 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	मुंगवारा	1	श्रीलाल/जोखीराम मुंगवारा 1 से 20 तक	अ.जा.	5
		2	रमेश/भवानी 21 से 42 तक	अ.ज.जा.	0
		3	प्रमबाई/हरचंद 43 से 63 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रामकली/चिरोंजीलाल 64 से 81 तक	महिला अ.जा.	3
		5	हरीशंकर/नारायण 82 से 103/2 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	अतीकाबी/अययूबखं 103/3 से 113 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	भारतसिंह/उमररावसिंह 114 से 128 तक	महिला सामान्य	4
		8	खबीलउददीन/कमालउददीन 129 से 152 तक		
		9	सुन्दरलाल/देवीप्रसाद 153 से 169 तक		
		10	बहीदाबी/मंजूरखान 169/1 से 172 तक		
		11	आसमाबी/समसुहलक 173 से अंत तक		
		12	गंगोबाई/चुन्नीलाल माला 1 से 15 तक		
		13	नन्नीबी/पीरखां 16 से 32 तक		
		14	चंपाबाई/रूपसिंह 33 से 49 तक		
		15	रंधीरसिंह/मानसिंह 50 से 62 तक		
		16	काशीबाई/महीपसिंह 63 से 72 तक		
		17	तुरसाबाई/कृपाराम 73 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	घोंसुआ	1	रामसिंह/रतनसिंह घोंसुआ 1 से 21 तक	अ.जा.	5
		2	बाबूलाल/सुजानसिंह 22 से 31 तक	अ.ज.जा.	0
		3	रामबाई/कमलसिंह 32 से 52 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	हमीरसिंह/निहालसिंह 53 से 68 तक	महिला अ.जा.	3
		5	हरीसिंह/नत्थूसिंह 68/1 से 84 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मिन्दाबाई/गोकल 85 से 102 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लच्छू/छुट्टा 103 से 121 तक	महिला सामान्य	2
		8	विदूला/कल्लू 122 से अंत तक		
		9	कुदउ/पूरन हिनोतिया 1 से 24 तक		
		10	खिलानसिंह/पूरनसिंह 25 से 41/1 तक		
		11	श्रीबाई/लक्ष्मणसिंह 42/1 से 48 तक		
		12	भुजवलसिंह/जगतसिंह 49 से 61 तक		
		13	देवीसिंह/कीरतसिंह 62 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	पिपरिया	1	छोटेला/हल्कू पिपरिया 1 से 14 तक	अ.जा.	3
		2	बतेशीबाई/टन्डू 15 से 21 तक	अ.ज.जा.	0
		3	कन्छेदी/हरीराम 22 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	नब्बोबाई/चतरा 40 से अंत तक	महिला अ.जा.	2
		5	मुल्लोबाई/दमरूलाल मूंडरी 1 से 18 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	सूरजबाई/खेमचंद 19 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सम्पतबाई/जालम हाटखेडा 1 से 27 तक	महिला सामान्य	2
		8	श्यामबाई/भारतसिंह 28 से 43 तक		
		9	जगन/गंगाराम 44 से 57 तक		
		10	हरीसिंही/मिश्रीलाल 58 से 67 तक		
		11	नत्थूसिंह/कारेलाल 68 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	चाठौली	1	जगदीश/दुर्जन चाठौली 1 से 22 तक	अ.जा.	3
		2	नारायणसिंह/गोपीलाल 23 से 44 तक	अ.ज.जा.	1
		3	अमोली/सरू 45 से 68 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	देवजी/सरूआ 69 से 87 तक	महिला अ.जा.	2
		5	मुन्नालाल/हिम्मतसिंह 88 से 105 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गोपालसिंह/हजारीलाल 106 से 116 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	सरजूबाई/चुन्नीलाल 117 से 136 तक	महिला सामान्य	4
		8	प्रतापसिंह/हल्कूराम 137 से 147 तक		
		9	पानबाई/मानकचंद 148 से 165 तक		
		10	रतनबाई/मूलचंद 166 से 183 तक		
		11	दोलतसिंह/बसन्ती 184 से अंत तक		
		12	विपताबाई/मानसिंह तेवरी 1 से 17 तक		
		13	जानकीबाई/परतीतराम 18 से 31 तक		
		14	रामदास/फोसा 32 से 47 तक		
		15	प्रभूदयाल/हरीराम 48 से 60 तक		
		16	तखतसिंह/हल्कू 61 से 70 तक		
		17	मोहरसिंह/महाराम 71 से 90 तक		
		18	पूरन/गण्डेशा 91 से अंत तक		

खण्ड -- ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	लखनगार	1	रामगोपाल/काशीराम लखनगार 1 से 23 तक	अ.जा.	3
		2	निरनसिंह/तखतसिंह 24 से 42 तक	अ.ज.जा.	1
		3	पानबाई/रामचरण 43 से 54 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	लखपतसिंह/सुखलाल 54 से 67 तक	महिला अ.जा.	2
		5	इमरतबाई/रघुवीर 68 से 80 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	रूपाबाई/कीरतसिंह 81 से 91 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	विपताबाई/भंवरलाल 92 से 105 तक	महिला सामान्य	2
		8	प्रसादीबाई/गनेशराम 106 से 114 तक		
		9	नथनसिंह/गुलाबसिंह तुमैना 1 से 19 तक		
		10	महाराजसिंह/रामदयाल 20 से 34 तक		
		11	तखतसिंह/खुमानसिंह 35 से 45 तक		
		12	रमेश /प्यारेलाल 46 से 61 तक		
		13	दीवानसिंह/राधेकिशन 62 से 73 तक		
		14	शान्तिबाई/खिलानसिंह 74 से अंत तक		

खण्ड -- ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				5	6
1	2	3	4	5	6
21	मूंडरा गनेशपुर	1	फूलबाई/गंगाराम मूंडरा 1 से 16 तक	अ.जा.	4
		2	ग्यारसीलाल/गंगाराम 17 से 37 तक	अ.ज.जा.	2
		3	हरीराम/पंचनसिंह 38 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	श्यामलाल/बल्लूसिंह 45 से 69 तक	महिला अ.जा.	2
		5	रामकुंवर/हल्केई 70 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	बंशीलाल/कल्लूसिंह गनेशपुर 1 से 12 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	श्यामलाल/हरीराम 13 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	मंशाराम/गनेशराम निपानिया 1 से 26 तक		
		9	भंवरबाई/गण्पूलाल 27 से 39 तक		
		10	प्रेमबाई/पूरनसिंह 40 से अंत तक		
		11	भानूप्रतापसिंह/हिम्मतसिंह खिरिया 1 से 8 तक		
		12	सरदारसिंह/गुलाबसिंह 9 से 19 तक		
		13	कालूराम/केशरीनंदन 20 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	गुनुआ	1	जानकीबाई/परमा गुनुआ 1 से 13 तक	अ.जा.	4
		2	बृजलाल/नानकराम 14 से 43 तक	अ.ज.जा.	1
		3	इमरतबाई/लल्ली 44 से 60 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	हबीबखां/यासीन खां 61 से 84 तक	महिला अ.जा.	2
		5	कोमलबाई/धनीराम 85 से 98 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कल्लूसिंह/मटोले 99 से 114 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कल्लू /मुल्लू 115 से 128 तक	महिला सामान्य	2
		8	काशीराम/करनसिंह 129 से 145 तक		
		9	मितटूलाल/हरलाल 146 से अंत तक		
		10	कैलाश/भुजवलसिंह पटवारीखेडी 1 से 11 तक		
		11	मोहरबाई/हिम्मतसिंह 12 से 31 तक		
		12	काशीबाई/मुन्शीलाल 32 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	सिमरहार	1	बिनोदकुमार/तुलाराम सिमरहार 1 से 14 तक	अ.जा.	2
		2	चंदन/भगवानसिंह 15 से 30 तक	अ.ज.जा.	3
		3	फूलसिंह/गनेशराम 31 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	महेश/ख्याली 40 से 56 तक	महिला अ.जा.	1
		5	कोकसिंह/दलीपसिंह 57 से 62 तक	महिला अ.ज.जा.	2
		6	बलवीरसिंह/दीवानसिंह 63 से 73 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कोमलबाई/सनमानसिंह 74 से 87 तक	महिला सामान्य	1
		8	सूरजसिंह/गोरेलाल 88 से 102 तक		
		9	माधेसिंह/ग्यारसीलाल 103 से 117 तक		
		10	पानबाई/थानसिंह 118 से 138 तक		
		11	बल्देवसिंह/खूबा 139 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	मढ़ीपुर	1	जमनाबाई/धन्नालाल मढ़ीपुर 1 से 30 तक	अ.जा.	4
		2	छोटेला/बारेलाल 31 से 61 तक	अ.ज.जा.	0
		3	फूलसिंह/रतीराम 62 से 78 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	तुरसाबाई/बटदूसिंह 79 से 94 तक	महिला अ.जा.	2
		5	गजराजसिंह/खुशीलाल 95 से 114 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कारेलाल/हरलाल 115 से 142 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सरस्वतीबाई/बलीराम 143 से 160 तक	महिला सामान्य	4
		8	फूलसिंह /काशीराम 161 से अंत तक		
		9	चिरोजीली /लक्ष्मण बिलराई 1 से 16 तक		
		10	रामरतीबाई /मुकन्दीसिंह 17 से 30 तक		
		11	लच्छू /बिहारी 31 से 46 तक		
		12	गोपीबाई /श्यामलाल 47 से 60 तक		
		13	गोराबाई /हरीसिंह 61 से 71 तक		
		14	भगवानसिंह /नारायणसिंह 72 से 94 तक		
		15	फलला /परसू 95 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	सुआखेड़ी	1	रंजीत /मंगलसिंह सुआखेड़ी 1 से 24 तक	अ.जा.	3
		2	लालसिंह /हीरालाल 25 से 45 तक	अ.ज.जा.	0
		3	पूरनसिंह /जवाहरसिंह 46 से 63 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गुलाबबाई/धन्नालाल 64 से 78 तक	महिला अ.जा.	2
		5	हिम्मतसिंह /रामकिशन 79 से 87 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	श्यामलाल /गुमदी 88 से 100 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	लक्ष्मीबाई /कमलदास 101 से 119 तक	महिला सामान्य	3
		8	नवलसिंह /चतरसिंह 120 से 132 तक		
		9	निहालसिंह /प्यारेलाल 133 से 150 तक		
		10	हिम्मतसिंह /भूरसिंह 151 से 161 तक		
		11	भैयालाल /मुरली 162 से 184 तक		
		12	सविताबाई /दलसिंह 185 से 207 तक		
		13	गुलाबसिंह /सुन्दरलाल 208 से अंत तक		
		14	हल्कीबाई/हल्केराम रामपुर चक्क 1 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	पथरई	1	गोराबाई / जुगराजसिंह पथरई 1 से 14 तक	अ.जा.	8
		2	केशरबाई / राजाराम 15 से 27 तक	अ.ज.जा.	0
		3	लक्ष्मणसिंह / सनमानसिंह 28 से 37 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भय्यालाल / देवीप्रसाद 38 से 55 तक	महिला अ.जा.	4
		5	बाबूलाल / धन्नालाल 56 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामकलीबाई / शिवचरण नौलई 1 से 17 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मुंगाबाई / हलकन 18 से 38 तक	महिला सामान्य	3
		8	रामचरण / गोपाल 39 से अंत तक		
		9	राईसा / जगन्नाथ पीपलखेडी 1 से 17 तक		
		10	मुल्लोबाई / भैयालाल 18 से 25 तक		
		11	प्रतापसिंह / रूपसिंह 26 से अंत तक		
		12	भगवानसिंह / महताबसिंह तरावली 1 से 19 तक		
		13	निब्बा / धसीटा 20 से 30 तक		
		14	प्रेमनारायण / इमरतसिंह 31 से अंत तक		
		15	रतीराम / करनसिंह हाटखेडा 1 से 17 तक		
		16	गनपत / बारेलाल 18 से 31 तक		
		17	मोतीसिंह / अमान 32 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	इमलावदा	1	सुमित्रा / नोनीतराम इमलावदा 1 से 24 तक	अ.जा.	3
		2	ललता / खुमान 25 से 45 तक	अ.ज.जा.	1
		3	काशीराम / लच्छू 46 से 59/1 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	सुन्दरलाल / भोगीराम 59/2 से 66/5 तक	महिला अ.जा.	2
		5	महाराजसिंह / रामप्रसाद 66/6 से 75 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	ांकरप्रसाद / भैयालाल 76 से 89 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	गोपालसिंह / अजयसिंह 90 से 102 तक	महिला सामान्य	3
		8	कुंवरबाई / अर्जुनसिंह 103 से 113 तक		
		9	रामकली / कोमलसिंह 114 से 126 तक		
		10	कमलसिंह / गनपतसिंह 127 से 138 तक		
		11	राजाराम / हरीराम 139 से अंत तक		
		12	कल्लूसिंह / रतनलाल दहलवाडा 1 से 11 तक		
		13	निर्पतसिंह / नवलसिंह 12 से 20 तक		
		14	माधोसिंह / उधमसिंह 21 से 34 तक		
		15	गनेशसिंह / गनपतसिंह 35 से 54 तक		
		16	तखतसिंह / गयाप्रसाद 55 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	इंदरवास	1	बलुआ / मन्नू इंदरवास 1 से 19/2 तक	अ.जा.	2
		2	मूंगाबाई / मुल्लीसिंह 20 से 54 तक	अ.ज.जा.	0
		3	गुलाबखाँ / खुन्नू खाँ 55 से 76 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	प्यारेलाल / धनसिंह 77 से 96 तक	महिला अ.जा.	1
		5	गनेशराम / दीपचंद 97 से 114 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कोमलसिंह/भागमल 115 से 139/2 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	काशीबाई / दोलतसिंह 140 से 153 तक	महिला सामान्य	4
		8	हल्कीबाई / मजबूतसिंह 154 से 164 तक		
		9	बालकिशन / हरिसिंह 165 से 184 तक		
		10	लछियाबाई / नत्थू 185 से 209/2 तक		
		11	बंशी / हरिया 210/2 से 229 तक		
		12	खुमान / मूलचंद 230 से 247 तक		
		13	बिहारीसिंह / मानसिंह 248 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	चिरावटा	1	माधोदास / बालकदास चिरावटा 1 से 23 तक	अ.जा.	3
		2	हल्कीबाई / कृपा 24 से 43 तक	अ.ज.जा.	1
		3	गणेश / मुकन्दी 44 से 55 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	बुन्देलसिंह / गोकलसिंह 56 से 75 तक	महिला अ.जा.	2
		5	मुशीलाल / गोरेलाल 76 से 85/2 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	श्यामसुन्दरदास / सीताराम 86 से 103 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कंछेदी / फुल्लू 104 से 117 अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	नंदलाल / प्यारेलाल सिरसावली 1 से 26 तक		
		9	अमरसिंह / बृजलाल 27 से 58 तक		
		10	फूलबाई / फूलसिंह 59 से 102/2 अंत तक		
		11	प्रेमनारायण / मूलचंद मृगावली 1 से 9 तक		
		12	रूपसिंह / बसन्ती 10 से 23 क तक		
		13	लक्ष्मणसिंह / सुखलाल 24 से 44 तक		
		14	गजराजसिंह / रघुनाथसिंह 45 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	ऊहरकोटरा	1	भंवरलाल/परमानंद उहरकोटरा 1 से 18 तक	अ.जा.	2
		2	संदेर / धनसिंह 19 से 43 तक	अ.ज.जा.	1
		3	जगन्नाथ/हल्कू 44 से 56 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	कमली बाई / हरीसिंह 57 से 73 तक	महिला अ.जा.	1
		5	फूल सिंह / जवाहर सिंह 74 से 98 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गनेशराम / सोमत सिंह 99 से 122 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	जगन्नाथ / मुरली 123 से 152 तक	महिला सामान्य	4
		8	प्रीतम/जालम 153 से 194 तक		
		9	छोटेलाल / रूप सिंह 195 से 214 तक		
		10	श्यामा बाई / मुशीलाल 215 से अंत तक		
		11	प्रेम बाई / दरयाव सिंह फुतला 1 से 19 तक		
		12	तुलाराम / परसराम 20 से 34 तक		
		13	सोभाराम / पन्नालाल 35 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	ग्यारसपुर	1	शांति बाई / ब्रजलाल ग्यारसपुर 1 से 39 तक	अ.जा.	2
		2	बाबूलाल / उददीलाल 40 से 84 तक	अ.ज.जा.	1
		3	लतीफ खां / अलामुद्दीन 85 से 126 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	बाबूलाल/मिठठूलाल 127 से 161 तक	महिला अ.जा.	1
		5	मो.हनीफ / अहमद गफर खां 162 से 193 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	संजीव कुमार / पुरुषोत्तम 194 से 244 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	सुंदर बाई / नारायण सिंह 245 से 288 तक	महिला सामान्य	6
		8	हल्के सिंह / मूलचंद 289 से 335 तक		
		9	दीपक / वेनी प्रसाद 336 से 384 तक		
		10	कु.चेतना / देवकी नंद 385 से 426/1 तक		
		11	भगवती / कालूराम 426/2 से 458/2/ड तक		
		12	देवेन्द्र कुमार/मन्नूलाल 459 से 543 तक		
		13	परमू बाई / पूरन 544 से 567 तक		
		14	सवित्री बाई / रामसेवक 567 से 603 तक		
		15	हरनाम सिंह / अमान सिंह 603/1 से 636 तक		
		16	प्रेम बाई / दीनदयाल 637 से 672/3 तक		
		17	अत्राहुसेन / समसुदीन 673 से 711 तक		
		18	कपूरी बाई / बाबूलाल 712 से 750 तक		
		19	धरमो बाई / रामलाल 751 से 777 तक		
		20	रामबाई / खुमान 777 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	ओलिंजा	1	मोतीलाल / छोटे लाल ओलिंजा 1 से 15 तक	अ.जा.	2
		2	प्रेमबाई / धनुषधारी 16 से 35 तक	अ.ज.जा.	1
		3	बैजनाथ / परसराम 36 से 57 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	दौलत बाई / गनेशाराम 58 से 77 तक	महिला अ.जा.	1
		5	कंचेदीलाल / पूरन सिंह 78 से 95 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	श्रीबाई / सौदान सिंह 96 से 114 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	हरीसिंह / हल्के राम 115 से 138 तक	महिला सामान्य	5
		8	हल्केई / परसराम 139 से 156 तक		
		9	पन्नालाल / परसादी 157 से 166 तक		
		10	सुंदर / कमोदी 167 से 184 तक		
		11	दीपचंद / भैयालाल 185 से 206 तक		
		12	जमना बाई / मल्लू 207 से 236 तक		
		13	फूल बाई / धन्नालाल 237 से 252 तक		
		14	सुमंत्रा बाई / लक्ष्मण सिंह 253 से अंत तक		
		15	बल्लो / रामप्रसाद ईशारावर 1 से 15 तक		
		16	देबाई / चंदन सिंह 16 से अंत तक		
		17	जशवंत सिंह / मर्दन सिंह धुरेरा 1 से 24 तक		
		18	गोपी / जवाहर 25 से 48 तक		
		19	अनंदीलाल / हीरालाल 49 से 68 तक		
		20	पर्वत सिंह / अमान सिंह 69 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	मानोरा	1	मायाबाई / मदन लाल मानोरा 1 से 38 तक	अ.जा.	6
		2	केशरबाई / भगवान 39 से 62 तक	अ.ज.जा.	1
		3	आलम / हल्के 63 से 98 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मान बाई / लक्ष्मण 99 से 127 तक	महिला अ.जा.	3
		5	रामकली बाई / गोपालदास 128 से 155 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	रामदयाल / प्यारे लाल 156 से 179 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	हरीबाई / कैलाश 180 से 206 तक	महिला सामान्य	4
		8	कोमल बाई / कंचेदी 207 से 231 तक		
		9	मिश्रीलाल / नोनीत 232 से 257 तक		

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
		10	प्रहलाद/बलाराम 258 से 279 तक		
		11	सविता/रामबाबू 280 से 302 तक		
		12	धारूसिंह / गबडू सिंह 303 से 328 तक		
		13	मुमताज बेगम /अब्दुल सलीम 329 से 356 तक		
		14	अशोक कुमार /जमना प्रसाद 357 से 382 तक		
		15	शांति बाई /सीताराम 383 से 422 तक		
		16	हरी सिंह /गोरेलाल 423 से 452 तक		
		17	अमर सिंह /शेवचरण 453 से 482 तक		
		18	बलवीर सिंह /सूरत सिंह 483 से 505 तक		
		19	गोया /सुर्जन 506 से 524 तक		
		20	भग्गो बाई /खुमान सिंह 525 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	बंजरिया	1	केशव बाई/पन्नालाल बंजरिया 1 से 13 तक	अ.जा.	4
		2	गजराज सिंह /दौलत सिंह 14 से 26 तक	अ.ज.जा.	0
		3	बाबूलाल /सुंदर लाल 27 से 49 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	रामसिंह /शोभा 50 से 64 तक	महिला अ.जा.	2
		5	दौलत सिंह /मटरूलाल 65 से 85 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	भवरलाल/सुकई 86 से 95 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	छुटटू /परसराम 96 से 111 तक	महिला सामान्य	5
		8	कमला बाई /सुंदर लाल 112 से अंत तक		
		9	प्रताप सिंह /बालाराम मेहदोन 1 से 16 तक		
		10	जयराम/गनपत सिंह 17 से 32 तक		
		11	सुंदर लाल /तरवर सिंह 33 से 44 तक		
		12	रसालबाई /नारान सिंह 45 से अंत तक		
		13	सारसीबाई /दयालसिंह बेरखेडी 1 से 22 तक		
		14	मेहताब सिंह /दौलत सिंह 23 से 52 तक		
		15	खिलान सिंह /मल्थू 53 से 73 तक		
		16	हिम्मत सिंह /कल्याण सिंह 74 से अंत तक		
		17	पूना बाई /अमोल सिंह चकसुमेरपुर 1 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	अटारीखेजड़ा	1	ग्याप्रसाद / हल्कूराम अटारीखेजड़ा 1 से 25 तक	अ.जा.	4
		2	घनश्याम दास / भगवान दास 26 से 39 तक	अ.ज.जा.	1
		3	खिलान सिंह / हल्के सिंह 40 से 61 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	काशी बाई / कमल सिंह 62 से 74 तक	महिला अ.जा.	2
		5	भीमसिंह / बुंदेल सिंह 75 से 97 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बाबूलाल / मुल्लू 98 से 121 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	रूप सिंह / कमोद सिंह 122 से 139 तक	महिला सामान्य	5
		8	सुमित्रा बाई / फूल सिंह 140 से 160 तक		
		9	भारत सिंह / परसराम 161 से 173 तक		
		10	कमल सिंह / गिरधारी लाल 174 से 183 तक		
		11	वीर सिंह / भैरोसिंह 184 से 197 तक		
		12	जालम सिंह / सुखलाल 198 से 214 तक		
		13	कछेदीलाल / बाबूलाल 215 से 237 तक		
		14	भैयालाल / मुल्ली सिंह 238 से 251 तक		
		15	प्रेमबाई / कमर सिंह 252 से 261 तक		
		16	भैयालाल / काशीराम 262 से 284 तक		
		17	फूल सिंह / बारेलाल 285 से 311 तक		
		18	कल्याण सिंह / रूप सिंह 312 से 326 तक		
		19	बाबूलाल / रामकिशन 327 से 342 तक		
		20	सवित्री बाई / मोकम सिंह 343 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	दीघोरा	1	खिलान सिंह / लालराम दीघोरा 1 से 7 तक	अ.जा.	2
		2	प्रेमनारायण / मोतीलाल 8 से 26 तक	अ.ज.जा.	2
		3	प्रेमबाई / खिलान सिंह 27 से 41 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	प्रेम बाई / रामरतन 42 से 58 तक	महिला अ.जा.	1
		5	हरीबाई / गोविंद 59 से 75 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	गड्डू / गंगा 76 से 99 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	प्रेमनारायण / राजाराम 100 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	हल्के राम / मिहींलाल करैया 1 से 20 तक		
		9	गुम्नी बाई / गोपीलाल 21 से 24 तक		
		10	कोशाबाई / अनंद सिंह 25 से 37 तक		
		11	गजराज सिंह / नारायण सिंह 38 से 57 तक		
		12	कोमलबाई / बाबूलाल 58 से 70 तक		
		13	नौला / पूना 71 से 89 तक		
		14	सुमित्रा बाई / भीकम 90 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	अम्बार	1	कल्लू/धन्नालाल अम्बार 1 से 19 तक	अ.जा.	4
		2	पर्वत सिंह /तुलसीराम 20 से 29 तक	अ.ज.जा.	0
		3	कहैन्यालाल/उमराव सिंह 30 से 53 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गसीराम/देवी सिंह 54 से 67 तक	महिला अ.जा.	2
		5	मीरा/परसराम 68 से 78 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गणेशीबाई /हमीरा 79 से 96 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	गोपी /गोकुल 97 से 109 तक	महिला सामान्य	5
		8	जुगन किशोर /गणेशराम 110 से 119 तक		
		9	केशर बाई /बलदेव 120 से 133 तक		
		10	रामबाई /गनपत 134 से 144 तक		
		11	कला बाई /नारायण सिंह 145 से 165 तक		
		12	करण सिंह /भैयालाल 166 से 183 तक		
		13	मुशा /मुल्ला 184 से 208 तक		
		14	सुनील कुमार /सत्यनारायण 209 से अंत तक		
		15	दयाबाई /खुमान सिंह रामगढ 1 से 22 तक		
		16	रतन सिंह /हरप्रसाद 23 से 38 तक		
		17	कमोद सिंह /सुंदरलाल 39 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	खेजड़ापडरात	1	फूलसिंह /भोलाजी खेजड़ापडरात 1 से 10 तक	अ.जा.	1
		2	हरनाथ सिंह /तुलसी राम 11 से 18 तक	अ.ज.जा.	0
		3	परसराम /हल्कूराम 19 से 25 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भगवती बाई /हल्कूराम 26 से 37 तक	महिला अ.जा.	0
		5	गणेशराम /बसंतीलाल 38 से 47 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गुडडा /सुंदर लाल 48 से 64 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सुंदरबाई /हरप्रसाद 65 से 79 तक	महिला सामान्य	6
		8	नंदराम/सड्डूलाल 80 से 89 तक		
		9	बालू बाई /हरनाथ सिंह 90 से 105 तक		
		10	विनिया बाई /सोमत सिंह 106 से 127 तक		
		11	बन्नोबी /मंजूर खां 128 से 152 अंत तक		
		12	बटदूलाल /मुंशीलाल महुआखेडा 1 से 19 तक		
		13	पिप्पा /मोहन सिंह 20 से 40 तक		
		14	विनिया बाई /बिहारी 41 से 57 तक		
		15	सवोद्रा बाई /देवप्रसाद 58 से 72 तक		
		16	भमरीबाई /कनीराम 73 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	नादोर	1	बैजंती बाई / कहेन्या लला नादोर 1 से 22 तक	अ.जा.	1
		2	मोजीलाल / खेमचंद 23 से 38 तक	अ.ज.जा.	0
		3	भोगचंद / उमराव सिंह 39 से 56 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	भैयालाल / सुखलाल 57 से 74 तक	महिला अ.जा.	0
		5	गुलाबबाई / इमरत सिंह 75 से 95 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	ब्रजलाल / परमा 96 से 121 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सरस्वती बाई / निहाल सिंह 122 से 141 तक	महिला सामान्य	4
		8	पूरन सिंह / बलदेव 142 से 155 अंत तक		
		9	नारायण सिंह / गनपत रामपुर पाटनी 1 से 24 तक		
		10	भास्कर / प्यारेलाल 25 से 37 अंत तक		
		11	रामदयाल / रामभरोसे पाटनी 1 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	नौलास	1	रामदयाल / हरजीत सिंह नौलास 1 से 15 तक	अ.जा.	2
		2	रंजीत सिंह / भावानी सिंह 16 से 26 तक	अ.ज.जा.	3
		3	कनीराम / गंगाराम 27 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	मुबारक खां / बिशेर खां 40 से 48/1 तक	महिला अ.जा.	1
		5	चित्रा देवी / श्रवण कुमार 48/2 से 64	महिला अ.ज.जा.	2
		6	गप्पू लाल / सुखलाल 65 से 71 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	उधम सिंह / हरप्रसाद 72 से 80 तक	महिला सामान्य	4
		8	कुसमा बाई / इन्द्रासिंह 81 से 93 तक		
		9	कोमल बाई / कंधई लाल 94 से 100 तक		
		10	कुंजीलाल / मोहनलाल 101 से 113 तक		
		11	जवाहर लाल / खूबचंद 114 से 123/1 तक		
		12	मनीषा / प्रवीण कुमार 123/2 से 135 तक		
		13	फूल सिंह / कन्हैयालाल 136 से 156 तक		
		14	जवाहर सिंह / सुकलाल 156/1 से 192 तक		
		15	कपाराम / मोजी 193 से 208 तक		
		16	जमनी बाई / कुंजीलाल 209 से 224 तक		
		17	पन्नालाल / सुकलाल 225 से 240 तक		
		18	नथुआ / सदोला 241 से 266 तक		
		19	बुद्धा बाई / दरयाव सिंह 267 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	सीहोद	1	हरज्ञान/हरप्रसाद सीहोद 1 से 17 तक	अ.जा.	2
		2	अफजल खाँ /मोहम्मद खाँ 18 से 33 तक	अ.ज.जा.	0
		3	कम्मू खाँ /बराती खाँ 34 से 62 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	प्यारे लाल/शोभा राम 63 से 81 तक	महिला अ.जा.	1
		5	दुर्गा बाई /फल सिंह, बा99 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जितेन्द्र सिंह /रामसिंह 100 से 118 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कैलाश/कंछेदीलाल 119 से 135 तक	महिला सामान्य	5
		8	कोमल बाई /नारायण प्रसाद 136 से 149 तक		
		9	घनश्याम/श्रीलाल 150 से 162 तक		
		10	अमर सिंह /सेवा राम 163 से 177 तक		
		11	अवधनारायण /काशीराम 178 से 193 तक		
		12	रघुवीर /भैयालाल 194 से 213 तक		
		13	रामबाबू/शंकर सिंह 214 से 230 तक		
		14	सौदान सिंह/खेमचंद 231 से 244 तक		
		15	प्रीतम /गोपीलाल 245 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	बरखेड़ा गंभीर	1	मोहन सिंह /रामचरण बरखेड़ा गंभीर 1 से 14 तक	अ.जा.	1
		2	हरीप्रसाद /वीरा 15 से 22 तक	अ.ज.जा.	1
		3	गोरिलाल/गणेशलाल 23 से 32 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	कैलशनारायण /गोरी प्रसाद 33 से 44 तक	महिला अ.जा.	0
		5	मोहन सिंह /शैकर सिंह 45 से 56 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	अमान सिंह /पूण्डे 57 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	हाकम सिंह /भवानी सिंह खैरुआ पडरात 1 से 8 तक	महिला सामान्य	3
		8	चुन्नीलाल /गोकल 9 से 17 तक		
		9	नंदलाल/जुंजीलाल 18 से 19 तक		
		10	गंगाराम /उमराव सिंह 30 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	बंडवा	1	मंगल सिंह/रज्जू बंडवा 1 से 9 तक	अ.जा.	4
		2	सरदार सिंह / देओजी 10 से 18 तक	अ.ज.जा.	0
		3	प्रेमनारायण / रामरतन 19 से 29 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	दुण्डा / भबूला 30 से 40 तक	महिला अ.जा.	2
		5	विशनुगिर / भगवान गिर 41 से 53 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	प्रभुलाल/कशोरी 54 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	मदन लाल/हरप्रसाद बाबलिया 1 से 11 तक	महिला सामान्य	2
		8	महाराज सिंह/अनंदलाल 12 से 21 तक		
		9	रामलाल / गजराज सिंह 22 से 27 तक		
		10	सुनीता बाई / खिमान सिंह 28 से अंत तक		
		11	हरबो बाई / मुरली हीरापुर + उलाखेडा संपूर्ण		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	झिरनिया	1	बाल मुकुण / त्रिलोकचंद झिरनिया 1 से 10 तक	अ.जा.	2
		2	बाबूलाल / मुरली प्रसाद 11 से 24 तक	अ.ज.जा.	1
		3	हुकुम सिंह / रामचरण 25 से 32 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	श्रीबाई / लक्ष्मण सिंह 33 से 47 अंत तक	महिला अ.जा.	1
		5	रामगोपाल / छोटेलाल आमखेडा 1 से 12 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	प्यारेलाल / सुखलाल 13 से 24 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कलिया बाई / मुल्लो 25 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	बाबूलाल/दमोदर बेरखेडी 1 से 12 तक		
		9	नर्वदी बाई / मोतीलाल 13 से 18 तक		
		10	इमरत सिंह / गोपीसिंह 19 से अंत तक		
		11	इमरत सिंह / कुवरपाल सिंह दरगवां 1 से 9 तक		
		12	सियाबाई / बाबूलाल 10 से 25 तक		
		13	हरप्रसाद / मिश्रीलाल 26 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	लखूली	1	हीरागिर / रामगिर लखूली 1 से 17 तक	अ.जा.	1
		2	हरज्ञान / गून्ठी 18 से 29 तक	अ.ज.जा.	4
		3	प्रेमबाई / लक्ष्मण सिंह 30 से 59 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	चिरौंजी / मूकंदी 60 से 75 तक	महिला अ.जा.	0
		5	गजराज सिंह / पर्वत सिंह 76 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	2
		6	गोमती बाई / दौलत सिंह बेहटा 1 से 13 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	घनश्याम / गोरेलाल 14 से 25 तक	महिला सामान्य	1
		8	सवित्री बाई / हरप्रसाद 26 से अंत तक		
		9	कल्लू खां / मुन्नालाल शहपुरा 1 से 9 तक		
		10	रशीद खां / मुनब्वर खां 10 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	पुरागुसाई	1	बविता बाई / गोपालदास पुरागुसाई 1 से 15 तक	अ.जा.	1
		2	गप्पू / करोडी 16 से 39 तक	अ.ज.जा.	5
		3	इमरत सिंह / काशीराम 40 से 54 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	हरीसिंह / अमर सिंह 55 से 82 तक	महिला अ.जा.	0
		5	फूल बाई / सौदान सिंह 83 से 109 तक	महिला अ.ज.जा.	3
		6	कमल सिंह / माधो सिंह 110 से 135 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	हल्की बाई / सुंदर लाल 136 से 159 तक	महिला सामान्य	1
		8	शिवनारायण / चतर सिंह 160 से 174 तक		
		9	हीरालाल / नाथूराम 175 से अंत तक		
		10	अरविंद / बलराम रामनगर 1 से 22 तक		
		11	चतरु बाई / शंकर सिंह 23 से 42 तक		
		12	हिम्मत सिंह / बुद्धलाल 43 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	घटेरा	1	मंगल सिंह / नवली घटेरा 1 से 21 तक	अ.जा.	3
		2	मिश्री बाई / जयराम 22 से 40 तक	अ.ज.जा.	8
		3	भूरिया / बसोरा 41 से 64 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	दलीप / जयराम 65 से अंत तक	महिला अ.जा.	2
		5	वती बाई / प्रेमलता पोनिया 1 से 13 तक	महिला अ.ज.जा.	4
		6	सुगर सिंह / लाल सिंह 14 से 27 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	गोपीबाई / चिरोजी लाल 28 से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	सुकका / बारेबल मुरझिरी 1 से 14 तक		
		9	मंगल सिंह / मोजी 15 से 28 तक		
		10	सुकली बाई / हिम्मत सिंह 29 से अंत तक		
		11	लूमा बाई / गोपीलला पिपरिया 1 से 8/3 तक		
		12	गोवर्धन / मंगल सिंह 8/4 से अंत तक		
		13	गैदाबाई / राजाराम भैरोपुर 1 से 5 तक		
		14	ललतो बाई / इमरत सिंह 6 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	बोरीरामपुर	1	गंगाराम / कहेन्यालाल बोरीरामपुर 1 से 8 तक	अ.जा.	0
		2	उदयराम / धनसिंह 9 से 24 तक	अ.ज.जा.	3
		3	ओमकार सिंह / बलदेव सिंह 25 से 34 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	दयाराम / अमरसिंह 35 से 48 तक	महिला अ.जा.	0
		5	परमलाल / भवूती प्रसाद 49 से 66 तक	महिला अ.ज.जा.	2
		6	भावसिंह / अजुददी सिंह 67 से 82 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	हरबो बाई / गजाधर 83 से अंत तक	महिला सामान्य	1
		8	अमोल सिंह / मूलचंद मनकापुर 1 से 14 तक		
		9	रामसिंह / हल्लू राम 15 से अंत तक		
		10	उधम सिंह / हरप्रसाद शशकरदा+लहारपुर+अमरोही पडरात1 से अंत तक संपूर्ण		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	सियासी	1	रमेश/दल्ला सियासी 1 से 17 तक	अ.जा.	3
		2	प्रेमबाई /सुदर लाल 18 से 35 तक	अ.ज.जा.	5
		3	सीताराम /श्यामलाल 36 से 52 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	खेराती खां /मोहर खां 53 से 70 तक	महिला अ.जा.	2
		5	जयराम /परमा 71 से 85 तक	महिला अ.ज.जा.	3
		6	कमल सिंह/राजाराम 86 से 109 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	सरस्वती बाई /शोभाराम 110 से 130 तक	महिला सामान्य	2
		8	देवचंद/सोमा 131 से 156 तक		
		9	तुलाराम /कमोद 157 से अंत तक		
		10	शोभाराम /चेनसिंह मन्चूपुरा 1 से 20 तक		
		11	हल्कूराम /मस्मूलाल 21 से 33 तक		
		12	शांतिबाई /द्रोपत 34 से अंत तक		
		13	गुलाब /रम्मो बेरखेडी 1 से 16 तक		
		14	पन्नालाल /बटदू 17 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	कंजेली	1	गुलाब बाई/रामसिंह कंजेली 1 से 13 तक	अ.जा.	1
		2	बुन्देल सिंह /गोरे लाल 14 से 33 तक	अ.ज.जा.	5
		3	चतर सिंह /हल्कू 34 से 51 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	प्यारे लाल /बृजलाल 52 से 69 तक	महिला अ.जा.	0
		5	बंसली लाल/ग्यारसा 70 से 84 तक	महिला अ.ज.जा.	3
		6	मीठा लाल/नाथूलाल 85 से 98 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	कमलसिंह /भिटदूलाल 99 से 117 तक	महिला सामान्य	4
		8	घासी राम /पंचा 118 से अंत तक		
		9	भगवानसिंह /खुशशी लाल दियाखेडा 1 से 22 तक		
		10	माधोसिंह /रघुवर सिंह 23 से 34 तक		
		11	प्रभुराम/रामप्रसाद 35 से अंत तक		
		12	भारती/तखलेश गोरिया 1 से 7 तक		
		13	अर्जुनसिंह/हरप्रसाद 8 से 18 तक		
		14	प्रहलादसिंह/भीकमसिंह 19 से 32 तक		
		15	राम बतती /मुन्ना 33 से 49 तक		
		16	राम चरण/निरपत सिंह 50 से 62 तक		
		17	दिल्लो बाई/सुख लाल 63 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	धोखेड़ा	1	नन्ने लाल / ग्याप्रसाद धोखेड़ा 1 से 10 तक	अ.जा.	2
		2	सुन्दर बाई / शंकर लाल 11 से 21 तक	अ.ज.जा.	2
		3	खिलान सिंह / शंकर लाल 22 से 36 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	गोवर्धन / लाल जी 37 से 59 तक	महिला अ.जा.	1
		5	भूरैलाल / हीरा लाल 60 से 73 तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	मुनब्वर खा / ईशूबर खा 74 से 89 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सुबहान खा / नूर खा 90 से 97 तक	महिला सामान्य	3
		8	इमरत खा / महताबर खा 98 से 112 तक		
		9	केशरबाई / मूलचंद 113 से अंत तक		
		10	नर्बदीबाई / रामप्रसाद पिपरियाजागीर 1 से 9 तक		
		11	लक्ष्मण / बालाराम 10 से 22 तक		
		12	बालचंद / हलकेसिंह 23 से अंत तक		
		13	कपूरी बाई / मुन्ना लाल रईसनगर 1 से अंत तक		
		14	शकुन बाई / मचल सिंह महुआखेड़ा-ककरुआ 1 से अंत तक एवं ककरुआ वीरान		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	हैदरगढ़	1	हरी ओम / मुंशीलाल हैदरगढ़ 1 से 28 तक	अ.जा.	3
		2	केशरबाई / मुल्ला 29 से 52 तक	अ.ज.जा.	1
		3	मुबारिक शाह / नाजिर शाह 53 से 73 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	तुलसी राम / प्यारेलाल 74 से 99 तक	महिला अ.जा.	2
		5	गिरधारीलाल / जानकी बाई 100 से 123 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	प्रकाश / नंदराम 124 से 146 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	चोनीतराम / बुद्धधा 147 से 171 तक	महिला सामान्य	5
		8	कोमल प्रसाद / भंवर लाल 172 से 202 तक		
		9	शक्कर बाई / बुदुलाल 203 से 236 तक		
		10	बहीद खा / जुगरे खा 237 से 256 तक		
		11	दुर्जन लाल / बुदुलाल 257 से 283 तक		
		12	गंगा बाई नंद राम 284 से 314 तक		
		13	छोटे लाल / सोमतसिंह 315 से 337 तक		
		14	हबीब खा / सिकंदर खा 338 से 364 तक		
		15	रामसिंह / परम लाल 365 से 400 तक		
		16	किश्वर अली / मसूदअली 401 से 430 तक		
		17	सहीद खा / मोहर खा 431 से 451 तक		
		18	खलील खा / वसीर खा 452 से 473 तक		
		19	वहीद खा / मोहर खा 474 से 493 तक		
		20	गुलाब बाई / मंगल लाल 494 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	बरवाई	1	नवीन कुमार/श्याम बाबू बरवाई 1 से 16 तक	अ.जा.	1
		2	बलदेव सिंह/कुन्दी लाल 17 से 25 तक	अ.ज.जा.	1
		3	द्रोपती बाई/बाबू लाल 26 से 36 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	हरिसिंह/तुलाराम 37 से 47 तक	महिला अ.जा.	0
		5	प्रेम बाई/कनछेदीलाल 48 से 65 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कीरतसिंह /राम प्रसाद 66 से 80 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	टीकाराम /हरिराम 81 से 90 तक	महिला सामान्य	5
		8	बिहारी लाल/वीरू 91 से 106 तक		
		9	सूरजनबाई /खूबचन्द 107 से 118 तक		
		10	दातारसिंह/मंगलसिंह 119 से 132 तक		
		11	लीलाधर/जोखीराम 133 से अंत तक		
		12	बालाप्रसाद /लच्छूबूढाबासोदा+सुमेरजागीर 1 से 17 तक		
		13	मुन्नालाल/हरीराम गोपालपुर+सुजातगंज 18 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	मोहम्मदगढ़	1	छोटी बी /वाजिद खा मोहम्मदगढ़ 1 से 16 तक	अ.जा.	2
		2	गोपालसिंह/उमेद सिंह 17 से 29 तक	अ.ज.जा.	1
		3	कमलसिंह/नोनीतराम 30 से 43 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	मूरतसिंह/चन्दन 44 से 61 तक	महिला अ.जा.	1
		5	अजीज मो./सुल्तान मो. 62 से 76/1 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जुबेदा बी /इब्राहिम खा 76/2 से 88 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रमेश कुमार /हीरा लाल 89 से 105 तक	महिला सामान्य	5
		8	वजीर खा/नूर मो. 106 से 128 तक		
		9	रज्जू लाल/श्याम लाल 129 से 139 तक		
		10	धननो बाई/भवानी 140 से 154 तक		
		11	हरिराम/ रामचरण 155 से 165 तक		
		12	सिम्मी बाई/डालचंद 166 से 177 तक		
		13	फातमा बी/ मोहम्मद अली 178 से 187 तक		
		14	रहीम /रहमान 188 से अंत तक		
		15	हरि शंकर लाल/बाबू लालसुजवाहा 1 से अंत तक		
		16	।जबाई/मनमोहन चौपड़ा+चौकी+पोहरा+मर्दानपुर+अहमदगंज		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	चीकली	1	फूलसिंह / रामकिशन चीकली 1 से 11 तक	अ.जा.	1
		2	रमेश / चंदन सिंह 12 से 23 तक	अ.ज.जा.	0
		3	जिब्बा बाई / गंगा राम 24 से 38 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	मानसिंह / तुलाराम 39 से 50 तक	महिला अ.जा.	0
		5	काशीराम / उदेयसिंह 51 से 66 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कमलसिंह / सुखलाल 67 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	प्रेमबाई / प्यारे लाल इकबालगंज 1 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	फूलबाई / ज्ञानसिंह चिरौदा 1 से 11 तक		
		9	भोगचंद / ब्रजलाल 12 से 31 तक		
		10	रूपसिंह / करण सिंह 32 से 49 तक		
		11	कलाबाई / फूलसिंह 50 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	खिरियाजागीर	1	मुन्नालाल / राजाराम खिरियाजागीर 1 से 16 तक	अ.जा.	2
		2	अरजनसिंह / आशाराम 17 से 27 तक	अ.ज.जा.	0
		3	नारायणसिंह / रामलाल 28 से 37 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	मनसाराम / करोड़ी लाल 38 से 50 तक	महिला अ.जा.	1
		5	रूपसिंह / मंगलसिंह 51 से 62 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जुगताबाई / राजाराम 63 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	रामनारायण / नाथूराम 1 से 12 तक	महिला सामान्य	4
		8	नारायण सिंह / मलथू रमपुरा 13 से 27 तक		
		9	बालमुकुन्द / गनेश राम 28 से 40 तक		
		10	छोटेलाल / परमलाल 41 से 50 तक		
		11	कालूराम / जगन्नाथ 51 से 65 तक		
		12	चुन्नीलाल / भवूती 66 से अंत तक		
		13	अर्जुन सिंह / विन्दे भावनखिरिया 1 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	कोलुआधामनोद	1	पूना बाई / मनमोहनकोलुआधामनोद 1 से 12 तक	अ.जा.	2
		2	अकीला बी / शोकत खा 13 से 23 तक	अ.ज.जा.	2
		3	कस्तूरी बाई / धनी सिंह 24 से 33 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	हनीफ खा / रफतार खा 34 से 47 तक	महिला अ.जा.	1
		5	सुनील / भगवान सिंह 48 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	गोविन्दसिंह / भगवान सिंह 1 से अन्त तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	परसराम / परवतसिंह पोतला 1 से 10 तक	महिला सामान्य	2
		8	खेमचन्द / भवूति 11 से 29 तक		
		9	सूरजसिंह / धनसिंह 30 से अंत तक		
		10	कुसुमबाई / प्रताप सिंह बहरयाई 1 से 21 तक		
		11	अमरसिंह / चिरौजी लाल 22 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	मढियाधामनोद	1	हनुमानदास / बिहारी दास मढियाधामनोद 1 से 15 तक	अ.जा.	2
		2	द्रोपती बाई / चंद्रभान 16 से 30 तक	अ.ज.जा.	0
		3	धीरज सिंह / अमर सिंह 31 से 39 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	इकबाल खां / अहमद खां 40 से 56 तक	महिला अ.जा.	1
		5	नजर मो. खां / बजीर खां 57 से 73 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	पीर मोहम्मद खां / गुलमीर खां 74 से 95 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ल्याकत खां / गुलाम खां 96 से 114 तक	महिला सामान्य	5
		8	दयालसिंह / खुमान सिंह 115 से 130 तक		
		9	हरी सिंह / मुन्तूलाल 131 से अंत तक		
		10	महाराज सिंह / नारायण सिंह सिन्दूरिया 1 से 14 तक		
		11	गनपत सिंह / तुलसीराम 15 से 26 तक		
		12	बाबूलाल / गनपत 27 से अंत तक		
		13	जयराम / काशीराम बर्रीधामनोद 1 से 13 तक		
		14	शिवप्रसाद / कालूराम 14 से 24 तक		
		15	मुलायम सिंह / नंदलाल 25 से 47 तक		
		16	किशन लाल / हरीराम 48 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	पिपरियापाराशर	1	हरगोविंद / नंदराम पिपरिया पाराशर 1 से 23 तक	अ.जा.	2
		2	भगवान सिंह / बल्लू 24 से 36 तक	अ.ज.जा.	0
		3	जमना प्रसाद / मुल्ली 37 से 48 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	रामचरण / गुलाबसिंह 49 से अंत तक	महिला अ.जा.	1
		5	भगवती बाई / अर्जुन सिंह खेजडाबागरोद 1 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	शिशुपाल सिंह / परसराम विजयपुर+नरयावली 1 से 11 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	दयाराम / रामचरण 12 से अंत तक तथा नरयावली संपूर्ण	महिला सामान्य	3
		8	रामकली बाई / ब्रजलाल सतपाडा जौहरी 1 से 15 तक		
		9	गुलाब सिंह / मुल्ला 16 से 33 तक		
		10	हरीराम / शंकर सिंह 34 से 42 तक		
		11	दक्ख बाई / मथुरा प्रसाद 43 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	दैयरपुर	1	मन्तूलाल / नत्थू दैयरपुर 1 से 12 तक	अ.जा.	1
		2	रामबाई / दौलत सिंह 13 से 27 तक	अ.ज.जा.	0
		3	करोडीलाल / प्यारेलाल 28 से 47 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	भैयालाल / दौलत सिंह 48 से 59 तक	महिला अ.जा.	0
		5	सुंदर बाई / गोटीराम 60 से 77 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	हरीराम / गनेशराम 78 से 88 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ग्याप्रसाद / चंदनसिंह 89 से 97 तक	महिला सामान्य	4
		8	हरगोविंद / लाल सिंह 98 से 112 तक		
		9	नारान सिंह / रामप्रसाद 113 से 135 तक		
		10	ग्याप्रसाद / नंदलाल 136 से अंत तक		
		11	अर्जुन सिंह / पूरन सिंह सेमरा इशतमुरार 1 से 12 तक		
		12	ज्ञानप्रकाश / नर्वदा प्रसाद 13 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	बांसादेही	1	छोटेलाल/दमरू बासादेही 1 से 15 तक	अ.जा.	3
		2	जाहीद खां /मीर खां 16 से 27 तक	अ.ज.जा.	0
		3	अहमद खां /सरदार खां 28 से 53 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	तुलसी राम /गोरीशंकर 54 से 70 तक	महिला अ.जा.	2
		5	ख्याली राम /बालचंद 71 से 95 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	नारायण सिंह /हल्के राम 96 से 107 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	काले खां /नसीर खां 108 से 116 तक	महिला सामान्य	3
		8	हजरावी/राजीव खां 117 से अंत तक		
		9	तुलसी राम /हरचंद्र बसुरिया 1 से 12 तक		
		10	सरदार सिंह /रामप्रसाद 13 से अंत तक		
		11	उधम सिंह /करोडीलाल हरहरखेडी 1 से 11 तक		
		12	प्रेम सिंह /आशाराम 12 से 21 तक		
		13	इमरत सिंह /दौलत सिंह 22 से 33 तक		
		14	कामता प्रसाद /भुमानी सिंह 34 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	सेमरा टप्पा	1	फूल सिंह /भूरे लाल सेमरा टप्पा 1 से 18 तक	अ.जा.	1
		2	रामदयाल /ग्यारसी 19 से 37 तक	अ.ज.जा.	1
		3	ममता बाई /इमरत सिंह 38 से 43 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	किशनसिंह /भाव सिंह 44 से 60 क तक	महिला अ.जा.	0
		5	चिरौंजी लाल /रामप्रसाद 60 ख से 78 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जुगल किशोर/हरचंदी 79 सेअंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	किशन सिंह /प्यारे लाल झाडपोनिया 1 से 23 तक	महिला सामान्य	5
		8	रामसिंह /छिमाधर 24 से 47 तक		
		9	मोहनसिंह /पूरन सिंह 48 से अत तक		
		10	आशाराम /काशीराम सगोरिया 1 से 9 तक		
		11	गनपत सिंह /धमन सिंह 10 से अंत तक		
		12	चित्तर सिंह /ब्रजलाल पुंवारिया 1 से 6 तक		
		13	अखलेख /नारायण सिंह 7 से 20 तक		
		14	हिम्मत सिंह /तेज सिंह 21 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	बैहलोट	1	फूल सिंह / धर्मचंद बेहलोट 1 से 15 तक	अ.जा.	1
		2	प्रसादी बाई / चिरमोला 16 से 31 तक	अ.ज.जा.	0
		3	हरीराम / मातादीन 33 से 44 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	सरस्वती बाई / खुमान सिंह 45 से 57 तक	महिला अ.जा.	0
		5	सरस्वती बाई / चुकई 58 से 73 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	सफकत नूर / रहमत नूर 74 से 90 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	ब्रिजा बाई खुमान सिंह 91 से 104 तक	महिला सामान्य	4
		8	मुन्नालाल / गुमानी 105 से 134 तक		
		9	राजाराम / मुन्नीलाल 135 से अंत तक		
		10	प्रेमबाई / मोहनदास साजनखेड़ी 1 से 11 तक		
		11	बूदा बाई / टीकाराम 12 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	मदनई	1	अमानसिंह / गुबरा मदनई 1 से 8 तक	अ.जा.	1
		2	सियाबाई / सनमानसिंह 9 से 24 तक	अ.ज.जा.	0
		3	गोपीलाल / पारीक्षत 25 से 36 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	वीरा / हरकिशन 37 से 43 तक	महिला अ.जा.	0
		5	रमेशकुमार / राम दयाल 44 से 54 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	प्रीतमसिंह / करनसिंह 55 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	प्यारेलाल / हरीराम दासीपुर 1 से 16 तक	महिला सामान्य	5
		8	श्री लाल / राजाराम 17 से 32 तक		
		9	श्यामलाल / तुलाराम 33 से 47 तक		
		10	इदरीशमो. / यावर मो खा 48 से 54 तक		
		11	जुलेखा बी / रफीक खा 55 से 62 तक		
		12	कच्छेदी लाल / अमर सिंह 63 से 81 तक		
		13	गुड्डु खा / मुन्नेखा 82 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
65	पचपेड़िया	1	सियाबाई / रामसेवक पचपेड़िया 1 से 8 तक	अ.जा.	3

1	2	3	4	5	6
		2	फराली / चिमनलाल पचपेडिया 9 से 25 तक	अ.ज.जा.	1
		3	घासीराम / धर्मचंद 26 से 37 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	भावसिंह / पूरनसिंह 38 से अंत तक	महिला अ.जा.	2
		5	हरबाई / खेमचंद गोडीपुर 1 से 18 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गजराज / चुन्नीलाल 17 से 27 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	सितारावी अ / रसीद खा 28 से 34 तक	महिला सामान्य	3
		8	वैनीप्रसाद / देवचंद 36 से 52 तक		
		9	जमीला बी / छोटे खा 53 से अंत तक		
		10	रामचरण / गोपा परसोरा धामनोद 1 से अंत तक		
		11	फूलबाई / नत्थू पडरिया 1 से 14 तक		
		12	धनसिंह / हल्के 15 से 24 तक		
		13	नंदलोबाई / धनसिंह 25 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	धामनोद	1	प्रेमसिंह / भागमल धामनोद 1 से 7 तक	अ.जा.	2
		2	अशोकसिंह / हरिनारायण 8 से 15 तक	अ.ज.जा.	0
		3	बालकिशन / कल्लू 16 से 23 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		4	दरयाव / मौजिलाल 24 से 33 तक	महिला अ.जा.	1
		5	नारायणसिंह / प्यारेलाल 34 से 44 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	मोहन / गनेशराम 45 से 53 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		7	करनसिंह / भुज्जबलसिंह 54 से 64 तक	महिला सामान्य	6
		8	हसमत खा / चुन्ने खा 65 से 82 तक		
		9	सिम्मो बाई / गनेशराम 83 से 92 तक		
		10	कादर खा / हयात खा 93 से 100 तक		
		11	कुरेसा बी / एहसाद खा 101 से 114 तक		
		12	मुन्ने खा / छोटे खा 115 से 123 तक		
		13	मुनवर खान / मकवूल खा 124 से 130 तक		
		14	रसूलन बी / करीम खा 131 से 141 तक		
		15	पीया रानी / खुशीलाल 143 से 158		
		16	याशोदा बाई / दया राम 159 से अन्त तक		
		17	केरा बाई / जसंबन्त गुन्जारी 1 से 11 तक		
		18	हल्केई / दलसिंह 12 से 16 तक		
		19	राजकुमारी / राजेशसिंह 17 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	नौरजा	1	धनबाई / किशोरीलाल नौरजा 1 से 17 तक	अ.जा.	4

1	2	3	4	5	6
		2	रूपसिंह/बुद्धा 18 से 33 तक	अ.ज.जा.	0
		3	भोगचन्द्र/कछेदीलाल 34 से 45 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	लक्ष्मीनारायण/हरीशंकर 46 से 52 तक	महिला अ.जा.	2
		5	थानसिंह/सेवप्रसाद 53 से 69 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	जयकिशन/दौलतराम 70 से 85 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	बारेलाल/हल्के 86 से 97 तक	महिला सामान्य	3
		8	करोडीलाल/हल्के सिंह 98 से अंत तक		
		9	हरपा/अमानसिंह बसियाखास 1 से 28 तक		
		10	दौलतसिंह /किशनसिंह 29 से 41 तक		
		11	जयसिंह /उमराव 42 से 54 तक		
		12	हरीराम/धनीहि 55 से 61 तक		
		13	बिहारी /पंचा 1 से अंत तक संपूर्ण ग्राम		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4		
68	गुन्नौठा	1	जवाहरसिंह /राम प्रसाद गुन्नौठा 1 से 12 तक	अ.जा.	3
		2	सुख लाल /पूरन 13 से 23 तक	अ.ज.जा.	0
		3	कुन्दन बाई /सेव लाल 24 से 31 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	सफीक खा/याफूक खा 32 से 43 तक	महिला अ.जा.	2
		5	पुतरो बाई/लक्ष्मी चंद 44 से 54 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	नारायणसिंह/लालचन्द 55 से 64 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	गया बाई/छोटेला 65 से 77 तक	महिला सामान्य	4
		8	राजेश कुमार /दौलात सिंह 78 से 87 तक		
		9	पन्नालाल /बाला प्रसाद 88 से 98 तक		
		10	चिरौजीलाल /रामप्रसाद 99 से 109 तक		
		11	बाबूलाल /पूरनसिंह 110 से 119 तक		
		12	दुर्गाप्रसाद/हल्केसिंह 120 से 131 तक		
		13	मुल्ला/उमराव 132 से 144 तक		
		14	श्री राम /नन्नाई 145 से 155 तक		
		15	फूलसिंह/सेव लाल 156 से 165 तक		
		16	पुनाबाई/हरीसिंह 166 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	मढ़ियाजामन	1	विधा बाई /राम चरण मढ़ियाजामन 1 से 11 तक	अ.जा.	1
		2	भूरीबाई /पूरनसिंह 12 से 22 तक	अ.ज.जा.	2

1	2	3	4	5	6
		3	बबरी बाई/हरी राम 23 से अंत तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		4	आशीम खा/सबिर खा तालबहेट 1 से अंत तक	महिला अ.जा.	0
		5	रमेश कुमार /श्याम लाल बसियागाजर 1 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	1
		6	कल्लू खा /अबदुल खाहातमगढ 1 से 10 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	शहीद खा /हमीद खा 11 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	अमजत खा / सहादत खासरदारपुर 1 से अंत तक		
		9	कमल सिंह /पूरन सिंह एलछा 1 से 17 तक		
		10	गौमती बाई अन्त राम 18 से 33 तक		
		11	उसमान बी /इसाक खा 34 से अंत तक		
		12	गनपत सिंह /आशा राम गंभीरिया 1 से 15 तक		
		13	काशी बाई /मुल्लू16 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	कोलुआजागीर	1	अजुददा/मारिया कोलुआजागीर 1 से 16 तक	अ.जा.	4
		2	सुमित्रा बाई/जयसिंह 17 से 30 तक	अ.ज.जा.	1
		3	प्यारेलाल /तुलाराम 31 से 42 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		4	जयराम नंदा 43 से 54 तक	महिला अ.जा.	2
		5	हीरालाल/दयाराम 55 से 65 तक	महिला अ.ज.जा.	0
		6	गोदीराम/सुन्दर लाल 66से 81 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		7	अन्नत राम /रतनलाल सागोनी 1 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	सुनीता /मोहनलाल लोहरा 1से 15 तक		
		9	सूरजबाई/भागचंद दौलतपुर+पट्टीलोहरा 16 से 31 तक		
		10	उर्मिला/भागचंद 32 से 50 तक		
		11	नन्नीबाई/दौलतसिंह 51 से 60		
		12	लक्ष्मी नारायण /परसराम 61 से अंत तक		

खण्ड - ग्यारसपुर

सारणी

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
71	मढियादरोई	1	धन्नोबाई /खुबीया मढियादरोई 1 से 16 तक	अ.जा.	2
		2	समीना बी /गुल मोहम्मद 17 से 26 तक	अ.ज.जा.	5
		3	सनमानसिंह /बारै लाल27 से 34 तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		4	रामबाबू/दीन दयाल35 से 46 तक	महिला अ.जा.	1
		5	मुल्लो बाई /बाब2 लाल 47 से अंत तक	महिला अ.ज.जा.	3
		6	हरीनारायण /ठाकुर दास यूसुफगंज 1 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
		7	मंगलसिंह/हरी राम जाहिदगंज 1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	प्रेमबाई/परमलाल अमरपुर 1 से अंत तक		
		9	भगो बाई/थारै लाल जोतपुर 1 से 15 तक		
		10	बाल किशन/हल्के 16 से 27 तक		
		11	गनेशराम2राम चंद 28 से अंत तक		
		12	राजवीर /तुलाराम आबिदगंज 1 से अंत तक		
		13	दित्तु/मोन उसरवेहटा 1 से अंत तक		

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) जिला सतना, मध्यप्रदेश

प्रपत्र 3 (ब)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-पंचा. प्र.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सतना के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित “ग्राम पंचायत” में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मैहर	करइया बिजुरिया	करइया बिजुरिया	करइया बिजुरिया	639	51
			कुसियारी	कुसियारी	206	
			बुडा	बुडा	150	
			योग :		995	

मोहनलाल, कलेक्टर.

प्रपत्र 3 (ब)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-पंचा. प्र.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सतना के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित “ग्राम पंचायत” में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मैहर	बरही	बरही	बरही	855	47
			ओइला रेलपार	ओइला रेलपार	10	
			ओइला नदीपार	ओइला नदीपार	65	
			गहवरा	गहवरा	1	
			योग :		931	

मोहनलाल, कलेक्टर.

प्रपत्र 3 (ब)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-पंचा. प्र.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सतना के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित “ग्राम पंचायत” में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मैहर	जीतनगर	जीतनगर	जीतनगर	1683	46
योग :					1683	

मोहनलाल, कलेक्टर.

प्रपत्र 3 (ब)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-पंचा. प्र.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सतना के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित “ग्राम पंचायत” में स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मैहर	डांडी	डांडी	डांडी	942	40
			सहिलरा	सहिलरा	593	
योग :					1535	

मोहनलाल, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत : करइया बिजुरिया

परिशिष्ट-5 (अ)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-प्र. प.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला सतना, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए

आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	करइया बिजुरिया	करइया विजुरिया	1 म. क्र. 2 सीमा से म. क्र. 15 रागनी तक	अ.जा.	0
2		करइया विजुरिया	2 म. क्र. 16 रामनरेश से म. प्र. 23 ख गुडडी तक	अ. ज. जा.	0
3		करइया विजुरिया	3 म. क्र. 24 रामलखन से म. क्र. 35 आशीष तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		करइया विजुरिया	4 म. क्र. 37 रामसुन्दर से म. क्र. 48 जितेन्द्र कुमार तक	महिला अ. जा.	0
5		करइया विजुरिया	5 म. क्र. 49 वैजन्ती बाई से म. क्र. 63 संगीता तक	महिला अ. ज. जा.	0
6		करइया विजुरिया	6 म. क्र. 64 लक्ष्मण से म. क्र. 75 रिचा तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7		कुशियारी	7 म. क्र. 03 हीरामणि से म. क्र. 21 कुलिया तक	महिला सामान्य	3
8		कुशियारी	8 म. क्र. 21क शिबालक से म. क्र. 38 बुन्दावन तक		
9		बूड़ा	9 म. क्र. 01 रामकुमार से म. क्र. 08 बेटीबाई तक		
10		बूड़ा	10 म. क्र. 09 महिमा से म. क्र. 17 गुडिया तक		

(नोट.—मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें).

मोहनलाल, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत : बरही

परिशिष्ट-5 (अ)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-प्र. प.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला सतना, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरही	बरही	1 म. क्र. 1 अच्छेलाल से म. क्र. 09 फुलझरिया तक	अ.जा.	1
2			2 म. क्र. 10 कल्लीबाई से म. क्र. 17 कलावती तक	अ. ज. जा.	0
3			3 म. क्र. 18 छंगा से म. क्र. 28 तेरसी तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4			4 म. क्र. 29 घोखिया से म. क्र. 34ग रामदास तक	महिला अ. जा.	0
5			5 म. क्र. 35क विशाली से म. क्र. 43 श्रीधर तक	महिला अ. ज. जा.	0
6			6 म. क्र. 44 उजियरिया से म. क्र. 55 रामसेवक तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7			7 म. क्र. 55ख मोलईराम से म. क्र. 62क प्रहलाद दास तक	महिला सामान्य	3
8			8 म. क्र. 63 रामाधार से म. क्र. 74क रघुनंदन तक		
9			9 म. क्र. 75 विशेषर से म. क्र. 90 रामनरेश तक		
10	ओइला	ओइला रेलपार 10 नदीपार एवं गहवरा	म. क्र. 06 कृष्ण बिहारी से म. क्र. 05 शिवानी तक		

(नोट.—मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें).

मोहनलाल, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत : जीतनगर

परिशिष्ट-5 (अ)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4600-प्र. प.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला सतना, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जीतनगर	जीतनगर	1 म. क्र. 01 सितरा बेगम से म. क्र. 10 तेजमणी तक	अ.जा.	4
2			2 म. क्र. 11 लालमन से म. क्र. 25 सत्या तक	अ. ज. जा.	2
3			3 म. क्र. 26 हेतराम से म. क्र. 29/13 पवन कुमार तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4			4 म. क्र. 29/14 इन्द्र बहादुर से म. क्र. 29/ग ज्योति तक	महिला अ. जा.	2
5			5 म. क्र. 30 सोलेलाल से म. क्र. 38ख लक्ष्मी तक	महिला अ. ज. जा.	1
6			6 म. क्र. 39 रामजियावन से म. क्र. 48क बबली तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7			7 म. क्र. 48ख सुन्दर से म. क्र. 56 नीलू तक	महिला सामान्य	3
8			8 म. क्र. 57 वंशगोपाल से म. क्र. 64 सोनू तक		
9			9 म. क्र. 64क शिवकुमार से म. क्र. 71क राजभान तक		
10			10 म. क्र. 72 फग्गा से म. क्र. 82क बुधिया तक		
11			11 म. क्र. 82ख नरवद से म. क्र. 96 कलावती तक		
12			12 म. क्र. 97 पूरन से म. क्र. 111 आरती तक		
13			13 म. क्र. 112 सियारानी से म. क्र. 121 बृजेश तक		
14			14 म. क्र. 121क जगदीश से म. क्र. 135क ओमप्रकाश तक		
15			15 म. क्र. 135ख तेरसिया से म. क्र. 142 कुन्ती तक		
16			16 म. क्र. 143 सुरखी बाई से म. क्र. 159 विमला तक		

(नोट.—मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें).

मोहनलाल, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत : डांडी

परिशिष्ट-5 (अ)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. पंचा. प्र-4600.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला सतना, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4)

में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डांडी	डांडी	1 म. क्र. 01 गयाप्रसाद से म. क्र. 09 रमेश कुमार तक	अ.जा.	4
2			2 म. क्र. 10 सोहनलाल से म. क्र. 21 सुरेश तक	अ. ज. जा.	3
3			3 म. क्र. 21क रामू से म. क्र. 33क अच्छेलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4			4 म. क्र. 34 प्रेमलाल से म. क्र. 47 नारेन्द्र कुमार तक	महिला अ. जा.	2
5			5 म. क्र. 48 सुखलाल से म. क्र. 58क सोनीलाल तक	महिला अ. ज. जा.	2
6			6 म. क्र. 59 सौखीलाल से म. क्र. 66 वजीर मोहम्मद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7			7 म. क्र. 67 फूलचंद से म. क्र. 77क बुट्टीबाई तक	महिला सामान्य	2
8			8 म. क्र. 78 हसीना बेगम से म. क्र. 83 मोहनलाल तक		
9			9 म. क्र. 84 भगतराज से म. क्र. 102 जितेन्द्र कुमार तक		
10		सहिलरा	10 म. क्र. 01 रामकृपाल से म. क्र. 07 बिट्टीबाई तक		
11			11 म. क्र. 08 अर्जुन से म. क्र. 16 मोतीलाल तक		
12			12 म. क्र. 16क ठाकुरदीन से म. क्र. 23क रामसुन्दर तक		
13			13 म. क्र. 24 सियाराम से म. क्र. 35 नत्थू तक		
14			14 म. क्र. 36 बिछुआ से म. क्र. 43 भजिया तक		
15			15 म. क्र. 44 कल्लू से म. क्र. 210 शिवकुमारी तक		

(नोट.—मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें).

मोहनलाल, कलेक्टर.

जिला/जनपद पंचायत

परिशिष्ट-5 (ब)

सतना, दिनांक 29 मई 2014

क्र. प्रं. पं.-4600.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ-दो में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	जनसंख्या	आरक्षित विवरण निर्वाचन की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मैहर	9	1. इटमा	3655	अ.जा.	4
	जिला-सतना		2. भैसापुर	2108	अ. ज. जा.	6
	(म. प्र.)		3. पोड़ी	5084	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
			योग-	10847	महिला अ. जा.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10	1. डांडी	1535	महिला अ. ज. जा.	3
			2. नकतरा	2056	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
			3. पिपराकला	2215	महिला सामान्य	5
			4. करइया बिजुरिया	995		
			योग -	6801		
		11	1. बरही	931		
			2. कल्याणपुर	1998		
			3. पहाड़ी	2199		
			4. जीतनगर	1683		
			योग -	6811		
		12	1. बेल्दरा	2450		
			2. मनटोलवा	1680		
			3. हरदासपुर	1484		
			4. धनवाहीकला	2012		
			योग -	7635		

मोहनलाल, कलेक्टर.

जिला/जनपद पंचायत
परिशिष्ट-5 (ब)

सतना, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र.4600-प्र. प.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 एवं धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ-दो में अंकित खण्ड/जिला को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सतना	10	महेदर, गोरइयाकला, भमरहा, कुसेड़ी, भरौली, इटहरा, खेरवाकला, भैसासुर, इटमा, खैरा, हिनौताकला, कन्हवारा, लुढौती, धतूरा, बेरमा, पोडी, कुटाई, नकतरा, डांडी, कल्याणपुर, जीतनगर, बरही.	अ. जा. अ. ज. जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ. ज. जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	
		11	पिपराकला, करइया बिजुरिया, सोनवारी, डेल्हा, बेल्दरा, पहाड़ी, नरौरा, मनटोलवा, हरदासपुर, धनवाहीकला, तिलौरा, वंशीपुर, अमिलियाकला, मगरौरा, देवरा, करूआ, करतहा, बरेठी, भटिगवां, कांशा, गोबरी.		

मोहनलाल, कलेक्टर.

परिशिष्ट-5 (ब)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. 6508-पं. प्र.-2014.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निशांत वरवडे, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ (2) में अंकित जिला को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करता हूँ तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) एवं (6) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु अंतिम रूप से प्रकाशित करता हूँ :-

सारणी

अनु- क्र.	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या				
				प्रवर्ग	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	भोपाल	1	1 चन्देरी	अ. जा.	2			
			2 कुठार	अ. ज. जा.	0			
			3 निपानियासूखा	अन्य पिछड़ा वर्ग	3			
			4 खजूरी राताताल	महिला अ. जा.	1			
			5 काछीबरखेड़ा	महिला अ. ज. जा.	0			
			6 रायपुर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2			
			7 निपानियाजाट	महिला सामान्य	2			
			8 कनेरा					
			9 अगरिया					
			10 गोलखेड़ी					
			11 खामखेड़ा					
			12 ईटखेड़ीसड़क					
			13 अचारपुरा					
			14 अरवलिया					
			15 इस्लामनगर					
			16 देवलखेड़ी					
			17 बगोनिया					
			18 तारासेवनिया					
			2	भोपाल	2	19 सूखीसेवनिया		
						20 मुगालियाकोट		
						21 पिपलियाजाहिरपीर		
						22 कानासैया		
						23 बरखेड़ीअब्दुल्ला		
						24 बालमपुर		
						25 अमोनी		
						26 प्रेमपुरा		
						27 चौपडाकलां		
						28 इमलिया		
29 सेवनियाओंकारा								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	भोपाल	3	30 झिरनिया		
			31 रसूलिया पठार		
			32 पुराछिन्दवाड़ा		
			33 मुंगालिया हाट		
			34 खेजड़ादेव		
			35 चन्दूखेड़ी		
			36 परवलिया सड़क		
			37 बरखेड़ाबोंदर		
			38 कुराना		
			39 खौरी		
			40 तुमड़ा		
			41 बकानिया		
			42 बरखेड़ासालम		
			43 खजूरीसड़क		
			44 ईटखेड़ीछाप		
4	भोपाल	4	45 साइस्ताखेड़ी		
			46 टीलाखेड़ी		
			47 बोरखेड़ी		
			48 फन्दाकलां		
			49 मुगालियाछाप		
			50 बरखेड़ानाथू		
			51 बड़झिरी		
			52 नांदनी		
			53 आमला		
			54 मूंडला		
			55 कोड़िया		
			56 रातीबड		
			57 सरवर		
			58 भानपुर		
			59 सेमरीवाज्याफत		
			60 कलखेड़ा		
			61 बेरखेड़ीवाज्याफत		
			62 मेंडोरी		
			63 सिकंदराबाद		
5	भोपाल	5	64 कालापानी		
			65 गोल		
			66 अमरावतकलां		
			67 सुरैयानगर		
			68 बोरदा		
			69 अमझरा		
			70 पड़रियाजाट		
			71 जमुनियाकलां		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			72	बगरोदा	
			73	बंगरसिया	
			74	नरोन्हासांकल	
			75	आदमपुर छावनी	
			76	बिलखिरिया	
			77	कोलुआखुर्द	
6	भोपाल	6	78	सूरजपुरा	
			79	खताखेड़ी	
			80	मजीदगढ़	
			81	कोलूखेड़ीखुर्द	
			82	सिंधोड़ा	
			83	रमाहा	
			84	खेजडाघाट	
			85	नजीराबाद	
			86	बड़वेलीकलां	
			87	खण्डारिया	
			88	बीलखों	
			89	कढ़ैयाकोटा	
			90	बंदरूआ	
			91	खजूरियाकलां	
			92	बहरावल	
			93	कढ़ैयाकलां	
			94	अमरपुर	
			95	भुजपुराकलां	
			96	गढ़ाखुर्द	
			97	गढ़ाकलां	
			98	नायसमंद	
			99	गूजरतोड़ी	
7	भोपाल	7	100	जमूसरकलां	
			101	जमूसरखुर्द	
			102	कढ़ैयाशाह	
			103	बराई	
			104	सोहाया	
			105	दोहाया	
			106	धतुरिया	
			107	अर्जुनखेड़ी	
			108	चांदासलोई	
			109	खितवास	
			110	चांटाहेडी	
			111	निदानपुर	
			112	हिंगोनी	
			113	बरखेड़ायाकूव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			114 बबचिया		
			115 मूंडलाचन्द		
			116 नरेलादामोदर		
			117 मेगराकलां		
			118 करारिया		
			119 बैरागढ़		
			120 ढुंगरिया		
			121 तरावलीखुर्द		
8	भोपाल	8	122 मेंगरानवीन		
			123 मंगलगढ़		
			124 धूतखेड़ी		
			125 मनीखेड़ी (पार्वती)		
			126 परसोरा		
			127 कोलूखेड़ीकलां		
			128 रूनाहा		
			129 बागसी		
			130 कोटरा (धनोरा)		
			131 सेमराभरोंपुर		
			132 कढ़ैयाचंवर		
			133 रमगढ़ा		
			134 ललोई		
			135 दौलतपुरा		
			136 रमपुरावालाचोन		
			137 नलखेड़ा		
			138 हबीवगंज		
			139 पिपलियाहस्नाबाद		
			140 विरहश्यामखेड़ी		
			141 खुकरिया		
			142 देवलखेड़ा		
			143 तरावलीकलां		
			144 आंकिया		
			145 सुनगा		
			146 दमीला		
9	भोपाल	9	147 कुल्हौर		
			148 इमलियानरेन्द्र		
			149 लंगरपुर		
			150 दामखेड़ा		
			151 बरीछीरखेड़ा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			152	सेमराकलां	
			153	खजूरियारामदास	
			154	भैंसोदा	
			155	गरेठियादांगी	
			156	बरोड़ी	
			157	अर्वावती	
			158	कचनारिया	
			159	धमरां	
			160	महोली	
			161	सोनकच्छ	
			162	बरखेड़ाबरामद	
			163	बरीं	
			164	सेमरीकलां	
			165	ललरिया	
			166	झिकरियाखुर्द	
10	भोपाल	10	167	जूनापानी	
			168	गांगापिपलिया	
			169	दिल्लोद	
			170	रोडिया	
			171	ऊँटखेड़ा	
			172	पीपलखेड़ा	
			173	हराखेड़ा	
			174	कलारा	
			175	कुटकीपुरा	
			176	उर्नीदा	
			177	करोँदिया	
			178	गुनगा	
			179	जैतपुरा	
			180	पारदी	
			181	मनीखेड़ी	
			182	इजगिरी	
			183	हिनोतीसड़क	
			184	सुकलिया	
			185	रतुआरतनपुर	
			186	भैंसखेड़ा	
			187	कोटराचौपड़ा	

निशांत बरवड़े, कलेक्टर.